लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit
8-7-92
16-1-84

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय सूची CONTENTS

अंक 6—सोमवार, 29 जुलाई, 1968/7 श्रावण, 1890 (शक)

No. 6 Monday, July 29, 1968/ 7 Sravaa, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय/Subject	पृष्ठ/PAGE
151. नंगल में नया उर्वरक कारखाना	New Fertilizer Factory at Nangal	949
152. मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/S Dodsal (P) Limited	951
153. साबुन बनाने में गाय, भेड़ आदि की चर्बी का प्रयोग	Use of Tallow in Soap Manufacturing	956
154. चीनी की वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of Goods to China	962

प्रश्नों के लिखित उत्तर **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

तारांकित प्रश्न संख्या

155. चंडीगढ़ के निर्माण के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for construction of Chandigarh	966
156. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय का विनियोजन	Mobilisation of Agricultural Income in Rural Areas	966
157. मद्यनिषेध	Prohibition	966
158. पी० एल० 48 से अनुदान	Grants from PL 480 Funds . . .	967
159. रामकृष्णपुरम में बिजली की व्यवस्था	Provision of Electricity in Quarters in R.K. Puram, New Delhi	968
160. एस्सो और बर्मा शैल के साथ तैलशोधन करार	Refinery Agreement with ESSO and Burmah Shall	968

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. No.	विषय / SUBJECT		पृष्ठ / PAGE
161.	दिल्ली में हल्की बीयर की बिक्री की अनुमति देना	Introduction of Soft Beer in Delhi . .	968
162.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	969
163.	बिहार सहायता निधि का दुरुपयोग	Mis-utilisation of Bihar Relief Fund	969
164.	विदेशी सहायता	Foreign Aid	969
165.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और रेलवे द्वारा ट्रैवलर चैकों का स्वीकार न किया जाना	Non-acceptance of Travellers' Cheques by IAC and Railways . . .	970
166.	कर्जन रोड स्थित होस्टल के फ्लेटों का नियतन	Allotment of Curzon Road Hostel Flats, New Delhi . . .	970
167.	उत्तर प्रदेश का विकास कार्यक्रम	Development Programme of Uttar Pradesh	971
168.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of Central Excise and Land Customs Non-gazetted Employees Union	971
169.	इडिक्की पन बिजली परियोजना	Idikki Hydro Electric Project . .	972
170.	हिमालय की जड़ी बूटियों के बारे में रूस द्वारा अनुसन्धान	Research in Herbs in Himalayas by USSR	972
171.	रामकृष्णपुरम नई दिल्ली सैक्टर 12 में सड़कों पर पानी तथा रोशनी की व्यवस्था	Water and Street light in Sector XII of Ramakrishna Puram, New Delhi .	973
172.	बट्टेखाते में डाली गई आयकर की बकाया राशि	Income Tax arrears written off . .	973
173.	विदेशी सहायता	Foreign aid	974
174.	मच्छरों का उत्पात	Mosquito Menace	974
175.	श्री के० एन० मेहता के विरुद्ध न्यायानिर्णयन कार्यवाही	Adjudication Proceedings against Shri K.N. Mehta	975
176.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता	UNICEFS Aid	975

ता० प्र० सं० U. S. Q. No.		विषय/SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
177.	बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाने के लिये विधान	Legislation Restricrting Birth of Children	976
179.	देवरिया जिले में अस्पताल	Hospitals in Deoria District . . .	977
180.	श्री चिरंजीत लाल गोयन्का के विरुद्ध निर्णय न्याय सम्बन्धी कार्यवाही	Adjudication Proceedings against Shri Chiranjit Lal Goenka . .	977
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q.,. Nos.			
1312.	मेहतरों की काम करने की स्थिति	Working conditions of Scavengers . .	978
1313.	फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान	Income Tax payment by Film Stars .	979
1314.	निर्यात के बीजकों में कम राशि का दिखाया जाना	Under invoicing of Exports . . .	979
1315.	पश्चिम बंगाल में तेल मिलना	Location of Oil in West Bengal .	980
1318.	बिजली के मीटरों का निर्माण	Manufacture of Electricity Meters . .	880
1319.	हैदराबाद में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Concerns in Hyderabad . .	980
1320.	वाशिंगटन में शान्ति के लिये जल सम्बन्धी सम्मेलन	Water for Peace Conference in Washington	981
1321.	तरल पैट्रोलियम गैस	Liquid Petroleum Gas . . .	983
1322.	तरल पैट्रोलियम गैस	Liquid Petroleum Gas . . .	984
1323.	अखिल भारतीय वाक तथा श्रवण संस्था, मैसूर	All India Institute of Speech and Hearing, Mysore	985
1324.	अखिल भारतीय वाक तथा श्रवण संस्था, मैसूर	All India Institute of Speech and Hearing, Mysore	985
1325.	अखिल भारतीय वाक तथा श्रवण संस्था, मैसूर	All India Institute of Speech and Hearing, Mysore	985
1326.	अस्पताल समीक्षा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Hospital Review Committee's Recommendations . . .	986
1327.	काही और बकरोल के निकट खम्बात क्षेत्र में तेल का पाया जाना	New Oil Finds in Cambay Region near Kahi and Bakrol	987

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.		विषय/SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1328.	सरकारी उपक्रमों में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Public Sector Undertakings	987
1329.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती	Recruitment in Public Sector Undertakings	988
1330.	औद्योगिक उपक्रमों के लिये ऋण	Credit for Industrial Enterprises	988
1332.	सिन्थेटिक फाइबर्स फैक्टरीज	Synthetic Fibre Factoriesr . . .	989
1333.	कलकत्ता की नाली व्यवस्था	Drainage System of Calcutta . .	990
1334.	मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल, कलकत्ता द्वारा किये गये सौदे	Transactions made by M/S Amin Chand Pyarelal, Calcutta	990
1335.	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के लिये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licence for [Madhya Pradesh Audyogic Vikas Nigam . . .	991
1336.	इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली के निकट पैदल चलने वालों के लिये भूमिगत रास्ता	Underground Passage for Pedestrians near Irwin Hospital, New Delhi . . .	991
1337.	कस्टम हाऊस (सीमा शुल्क गृह), कलकत्ता के कर्मचारी	Staff Working in Customs House, Calcutta	992
1338.	एक्सप्रेस हाइवे	Express Highway	992
1339.	भारतीय तेल निगम, बम्बई के इंजिनियरिंग मैनेजर के विरुद्ध मुकदमा	Case against Engineering Manager of I.O.C., Bombay	993
1340.	अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् के सदस्यों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Members of All India Prohibition Council	993
1341.	बांदा जिला (उत्तर प्रदेश) में पीने के पानी की योजना	Drinking Water Scheme in Banda Distt.(UP.)	994
1342.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष सलाहकार समिति को उप-समिति की सिफारिशें	Recommendations of Subcommittee of Central Direct Taxes Advisory Committee . .	994
1343.	दोहरे कराधान से बचने के लिए इटली से करार	Avoidance of Double Taxation Agreement with Italy	996
1344.	बड़े नगरों में केन्द्रीय के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Central Government Employees in big Cities	996

अता० प्र० सं०

U. S. Q. No.	विषय SUBJECT		पृष्ठ/PAGE
1345.	सस्ते मकान योजना	Low Cost Housing Scheme	997
1346.	श्री महेश योगी को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Shri Mahesh Yogi	997
1347.	निजी दान	Private Donations	998
1348.	वित्त मंत्री की ईरान यात्रा	Finance Minister's Visit to Iran	998
1349.	कोरबा उर्वरक कारखाना	Korba Fertilizer Plant	998
1350.	दिल्ली के निकट एक तेल शोधनशाला की स्थापना	Setting up of a New Oil Refinery near Delhi	999
1351.	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	999
1352.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	International Monetary Fund	1000
1353.	हल्दिया उर्वरक कारखाने के लिये फ्रांस तथा पोलैंड की पेशकश	French Polish Offer re. Haldia Fertilizer Plant	1000
1354.	आसाम में गलेकी में तेल का पाया जाना	Oil Find at Galeki in Assam	1001
1355.	दिल्ली में क्षय रोगी	T.B. Patients in Delhi	1001
1356.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Rishikesh	1002
1357.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में रोगी की मृत्यु	Death of a patient in Safdarjang Hospital, New Delhi	1002
1358.	अस्पृश्यता	Untouchability	1003
1359.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	1003
1360.	उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग	Backward Classes in U.P.	1003
1361.	नसबन्दी ओप्रेशन के लिए प्रलोभन	Inducement for Vasectomy Operation	1004
1362.	यूनिसफ की सहायता	UNICEF'S Aid	1005
1363.	केन्द्रीय ऋण	Borrowings by Centre	1005

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1364. दिल्ली में चोरी छिपे लायी गयी वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Delhi .	1006
1365. बिहार के आदिम जातीय लोगों पर पुलिस द्वारा हमला	Police attack on Tribals of Bihar	1006
1367. चण्डीगढ़ में श्रमिकों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for labourers in Chandigarh	1007
1368. भारी रसायन उद्योग	Heavy Chemicals Industry . . .	1007
1369. इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा आयातित इस्पात की चादरें	Steel Sheets imported by Indian Oil Corporation . . .	1007
1370. इंडियन आयल कारपोरेशन के लिए इस्पात की चादरें बनाने के लिए आयात लाइसेंस	Import Licences for Fabrication of Steel Sheets fur I.O.C.	1008
1371. भारतीय तेल निगम को ढोलों की सप्लाई	Supply of Barrels to Indian Oil .	1009
1373. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अस्पताल	Rural and Urban Hospitals in U.P. .	1010
1374. भिक्षावृत्ति का उन्मूलन	Eradication of Beggary . .	1010
1375. गर्भपात को वैध बनाना	Legalisation of Abortion . . .	1010
1376. खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Food Articles . .	1011
1377. निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Goods . .	1011
1378. पोंगडेम पुनर्वास समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Pong Dam Rehabilitation Committee	1012
1379. अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी समिति	Committee on Untouehcbility, Educational and Economic Uplift of Scheduled Castes	1012
1380. आयातित अशोधित तेल का मूल्य	Price of Imported Crude Oil . . .	1012

अता० प्र० सं०

U. S. Q. No.	विषय/SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1381. ईरानी तटवर्ती क्षेत्रों में मिले तेल में भारतीय अंश	India's Share in Iranian Offshore oil find .	1013
1382. जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन	Life Insurance Corporation's Investment	1013
1383. आय-कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears . . .	1014
1381. परिवार नियोजन के आपरेशन सम्बन्धी आंकड़े	Statistics *re.* Family Planning Operations	1015
1385. फरीदाबाद में हरियाणा नगरपालिका की भूमि की बिक्री	Sale of Haryana Municipality Land in Faridabad . . .	1015
1386. सैनिक समाचार की छपाई का व्यय	Printing charges of Sainik Samachar .	1016
1387. उर्वरक कारखाने के लिये बिड़ला समूह को लाईसेंस	Licence to Birlas for Fertilizer Plant .	1016
1388. पश्चिमी बंगाल में बहिरंग रोगी विभाग के के रोगियों पर उपकर लगाना	Levy of Cess on O.P.D. Patients in West Bengal	1016
1389. दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees of Damodar Valley Corporation	1017
1390. भारतीय तेल निगम के खिलाफ छोटे पैमाने के रंग रोगन उद्योगों के निर्माताओं द्वारा शिकायत	Complaint of Manufacturers of Small Scale Paint Industries against I.O.C. .	1017
1392. दिल्ली में, पैट्रोल पम्पों के स्थानों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकार के निर्णय का बदला जाना	Change of DDA Decision regarding Petrol Pump sites in Delhi	1018
1393. भाखड़ा नहर में घासपात	Weeds in Bhakra Canal	1018

U. S. Q. No.	विषय/SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1394. निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत परामर्शदाता समितियां बोर्ड	Advisory Committees/Boards Under Works, Housing and Supply Ministry . . .	1019
1395. वित्त मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी	Staff Employed in F.nance Ministry .	1019
1396. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक	Laxmi Commercial Bank	1020
1397. कलकत्ता में पड़े हुए भारतीय तेल निगम के तेल का पुराना भंडार	Oil Stocks of I.O.C. oil lying in Calcutta .	1020
1398. मैसर्स ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ग्राफ इंण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता से करों की बकाया राशि	Taxes due from M/s. Transport Corporation of India (Pvt.) Ltd., Calcutta . . .	1021
1399 महानदी नदी के सम्बन्ध में धरातल के जल संसाधनों का अध्ययन	Surface Water resources studies of Mahanadi River	1021
1400. उड़ीसा में बालिमेला बिजली योजना	Balimela Electricity Scheme in Orissa .	1022
1402. उड़ीसा में ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाएं	Rural Housing Schemes in Orissa . .	1022
1403. जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation . .	1023
1404. फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के अधिकारियों का यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते	T.A. and other Allowances to Officers of Fertilizer and Chemicals, Travancore Ltd.	1024
1405. भारत सरकार का सिक्योरिटी प्रेस, कोराट्टी	Government of India Security Press Korat-I	1024
1406. तेल शोधक कारखानों में पूरी क्षमता के अनुसार काम न करना	Refineries not allowed to run at full capacity	1024
1407. तस्करी के पकड़े गये माल का मूल्य	Value of Seized smuggled Goods. . .	1025
1408. इंडियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by I.O.C. Employees . . .	1026

अ ता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय/ SUBJBCT		पृष्ठ/ PAGE
1410.	गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में कार्यालय अधीक्षक	Office Superintendents in Fertilizer Factory Gorakhpur	1026
1411.	गोरखपुर उर्वरक कारखाने में यूरिया का उत्पादन	Production of Urea in Gorakhpur Fertilizer Factory	1027
1412.	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर में कोयले की खपत	Consumption of Coal in Fertilizer Factory, Gorakhpur	1027
1413.	पंजीकरण राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश	Registration Revenue Department, U'P. .	1028
1414.	उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Health Department, Uttar Pradesh . . .	1028
1415.	दिल्ली में पकड़े गये जाली सिक्के	Counterfeit Coins Seized in Delhi .	1029
1416.	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के कार्यसंचालन सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Enquiry Committee on Working of Public Sector Fertilizer Units	1029
1417.	केरल में ताप बिजली घर	Thermal Plant, Kerala . . .	1029
1418.	सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं को आवंटित की गई भूमि का विकास	Development of Land Allotted to Co-operative Housing Building Societies . .	1030
1419.	पानपन सिंचाई परियोजना, बिहार	Panpun Irrigation Project, Bihar . .	1030
1420.	पाइराइटस कैमीकल्स, डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration of Workers of Pyrites Chemicals Development Corporation, Ltd.. .	1031
1421.	रसायन उद्योग के लिये निर्धारित लक्ष्य	Target for Chemical Industries . .	1031
1422.	गोहाटी तथा बरौनी तेल-शोधक कारखानों की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Gauhati and Baraunt Refineries	1032
1423.	कच्चा तेल	Crude Oil	1032

अ॰ ता॰ प्र॰ सं॰ U. S. Q. No.		विषय/SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1424.	आसाम में पेट्रो केमिकल उद्योग समूह	Petro Chemical Complex in Assam .	1033
1425.	आसाम में तेल गैस का जलाया जाना	Flaring of oil gas in Assam . . .	1034
1426.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आसाम सरकार के बीच विवाद	Dispute between ONGC and Assam Government	1034
1427.	बरौनी उर्वरक कारखाने में भर्ती	Recruitment in Barauni Fertilizer Project .	1035
1428.	विदेशी सहायता	Foreign Aid	1035
1429.	फाइलेरिया नियंत्रण एकक को मंगलौर से बंगलौर ले जाना	Shifting of Filaria control unit from Mangalore to Bangalore	1036
1430.	राज्यों को ऋण	Advances to States	1036
1431.	सरकार द्वारा दिल्ली में अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Delhi Hospitals by Government	1037
1432.	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	1037
1433.	उर्वरकों की उत्पादन लागत	Cost of Production of Fertilizers . .	1038
143 .	केन्द्रीय सरकार का घाटा	Central Government Deficit . . .	1038
1435.	सरकारी उपक्रमों को ऋण	Loans to Public Undertakings . . .	1039
1436.	दिल्ली में सरकारी भवनों का त्रुटिपूर्ण निर्माण	Defective Construction of Public Buildings in Delhi	1039
1437.	पालम हवाई अड्डे पर सोना पकड़ने के खिलाफ ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन द्वारा दायर की गई अपील	Appealed Filed by BOAC against Seizure of Gold at Palam Airport . . .	1040
1438.	देश में तस्करी	Smuggling ., ...	1040
1439.	सरकारी उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Administrative Reforms Commission's Recommendations on Public Undertakings .	1041
1440.	बिहार के भूतपूर्व मंत्रियों के मामले में जांच	Enquiry into Affairs of Ex-Ministers of Bihar	1041

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1441. राजस्व कर्मचारियों को दी गई वेतन वृद्धियां	Increment given to Revenue Staff . .	1041
1442. ब्रिटिश मशीन टूल मेकर्स इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violations by British Machine Tool Makers India Ltd., Calcutta	1043
1443. विदेशी सहायता	Foreign Aid	1043
1444. खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियां	Oral Contraceptives . .	1044
1445. औद्योगिक उत्पादों के मूल्य	Prices of Industrial Products . .	1045
1446. गुजरात में तेल की ढुलाई	Transportation of Oil from Gujarat . .	1045
1447. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion to Departmental Employees in ONGC	1045
1448. राज्यों में तेल के कुएं	Oil Wells in States	1046
1449. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1047
1450. गुजरात राज्य में कोयाली तेल शोधक कारखाने और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes in Koyali Oil Refinery and ONGC in Gujarat States . .	1047
1451. दरभंगा मैडिकल कालेज अस्पताल के शल्य क्रिया विभाग का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of Sugrical Department of Darbhanga Medical College Hospital . . .	1047
1452. गैर-सरकारी बैंकों में जमा धन तथा लगायी गयी पूंजी	Deposits and Investment of Private Banks	1048
1453. मध्य पूर्व के देशों की कम्पनियों से तेल का आयात	Import of Oil from Companies of Middle East	1048
1454. कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की समान दरें	Uniform Rates of Electricity supplied for Agricultural purposes . . .	1049

अता० प्र० सं०

U.S.Q.No.	विषय/SUBJECT		पृष्ठ/PAGE
1455.	अवमूल्यन से पहले ऋण की राशि	Amount of loan before Devaluation . .	1049
1457.	कलकत्ता में विदेशियों की मूर्तियों का हटाया जाना	Removal of Foreigners Statues in Calcutta	1050
1458.	कलकत्ता का सुधार	Civic Improvement of Calcutta . .	1050
1459.	तस्कर व्यापार में एयर इंडिया के अधिकारियों का हाथ	Air India Officers involved in Smuggling	1051
1460.	फिल्म कलाकारों के लिए भविष्य निधि योजना	Provident Fund Scheme for Films Artistes	1051
1461.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता	Aid from UNICEF	1052
1462.	प्रशुल्क तथा विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Report on Tariff and Power Supply . .	1052
1463.	मोटर गाड़ियों पर कर न बढ़ाया जाना	Tax Freeze on Motor Vehicles . .	1053
1464.	अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ समूह	Amin Chand Pyarelal Group of Firms .	1053
1465.	ब्रिटेन में रह रहे भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा धन प्रेषण	Remittances by Indian Nationals living in U. K.	1053
1466.	श्री हरिदास मूंदड़ा के विरुद्ध मामले	Cases against Shri Haridas Mundhra. .	1054
1467.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की दवाइयाँ	C.G.H.S. Medicines	1054
1468.	राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक राशि निकालना	Overdrafts by States on R.B.I. . . .	1055
1469.	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers . . .	1055
1470.	विजयघाट	Vijay Ghat	1056
1471.	नई दिल्ली नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases in N.D.M.C.	6056

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.		विषय/SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1472.	बाँदा (उत्तर प्रदेश) में सरकारी अस्पताल	Banda Government Hospital (U.P.)	1057
1473.	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries . . .	1057
1474.	यूनिट ट्रस्ट योजना	Unit Trust Scheme	1058
1475.	दिल्ली और नई दिल्ली का नगरीय विकास	Urban Development of Delhi and New Delhi	1058
1476.	पाँचवां वित्त आयोग	Fifth Finance Commission . .	1059
1477.	मुद्रा का परिचालन	Circulation of Currency .	1060
1478.	मीठापुर (गुजरात) में तेल साफ करने का कारखाना	Oil Refinery in Mithapur (Gujarat). .	1060
1479.	कमला बालान, बिहार में बाढ़	Floods in Kamla Balan, Bihar . .	1061
1480.	पूर्वी तथा पश्चिमी कोसी बाँध	Eastern and Western Kosi Embankments	1061
1481.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गुजारत आवास योजना	Gujarat Housing Scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	1062
1482.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में उत्पादन	Production in Trombay Fertilizer Factory.	1062
1483.	नामरूप में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Namrup . . .	1063
1484.	उड़ीसा के गाँवों का विद्युतीकरण	Electrification of Orissa Villages . . .	1063
1485.	सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राएं	Government Officials Visit Abroad . .	1064
1486.	भारतीय नगरों का मनमाना विकास	Hamphazard Growth of Indian Cities. .	1064
1487.	कच्चे तेल की आवश्यकता	Crude Oil Requirements	1065
1488.	दिल्ली में बिजली का बन्द होना	Power Failures in Delhi	1065

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.		विषय/SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1490.	उर्वरक बाजार के लिये सरकारी अधिकारियों की अमरीका तथा कनाडा की यात्रा	Visit to USA and Canada by Government Officers for Fertilizer Market . .	1066
1491.	मृतसेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के किराये के बिल	Rental Bills of Deceased Retired Government Employees . . .	1067
1492.	पाकिस्तान द्वारा जाली नोटों का परिचालन	Circulation of Bogus Currency Notes by Pakistan	1067
1493.	सलाल पनबिजली परियोजना	Salal Hydro Electric Project . . .	1068
1494.	बम्बई के एक कमीशन एजेन्ट से पकड़े गये दस्तावेज	Documents Seized from a Commission Agent of Bombay . .	1068
1495	दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के लिये नागरिक सुविधाएं	Civic Amenities for Unauthorised Colonies of Delhi	1068
1496.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Trombay Fertilizer Factory .	1070
1498.	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery . .	1070
1499.	डीजल तेल	Diesel Oil	1071
1500.	मिट्टी के तेल को डीजल तेल में मिलाना	Mixture of Kerosene with Diesel Oil.	1071
1501.	ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme	1071
1502.	देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये चिकित्सा परिषद्	Medical Council for Indigenous Systems of Medicines	1072
1503.	तुंगभद्रा परियोजना के जल का उपयोग	Water Utilisation of Tungabhadra Project	1073
1504.	गृह-निर्माण कार्यक्रमों के लिये लाटरियाँ शुरू करना	Floating of Lotteries for Housing Programmes	1073
1505.	व्यास सतलुज सम्पर्क परियोजना	Beas Sutlej Link Project	1073

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1508.	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये बिस्तर	Beds for T.B. Patients in Government Hospitals of Delhi	1074
1509.	दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अन्डरटेकिंग के मृत लाइनमेंनों के परिवारों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to families of deceased Linemen of DESU	1074
1511.	हिमाचल प्रदेश को हेलीकाप्टर सेवाओं के लिये सहायता	Assistance to Himachal Pradesh for Helicopter Services	1074
1512.	दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिये आवास स्थान	Accommodation for employees on Deputation in Delhi	1075
1513.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपवाह क्षेत्र से जल का दिया जाना	Contribution of Water by M.P. Government from catchment Area	1076
1514.	गोरा (गुजरात) के निकट नर्मदा पर बांध का निर्माण	Construction of Weir on Narmada near Gora (Gujarat)	1078
1515.	नर्मदा जल	Narmada Water	1079
1516.	नर्मदा जल सप्लाई पर व्यय	Expenditure on Narmada Water Supply .	1079
1517.	फराका बांध परियोजना का निर्माण	Construction of Farakka Barrage Project .	1080
1518.	कलकत्ता नगर क्षेत्र के लिये नगर विकास योजनाएं	Urban Development Schemes for Calcutta Municipal Areas . . .	1080
1519.	घटप्रभा परियोजना, मैसूर	Ghataprabha Project, Mysore . .	1081
1520.	मैसूर में कबिनी परियोजना	Kabini Project in Mysore . . .	1081
1521.	चीन को अभ्रक की तस्करी	Smuggling of Mica to China . . .	1081
1522.	उपग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिये विदेशी ऋण	Foreign Loan to set up a Satellite Centre	1082
1523.	कोरोनेशन मेमोरियल दिल्ली के निकट विदेशियों की प्रतिमाओं का लगाया जाना	Installation of Statues of Foreigners near Coronation Memorial Delhi . .	1082
1524.	डालमिया समूह के सीमेंट कारखानों का आयकर निर्धारण	Income tax Assessment of Dalmia Group of Cement Factories . . .	1082

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1525.	नसबन्दी कार्यक्रम	Sterilization Programme	1083
1526.	इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., .	1083
1527.	मेडीकल कालेजों में सीटें	Seats in Medical Colleges	1083
1528.	पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी प्रणाली	Pricing System of Petroleum Products . .	1085
1529.	दिल्ली में आयकर अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Income-tax Officers at Delhi .	1086
1530.	उड़ीसा की परियोजनाएं	Orissa Projects	1086
1531.	लन्दन में मैसूर का व्यापार प्रतिनिधि	Trade Representative of Mysore in London	1087
1532.	विशाखापत्तनम में नैपथा आधारित कारखाना बनाने के लिये आक्सीडेंटल आयल कम्पनी द्वारा प्रस्ताव	Offer by Occidental Oil Company to build Naptha based plant at Vishakhapatnam	1088
1533.	दण्डकारण्य क्षेत्र में नैनात कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to employees posted in Dandakaranya Area	1088
1534.	कानपुर के भूतपूर्व आयकर अधिकारी के मामलों की जांच	Enquiry into affairs of former income-tax officer of Kanpur	1089
1535.	मनीपुर की लाउसी पैट के लिये सिंचाई योजना	Irrigation Plan for lousi pat of Manipur	1089
1536.	प्री-मेडिकल एण्ड एम० बी० बी० एस० में मनीपुर के छात्रों के लिये स्थानों का नियतन	Allotement of Pre-medical and M.B.B.S. Seats for Manipur	1089
1537.	मनीपुर में तेल के लिये जांच कार्य	Investigation of Oil in Manipur. . .	1090
1538.	लोक्टक परियोजना, मनीपुर	Loktak Project, Manipur	1091
1539.	राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States . . .	1091
1540.	नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations	1091
1541.	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	1092
1542.	राजस्थान में बिजली की कमी	Electricity Shortage in Rajasthan. . .	1092

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1543.	पोंग डेम के निर्माण से निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास	Resettlement or Pong Dam Oustees . .	1092
1545.	पैट्रो रसायनों पर आधारित वस्तुओं का आयात	Import of items based on Petro-Chemicals	1093
1546.	पैट्रो-रसायन पर आधारित उत्पादों का निर्माण	Manufacture of Items based on Petro-Chemicals	1094
1547.	अखिल भारतीय पाक तथा श्रवण संस्था, मैसूर	All India Institute of Speech and Hearing, Mysore	1094
1548.	परिवार नियोजन के लिये होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्र	Homoeopathy Research Centres for Family Planning	1094
1549.	अनुसूचित जातियों में अस्पृश्यता निवारण, शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान संबंधी समिति	Committee on Untouchability Educational and Economic Uplift of Scheduled Castes	1095
1550.	इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन	Family Planning Through Injections .	1095
1551.	त्रिपुरा में बाढ़	Floods in Tripura	1096
1552.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दिये गये संरक्षण की अवधि बढ़ाना	Extension of Period for protection of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1096
1553.	आय-कर विभागों द्वारा हिन्दी में कार्य करना	Conduct of Business by Income Tax Departments in Hindi	1097
1554.	राजस्थान में स्टेट बैंक की शाखाएं	State Bank Branches in Rajasthan . .	1097
1555.	राज्यों को अतिरिक्त सहायता	Additional Aid to States . . .	1097
1556.	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory . .	1098
1557.	नागार्जुन सागर परियोजना	Nagarjunasagar Project	1098
1558.	टी० बी० पी० हाई लेवल केनाल	T.B.P. High Level Canal	1099
1559.	"प" फार्म	'P' Form	1099
1560.	अधिकारियों के विदेशों में दौरों पर रोक	Curbs on Officials Tours	1099
1561.	'पी' फार्म आवेदन पत्र	'P' Form Applications	1100

अता० प्र० सं०

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1562.	मध्य प्रदेश की विद्युतीकरण योजनायें	Madhya Pradesh Electrification Schemes .	1100
1563.	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना समूह	Fertilizer Complex in Madhya Pradesh. .	1100
1564.	मंत्रियों का पानी तथा बिजली का व्यय	Water and electric charges of Ministers .	1101
1565.	बकाया आय-कर	Income-tax Arrears	1101
1566.	उड़ीसा के लिये आयकर मंडल	Income-tax Circle for Orissa . .	1102
1567.	सरकारी बस्तियों में सेवा कर्मचारियों के क्वार्टर	Service Quarters in Government colonies	1102
1568.	विवाह के प्रयोजन हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान	Accommodation for Government Employees for marriage purposes . . .	1102
1569.	सरकारी मुद्रणालय, फरीदाबाद	Government Press, Faridabad . .	1103
1571.	मिर्जापुर में नेपथा प आधारित उर्वरक कारखाना	Naptha based Fertilizer Plant at Mirzapur	1104
1572.	गैर-सरकारी तेल शोधनशालाओं काविस्तार	Expension of Private Refineries . .	1104
1574.	पश्चिम जर्मनी के साथ ऋण करार	Loan Agreement with West Germany . .	1105
1575.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के एक महिला डाक्टर द्वारा आत्म-हत्या	Suicide by a Female Doctor in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	1105
1576.	अध्ययन अवकाश के दौरान क्वार्टर का रखना	Retention of Quarter during study Leave .	1106
1577.	आदिम जातीय सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थाएं	Tribal Cultural Research Institutes . .	1106
1578.	योग आश्रम, नई दिल्ली के लिये भूमि	Land for Yoga Ashram, New Delhi . ,	1107

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय• लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1107
शिलांग और देश के शेष भाग के बीच दूर-संचार सेवाओं के काट दिये जाने का समाचार	Reported cutting of telecommunication services between Shillong and the rest of the country	1107
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1109
समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* strike by Newspaper employees	1113
श्री हाथी	Shri Hathi	1114
स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना विधि (संशोधन) विधेयक, पुरःस्थापित	Army, Air Force and Naval Law (Amendment) Bill—Introduced	1115
धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक	Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Bill	1116
विचार के लिये प्रस्ताव	Motion to consider	1116
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhava	1116
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	1116
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu . . .	1117
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	1117
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan	1118
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasaheb Shinde	1118
खंड 2 से 10 तथा 1	Clause 2 to 10 and 1	1121
पारित करने के लिये प्रस्ताव	Motion to pass.	1125
श्री तेन्नेट विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham . . .	1125
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena . . .	1125
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A.S. Saigal	1126
श्री दी० चं० शर्मा :	Shri D.C. Sharma	1126
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	1126
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	1127
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	1127
श्री अन्नासाहिब शिन्दे .	Shri Annasaheb Shinde	1127
आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर (राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण) विधेयक	Andhra and Mysore (Transfer of Territory) Bill	1127

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार के लिये प्रस्ताव	Motion to Consider	1127
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	1127
श्री मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam . . .	1128
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil . . .	1129
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi . . .	1130
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	1130
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	1130
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	1131
श्री राजाराम	Shri K. Rajaram	1131
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	1131
खंड 2 से 19 तथा 1	Clauses 2 to 19 and 1	1133
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended . . .	1135
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	1135
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar . . .	1135
स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प—वापिस लिया गया तथा स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक	Statutory Resolution *Re* Gold (control) ordinance-withdrawan & Gold (control) Bill	1136
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	1136
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committe	1137
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai .	1137
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta. . .	1139
श्री देवेन सेम	Shri D ve n S n	1140
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenn ti Biswanathan . .	1140
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	1141
श्री समर गुह	Shri Samar Guhea. . . .	1142
पाकिस्तान के जैट विमानों की भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ान के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussian Re over flying of Pakistan Jets n Indian Territory	1144
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwary Sinha	1144
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	1146

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 29 जुलाई, 1968/7 श्रावण, 1890 (शक)

Monday, July 29, 1968/Sravana 7, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

नंगल में नया उर्वरक कारखाना

*151. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम नंगल में एक नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारतीय उर्वरक निगम का विचार नंगल के उर्वरक कारखाने की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने का है ।

(ख) निगम ने प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : The Petroleum Ministry had proposed previously that the plant may be installed at Mithapur and the matter was discussed at length. After that the name of Nangal was proposed. It is not understood why the Government is not certain in this matter and why it is delaying it. When there is a great need of it in Haryana and the demand is also being made by Haryana then why the plant is not being installed there.

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : The factory at Mithapur relates to Private Sector. As far as the Public Sector is concerned there are four different projects which are under consideration by the Fertilizer Corporation of India including Nangal expansion project.

1782 (ai)—LS—1.

Shri Yashpal Singh : It is said that by investing 100 rupees in Private Sector is getting a profit of 38 rupees and in Public Sector by investing 100 rupees profit is of 11 rupees. Then why the country is being pushed back on account of this ideology or ism.

Shri Asoka Mehta : It is no question of ideology. The work is based on the number of resources and how it is utilized and these projects are prepared. I do not know from where the honourable member has taken these datas. These are not our datas.

श्री रा० बरुग्रा : क्या मशीनें पुरानी होने के कारण नंगल के उर्वरक का उत्पादन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के बराबर नहीं है बल्कि वास्तव में यह अधिक है । यदि ऐसा है तो इन सबके आधुनिकीकरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि हम सस्ता उत्पादन कर सकें ।

श्री अशोक मेहता : यह किसी विशेष मशीन का सवाल नहीं है । यह एक छोटा सा कारखाना है जो एक विशेष प्रक्रिया पर आधारित है । इसको चलाने के लिए बिजली का प्रयोग होता है इसलिए इसमें विदेशी उपकरणों को आयात नहीं करना पड़ता । इस समय इस कारखाने का विस्तार करने का विचार है और इस कारखाने के विस्तार के साथ हमें आशा है कि उत्पादन लागत भी नीचे गिर जायेगी ।

Shri Maharaj Singh Bharati : The hon. Minister has stated that this plant of Nangal is based on electricity. But my information in this regard is that due to the shortage of electricity this plant is not working to its full capacity and also the production is also less. Now the Government has decided to expand it. Will more electricity be taken from the new Dams and whether the power will be generated by the diversion of water in the Bhakra. Whether the Government is going to increase the production due to more supply of electricity or the expansion will be based on Naptha. If it is based on Naptha then from where the Naptha will be procured.

Shri Asoka Mehta : That will not be based on electricity. Either it will be based on Naptha or on Heavy oil.. The Indian oil Corporation will be responsible to see that whether the heavy oil will be necessary for it or the Naptha will be necessary and they will make arrangement for the same.

श्री दी० चं० शर्मा : इस देश में उर्वरक की बहुत आवश्यकता है और मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इस कारखाने के विस्तार में देर कर रही है । अगर यह नया कारखाना होता तो मैं समझता कि इसमें कुछ देरी हुई है । परन्तु सरकार इसका विस्तार करने में इतनी देर क्यों कर रही है ? क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस कारखाने का कब तक आधुनिकीकरण और विस्तार किया जायेगा और कब तक इसमें कार्य चालू हो जायेगा ।

श्री अशोक मेहता : मैंने पहले ही बताया है कि इस समय पांच उर्वरक कारखानों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण हो रहा है । तीन और कारखानों को मंजूरी दे दी गई । इसका मतलब यह हुआ कि आठ कारखानों को मंजूरी दे दी गई है और इनके निर्माण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । भारतीय उर्वरक निगम इस बात का अध्ययन कर रहा है कि कितने और अधिक कारखाने लगाये जायेंगे । मैं अभी यह नहीं बता सकता कि इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा क्योंकि इसमें 30 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये तक का व्यय आयेगा और 10 करोड़ रुपये से 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के पुर्जे लगेंगे । इन सब बातों का अध्ययन करने में समय लगेगा और जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि नांगल में कारखाने का विस्तार बिजली पर आधारित न होकर नेफ्था या हैवी आयल पर आधारित होगा। इस को देखते हुए कि नांगल में बना-बनाया नेफ्था या हैवी आयल का भण्डार नहीं है और नांगल से दूर देश के अन्दरुनी भाग से इसको मंगाना पड़ेगा तो क्या यह ठीक नहीं होगा कि नेफ्था पर आधारित नया कारखाना वहां स्थापित किया जाये। मैं जान सकता हूं कि क्या इसके लिये किसी उचित जगह की खोज की जा रही है जहां कि उर्वरक तुलनात्मक कम मूल्य पर बनाया जा सके।

श्री अशोक मेहता : इस मामले पर भी विचार कर लिया गया है। सच यह है कि पंजाब सरकार ने दो प्रस्ताव पेश किये थे। वे कारखाना कहीं और स्थापित करना चाहते थे। उर्वरक निगम ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे यह पता चलता है कि एक न एक कारखाने को स्थापित करने के बदले नांगल का विस्तार करने में कम धन व्यय होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय उर्वरक निगम इन सब मामलों पर विचार कर रहा है।

श्री एस० के० सम्बन्धन : नए कारखानों को स्थापित करने से पहले जैसा कि प्रश्न में है क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या इन मौजूदा कारखानों का निर्माण अनुसूची के अनुसार हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि अनुसूची के अनुसार कार्य करने में क्या कमियां या गतिरोध आ गये हैं।

श्री अशोक मेहता : मोटे तौर पर इसका उत्तर 'हां' में होगा, परन्तु विभिन्न कठिनाइयों के कारण इसका निर्माण अनुसूची के अनुसार हमेशा नहीं होता। एक विशेष मामल में हमें भूमि लेने में एक वर्ष लग गया। दूसरे मामले में कुछ और ही कठिनाइयां थीं।

Shri Randhir Singh : It is our misfortune that quarrel is going on between Haryana and Punjab on the issue of Chandigarh and Bhakra-Nangal. I am afraid that after the expansion of Nangal's Plant they will quarrel over fertilizer. I want to know whether the Government is considering to invest the money on the installation of Fertilizer Factory in Haryana instead of expanding the Nangal Fertilizer Factory.

Mr. Speaker : Shri Hardayal Devgun.

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड

*152. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री बाबूराव पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों के सन्देह के कारण कितने तथा किन किन तिथियों को छापे डाले गये और क्या क्या वस्तुएं पकड़ी गईं और क्या प्रमाण मिले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसी सूचना मिलने पर कि मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं, उक्त कम्पनी तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों, और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बंगलौर, बड़ौदा और राउरकेला के उन कम्पनियों से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों के रिहायशी स्थानों की

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 9 मई, 1968 को तलाशियां ली गयीं। कुल 29 स्थानों की तलाशियां ली गयीं। बाद में 4 जून, 1968 को दो अन्य स्थानों की भी तलाशियां ली गयीं।

इन तलाशियों में निम्नलिखित वस्तुएं पकड़ी गई:—

(i) कुछ दस्तावेज ;

(ii) यात्री चेकों और करेंसी नोटों के रूप में विदेशी मुद्रा अमरीकी डालर 60 और डूश मार्क 3,100;

(iii) एक चाबी।

मामले की जांच पड़ताल चल रही है और पकड़े गये दस्तावेजों की छानबीन से प्राप्त साक्ष्य के बारे में इस समय कुछ बताना लोक-हित में नहीं होगा। जांच पड़ताल पूरी होने पर कानून में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri Hardayal Devgun : May I know the number of industrial licences, import licences and foreign exchange given to the Company since 1956 when our Finance Minister was also Minister for Industry and Commerce and later on was Finance Minister also, on the basis of documents found with them.

Shri Morarji Desai : If the honourable member gives a notice then I will supply him information.

Shri Hardayal Devgun : What information the Government has received regarding the evasion in respect of income tax, wealth tax and other taxes on the basis of these documents. What new facts have come to the notice on the basis of the information which the Government has received.

Shri Morarji Desai : I have no information regarding this matter. I will conduct enquiry if the honourable member gives me information.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 9 मई को छापा डाला गया था। इसके बाद वित्त मंत्री महोदय ने 6 जुलाई को 'करेन्ट' पत्र के सम्पादक को इन्टरव्यू दिया था जो उस दिन के 'करेन्ट' के अग्रिम पृष्ट पर मुख्य रूप से छापा गया था। मैं आप को याद दिलाता हुं कि श्री किलाचन्द जो मैसर्स डोडसाल (प्रा०) लिमिटेड के सर्वोच्च व्यक्ति हैं करेन्ट के निदेशक बोर्ड में एक निदेशक हैं या संभव है उसके मालिक हैं जो मैं नहीं जानता। इन्टरव्यू के दौरान सम्पादक श्री कटाका ने श्री देसाई से इस छापे के बारे में प्रश्न पूछे और उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों ने आत्म प्रचार के लिये इन अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों को प्रकाशित किया। उनसे पूछा गया कि क्या जो अधिकारी फर्मों के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? श्री देसाई ने कुछ का उत्तर दिया है, मैं उनको विस्तारपूर्वक नहीं कहना चाहता क्योंकि उसके लिए समय नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : वे कह सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप स्वयं जानते हैं। अगर मैं गलतबयानी करूं तो वे इसे ठीक कर सकते हैं। मैं सारा कुछ पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, श्री देसाई ने कहा कि इसके लिए समाचारपत्र वाले दोषी हैं जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण सूचनाएं देते हैं। इन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रैस सूचनाओं के बारे में जांच की गई है और अगर यह पाया गया कि किसी भी सूचना देने वाले ने जानबूझ कर अपना मतलब

पूरा करने के लिये यह सूचना दी है तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी यह आम राय बनाई गई है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : वे अपना प्रश्न पूछें ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह है । श्री कराका ने इन्टव्यू के अन्त में यह कहा है कि– "अगर हमारे विचार में वित्त मंत्री का कथन ठीक है तो उन अधिकारियों को जो आत्मप्रचार चाहते हैं सम्भवतः ठीक किया जा सकता है" मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है और वित्त मंत्री की औचित्य को सीमा के भीतर है कि मैसर्स डोडसाल पर छापा पड़ने के बाद उस समाचार पत्र में इन्टरव्यू दें जिसका कि श्री किलाचन्द से सम्बन्ध है और प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दें जिससे यह प्रभाव पैदा किया जा सके कि अतिशयोक्ति पूर्ण सूचनाएं दी गई हैं और यदि किसी अधिकारी ने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी क्या उनको ऐसा करना चाहिए था ।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य का अनुमान है कि मैंने सम्पादक को इसकी जानकारी दी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सम्पादक का कहना है ।

श्री मोरारजी देसाई : संभव है कि यह सम्पादक का निजी विचार हो । जो मैंने कहा है उसका मेरे माननीय मित्र कुछ भी अर्थ निकाला सकते हैं । ऐसा मैंने नहीं कहा है कि किसी अधिकारी को दंड दिया जायेगा । मैंने साधारणतः बताया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत सूचना देगा तो उस पर अभियोग चलाया जायेगा । यही मैंने कहा । परन्तु इस मामले में मैंने यह नहीं कहा कि सूचना गलत दी गई थी । मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि वे झूठे. . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूर्ण रूप से इन्कार कर दिया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वे उस समाचार पत्र को इन्टरव्यू देना ठीक समझते हैं जिसके साथ इस फर्म का मालिक सम्बन्धित है । जब छापा पड़ गया था तब वे यह कह सकते थे कि जब तक इस छापे के निष्कर्ष सामने नहीं आ जाते तब तक मैं कुछ टिप्पणि नहीं करना चाहुंगा ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं फिर से साफ-साफ बताना चाहता हूं कि मैंने इस पर अपने कोई विचार प्रगट नहीं किये हैं । और किसी भी समाचार पत्र में इन्टरव्यू देने को मैं कोई बुरी बात नहीं समझता ।

Shri D. N. Tiwari : After conducting raid and search in the office of the Company, **has** the Government given any such direction as not to give them foreign exchange and they **should** be banned. And they should not be given any Government work.

श्री मोरारजी देसाई : जब तक इसके निष्कर्ष सामने नहीं आ जाते तब तक ऐसा करना उचित नहीं होगा ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, just now he said in reply to the question of **Shri Inderjit** Gupta that the Government will take action against those who give wrong information **but** he has said nothing regarding "Current". I can quote from it.

"श्री देसाई : नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर मुझे पता चला कि सूचना देने वाले ने सरकार..
I am quoting from Current."

श्री मोरारजी देसाई : वे प्रश्न भी क्यों नहीं पढ़ते।

Shri Madhu Limaye : I am reading out question as well as your reply.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उनको प्रश्न भी पढ़ना चाहिये जिससे हमें मालूम हो जाये कि क्या ठीक नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I am reading out both.

"इन छापों में, जो असंतुष्ट कर्मचारियों और उन व्यक्तियों के सूचना के आधार पर डाले गये थे, जिनका व्यक्तिगत द्वेष था और जो अपना मतलब हल करना चाहते थे, एक महत्वपूर्ण बात बतलाई गई है। वह यह थी कि सरकार को जब यह पता चला कि इस सूचना में, जिसके आधार पर छापा मार गया था, कोई तथ्य नहीं हैं तो उसने सूचना देने वाले का नाम नहीं बताया, सरकार आहत पक्ष को कार्यवाही करने और सूचना देने वाले पर अभियोग चलाने की आज्ञा नहीं देती। इस बात पर श्री देसाई ने जो उत्तर दिया वह सरकार की पूर्व नीतियों से स्पष्ट भिन्न है।"

This is his commentary. Now I am reading out the answer of Mr Desai.

"श्री देसाई : नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर मुझे पता चला कि सूचना देने वाले ने अपने मतलब के लिये सरकार का सहारा लिया है और हमें उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी तो हम उस पर अभियोग चलाने में हिचकिचायेंगे नहीं।"

Mr. Speaker, Sir The former Finance Minister had made a declaration that those who give us information regarding checking of black-marketing and tax-evasion will be given ten percent of the tax evasion detected. In other words the Government has invited the people to give information. Now, Mr. Desai says that punishment will be given to those who use the Government to meet their ends and hot to those who give wrong information. Mr. Desai is not saying that punishment will be given to those who give wrong information. These are his clear words. The word disgruntled was used in it just now. And you remember that at the time of raising the issue in UNESCO by me and Mr. Nathpai, attempts were made to let down the informant by callimg him disgruntled. In other words may be the informant a senver or characterless, but if gives correct information regarding tax evasion then there is no need to question his character or purpose. I want to know if he gives correct information even then Mr. Morarji punish him as he has different purpose in his mind. Which I raised a question on privilege then he made a statement......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रश्न पूछना चाहिये, मैं देख रहा हूं कि यह वाद-विवाद बनता जा रहा है। उन्होंने अपने अनुपूरक प्रश्न के लिये तीन या चार मिनट से अधिक ले लिये हैं।

Shri Madhu Limaye : These questions pertain to this Dodsal. Anyhow give reply to the question which was asked. I will ask more questions at the suitable time.

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कोई भी सूचना देगा, अगर वह ठीक होगी तो उसे पुरस्कार दिया जाता है और आगे भी उसे इनाम दिया जाता रहेगा परन्तु गलत सूचना देने वाले पर अभियोग चलाया जायेगा। मैंने यही वक्तव्य दिया था और कोई वक्तव्य नहीं दिया था।

Shri Madhu Limaye : Do not go in character and purpose and also in psychology.

Shri Morarji Desai : I do not study psychology. It is your job, not mine.

श्री स० च० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या डोडसाल से सम्बन्धित सभी कम्पनियों में छापे डाले गये थे अगर नहीं तो किन कम्पनियों में छापे डाले गये थे।

श्री मोरारजी देसाई : 31 जगहों पर छापे डाले गये थे। अगर माननीय सदस्य नाम जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें पढ़ कर सुना सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह इन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : यह सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी सम्बन्धित कम्पनियों में छापे डाले गये।

श्री मोरारजी देसाई : 31 स्थानों पर छापे डाले गये थे न कि 31 कम्पनियों में क्योंकि एक कम्पनी के कई स्थान होते हैं और कुछ मकानों में भी छापे डाले गये थे। मैं बताना चाहूंगा कि जिन 31 स्थानों पर छापे डाले गये उनमें से 12 स्थानों को छोड़ कर सभी स्थानों पर दस्तावेज और दूसरी वस्तुएं पायी गईं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न यह है कि क्या सभी सम्बन्धित कम्पनियों में छापे डाले गये थे।

श्री मोरारजी देसाई : वे सभी सम्बन्धित कम्पनियां थीं और दूसरी कम्पनियां नहीं थीं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या उप प्रधान मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या है तथा उस तथ्य से हमें क्या मालूम हुआ है। प्रवर्त्तन निदेशालय सूचना देने वाले की जानकारी के आधार पर कार्य करता है और सूचना देने वाला सूचना क्यों देता है क्योंकि उनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होती है या उसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य निहित रहते हैं या कोई अपना प्रचार कराने का इच्छुक होता है। इसके अतिरिक्त छापे मारने वाले अधिकारी भी आमतौर पर इसका ध्यान रखते हैं कि उनका आत्मप्रचार पहले ही हो जाये। इस प्रकार के कामों का यह असर होता है कि छापों का कोई लाभ नहीं होता अतः प्रवर्त्तन निदेशालय को नियमों और स्थायी आदेश के अन्तर्गत दी गई सूचना का उपयोग करने के लिये ऐसे काम करने चाहिये जिससे अनुचित प्रचार न हो और जिस व्यक्ति ने विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन किया है और जिसको दोषी पाया गया है उसको दण्ड दिया जा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं जानता कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। मैं इसके बारे में तभी जान सकता हूं जब कि सारी कार्यवाही समाप्त हो जायेगी और निर्णय ले लिया जायेगा और मुझे सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिवेदन मिल जायेगा। मैं इस समय दस्तावेज, महत्वपूर्ण तथ्य और

दूसरी चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता परन्तु कोई महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य है नहीं तो यह पकड़ा नहीं जाता ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या इस अपरिपक्व प्रचार के विरुद्ध कोई जांच करायी गयी है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह पता लगाना कठिन है कि इस जांच का प्रचार किसने किया है । मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की परन्तु मैं कुछ भी पता न लगा सका ।

साबुन बनाने में गाय भेड़ आदि की चर्बी का प्रयोग

+

*153. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** **श्री ओंकार सिंह :**
श्री शारदा नन्द : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से साबुन निर्माता हैं जो अपने कारखानों में साबुन बनाने में गाय-भेड़ आदि की चर्बी का प्रयोग करते हैं;

(ख) ऐसे कौन-कौन से साबुन हैं जिनमें गाय भेड़ आदि की चर्बी मिलाई जाती है;

(ग) गाय भेड़ आदि की चर्बी आयात करने पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है;

(घ) क्या गाय भेड़ आदि की चर्बी के प्रयोग के खिलाफ लोगों ने सरकार को कोई शिकायतें की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है : कुछ कारखानों के अतिरिक्त, जो मार्के वाले साबुन तैयार नहीं करते हैं– लगभग साबुन के सारे कारखाने साबुन बनाने में चर्बी का इस्तैमाल कर रहे हैं । तकनीकी विकास के महा निदेशालय के पास रजिस्टर्ड साबुन कारखानों की सूची सभा-पटल पर रख दी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1495/68]**

(ख) साबुन के प्रसिद्ध लगभग सारे मार्कों के निर्माण में चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है ।

(ग) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1495/68]**

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1495/68]**

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, it is clear from the reply of the Government that tallow of cow or pig is being used for the manufacture of soap. I have asked in my question that what are those companies which are using tallow, but the hon. Minister has given no reply to that ?

The second thing which I want to ask is that according to the statement this tallow is imported and during 1963-64 tallow worth of Rs. 42,73,000 was imported and during 1967-68 this amount increased to Rs. 17 crores and 46 lacs. This tallow is imported from America, Australia and Newzealand. Knowing that soap can be manufactured without the use of tallow, may I know whether the Government are considering to stop the import of tallow so that our foreign exchange may be saved ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : **सर्वप्रथम प्रश्न** के पहले भाग के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि उन कम्पनियों के नाम जो कि चरबी का उपयोग कर रहे हैं बताने की अपेक्षा उन थोड़ी सी कम्पनियों के नाम बताना सरल है जो चरबी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं । कपड़े धोने का साबुन बनाने वाली निम्नलिखित कम्पनियां चरबी का उपयोग नहीं कर रही हैं :—

डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली; गणेश फ्लोर मिल्स, कानपुर; रोहताश इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर; अमृत वनस्पति कम्पनी लिमिटेड, गाजियाबाद ; और ब्रह्मप्पा तवनप्पानावर लि०, मैसूर ।

निम्नलिखित कम्पनियां और मार्के चरबी का उपयोग न कर 'संश्लिष्ट शोधक' का उपयोग कर रहे हैं —

हिन्दुस्तान लीवर 'सर्फ' के निर्माण में; स्वास्टिक 'स्वे' के निर्माण में तथा टाटाज़ 'मैजिक' के निर्माण में ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यदि उन कम्पनियों द्वारा साबुन बनाने में चरबी के उपयोग पर बिल्कुल रोक लगाना चाहें जो कि विभिन्न चर्बियों तथा तेलों का उपयोग करती हैं तो हमें अनुमानत; कम से कम 1,25,000 टन हाइड्रोजनीकृत मंगफली के तेल की आवश्यकता पड़ती है । इतना तेल इस कार्य में प्रयोग किये जाने पर यह भोजन आदि के प्रयोग में इसकी कमी पड़ जायेगी । वनस्पति के तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहता है । पिछले कुछ वर्षों में, यह उतार-चढ़ाव 100 प्रतिशत तक हुआ है । ये ही हमारी कुछ कठिनाइयां हैं कि साबुन की कीमतें चढ़ जायेंगी और खाद्य पदार्थों के लिये मूंगफली के तेल की उत्पादकता घट जायेगी । जहां तक इसका प्रश्न है कि वर्ष 1967-68 में अधिक आयात क्यों हुआ है उसके कारण निम्नलिखित हैं —

साबुन निर्माताओं को अनुमति दी गई है कि वह इस वस्तु की अपनी आवश्यकता के आयात के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा वित्त प्रेषण सुविधाओं का उपयोग करें ; इसके अतिरिक्त पी० एल० 480 के अन्तगत भी आयात किया गया था जिसकी व्यवस्था राज्य व्यापार निगम ने की थी । मूंगफली का उत्पादन भी कम हुआ था । कीमतें बढ़ गईं; और साबुन के उन्पादन में भी 10,000 टन की वृद्धि हुई ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: There are crores of people in the country who would not like to use tallow of cow or pig. I would like to know whether the Government are prepared to form such a rule to give facility to such people that this should be written on the soap that tallow has been used in it. Those who will like to purchase it, will purchase and those who will dislike they will not purchase.

श्री रघुरामैया : अगर कुछ मार्कों में चर्बी का प्रयोग नहीं होता तो यह किया जा सकता था, लेकिन यहां तो सभी चर्बी का उपयोग करते हैं। अतः यह समझना चाहिये कि उन थोड़े से मामलों को छोड़ कर जिनका मैंने उल्लेख किया है, सभी में चर्बी का उपयोग हो रहा है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मेरे प्रश्न का यही उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : लेबल पर ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता कि अमुक साबुन चर्बी से बना है ? ऐसा कानून बनाने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री स० कु० तापड़िया : जैसा कि अमरीका में सिगरेटों के मामले में किया जाता है।

श्री रंगा : जिस साबुन में चर्बी का उपयोग नहीं होता उस पर लेबल लगा दें ।

श्री रघुरामैया : मैंने बताया कि सभी चर्बी का उपयोग कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभी नहीं। उन्होंने स्वयं उन कम्पनियों के नाम बताये हैं जो इसका प्रयोग नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ने यह सुझाव दिया है कि ऐसा लेबल लगाना आसान है कि अमुक साबुन में चर्बी का प्रयोग नहीं हुआ है। वे किसी विशेष साबुन में ऐसा लेबल लगा सकते हैं। अगर ये थोड़े हों तो लेबल लगा सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : बहुत से साबुन निर्माता चर्बी का प्रयोग नहीं करते।

श्री रघुरामैया : ऐसा किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : ऐसा अवश्य किया जाना चाहिये ।

Shri Jagannath Rao Joshi : One of the person who have objected to the use of tallow, is our Hon. Shri Ananthasayanam Ayyengar. He has written in clear words that the tallow of cow and pig should not be used at least in India. What are the feelings of the Indians with regard to tallow and specially that of cow and what happened in the freedom struggle of 1857 all of us know. I would like to know from the Government that whether they are going to start another mutiny in the country ? Shri Atal Bihari Vajpayee had clearly asked that such companies should give clear indications about their soaps.

श्री अशोक मेहता : आज देश में बनाये जाने वाले और प्रयोग में लाये जाने वाले साबुन का 80 प्रतिशत कपड़ा धोने के काम में लाया जाता है तथा सरकार संश्लिष्ट शोधकों के उत्पादन में लगी है जिससे चर्बी अथवा वनस्पति तेल का प्रयोग हट जायेगा और यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है ; तथा जैसा उन्होंने कहा कुछ निर्माता इसका निर्माण पहले ही कर रहे हैं, लेकिन हम इसका निर्माण बड़े पैमाने पर कर रहे हैं जिससे यह समस्या शीघ्र ही हल हो जायेगी ।

Shri Narain Swarup Sharma : Mr. Speaker, Sir, the tallow worths about two crores of rupees was imported during the year 1966-67 and during 1967-68 it has shown the increase of 17½ crores of rupees and if the import of tallow from abroad went on increasing like this, I think a complicated problem will arise before the country. Therefore I would like to know whether the hon. Minister would like to form a committee to solve this problem and would constitute a Committee to do research work over the highly fluctuating price of groundnut oil so that any alternative of tallow may be found out and the use of tallow may be stopped ?

श्री अशोक मेहता : मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि जहां तक कपड़े धोने के साबुन का सम्बन्ध है, जो कि जितना साबुन हम प्रयोग में लाते हैं उसका 80 प्रतिशत है; के लिए संश्लिष्ट शोधकों का उत्पादन किया जा रहा है। मेरे सहयोगी ने बताया है कि उस वर्ष 17 करोड़ रुपये की चर्बी का आयात क्यों किया गया था।

Dr. Govind Das : The hon. Minister told that some companies manufacture such a soap in which tallow is not used, which proves that soap can be manufactured without using tallow, under these circumstances, to save the foreign exchange and keeping in view the emotions of the Indian people whether the Government will take a decision to stop the import of tallow forthwith ?

Shri Asoka Mehta : My colleague replied to it that if we decide to manufacture soap with vegetable oil then there will be a shortage of vegetable oil for edible purposes, and its price will go up and the price of soap will also go up. A decision will have to be taken regarding it............(Interruption)........If the people want that the prices of both should rise than I have got no objection. Besides, these days there are talks about the manufacture of synthetic detergents every where in the world. Big factories are being set up for it and this will be used for the manufacture. of soap. There were special reasons for the import of tallow last year but we cannot think of stopping it at present.

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether the hon. Minister is aware that what are those companies which directly or indirectly help in the cow slaughter ban movement ?

Shri Asoka Mehta : I do not know about it.

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister just now said that over the soaps, in the manufacture of which tallow is used, label cannot be put but label can be put upon the soap in the manufacture of which tallow is not used.

I want to tell the hon Minister on his information that any medicine which is prepared prescription is written over that. If prescription can be written upon all the medicines than how label cannot be put in the case of soaps ?

My second question is that we have imported tallow worth of Rupees 17 crores and 47 lakhs this year and last year it was worth Rupees 2 crores and 3 lakhs, then whether it is not a fact that Delhi cloth Mills, Modi Soap Works, Tata oil Company and Swastik oil Mills have been issued ten times more licence and whether it is not all for offering them benefits ?

Shri Asoka Mehta : We should proceed with the understanding that the Soap which is manufactured in the country and is sold in the market is generally manufactured by using tallow, than those who dislike it should not touch it. Such soaps are few in which tallow is not used and label can be put upon them and those people can purchase such soap. This is not correct that import had been made under pressure but this was done because there was a necessity for it.

श्री पीलु मोडी : मुझे अपने मित्र श्री वाजपेयी जी के साथ साथ चिन्ता है कि चर्बी के आयात से विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या चर्बी के स्थानीय निर्माण के विषय में कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अनन्त राव पाटिल : यह सच नहीं है कि साबुन के सभी निर्माता चर्बी का उपयोग करते हैं क्योंकि बहुत से छोटे निर्माता हैं जो चर्बी का उपयोग नहीं करते हैं। वे चर्बी की बजाय अखाद्य तेलों का प्रयोग करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ऐसे प्रयोगों में सफल हुआ है और

कई छोटे निर्माता भी इस विधि को अपना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बड़ निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की बजाय छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहन देगी ?

श्री रघुरामैया : यह सर्वविदित है कि अधिकतर मामलों में चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। जहां इसका प्रयोग नहीं हो रहा है यह कहना आसान है कि लेबल लगाये जा सकते हैं और इन्हें लगाइये। हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर चिन्हित करने के अन्य तरीकों का प्रयोग करने से सहायता मिलती है। हमें पहले भाग के परीक्षण करने के बादर में भी कोई आपत्ति नहीं है। कि जिनमें चर्बी का उपयोग होता है उन पर लेबल लगाये जा सकते हैं। इन पहलुओं की जांच की जायेगी।

श्री अनन्तराव पाटिल : मेरा प्रश्न भिन्न था।

श्री अंबाजागन : विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये क्या सरकार उन साबुनों के लिए जो कि पूर्णतः शत प्रतिशत स्वदेशी माल से बनते हैं, कुछ अनुदान अथवा सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री अशोक मेहता : मैं नहीं जानता कि स्वदेशी माल क्या है। इसमें बड़ी मुश्किल से विदेशी मुद्रा का व्यय होता है क्योंकि इसकी एक बड़ी मात्रा पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त होती है।

Shri Manubhai Patel : I would like to know whether the hon. Minister would tell us that the amount of which soap is exported annually ?

श्री अशोक मेहता : मेरे पास आंकड़ नहीं हैं।

श्री रंगा : चर्बी के उपयोग के विरुद्ध हमारे देश में एक दृढ़ भावना है, यह चर्बी गाय, सूअर तथा अन्य ऐसे ही जानवरों की होती है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि इस चमत्कारपूर्ण चर्बी "टैलो" का क्या अभिप्राय है जब तक कि मेरे माननीय मित्र ने इसके बारे में बताना आरम्भ नहीं किया। श्री वाजपेयी जी ने भी इसके बारे में बताया। लोगों की बहुत दृढ़ भावना को देखते हुए, तथा मंत्रालय द्वारा कुछ संश्लिष्ट पदार्थ, की खोज के बारे में विचार करने के प्रयास को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि उस संश्लिष्ट पदार्थ का विकास कब होगा और उसका वाणिज्यिक उपयोग कब आरम्भ होगा जिसको चर्बी की जगह प्रयोग में लाया जा सकता है ?

श्री अशोक मेहता : हमें आशा है कि संश्लिष्ट शोधक दो या तीन वर्षों में उपलब्ध हो सकेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि फ्रांस में चर्बी मल-निर्यास से बनाई जाती है और भारत में आने वाली अधिकतर चर्बी ह्वेल अथवा शार्क मछली की वसा से बनी होती है ?

श्री अशोक मेहता : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I am happy that Prof. Ranga cut accross all what Shri Modi said. The hon. Minister has said that tallow worth about 17½ crores of rupees is imported then what is the consumption ? It is clear that some may be indigenous and some may be imported. The first question is that what is the total consumption and the second question is that whether any subsidy or grant will be given to the soap factories which will not use tallow till an alternative arrangement is made upto three years ?

श्री अशोक मेहता : मेरे पास सारे आंकड़े यहां पर नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह बिना तैयारी के उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि यह पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त होता है । इस पी० एल० 480 की अपनी हानियां हैं और पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात बन्द हो जायेगा तो मंत्री महोदय इसके लिए कौनसा दूसरा विकल्प सोच रहे हैं ? क्या वह पी० एल० 480 के द्वारा आयात बन्द होने पर भी चर्बी का आयात करते जा रहे हैं तथा क्या यह आयात पर अधिक निर्भर होने जा रहे हैं और इस पर विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : मैं बार-बार बता चुका हूं कि हम इस काम के लिए संश्लिष्ट शोधक का विकास कर रहे हैं । इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता । केवल यही विकल्प है कि जब हम अपने तेल-बीजों के उत्पादन का विकास एक बड़े पैमाने पर करने में समर्थ होंगे तब हम तेल-बीजों का प्रयोग दोनों कार्यों के लिए कर सकेंगे ।

श्री समर गुह : किसी भी चीज के लिए अपने आपको किसी भी ज्ञान विरोधी भावनाओं के साथ सम्बद्ध किये बिना एक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में इस प्रश्न को पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, प्रश्न पूछिये ।

श्री समर गुह : मैं इस बात की चिन्ता नहीं करता कि यह वनस्पति-वसा है । अथवा पशु-वसा है । मेरा प्रश्न यह है । जो आंकड़े हमें बताये गये हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि 1962-63 में बाहर से 61.01 लाख रुपये की चर्बी का आयात किया गया । लेकिन यह आंकड़े अब 30 गुना बढ़ गये हैं यथा 1967-68 में 1,746.2 लाख रुपये की जानवरों की चर्बी का बाहर से आयात किया गया । मैं जानना चाहता हूं क्या इस विदेशी मुद्रा को बाहर जाने को रोकने के लिए सरकार अपने देश में ही पशु-वसा अथवा वनस्पति-वसा के द्वारा अन्य कोई वैकल्पिक स्रोत तैयार कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया था, उन्होंने बताया कि संक्षिप्त शोधक तैयार किया जा रहा है श्री रंगा जी ने भी पूछा कि इसका उत्पादन कब होगा । स्पष्ट है कि माननीय सदस्य को इस बात का पता नहीं था ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the hon. Minister is aware that some Vaisnava people do not use soap because they do not know whether animal fat is used in it or vegetable fat, then whether any arrangements are being made to manufacture, such a vaisnava soap ?

श्री शंकरराव माने : लोगों का अधिक सम्बन्ध वनस्पति तेल से है न कि चर्बी अथवा वसा से क्योंकि यह भावना का प्रश्न नहीं है बल्कि दैनिक आवश्यकता का प्रश्न है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खाद्य पदार्थों में काम आने वाले वनस्पति तेल की कितनी मात्रा साबुन बनाने के काम में लाई जा रही है और क्या सरकार खाने के तेल का साबुन बनाने में प्रयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ?

श्री रघुरामैया : मुझे इसके लिये (नोटिस) पूर्व सूचना की आवश्यकता है ?

Smuggling of Goods to China

*154. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smugglers are engaged in smuggling of rice, petroleum and kerosene oil to China from India on a large scale through Nepal, and

(b) the measures taken or proposed to be taken to check such smuggling ?

Minister in the Ministry of Finance (Shri K.C. Pant) : (a) The Government has no reason to believe that there is any large scale smuggling of rice, petroleum and kerosene oil to China from India through Nepal.

(b) Does not arise.

Shri Mritunjay Prasad : The Government should know that the goods are smuggled not only through the recognise posts and check-posts as Jaynagar in Bihar at Raxaul but through the whole Nepal-Tarai ; it is, however, a different thing what is smuggled and what not. It is not understood that how the Government is not aware that from where the goods are pouring in and being smuggled out of the country. Well, what action do you propose to take to find it out ? Such news are always there in the newspapers. Recently, you have admitted that you do not put check in regard to rice and wheat going to Nepal; but there is no surplus in Bihar and it was essential to check it at any cost. What steps do you take in this connection ?

Secondly, excepting only the check-posts in Nepal Tarai, are you having certain patroling or any other arrangement so that the movement of only those particular things could be stopped?

Shri K.C. Pant: The suggestion for patrolling the border is under consideration,but I want to submit before the hon. Members that there is not custom cordon between Nepal and India. There exists a treaty under which both the countries have their trades and there are no restrictions on the movement of grains. As regards petroleum, there is a fixed quota for it ; and as regards grains, there is enough rice produced in Nepal and under the Nepal-Tibet trade, cattle used to be sent from Tibet. Now we send bags, the gunny-bags of jute from here. It is gathered from the department of External Affairs our embassy and the Director of Revenue Intelligence, that this is not a trade on a large scale. It does not mean that there is absolutely no trade on the borders, it is there but not on a large scale.

Shri Mrityunjay Prasad : There have been many charges that the officials of check posts make enough money. So do you have any arrangements to check and investigate into it ?

Shri K.C. Pant : Yes Sir, whenever we get a particular information the investigation is done.

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether it is a fact that in lieu of these goods being smuggled to China through Nepal, a large quantity of Chinese goods like transistors etc. worth crores of rupees are being smuggled into India and those goods are selling in Connaught Place just under the nose of the Central Government, if so, what arrangements have been made to check it ?

Shri K.C. Pant : The question was about the goods being smuggled from there, but the hon. member has asked about those which are being smuggled into this country. As regards goods coming from Nepal, you say those are being sold here in the market. We are considering this aspect whether there should be certain rules to check such smuggling.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has referred to all the foreign goods whereas I had asked about the Chinese goods. I want to know what is your reaction thereon ?

Shri K.C. Pant : China also comes within all foreign countries.

Smt. Sushila Rohtagi : It is true that certainly there is friendship between India and Nepal, but those who are doing such smuggling they are not doing it on the inspiration of friendship but with a view to steal and make profit. Then, in view of this, do the Government propose to establish an anti-smuggling squad ?

Shri K.C. Pant : When I mentioned about the friendship, I meant friendship between the two Governments. That is why there is no customs border but a trade treaty. But how these smugglers come within friendships ? We will punish them under when we catch them.

श्री ई० के० नायनार : सब जानते हैं कि विदेशों से भारत में तस्करी हो रही है—कुवैत से सोना, सिंगापुर से घड़ियां तथा जापान से रेडियो, भारत में कहीं पर भी ये वस्तुएं मिल सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि चीन में चावल का उत्पादन बढ़ गया है तथा पिछले वर्ष उसने अपने मित्र देशों को 300 करोड़ रुपये की लागत का चावल निर्यात किया ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : माननीय सदस्य से यह जानकारी पाकर सरकार को खुशी हुई है ।

Shri P.G. Sen : Is the Government aware that all of our capitalists have their business on borders as well as in Nepal where they have started their industries, and that only they are responsible for the smuggling of goods from here to Nepal and *vice versa* ?

Shri K.C. Pant : As I said, many people are caught while smuggling. Besides this, if the hon. member has got a particular information, he may convey that to us and we will get that investigated.

Shri P.G. Sen : My question is as to which of the mill owners or capitalists have got their business on Indian and Nepal borders ?

Shri K.C. Pant : Separate notice is required for this information.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने बताया है कि वे कुछ ऐसे साधन निकाल रहे हैं जिन से कि विदेशी चीजों को भारत में आने से रोका जा सके। इससे समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । समस्या यह है कि भारत में विदेशी वस्तुएं बड़े ही अवांछित अर्थात् तस्करी के रूप में आती हैं तथा सीमाक्षेत्र में हर व्यक्ति, हर दुकानदार तथा हर नागरिक को खूब पता है कि वे किस तरह से आती हैं कैसे आती हैं तथा किस माध्यम से आती हैं ? यह बड़ी ही विचित्र बात है कि सरकार अपने आपको इस सत्य में बिल्कुल अनभिज्ञ सिद्ध कर रही है कि अभी हाल ही में हजारों टन चीनी तस्करी में भारत आई बल्कि सरकार की जानकारी यह है कि 30 अप्रैल तक केवल 12,000 किलोग्राम चीनी पकड़ी गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि हमारी सीमाओं पर उन वस्तुओं की भारी स्तर पर तस्करी हो रही है, यदि हां, तो अब इस तस्करी को रोकने लिये सरकार ने क्या प्रभावपूर्ण उपाय किये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस बारे में माननीय सदस्य सरकार के लिये चाहे जो विशेषण लगा सकते हैं। परन्तु समस्या का समाधान नहीं होता। यह सच है कि भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में तस्करी हो रही है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यहां यह बड़े पैमाने पर है ।

श्री मोरारजी देसाई : छोटे पैमाने पर अथवा बड़े पैमाने पर यह तो माननीय सदस्य ही जानते होंगे, मेरा तो तस्करों से कोई सम्पर्क नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूं (व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा है कि उनका तस्करों से सम्पर्क है। (व्यवधान) माननीय सदस्यों को उत्तेजित होने की आव-

श्यकता नहीं है। परन्तु किसी को यह अनुभव करना चाहिये कि वह क्या कर रहा है ? यह कहना बहुत सरल है कि बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है । इसका प्रमाण कहां है ? न मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूं तथा न ही स्वीकार कर सकता हूं कि ऐसा है । यही बात है । हम हर सम्भव उपाय करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ताकि तस्करी का माल न बिके। जब यह कहा जाता है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि यह विचित्र है । हम तो यह कर रहे हैं कि जब हमें पता चलता है कि दुकानदार उस माल को बेच रहे हैं जिसका उसके पास लेखा नहीं है कि यह वैध ढंग से आयात किया गया है, तो माल जब्त कर लिया जाता है तथा दुकानदारों को दण्ड दिया जाता है । इसके लिये कानून की आवश्यकता है । इस कानून को यहां आना है । उस कानून का मसौदा भी बड़ी सावधानी से तैयार करना होता है ताकि वह कानून भी वैध है तथा उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है । और इसी में समय लग रहा है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि हमारे सीमाक्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है । इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं कि न वह 'हां' कह सकते हैं तथा न ही 'न' क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है तथा तस्करों से उनका सम्पर्क नहीं है ।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि यह सत्य है कि चीन चावल का अधिक उत्पादन कर रहा है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि आन्ध्र प्रदेश से केरल को चावल का भेजा जाना रोक कर केरल को चीन से चावल मंगाने की अनुमति दे दी जाये क्योंकि वे उनसे बात कर रहे हैं तथा इस बारे में पूरी तरह जानते हैं (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत कठिन प्रश्न है ।

Shri Shiv Chandra Jha : It is non-controversial that smuggling is going, whether the hon. Minister admits it or not. It appears in the newspapers everyday, that this thing or that thing has been seized. The Tariff Commission has ordered for several measures to stop it and there is a law for it. I want to know upto what extent the laws for curbing smuggling have been put into force and how far have the Government been successful in this behalf ?

Shri K.C. Pant : As far as I know the Tariff commission has nothing to do with this question.

श्री मनुभाई पटेल : दूसरी चीज़ों के बारे में, चाहे वे थोड़ी मात्रा में हों चाहे अधिक मात्रा में, यह मान लिया गया है कि कुछ चीज़ों की भारत में तस्करी हो रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस समाचार में कितनी सच्चाई है कि चीनी लोग भारत में तस्करी करने के लिये नोट छाप रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में तो यह इस प्रश्न से नहीं निकलता परन्तु जहां तक मुझे याद है, पिछले सप्ताह इसी विषय पर एक अन्य प्रश्न था और यह उत्तर दिया गया था कि बड़े स्तर पर कोई तस्करी नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि कालिम्पोंग की उप-प्रभागीय कान्ग्रेस समिति के प्रधान कोई श्री मिन्तरीनेपाल के माध्यम से चीन में चावल की तस्करी करते समय रंगे हाथों पकड़े गये थे, यदि हां, तो क्या मैं जान सका हूं कि क्या उनके विरूद्ध मुकदमा किया गया है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी केवल जांच की जा सकती है (व्यवधान)

श्री म० ला० सोंधी : मेरा प्रश्न है कि क्या आपके मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के मध्य कोई समन्वय है ? यदि वहां कोई युद्ध सामग्री जानी है तो वह, या तो चीन से जायेगी अथवा भारत से ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या वह वास्तव में चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं ?

श्री म० ला० सोंधी : निश्चय ही मैं उनसे इस बारे में कोई संकेत की आशा रखता हूं कि क्या ऐसा कोई समन्वय है कि यह पता लग सके कि तिब्बत में क्या होता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि केवल तम्बू ही वहां बिना आज्ञा-पत्र के जा सकते हैं ।

श्री कार्तिक उरांव : अनेक माननीय सदस्यों ने भारत में तथा भारत के बाहर लाखों रुपये के मूल्य के माल की तस्करी के आंकड़े पेश किये हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई शिकायत आई है कि जिसमें भारत में अथवा बाहर से होने वाली तस्करी के मूल्य का अनुमान बताया गया हो ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, आप तस्करी के माल का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं ? हम तो उन्हें केवल पकड़े गये माल के आंकड़े बता सकते हैं परन्तु तस्करी किये गये माल के बारे में आंकड़े नहीं दे सकते ।

श्री समर गुह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री के इस प्रश्न के अतिरिक्त कि कलकत्ता में चीनी फाउन्टेनपैन आदि की बाढ़ आई हुई है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के प्रायः सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित इस प्रेस रिपोर्ट पर गया है कि चीन द्वारा बनाये गये भारतीय मुद्रा के नोटों के बण्डल के बण्डल बंगाल के सीमा क्षेत्र में भेजे गये हैं तथा उस क्षेत्र के गरीब लोगों में बांटे गये हैं ताकि इसके साथ ही जाली भारतीय नोटों की तस्करी का सीमा पर व्यापार हो सके। यदि हां, तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या उपाय किये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में यह बात इस प्रश्न से नहीं निकलती है परन्तु निश्चय ही मुझे याद है कि ऐसी एक रिपोर्ट बंगाल से नहीं बिहार से आई थी ।

श्री समर गुह : यह पश्चिम बंगाल के प्रायः सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उस मामले में भी स्वयं नेपाल सरकार द्वारा जांच की जा रही है जिन के पास वे नोट हैं, चाहे वे जाली हैं चाहे ठीक हैं। वे हमारी पुलिस की सहायता से इस मामले की जांच कर रहे हैं (व्यवधान) ।

श्री समर गुह : मैंने एक विशेष क्षेत्र पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न किया है, क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यदि वह मुझे जानकारी दे, तो निश्चय ही मैं उसकी जांच करूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Acquisition of Land for Construction of Chandigarh

*155. **Shri Ram Swarup Vidyarathi** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(*a*) the total acreage of land acquired for the construction of Chandigarh ;

(*b*) the extent of agricultural land out of it ;

(*c*) whether alternative land was allotted to all the farmers whose land was acquired ;

(*d*) if so, the location thereof ; and

(*e*) whether this land was unclaimed or whether it was Government land ?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao) : (*a*) *to* (*c*). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय का विनियोजन

*156. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंकरों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नई कृषि आय के विनियोजन के लिये प्रभावी कार्यवाही की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन स्थानों पर बैंक नहीं हैं वहां पर बैंकों की शाखाएं खोलने पर जोर देते हुए, बैंक अपने शाखा-विस्तार कार्यक्रम को आयोजित और समन्वित ढंग से, रिजर्व बैंक के पथ-प्रदर्शन में कार्यान्वित कर रहे हैं । यह कार्यक्रम और बढ़ाया जायगा ।

मद्यनिषेध

*157. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री बेणीशंकर शर्मा :

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मद्यनिषेध लागू करने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या समूचे देश में कड़ाई से और सफलतापूर्वक मद्यनिषेध लागू करने के लिये कोई नई योजना तैयार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो मद्यनिषेध को सफलतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से वर्तमान मद्य निषध योजना में कौन-कौन से संशोधन करने का विचार है; और

(घ) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने कोई ऐसी तारीख निश्चित की है कि वह कब तक पूर्ण-रूपेण मद्यनिषेध लागू कर देंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह] : (क) से (ग). मद्यनिषेध राज्य विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों में मद्यनिषेध के बारे में निदेश देने की अथवा उसे कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संघ सरकार पर नहीं है। प्रत्येक राज्य को अपनी नीति को चलाने का तथा मद्यनिषेध को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपनी इच्छानुसार अन्य उपाय करने का अधिकार है।

(घ) जी, नहीं। अलबत्ता, राजस्थान सरकार एक क्रमिक कार्यक्रम द्वारा, जो अनेक वर्षों तक चलेगा मद्यनिषेध करना चाहती है।

पी० एल० 480 से अनुदान

158. श्री रमानी :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों और ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें 1966 और 1967 में भारत में पी० एल० 480 निधियों से अनुदान मिले थे;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को 1966 और 1967 में त्रैमासिक आधार पर कितनी कितनी धनराशि मिली;

(ग) क्या इस प्रकार दिये गये अनुदानों का गत आम चुनावों में प्रयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान करने हेतु अमरीकी सरकार भारत में संस्थानों तथा संगठनों को अमरीकी प्रयोग भाग में से अनुदान देती है। आवेदन देने वाले संगठनों से अनुदानों के लिए प्राप्त प्रस्तावों को अमरीकी अधिकारियों को भेजने से पूर्व उन पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जाता है। 1966 और 1967 में भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई अनुदानों सम्बन्धी सूची को सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1496/68**]।

(ख) भारत सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने के पश्चात् अमरीकी अभिकरण इन प्रार्थनाओं पर विचार करते हैं और जहां वह उपयुक्त समझते हैं अनुदान देते हैं और संस्थाओं से सीधे बातचीत करके ब्यौरा तय करते हैं। अत: प्रश्न के भाग (ख) में जो जानकारी मांगी गई है वह भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह महसूस किया गया है कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने में जो मेहनत तथा समय लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) से (ङ) अनुदानों को अधिकृत प्रयोजनों अथवा कार्यों के लिए व्यय नहीं किया जाता है। 21-12-1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 818 के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि विदेशी

निधियों के प्रयोग के बारे में गृह-कार्य मन्त्रालय को आसूचना विभाग ने जो प्रतिवेदन दिया था उसमें पी० एल० 480 की निधियों के दुरुपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

रामकृष्णपुरम् में बिजली की व्यवस्था

*159. श्री दी० चं शर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के उन क्वाटरों में, जो बिना बिजली के सरकारी कर्मचारियों को दिये गये थे, बिजली लगाने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो आवंटन के बाद कितने क्वाटरों में बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) आवंटन के बाद कितने क्वाटरों में बिजली के कनेक्शन का दिया जाना शेष है तथा इसके कारण क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). रामकृष्णपुरम् के सैक्टर VIII तथा IX के 1172 क्वार्टर बग़ैर बिजली के आवंटित कर दिये गये थे उनमें अब बिजली लगा दी गयी है।

सैक्टर XII के 228 ऐसे क्वार्टरों में अभी तक बिजली नहीं लगाई गयी है। दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग को आशा है कि अगले महीने के मध्य तक बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

एस्सो और बर्मा शैल के साथ तेलशोधन करार

*160. श्री के० एम० अब्राहम :
श्री नम्बियार :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो और बर्मा शैल के साथ हुआ तेलशोधन करार अब शीघ्र ही समाप्त होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस्सो और बर्मा शैल के प्रबन्धकों ने सरकार से प्रार्थना की है कि करार की अवधि बढ़ाई जाय;

(ग) क्या सरकार करार की अवधि बढ़ाने के लिये सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में हल्की बीयर की बिक्री की अनुमति देना

*161. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कम मद्यसार वाली हल्की बीयर की बिक्री शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या किन्हीं अन्य राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की बीयर की बिक्री की अनुमति दी है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं।

(ख) किसी भी राज्य ने इस प्रकार की कोई योजना शुरू करने की सूचना अब तक नहीं दी है। 5 प्रतिशत तक मद्यसार वाला पेय जारी करने का एक प्रस्ताव असम में विचाराधीन है।

उर्वरकों का आयात

*162. **श्री कं० हाल्दर** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों की सप्लाई के लिये सरकार अमरीका तथा कनाडा के निर्माताओं के साथ दीर्घकालीन करार करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार सहायता निधि का दुरुपयोग

163. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सूखे तथा अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए दी गई निधियों के उपयोग में कदाचार के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताएं कुल कितनी राशि की हुई हैं;

(ग) क्या कदाचार के मामलों की जांच का कोई आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) कदाचार के 15 मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये हैं। ये मामले कुल 2,44,266 रुपये की रकम के सम्बन्ध में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) एक मामले में फौजदारी मुकदमा दायर किया गया है और वह न्यायाधीन है। बाकी मामलों में जांच की जा रही है।

विदेशी सहायता

*164. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में सहायता सम्बन्धी कितने करार हुए;

(ख) परियोजना और गैर-परियोजना सहायता के रूप में विश्व बैंक से इस वर्ष कितनी सहायता मिल रही है; और

(ग) क्या प्रशासन सुधार आयोग के अध्ययन दल ने इस सहायता के प्रयोग के प्रश्न पर कोई अध्ययन किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1967–68 में अट्ठाइस ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये ।

(ख) विश्व बैंक ने अभी तक चालू वर्ष के लिए कोई सहायता देने का वचन नहीं दिया है ।

(ग) जी, नहीं ।

Non-acceptance of Travellers' Cheques by I.A.C. and Railways

***165 Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government agencies like **Indian Airlines Corporation,** Railways etc. do not accept travellers' cheques of foreign currency as a result of which large amount of foreign exchange goes into black market ; and

(b) if so, the remedial steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) : A tourist coming to the country is required to encash travellers' cheques either with a bank dealing with foreign exchange or an authorised money-changer. Some agencies catering to tourislts are issued limited money-changer licences whereby they may accept foreign currencies and travellers' cheque in payment of services and supplies. The Indian Airlines Corporation has a licence and they are in a position to accept payment in foreign exchange. However, the major receipt of foreign exchange by I.A.C. is from inter-line settlements through IATA clearing house and this was of the order of £7·9 million during the year 1967-68. There is no scope of leakage, etc. in the remittances that come through IATA clearing house. Railways do not hold such a licence, but they could also be given such a licence if required.

"Leakage" of tourist earning is a more serious problem and is not necessarily related to the money-changer licence procedure. To prevent such a 'leakage' Government is examining the proposal whether all torusts may be required to make certain payments only in foreign exchange.

कर्जन रोड स्थित होस्टल के फ्लैटों का नियतन

*166. **श्री क० अनिरुद्धन** : **श्री सत्यनारायण सिंह** :
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री गणेश घोष**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों के चले जाने के बाद से कर्जन रोड, नई दिल्ली स्थित होस्टल के बहुत से फ्लैट आवंटित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस होस्टल में कुल कितने फ्लैट हैं तथा उनमें से कितने फ्लैट अभी तक आवंटित नहीं किये गये हैं;

(ग) उनके आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार चौकीदारों पर तथा रखरखाव रखने वाले अन्य कर्मचारियों पर प्रतिमास कितना धन खर्च कर रही है; और

(ङ) इन फ्लैटों का आवंटन न किये जाने के कारण सरकार को कुल कितने किराये की हानि हो रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). 252 डबल रूम हैं जिनमें से 8 कमरों को छोड़ कर जिन्हें आपातिक मांग को पूरा करने के लिये निर्धारित कर दिया गया है, शेष सभी आवंटित कर दिये गये हैं । बगैर रसोई के 94 "सिंगल रूम्स" हैं, उन सब को आवंटित कर दिया गया है ।

बगैर रसोई के 126 "सिंगल रूम्स" का एक ब्लाक है । इनमें से 20 रक्षा मंत्रालय को सौंप दिये गये हैं, 3 सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिये गये हैं तथा 50 दौरे पर आये अधिकारियों के लिये निर्धारित कर दिये गये हैं । शेष 53 कमरों के लिये कोई आवेदन नहीं हैं अतएव उनके लिये आवेदन मांगे गये हैं ।

(घ) 2100 रुपये प्रति माह ।

(ङ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर में जो उल्लेख कर दिया गया है उसे ध्यान में रखते हुए हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Development Programme of Uttar Pradesh

***167 Shri Ram Avtar Sharma :**
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have made a demand for more funds for the completion of their development programmes in addition to the allocation made ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) The State Government recently suggested an increase in the State Plan outlay for 1968-69 by Rs. 4 crores.

(b) The State Government have been informed that the proposals would be considered in October 1968, in the light of their resources position.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी संघ की मांगें

***168. श्री उमानाथ :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के कार्मिक संघ की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जैसा कि 21 मई, 1968 के "हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड" के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). प्रश्न में जैसा उल्लेख किया गया है वैसी कोई खबर 21 मई, 1968 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित नहीं हुई। स्पष्ट है कि प्रश्न का सम्बन्ध इसी समाचारपत्र में 31 मई, 1968 को प्रकाशित खबर से है। इस खबर में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूसीमाशुल्क के अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा सरकार को दिये गये किसी भी ज्ञापन का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारी संघों तथा संस्थाओं से सरकार को कुछ दरख्वास्तें मिली हैं जिनमें उस नई योजना का विरोध किया गया है जिसमें निर्माताओं की स्वयं के शुल्क निर्धारण पर शुल्क की अदायगी होकर उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं की निकासी की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना का विरोध मुख्यतः इन कारणों से किया गया है कि इससे संगठन अस्त-व्यस्त हो जायगा जिससे रोजगार और राजस्व साधन पर और साथ ही समग्र रूप से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कर्मचारियों की नौकरी सम्बन्धी सुरक्षा तथा भविष्य की आशाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) उत्पादन शुल्क लगने योग्य चौदह वस्तुओं को छोड़ कर सभी वस्तुओं पर से वास्तविक नियंत्रण हटाने का तथा नई योजना लागू करने का निर्णय सरकार ने काफी सोच विचार के बाद किया है। इसलिये नीति सम्बन्धी इस निर्णय के बारे में पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नई योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की व्यवस्था के बारे में ब्यौरेवार प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

इडिक्की पन-बिजली परियोजना

*169. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इडिक्की पन-बिजली क्षेत्र में श्रमिकों को हड़ताल तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसकी पुनरावृत्ति को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनायें सुचारू ढंग से कार्य कर सकें सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : राज्य सरकार ने परियोजना क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया है। इस क्षेत्र में श्रम सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये राज्य सरकार ने एक जिला श्रम अधिकारी तथा पुलिस मामलों को तथा कानून और व्यवस्था सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निबटाने के लिये एक प्रथम श्रेणी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है।

हिमालय की जड़ी बूटियों के बारे में रूस द्वारा अनुसन्धान

*170. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार अथवा रूस के कुछ गैर सरकारी वैज्ञानिक संगठनों ने हिमालय में भारतीय जड़ी बूटियों की चिकित्सा उपयोगिता के बारे में अनुसन्धान करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रूस के अनुरोध की उत्पत्ति पर विचार किया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली सैक्टर 12 में सड़कों पर पानी तथा रोशनी की व्यवस्था

*171. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में सैक्टर 12 में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पानी की सप्लाई भी बहुत असन्तोषजनक है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो वहां शीघ्रतापूर्वक ये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) मामले पर दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के साथ विचार किया गया, वे आशा करती हैं कि अगले महीने के मध्य तक बिजली के कनैक्शन दे दिये जायेंगे । आशा की जाती है कि सड़क की बत्तियों का कार्य 3 महीने में पूरा हो जायेगा । जहां तक पानी की सप्लाई का सम्बन्ध है नगर निगम ने यह सूचित किया है कि 1971 के अन्त तक जब कि उनकी कैलाश रिजर्वायर स्कीम पूरी हो जायेगी तो उसके बाद अधिक पानी की सप्लाई की आशा की जा सकती है । ट्यूबवैल लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बट्टे खाते में डाली गई आयकर की बकाया राशि

*172. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1965 से 1 अप्रैल, 1968 की अवधि में आयकर की बकाया बहुत बड़ी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गयी;

(ग) किन-किन कम्पनियों की बकाया राशि बट्टे खाते में डाली गयी है; और

(घ) इस राशि के बट्टे खाते में डालने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1965–66 में आयकर की 37,65,004 रु० तथा 1966–67 में 22,90,652 रुपये की बकाया रकम बट्टे खाते डाली गयी । वित्तीय वर्ष 1967–68 के सम्बन्ध में यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 के सम्बन्ध में एक विवरण पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1497/68]** वित्तीय वर्ष 1967–68 के सम्बन्ध में यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) में बताये गये मामलों में रकम को बट्टे खाते डालने के सामान्यत: निम्नलिखित कारण थे :

(i) निर्धारिती कम्पनियां बन्द हो गयी थीं तथा उनकी कोई परिसम्पत्तियां नहीं थीं।

(ii) निर्धारिती कम्पनियां समाप्त हो गई थीं और उनसे कर की बकाया रकमें पूर्णत: अंशत: वसूल नहीं की जा सकती थीं।

(iii) निर्धारिती कम्पनियों के निदेशकों का कहीं पता नहीं था अथवा उनके पास कोई परिसम्पत्तियां नहीं थीं।

(iv) ग्रस्त रकमें इतनी कम थीं कि उनकी वसूली के लिये किसी प्रकार का खर्च अथवा श्रम करने का कोई औचित्य नहीं था।

विदेशी सहायता

173. श्री अजमल खां : श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री रा० की० अमीन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता का वचन देने में देरी होने के कारण हमारे सभी आर्थिक कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो रहे हैं;

(ख) क्या विदेशी सहायता का वचन न दिये जाने की बात को रखते हुए अपनी आयात नीति में संशोधन करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या ऐसा करने से हमारे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई वैकल्पिक कार्यवाही करने के लिये विचार किया गया है जिससे हमारे उद्योग अपनी पूरी अधिष्ठापित क्षमता से काम कर सकें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख): वर्ष के प्रारम्भ में मिलने वाली सहायता, पहली अप्रैल, 1968 के बाद किये गये 3973.3 लाख डालर की कुल रकम के नये गैर-प्रायोजना सहायता करारों और 1616.4 लाख डालर की उस प्रत्याशित अनिर्दिष्ट सहायता के कारण जिसके बारे में पहले ही सूचना मिल चुकी है, अभी कोई कार्यक्रम अस्त व्यस्त नहीं हुआ है। 1968–69 की आयात नीति की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और इसमें परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Mosquito Menace

***174. Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1365 on the 22nd April, 1968 and state :

(a) the causes of increase of mosquitoes in Delhi; and

(b) the preventive measures taken by Government in this regard?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha): (a) The following factors are mainly responsible for the increase of mosquitoes in Delhi :—

(1) Large scale construction with inadequate provision of disposal of sullage and drain water; and

(2) Water logging in the drains due to frequent showers and floods in Jumuna.

(b) The preventive measures taken are :

(i) Indoor insecticidal spray in the riverine belt area and in the labour huts at construction sites.

(ii) Anti-larval measures by clearing drains , and treating breeding places with larvicidal oil in the city regularly once a week.

A special campaign was launched to combat mosquito nuisance by the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee from 22nd April to 30th April, 1968.

श्री के० एन० मेहता के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही

*175. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या वित्त मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने श्री के० एन० मेहता के विरुद्ध न्याय-निर्णयन कार्यवाही पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो न्याय-निर्णयन कार्यवाही कब तक पूरी हो जाने की संभावना है और विलम्ब का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री के० एन० मेहता को जारी किये गये 'कारण बताओ' नोटिसों के उत्तर 31-5-1968 को ही तो प्राप्त हुए हैं । प्राप्त उत्तरों से उत्पन्न होने वाले कानूनी और दूसरे मसलों की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है जिसकी समाप्ति पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा न्याय-निर्णय की कार्यवाही की जायेगी ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

*176. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री अंबुचेजियान :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने 6 से 18 जून, 1968 को न्यूयार्क में हुई अपनी व्यापारिक बैठक में भारत को कुछ प्रायोजनाओं के लिये 90 लाख डालर की सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और इस राशि का कैसे और किन राज्यों में उपयोग किया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निषेध के कार्यकारी बोर्ड ने न्यूयार्क में हुई अपनी बैठक में 4.923 मिलियन डालर के विनिधान का तथा 5.527 मिलियन डालर के वायदे का अनुमोदन किया है । संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा सहायता पाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के आधार पर "वायदों" के अधीन निधियां ली जायेंगी ।

(ख) भारत विषयक वायदे तथा विनिधान की राशियों का बटवारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । इस सहायता का उपयोग साज सामान तथा रसदों और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित प्रायोजनाओं की कार्यान्विति के लिए वजीफों के रूप में किया जाता है ।

विवरण

प्रायोजनाएं/कार्यक्रम	**वायदा**	**विनिधान**
	अमरीकी डालर	अमरीकी डालर
स्वास्थ्य सेवाएं . . .	3,462,000	1,462,000
डाक्टरी प्रशिक्षण . .	150,000	150,000
प्रयुक्त पोषाहार . .	1,215,000	1,915,000
शिक्षा . . .	507,000	1,203,000
परिवार तथा बाल कल्याण . .	193,000	193,000
	5,527,000	4,923,000

बच्चे पैदा करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधान

*177. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये एक परिवार में बच्चों की उत्पत्ति की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई विधान बनाने के लिये सरकार विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान बनाने में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवरिया जिले में अस्पताल

*179. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में देवरिया सदर और बलिया के अस्पतालों में डाक्टरों, औषधियों और बिस्तरों की बहुत कमी है ;

(ख) इन दो स्थानों में अस्पतालों की दशा सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1966-67 में इन अस्पतालों में कितने रोगी दाखिल किये गये, और कितने रोगमुक्त हुए तथा कितने रोगियों की मृत्यु हुई और उन में से कितने रोगियों को इन अस्पतालों से नियमित रूप से भोजन तथा दूध दिया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क), (ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उसको सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री चिरन्जीत लाल गोयन्का के विरुद्ध न्याय निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही

*180. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री 10 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961-62 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए चिरन्जीत लाल गोयन्का पर लगाये गये कर का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या लगायें गये कर पर कोई जुर्माना किया गया है और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या आय को छुपाने के कारण कोई अभियोग चलाया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में निर्दिष्ट कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी हो गई है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कर-निर्धारण वर्ष 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के लिए क्रमानुसार 20,06,484 रु०, 21,65,265 रु० और 4,15,480 रु० की कुल आय पर कर निर्धारित किया गया था । अपीलीय सहायक आयुक्त ने 1961-62 के कर-निर्धारण को रद्द करते हुए नये सिरे से कर-निर्धारण करने का आदेश दिया है । 1962-63 का कर-निर्धारण अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा लौटा दिया गया है । 1963-64 के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में अपीलों पर विचार हो रहा है । बाद के सभी वर्षों के कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित तीनों कर-निर्धारणों के मामले में दण्ड की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, और वह चल रही है ।

(ग) इस्तगासे की कार्यवाही अभी नहीं की गई है परन्तु उस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(घ) चूंकि दण्ड की कार्यवाही प्रारम्भ की ही जा चुकी है और इस्तगासे की कार्यवाही पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है परन्तु न्याय निर्णय के अन्तिम आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दिया गया है ।

मेहतरों की काम करने की स्थिति

1312. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहतरों की काम करने की स्थिति में सुधार करने के बारे में मल्कानी समिति ने 8 वर्ष पूर्व सुझाव दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनको कार्यान्वित करने में अनावश्यक विलम्ब होने का क्या कारण है ; और

(ग) उन्हें कब तथा किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा और ऐसा करने पर कितना धन व्यय होगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेण गुह) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । यह रिपोर्ट दिसम्बर, 1960 में पेश की गई थी तथा शीघ्र ही सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को हिदायतें जारी की गई थीं ।

अधिकतर सिफारिशें राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासकों के उत्तरदायित्व-क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं तथा उन्हें वास्तव में नगरपालिकाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाना था । भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध समिति की उस मुख्य सिफारिश के नीति तथा वित्तीय पहलुओं से था, जो व्हील बैरों जारी करके "विष्ठा" को सिर पर ढोने की प्रथा के उन्मूलन से सम्बन्धित थी ।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को तुरन्त उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दी गई थी । 1966-67 तक इस योजना पर 123.75 लाख रुपया खर्च किया जा चुका था ।

इस योजना ने अच्छी प्रगति की है । विशेषतया केरल और महाराष्ट्र में विष्ठा को सिर पर ढोने की प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया है । अलबत्ता, कुछ स्थानों में मेहतरों में मेहतरी के काम की जागीरदारी प्रथा (प्रथागत अधिकार) होने के तथा सफाई का काम करने वाले मेहतरों द्वारा काम के नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचाहट के कारण इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना कुछ कठिन हो गया है ।

फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान

1313 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित फिल्म कलाकारों ने 1964, 1965, 1966 और 1967 में अपनी वार्षिक आय कितनी घोषित की और विभाग द्वारा उनकी आय पर कर लगाया गया।

(1) दिलीप कुमार उर्फ युसुफ खां
(2) राजेन्द्र कुमार
(3) राज कपूर
(4) शम्मी कपूर
(5) धर्मेन्द्र
(6) शशि कपूर
(7) मनोज कुमार
(8) जितेन्द्र
(9) महमूद
(10) वहीदा रहमान
(11) वैजयन्ती माला
(12) साधना
(13) राजश्री
(14) माला सिन्हा
(15) नन्दा
(16) नूतन
(17) आशा पारिख
(18) शर्मीला टैगोर
(19) शशि कला
(20) बबीता और
(21) सायरा बानू ;

(ख) अपनी आय गलत घोषित करने के लिये किन-किन कलाकारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई जुर्माना किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अन्य कलाकारों के विरुद्ध प्रत्येक मामले में अलग अलग कानून के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

निर्यात के बीजकों में कम राशि का दिखाया जाना

1314. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले पिछले दस वर्षों में निर्यात के बीजकों में कम राशि दिखाने के सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितना-कितना जुर्माना किया गया और क्या इन जुर्मानों का भुगतान कर दिया गया था ; और

(ग) जिनके विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चलाया गया था उनके नाम क्या हैं और उस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी।

पश्चिम बंगाल में तेल मिलना

1315. **श्री य० प्र० प्रसाद : श्री चक्रपाणि :**
श्री न० कु० सांघी : श्री प० गोपालन

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टैण्डर्ड वैकुअम कम्पनी ने पश्चिम बंगाल में जिन कुओं की खुदाई की थी, उनमें से कुछ कुओं में तेल मिलने के संकेत मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल मिलने के चिन्हों से वहां तेल के निक्षेप विद्यमान होने की पुष्टि होती है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क), (ख) और (ग). जी नहीं। बोड़रा में खुदाई करते समय कुछ गहराइयों पर केवल प्रतिदीप्ति देखी गई थी, किन्तु बाद की इलेक्ट्रोलोगिंग से आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुये।

Manufacture of Electricity Meters

†1318. **Shri Deo Rao Patil :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded permission for the setting up a factory in private sector for manufacturing Electricity Meters under the Indo-Yugoslav Agreement in this regard ; and

(b) if so, the names of the collaborating firms of India and Yugoslavia in running this factory and where it would be set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हैदराबाद में औद्योगिक उपक्रम

1319. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और मद्रास राज्यों में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में गत पांच वर्षों में हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र में कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम स्थापित किये गये हैं; और

(ख) इन तीनों राज्यों में से प्रत्येक उपक्रम में कितनी कितनी विशुद्ध आय हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1963 से 1967 तक की पांच वर्षों की अवधि में हैदराबाद में केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित औद्योगिक प्रायोजनाएं शुरू की गयी :—

(i) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का इलैक्ट्रानिक्स ईक्विपमेण्ट (उपकरण) कारखाना।

(ii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हेवी पावर ईक्विपमेण्ट और स्विचगियर यूनिट।

(iii) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के मशीन टूल्स यूनिट।

(iv) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया।

इस अवधि में मैसूर और मद्रास राज्यों में केन्द्रीय सरकार की जो प्रायोजनाएं स्थापित की गयीं वे नीचे दी गयी हैं :—

मैसूर (i) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

(ii) तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (अधिकतर शेयर फरवरी, 1967 में खरीद लिये गये)

मद्रास (i) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का हेवी प्रेशर बायलर संयंत्र

(ii) माडर्न बेकरीज लिमिटेड का मद्रास एकक।

(iii) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (iv) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(ख) इन उद्यमों के 1966–67 के मूल्यह्रास, ब्याज और कर के लिए रकमें निकालने के बाद उनके शुद्ध लाभ (+) /शुद्ध हानि (—) के आंकड़े नीचे दिये गये हैं। यह वर्ष सबसे हाल का ऐसा वर्ष है जिसके सम्बन्ध में सभी उद्यमों के लेखे उपलब्ध हैं।

	लाख रुपयों में
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (+) . . .	129.0
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटड (—) . . .	582.7
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (+) . . .	126.2
भारत अर्थ मवर्स लिमिटेड (+) . .	32.3
तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटड (+) . . .	5.5

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और मार्डन बेकरीज लिमिटेड का निर्माण हो रहा था। इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया केवल अप्रैल, 1967 में स्थापित किया गया था।

वाशिंगटन में शान्ति के लिये जल सम्बन्धी सम्मेलन

1320. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के सचिव ने मई, 1967 में वाशिंगटन में हुए शान्ति के लिए जल' सम्बन्धी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई और व भारतीय सिंचाई तथा बिजली समस्याओं से कहां तक सम्बन्धित थे; और

1782(ai)—LS—3

(ग) इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया और वह कहां तक भारत की आवश्यकता से सम्बन्धित था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन के कार्यक्रम में ये विषय परिकल्पित थे—विश्व की जल सम्बन्धी समस्याओं को निर्धारित करना, इन समस्याओं के समाधान के लिये अवसरों और मार्गोपायों पर विचार विमर्श करना, और स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जल विकास के प्रभावकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भाव्यता को खोजना। इस सम्मेलन की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल थीं :—

1. आयोजन तथा आर्थिक मामले।
2. जल के आयोजन तथा नियंत्रण के लिये अपेक्षित आधारित आंकड़।
3. तकनीकी विज्ञान—वर्तमान योग्यताएं और भावी प्रत्याशाएं।
4. शिक्षा व प्रशिक्षण।
5. संगठन, संस्थान तथा वित्त।
6. तकनीकी विज्ञान तथा जल सम्बन्धी कार्यक्रमों में अनुसंधान की आवश्यकताए।
7. जल सम्बन्धी कार्यक्रमों के आधारिक आंकड़े।
8. जल सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये संगठनात्मक कार्य।
9. जल सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये शिक्षा व प्रशिक्षण।
10. जल सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन तथा उन का विकास।
11. जल सम्बन्धी कार्यक्रमों के आर्थिक मामले व वित्त।

अपने जल संसाधनों के विकासार्थ भारत के लिये ये सभी विषय बहुत रूचि पैदा करने वाले हैं।

(ग) भारत ने इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर लेख प्रस्तुत किये :—

1. भारत में जल सम्बन्धी आयोजन तथा विकास—डा० के० एल० राव।
2. सिंचाई परियोजनाओं के आर्थिक मामले तथा उन पर धन लगाना—श्री के० पी० मथ्रानी।
3. भारत में नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण तथा प्रबन्धकार्य—श्री के० पी० मथ्रानी।
4. भारत में सिंचाई कार्यों के अभिकल्प व निर्माण की तकनीकों की एक शताब्दी—श्री डी० बी० आनन्द।
5. जल सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन व विकास—श्री डी० बी० आनन्द।
6. अर्ध मरुस्थल क्षत्रों की समस्याएं—श्री पी० आर० आहूजा।
7. अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के जल का लाभकारी उपयोग—अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा व्यवहार—श्री पी० आर० आहूजा।

8. जल संसाधनों के विकास में अन्तर्राज्यीय सहयोग की समस्याएं—श्री के० जी० आर० अय्यर ।

9. जल संसाधनों के विकास में शिक्षा व प्रशिक्षण—श्री एम० आर० चोपड़ा ।

10. भारत में नौपरिवहन—श्री के० सी० मडप्पा ।

11. भारत में पन-बिजली संसाधन—श्री के० एल० विज ।

12. भारत में बाढ़ नियन्त्रण की समस्याएं—श्री पी० एन० कुमरा ।

13. भारत में भू-गत जल का विकास—श्री ज० के० जैन ।

भारत की ओर से प्रस्तुत किये गये लेखों ने इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में बहुत रूचि उत्पन्न की । जो वार्तालाप वहां हुए उनमें भारतीय प्रतिनिधियों ने भारत के जल संसाधनों के विकास के कई पक्षों का स्पष्टीकरण किया । नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण व प्रबन्धकार्य, सिंचाई के लिये जल नियन्त्रण तथा तत्सम्बन्धी अन्य कई विषयों पर विचार विनिमय हुआ ।

तरल पैट्रोलियम गैस

1321. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तरल पैट्रोलियम गैस तैयार करने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा कितनी क्षमता और बढ़ाने का प्रस्ताव है तथा सरकारी क्षेत्र के शोधक कारखानों में उत्पादन कितना कितना होगा;

(ख) देश में घरेलू उद्योगों के लिये तरल पैट्रोलियम गैस की वर्तमान आवश्यकता कितनी है तथा औद्योगिक उपयोग के लिये वर्तमान आवश्यकता कितनी है; और

(ग) इस मांग को गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की तैल कम्पनियां कितना कितना पूरा करेंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता बरौनी और गुजरात तैल शोधक कारखाने में प्रत्येक की 10,000 मीटरी टन वार्षिक है । सरकरी क्षेत्र में तैल शोधक कारखानों की प्रस्तावित अधिष्ठापित/विस्तार की जाने वाली क्षमता निम्न है :—

1. बरौनी . .	12,000 मीटरी टन
2. गुजरात . .	28,000 मीटरी टन
3. गोहाटी . .	2,500 मीटरी टन
4. मद्रास .	20,000 मीटरी टन
5. हल्दिया . .	20,000 मीटरी टन

कोचीन तैल शोधक कारखाने के तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन के लियें सुविधायें अधिष्ठापित करने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

(ख) 1968 में तरल पैट्रोलियम गैस की अनुमानित आवश्यकतायें 19,000 मीटरी टन की हैं जिसमें से लगभग 30,000 मीटरी टन औद्योगिक कार्यों के लिये प्रयुक्त होगी।

(ग) 1968 में तरल पैट्रोलियम गैस के व्यापार में भारतीय तैल निगम का हिस्सा 6,000 से 7,000 मीटरी टन के बीच में होने की आशा है । शेष सप्लाई गैर-सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा होगी।

तरल पैट्रोलियम गैस

1322. श्री गा० श० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तरल पैट्रोलियम गैस के वितरण के लिए अपेक्षित सिलण्डर तथा स्टोव तैयार करने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा ये कारखाने कहां कहां हैं;

(ख) क्या सिलण्डर तथा गैस बनाने के कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में;

(ग) यदि कोई कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं तो उनके नाम क्या हैं; तथा भारतीय तैल समवाय की ओर से इन्हें कार्य करने की अनुमति दिये जाने के आधारभूत कारण क्या थे तथा इन निर्माताओं ने कितना माल देने की गारण्टी दी है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ अन्य गैर-सरकारी निर्माताओं ने भी तुलनात्मक रूप से कम दामों पर सिलण्डर तथा गैस स्टोव बनाने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जो पार्टियां इस समय तरल पैट्रोलियम गैस सिलण्डरों का निर्माण कर रहीं हैं, उनके नाम तथा उनकी वर्तमान अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता निम्न है :—

	सिलण्डरज़
(1) मैसर्स कैनन डंकर लै एण्ड कम्पनी, बम्बई . .	50,400
(2) मैसर्स कोसन मैटल प्रोडक्ट्स, बम्बई . .	1,65,000
(3) मैसर्स हैदराबाद अलविन, हैदराबाद . .	+50,000

लघु उद्योग के अन्तर्गत बम्बई, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा की बहुत सी पार्टियां गैस स्टोवों का निर्माण कर रही हैं। यह तरल पैट्रोलियम गैस वितरकों की सारी आवश्यकतायें पूरी करती हैं।

(ख) और (ग). यह सारी पार्टियां गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। भारतीय तैल निगम सार्वजनिक सीमित टेंडर के आधार पर सिलण्डर हासिल करता है। सिलण्डरों के लिये ठेके, पेश की जाने वाली दर, और पार्टी की सिलण्डर बनाने व देने की तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखकर, दिये जाते हैं। पार्टियों के साथ करार निश्चित मात्रा की सप्लाई के लिये किये गये हैं। गैस स्टोवों की

+अनन्तिम रूप से

खरीद सीधी निर्माताओं और तरल पैट्रोलियम गैस वितरकों के बीच होती है न कि भारतीय तैल निगम द्वारा । तथापि निर्माताओं के सांचे भारतीय तैल निगम द्वारा अनुमोदित होते हैं ताकि स्टोवों की तरल पैट्रोलियम गैस के साथ इस्तेमाल करने की उपयुक्तता सुनिश्चित हो जावे । वे पार्टियां, जिनके स्टोव विशिष्टियों के अनुकूल होती हैं उन प्रदायकों को मान्य सूची में दर्ज कर लिया जाता है, जिससे वे तरल पैट्रोलियम गैस वितरकों से सीधी लेन-देन कर सकें ।

(घ) और (ङ). जी, हां । तीन नई पार्टियों को उच्चदाब गैस सिलण्डरों के निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है । 9 नई पार्टियों के कमदाब गैस सिलण्डरों के निर्माण के लिये कुछ शर्तों के साथ आशय-पत्र दिये गये हैं । लेकिन इन 9 पार्टियों में से किसी ने भी अभी तक तकनीकी विकास के महानिदेशालय को उत्पादन की रिपोर्ट नहीं भेजी है । उच्चदाब गैस सिलण्डर बनाने के लिये दो नई पार्टियों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ।

अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर

1323. श्री सिद्धय्या : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर में प्रवेश प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के छात्रों को प्रवेश-शुल्क, परीक्षा-शुल्क तथा अन्य शुल्क देने से छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). छात्रों को प्रवेश-शुल्क, परीक्षा-शुल्क तथा अन्य शुल्कों के चुकाने में छूट देने के लिए कोई नियम नहीं हैं । अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान कोई शिक्षा शुल्क नहीं लेता । एम० एस० सी० पाठ्यक्रम में (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें एक वर्षीय इण्टर्नशिप भी सम्मिलित है) जो छात्र दाखिल किये गये हैं, उन्हें वर्ष में 9 महीनों के लिए 150 रुपये प्रति मास के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है । बी० एस० सी० के छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ।

अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर

1324. श्री सिद्धय्या : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 और वर्ष 1968–69 में अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने छात्रों ने अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र भेजे; और

(ख) उक्त अवधि में कितने छात्रों को दाखिल किया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी जा रही है :

वर्ष	ऐसे अनुसूचित जाति/आदिम जाति अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने दाखिले के लिए आवेदन-पत्र दिया	ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें दाखिला दिया गया है
1	2	3
1967-68	कोई नहीं	कोई नहीं
1968-69 . . .	दो	दो
(अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी।)		

अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर

1325. **श्री सिद्धय्या** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसूर सरकार ने अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर में प्रविष्ट होने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क, चिकित्सा शुल्क तथा अन्य सब प्रकार के शुल्क देने से छूट दे रखी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय के अधीन सब शिक्षा संस्थाओं में उपरोक्त श्रेणी के छात्रों को सब वही रियायत देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). मैसूर सरकार से शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क, चिकित्सा शुल्क तथा अन्य सब प्रकार के शुल्क देने में छूट के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है और समय आने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अस्पताल समीक्षा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

1326. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य अस्पतालों की दशा की जांच करने के लिए वर्ष 1967 में गठित की गई अस्पताल समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद इन अस्पतालों की स्थिति और भी खराब हो गई है, जैसा कि हाल में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में हाल में प्रकाशित हुए लेखों में बताया गया है; और

(ग) अस्पताल समीक्षा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : (क) समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद दिल्ली के अस्पतालों में कार्य स्थिति खराब होने की कोई शिकायत नहीं आई है।

(ग) प्रतिवेदन सरकार के पास विचाराधीन है।

काही और बकरोल के निकट खम्बात क्षेत्र में तेल का पाया जाना

1327. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काही और बकरौल के निकट गुजरात में खम्भात क्षेत्र में पुनः तैल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो नये तल के भंडार किस प्रकार के हैं और उनकी अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) नये भंडारों की मात्रा तथा वाणिज्य उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). काही और बकरोल में तेल पाया गया है किन्तु जब तक और कुओं का व्यधन तथा परीक्षण न हो जाये तब तक क्षेत्र के विभव को बताना सम्भव नहीं है।

सरकारी उपक्रमों में फालतू कर्मचारी

1328. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फालतू कर्मचारियों के बारे में सिफारिश पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का इशारा "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गयी सिफारिश संख्या 51 की ओर है। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

1329. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों में तकनीकी जानकारी रखने वाले केवल योग्य लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए;

(ख) क्या आयोग ने इस प्रयोजन के लिये सर्वोत्तम व्यक्तियों की भर्ती करने के तरीकों का भी सुझाव दिया है;

(ग) क्या आयोग ने ऐसे उपक्रमों के बोर्डों में ऐसे लोगों की नियुक्ति की निन्दा की है जो निर्वाचन में हार गये हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ). प्रशासनिक सुधार आयोग ने, "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" के बारे में जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें उसने सिफारिश की है कि सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों के गैर-सरकारी अंशकालिक सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं जिनकी योग्यता औद्योगिक, वाणिज्यिक या वित्तीय क्षेत्रों में या प्रशासन या मजदूर संगठनों के क्षेत्र में पूर्वसिद्ध हो। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि ये अर्हताएं अधिनियम में या सरकारी कम्पनियों के मामलों में, संस्था की अन्तर्नियमावली में दर्ज होनी चाहिएं। इसके अलावा, आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि ये सदस्य ऐसे होने चाहिएं जिन्हें सरकारी उद्योगों में विश्वास हो और वे ऐसा कारबार न करते हों या ऐसे किसी कारबार में उनके हित निहित न हों जो बोर्ड के प्रति उनके कर्तव्य पालन में बाधक सिद्ध होते हों।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि यद्यपि ये सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार करने योग्य हैं फिर भी सम्बद्ध अधिनियम या संस्था की अन्तर्नियमावली में इन अर्हताओं को दर्ज करना कठिन होगा। जहां तक प्रबन्धक बोर्डों में मजदूरों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया है कि सिद्धान्त रूप से, मजदूरों के प्रतिनिधि को उक्त बोर्ड में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह प्रतिनिधि वही व्यक्ति हो सकता है जो वास्तव में उपक्रम में काम करता हो। मजदूरों के प्रतिनिधित्व की यह व्यवस्था केवल औद्योगिक एककों पर ही लागू होगी न कि वित्तीय और वाणिज्यिक उपक्रमों पर।

औद्योगिक उपक्रमों के लिये ऋण

1330. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक उपक्रमों के लिये आयात किये जाने वाले उपकरणों और सामग्री के लिये भारत किसी देश से 10·8 करोड़ रुपये का एक विकास ऋण प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जिन लोगों के लिये सामग्री का आयात किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण की शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। स्वीडन की सरकार के साथ 28 जून, 1968 को निम्नलिखित दो करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे :

		(करोड़ रुपये)
(1) विकास ऋण करार (भारत-स्वीडन उद्यम 1968)	.	6·52
(2) विकास ऋण करार (पूंजीगत उपकरण 1968)	.	4·35
जोड़	.	10.87

(ख) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित करार की रकम का उपयोग करार में उल्लिखित भारत-स्वीडन संयुक्त उद्यमों के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए किया जायेगा।

उपर्युक्त मद संख्या (2) में उल्लिखित करार की रकम, मुख्य रूप से खानों से तांबा निकालने और परमाणु शक्ति कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए खर्च की जायेगी, जिसमें मशीनों के हिस्सों, अर्द्धनिर्मित सामान और सम्बद्ध सेवाओं का आयात भी शामिल है।

(ग) ये ऋण 25 वर्षों में चुकाये जायेंगे और पहले 10 वर्षों तक कोई रकम अदा नहीं की जायेगी और ऋण की बकाया रकम पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगेगा।

सिंथेटिक फाइबर्स फैक्टरीज

1332. **श्री विश्वम्भरन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9812 ख के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स, मैसर्स निर्लोन सिंथेटिक फाइबर्स तथा केमिकल्स और मेसर्स प्लास्टिक पैकेजिंग को वर्ष 1967 के लिये कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) क्या उपरोक्त फर्मों में से किसी को संश्लिष्ट रेशे तथा धागा तैयार करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये लाइसेंस कब जारी किये गये थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क)

फर्म का नाम	वर्ष समाप्ति	टैक्स से पहले लाभ रुपये
जे० के० सिंथेटिक्स लि०	30-6-67	3,37,03,526
निर्लोन सिंथेटिक्स फाइबर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	31-3-67	4,05,66,672
प्लास्टिक पैकेजिंग प्राइवेट लि०	31-3-67	50,80,139

(ख) जी नहीं, संश्लिष्ट रेशे और तागे तैयार करने के लिये नये यूनिटों की स्थापना करने के लिये उन्हें लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता की नाली व्यवस्था

1333. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता नगर के बड़े भागों तथा कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में नाली व्यवस्था के बार बार फेल हो जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस बारे में सी० एम० पी० ओ० और अन्य निकायों द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों पर वर्षों तक अमल नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को उस भयानक स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है जो 9 या 10 जुलाई, 1968 को इस नगर की हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो कलकत्ता तथा इसके उपनगरों की गम्भीर समस्याओं को हल करने के लिये यदि कोई उपाय करने का विचार है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र के एक भाग के अलावा अन्य अधिकांश क्षेत्रों में जिनमें कलकत्ता महानगर क्षेत्र भी सम्मिलित है। अभी मलोत्सरण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है। इंजीनियर संगठन ने इस क्षेत्र की मलोत्सरण तथा बरसाती नाली सम्बन्धी समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और चौथी योजना अवधि में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्तावों को बनाते समय उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

जहां तक वृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र का सवाल है सी० एम० पी० ओ० ने मलोत्सरण तथा बरसाती नालियों में मल के संचयन एवं निपटान के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है इस मास्टर लान पर आधारित विस्तृत प्रस्ताव समय-समय पर इस मन्त्रालय को प्राप्त होते रहते हैं और उन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है। वैसे, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आशा की जाती है कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत बनाई गई विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति से वैसी सभी कठिनाइयों को दूर कर सकना सम्भव हो जायेगा जैसी कलकत्ता निवासियों को 9 और 10 जुलाई, 1968 को उठानी पड़ी थी।

मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल, कलकत्ता द्वारा किए गए सौदे

1334. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको एक पत्र की 'फोटो स्टाट प्रति मिली है जो नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक, नई दिल्ली ने मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल, कलकत्ता में स्वराजपाल को भेजा था और जो दिनांक 23 अगस्त, 1959 को श्री सुरेश कुमार के नाम 461 पौ० 12 शि० 7 प० की एक डुप्लीकेट टी० टी० रसीद' के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें बताये गये सौदे के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक, एच ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1, द्वारा मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल की कलकत्ता स्थित फर्म

से सम्बन्धित किसी श्री सूरज पाल के नाम लिखे गये पत्र की फोटो अनुकृति प्रवर्तन निदेशालय को प्राप्त हुई है जो श्री सुरेश कुमार को 461 पौंड 12 शि० 7 पे० की रकम की तारीख 23 अक्तूबर, 1959 को 'टी० टीं० रसीद' से अदायगी के बारे में है।

(ख) तथा (ग) इस सौदे में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस बात की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है।

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के लिये औद्योगिक लाइसेंस

1335. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिये आवेदन पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम को लाइसेंस देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव अधूरा था और अप्रैल, 1968 में मैसर्स विकास निगम को, स्थान, आर्थिक व्यवस्था, जी०डी० आर० की फर्मों से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के कार्य-क्षेत्र, के विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद, पुनरीक्षित प्रस्ताव पुनः भेजने के लिये कहा गया था। अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली के निकट पैदल चलने वालों के लिये भूमिगत रास्ता

†1336. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली के सामने पैदल चलने वालों के लिये भूमिगत रास्ते की छत चूने लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस रास्ते को इस वर्ष तीन महीने पहले ही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने बनाया था;

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में ठेकेदार तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या छत के चूने के कारणों का पता लगाने के लिये एक जांच समिति बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति का प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) वाटर-प्रूफ कार्य के पूरा होने से पहले छत पर फूलों की क्यारी में पानी भर गया था, परि-

णामस्वरूप उसमें से कुछ पानी चूने लगा। यह शीघ्र ही ठीक कर दिया गया। हाल की वर्षा से छत चूने की कोई शिकायत नहीं आई।

(ख) जी हां।

(ग) इस टूट-फूट को ठीक करने में न तो दिल्ली नगर निगम को और न सरकार को कोई हानि हुई है अतएव इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है।

(घ) और (ङ). इस मामले की जांच करने के लिये कोई समिति की आवश्यकता नहीं है।

कस्टम हाउस (सीमा शुल्क गृह) कलकत्ता के कर्मचारी

1337. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्टम हाउस, कलकत्ता में कई मेहतर और भिश्ती दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर कई वर्षों से काम करने वाले लोगों को नियमित रूप से नियुक्त करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कलकत्ता सीमा-शुल्क गृह में कोई मेहतर तथा भिश्ती दैनिक मजदूरी के आधार पर काम नहीं कर रहे। तदपि 13 मेहतर तथा 4 भिश्ती निश्चित मासिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किये गये हैं और उन्हें आकस्मिकता निधियों में से वेतन दिया जाता है।

(ग) तथा (घ). जिन कर्मचारियों को आकमिस्कता निधियों में से वेतन दिया जाता है उन्हें नियमित संस्थापन में लाने के लिये पहले भी प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जा चुका है। चूंकि इससे नये पदों का निर्माण करना पड़ता अतः आपात काल के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में काम कर रहे जिन मेहतरों तथा भिश्तियों को आकस्मिकता निधियों में से मजदूरी दी जाती है, उनमें से किसी को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति के लिये वे कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते। अतिरिक्त पदों के निर्माण तथा नियुक्ति की शर्तों में ढील देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

एक्सप्रेस हाईवे

1338. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो 1967-68 तथा 1968-69 में कितनी राशि नियत की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक्सप्रेस हाईवे प्रायोजना उड़ीसा राज्य की आयोजना का भाग है और आयोजना के लिये राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले एकमुश्त विविध विकास ऋण द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की

सूची में सम्मिलित है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी विशेष वर्ष में केवल इस प्रायोजना के लिये कितनी सहायता निर्धारित की गई थी। लेकिन 1966–67 में, राज्य की सम्पूर्ण प्रायोजना के लिये निर्धारित सामान्य विविध विकास ऋण के अलावा, राज्य सरकार को इस प्रायोजना के कार्य की गति तेज करने के लिये पृथक् रूप से निर्धारित 93 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गयी थी।

भारतीय तेल निगम, बम्बई के इंजीनियरिंग मैनेजर के विरुद्ध मुकदमा

1339. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 8 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) बम्बई के इंजीनियरिंग मैनेजर के विरुद्ध मामले की सूचना केन्द्रीय जांच विभाग को कब दी गई थी तथा सूचना का आधार क्या था;

(ख) क्या यह मामला रजिस्टर कर लिया गया है तथा इस समय यह मामला किस स्थिति में है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को केन्द्रीय जांच विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी के विरुद्ध, जो बम्बई में कार्य कर रहे हैं, एक शिकायत प्राप्त हुई है कि उसने इस मामले की जांच के दौरान बहुत बड़ी घूस ली थी; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 5–9–1967 को केन्द्रीय जांच विभाग को किसी साधन (Source) से सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के साधन को बताना जन-हित में नहीं है।

(ख) मामला 22–12–67 को दर्ज किया गया था और अन्वेषणाधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् के सदस्यों द्वारा ज्ञापन

1340. **श्री राने :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद् के कुछ सदस्यों ने जुलाई या अगस्त, 1967 में संविधान के अनुच्छेद 47 का पालन करने के लिये प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या विधि मंत्रालय से इस बारे में कानूनी राय प्राप्त कर ली है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 47 की कार्यान्विति केन्द्र की जिम्मेदारी है या संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 को साथ पढ़ते हुए यह विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी है; और

(घ) यदि हां, तो विधि मंत्रालय ने क्या राय दी है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ). 4 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर तथा उस पर अनुपूरक प्रश्नों के उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि "राज्य" शब्द में संघ सरकार तथा संसद् और साथ ही साथ राज्य सरकारें तथा विधान मंडल भी शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 47 की कार्यान्विति के लिये केन्द्रीय उत्तरदायित्व के प्रश्न पर समाज कल्याण विभाग ने विधि मंत्रालय से सलाह नहीं मांगी है क्योंकि अनुच्छेद 12 के पदों में तथा सप्तम अनुसूची की द्वितीय सूची में टीप 8 के पदों में स्थिति स्पष्ट होने के कारण विधि मंत्रालय की विशेष राय मांगे जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है।

बांदा जिला (उत्तर प्रदेश) में पीने के पानी की योजना

†**1341. श्री जगेश्वर यादव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांदा ज़िला (उत्तर प्रदेश) में पेय जल के लिए कौन सी योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) रुकमा, दादरी क्षेत्र में पेय जल की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए पानी सप्लाई करने की दृष्टि से अनसूइयाजी में पसूनी नदी पर टैंक बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अक्टूबर, 1964 में एक योजना स्वीकृत हुई थी जिसके अन्तर्गत बांदा जिले के पट्ठा क्षेत्र के 91 गांव आते हैं। इस योजना के दो भाग हैं। पहले भाग के अन्तर्गत सिरमपुर खंड के 27 गांवों के लिए 20.75 लाख रुपये रखे गये हैं और वहां पाइसूनी नदी पर बांध का निर्माण करके जलाशय बनाकर पानी का भंडार बनाना है। भाग दो के अन्तर्गत मनिकपुर खंड के 64 गांव आते हैं जिसके लिए 72.46 लाख रुपये रखे गये हैं और वहां कूलोधोल नाले पर बांध का निर्माण करके जलाशय बनाना है। इस योजना के भाग दो के अन्तर्गत दादरी, माफी, रुकमा बजुर्ग और रुकमा खर्द गांव आते हैं। कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से दो बांधों का निर्माण कार्य छोड़ना पड़ा। ऐसा बताया गया है कि राज्य सरकार गुनटा नाले को स्रोत बना कर दूसरी योजना बना रही है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति की उप-समिति की सिफारिशें

1342. श्री सीताराम केसरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्षकर सलाहकार समिति की उपसमिति ने आयकर के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). आयकर विवरणी फार्मों के सरलीकरण के लिये दिसम्बर, 1967 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर सलाहकार समिति की जिस उपसमिति की नियुक्ति हुई थी, उसने आय की विवरणियों के तीन सरलीकृत फार्मों

की सिफारिश की। उसने यह भी सुझाव दिया कि आय की विवरणियां भरने में कर-दाताओं को जानकारी देने के लिये एक पुस्तिका दी जानी चाहिये।

सरकार ने उप समिति की ये सिफारिशें मान लीं तथा आय की विवरणियां भरने के संशोधित फार्मों को अधिसूचित कर दिया जिन्हें 1 अप्रैल, 1968 से उपयोग में लाया जा रहा है।

इस समय उपयोग में लाये जा रहे तीन फार्म इस प्रकार हैं :—

फार्म नम्बर 1—केवल कम्पनियों के लिये

फार्म नम्बर 2—कम्पनियों से भिन्न व्यक्तियों के लिये; तथा

फार्म नम्बर 3—यह उन कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये जायं जिनकी—

(क) कुल घोषित आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो,

(ख) अथवा कुल घोषित आय 15,000 रुपये से अधिक है लेकिन "व्यापार अथवा व्यवसाय से लाभ तथा लब्धियां" शीर्ष के अन्तर्गत कोई या आय नहीं हो।

यह फार्म, फार्म नम्बर 2 का विकल्प है तथा इसे गैर-निगमित करदाताओं के योग्य वर्गों द्वारा अपनी स्वेच्छा से उपयोग में लाया जा सकता है।

इस प्रकार संशोधित फार्म नम्बर 3 अब उन व्यक्तियों द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकता है जिनकी कुल आय 15,000 रुपये से अधिक है लेकिन जिन्हें व्यापार अथवा व्यवसाय से कोई आय नहीं है। इस फार्म के जरिये वेतन पाने वाले कर-दाताओं की एक बड़ी संख्या की तथा उन व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति होने की आशा है जिनको गृह-सम्पत्ति, कम्पनी, शेयर आदि में पूंजी लगाने से आय प्राप्त होती है।

निगमित तथा गैर-निगमित निर्धारितियों की जानकारी के लिये एक पुस्तिका तैयार करने के बाबत उप-समिति की अन्य सिफारिशों का पालन करते हुए उप-समिति की सलाह के अनुसार मार्गदर्शक नोट के दो सेट बनाये गये हैं। ये "नोट" आयकर अधिनियम तथा नियमों के अधिक महत्वपूर्ण उपबन्धों का सार, स्पष्ट तथा सरल भाषा में बता देते हैं, ताकि कानून की बारीकियों में उलझे बिना ये जन-साधारण की समझ में आ जायें। आय की विवरणियां भरने तथा आय का हिसाब लगाने के तरीके बताने के अलावा इस पुस्तिका में, संक्षेप में आय की उन मदों के बारे में भी बताया गया है जिन पर कर से छूट दी गयी है। आयकर कानून के दण्ड-विषयक महत्वपूर्ण उपबंधों का सार भी इन नोटों में शामिल किया गया है जिससे कर अपवंचन करने, आय की विवरणियों को देर से प्रस्तुत करने तथा कर की अदायगी में देरी करने के परिणामों के बारे में कर-दाताओं को आगाह किया जा सके। नोट की पुस्तिकाएं "अपनी आय की विवरणियां कैसे भरें" शीर्षक छपवाने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं और ये शीघ्र ही कर-दाताओं को उपलब्ध की जायेंगी। गैर-निगमित कर-दाताओं की जानकारी के लिये "अपनी आय की विवरणियां कैसे भरें" नामक पुस्तिका भी देश के मुख्य अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है।

दोहरे कराधान से बचने के लिये इटली से करार

1343. श्री मंगलाथुमाडम :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के साथ एक करार किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच चलने वाली विमान कम्पनियों को दोहरे करों से बचाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने ऐसे करार किये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में हवाई सेवा उद्योग से होने वाली आय पर लगने वाले दोहरे कर से बचने के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच एक करार के लिये भारत सरकार के एक शिष्ट मण्डल ने जून, 1968 में इटली की सरकार से रोम में बातचीत की थी। इस बातचीत से प्रस्तावित करार के मसविदे को व्यवस्थित रूप दिया जा सका, जिस पर दोनों शिष्ट मण्डलों के नेताओं के आद्याक्षर किये गये हैं।

करार के मसविदे के अन्तर्गत प्रत्येक संविदाकारी राज्य, 1960 से ही अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में हवाई सेवा उद्योग से दूसरे संविदाकारी राज्य को होने वाली आय पर अपने यहां के कर से छट दे देगा। यह करार तभी लागू होगा जबकि इसे दोनों देशों की स्वीकृति मिल जायेगी तथा उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर हो जायेंगे एवं इसका अनुमोदन कर दिया जायेगा।

(ग) दोहरे कर से बचने के लिये भारत ने स्विटजरलैंण्ड के साथ एक ऐसे करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उसका अनुमोदन भी कर दिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में हवाई सवा से होने वाली आय पर ही लागू होगा। लैबनान के साथ इसी प्रकार के दूसरे करार पर भी हस्ताक्षर कर दिये गये हैं और वह अनुमोदन सम्बन्धी दस्तावेजों के आदान प्रदान के बाद लागू हो जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य देशों के बीच आय पर दोहरे कर से बचने के लिये भारत ने व्यापक करारों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उन्हें अधिसूचित भी कर दिया है। इन व्यापक करारों के अन्तर्गत पाकिस्तान, श्रीलंका, स्वीडन, डेनमार्क, नार्वे, जापान, जर्मनी का संघीय गणराज्य, फिन्लैंड, आस्ट्रिया तथा ग्रीस जैसे देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित हवाई सेवा से होने वाली आय भी शामिल है।

Quarters for Central Government Employees in Big Cities

1344. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Jaganath Rao Joshi :
Shri Shardanand :
Shri Balraj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees in Bombay, Madras and Calcutta respectively who have not been allotted residential accommodation so far and whether any

advice has been given to the State Government concerned to provide relief to them in this region: and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works. Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The potential demand from Central Government employees for Government accommodaion in Bombay is 19,574, in Madras 7,388 and in Calcutta 34,918.

However, all the Government officers do not apply and, therefore, at present, the effective pending demand in the case of Bombay is 4,828, Madras 7,346 and Calcutta 1,612.

Provision of accommodation to the Central Government officers is the responsibility of the Central Government and therefore the State Governments are not concerned.

Low Cost Housing Scheme

1345. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Behari Vajpayee
Shri Jagannath Rao Joshi
Shri Shardanand :
Shri Balraj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether a Low Cost Housing Scheme is under consideration of Government for past some years;

(b) if so, the details thereof and the decisions taken by Government thereon; and

(c) whether Government propose to declare a particular date by which such more houses would be constructed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c) There is no such scheme under consideration of the Government. However, a scheme known as the Low Income Group Housing scheme formulated by the Government of India is in operation since november, 1954. This is a loan scheme and it is intended for the persons in the low income group whose income does not exceed Rs. 600/-p.m.

श्री महेश योगी को विदेशी मुद्रा

1346. श्री क० अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही श्री महेश योगी ने अमरीका, जापान तथा कुछ अन्य विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो दौरे के लिये उन्हें कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा दी गई थी और उसका क्या कारण है ; और

(ग) विदेशों में उनके निवास आदि पर व्यय होने वाला धन कहां से आता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आध्यात्मिक पुनरुत्थान आन्दोलन धर्मादा और अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान योग लन्दन के निमंत्रण पर उन देशों के दौरे के लिए यह आवेदन पत्र किराय की बुकिंग के लिए दिया

गया था और इसके लिए स्वीकृति दे दी गई थी । कोई विदेशी मुद्रा की मांग नहीं की गई और न दी गई ।

निजी दान

†1347. **श्री क० अनिरुद्धन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **वित्त** मंत्री 29 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों के नाम इस बीच एकत्र कर लिये गये हैं जिनको विदेशों से एक लाख रुपये से अधिक राशि के दान प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) दान का प्रयोजन क्या है ; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) दिनांक 29 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8751 में दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए सामग्री एकत्रित की जा चुकी है और संसद् कार्य विभाग के पास सभा पटल पर रखने के लिये भेजी गई है । उक्त सामग्री की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Finance Minister 's Visit to Iran

1348. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Prakash Vir Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri : **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Fince** be pleased to state :

(*a*) whether he went on a visit to Iran recently; and

(*b*) if so, the nature of discussion held and the outcome thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (*a*) Yes, Sir.

(b) This was a goodwill visit. Opportunity was, however, taken to have talks with the Prime Minister and some other Ministers of Iran and also call on His Imperial Majesty, the King of Iran. It appeared that there are good prospect of exchanging expertise, training facilities and of working out some projects in collaboration among the public and private sectors of the respective countries. These will be gone into according to the mutually acceptable priorities and their phasing. It is hoped that the bonds of friendship between the two countries which are already in evidence have been strengthened by this visit.

कोरबा उर्वरक कारखाना

1349. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा उर्वरक परियोजना को नेफ्था पर आधारित करने की योजना पर अब तक कितना खर्च किया गया है ; और

(ख) जैसा कि हाल ही में निर्णय किया गया है, उक्त कारखाने को कोयले पर आधारित करने के लिये कितना खर्च होने की सम्भावना है और इसके फलस्वरूप कितनी हानि होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) और (ख). कोरबा उर्वरक परियोजना स्कीम को नेफ्था पर आधारित करने के लिए कोई खर्च नहीं किया गया है । कोरबा में एक कोयला-आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए भारतीय उर्वरक निगम द्वारा तैयार की गई सम्भाव्य रिपोर्ट के, जिसकी निगम के निदेशकों की एक समिति जांच कर रही थी, शीघ्र ही पूर्ण बोर्ड के सामने विचारार्थ आने की सम्भावना है । निदेशकों के बोर्ड की सिफारिशों की प्राप्ति पर सरकार मामले पर विचार करेगी । अतः इस बारे में किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के निकट एक नई तेल शोधनशाला की स्थापना

1350. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना में दिल्ली के निकट एक नई तेल शोधनशाला स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शोधनशाला स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगी अथवा बरौनी-कानपुर पाइप-लाइन का एक विस्तार मात्र होगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम बड़ौदा से दिल्ली तक एक पाइप लाइन के लिये आग्रह कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो शोधनशाला की अनुमानित क्षमता कितनी है ; और

(ङ) यह उत्तर भारत की कितनी मांग को पूरा कर सकेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख), (घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय तेल निगम में इस प्रकार की पाइपलाइन की संभाव्यता पर जांच की जा रही है ।

सरकारी उपक्रम

1351. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्टक" ने अपने एक संकल्प में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त त्रि-पक्षीय समिति नियुक्त की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

1352. **श्री रविराय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की नीति का अनुमोदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भारतीय मुद्रा प्रणाली पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का विचार, निधि के विशेष निकासी अधिकारों पर आधारित एक सुविधा देने का है, ताकि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित परिसम्पत्तियों की अनुपूर्ति के लिये, आवश्यकतानुसार निधियों से रकम निकाली जा सके ।

(ख) इस योजना के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के इस योजना में भाग लेने वाले सदस्यों को, निधि में उनके कोटे के अनुपात में, समान आधार पर, विशेष निकासी अधिकार दिये जायेंगे । इस योजना में भाग लेने वाले सदस्य, विशेष निकासी अधिकारों का इस्तेमाल, निधि द्वारा मनोनीत सदस्यों से रूपान्तरणीय मुद्रा (कन्वर्टिबल करैंसी) प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं । विशेष निकासी अधिकारों का ऐसा इस्तेमाल शोधन-संतुलन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जा सकेगा और जो, इस योजना में भाग लेने वाले किसी सदस्य के पांच वर्ष की अवधि में की गयी औसत वास्तविक कुल आवंटित रकम के 70 प्रतिशत तक सीमित होगा।

विशेष निकासी अधिकार योजना के अनुसार भारत को विशेष निकासी अधिकारों के अन्तर्गत आवंटित कुल रकम का 3.75 प्रतिशत भाग लेने का अधिकार होगा और उस हिस्से का 70 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे बाद में शोधन-संतुलन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया जा सकेगा ।

हल्दिया उर्वरक कारखाने के लिये फ्रांस तथा पोलैंड की पेशकश

1353. **श्री रवि राय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया उर्वरक कारखाने के सम्बन्ध में फ्रांस-पोलैण्ड की पेशकश ने अब ठोस वाणिज्यिक प्रस्ताव का रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत का अन्तिम दौर पूरा हो चुका है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में गलेकी में तेल का पाया जाना

1354. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में आसाम में गलेकी में तेल का पता लगाया है ;

(ख) क्या उस तेल की किस्म तथा मात्रा का कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) गलेकी क्षेत्र में कुएं में जिसमें इस समय खुदाई हो रही है, तेल पाये जाने के लक्षण पाये गये हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में क्षय रोगी

†1355. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में, जिसकी जनसंख्या लगभग 30 लाख है 66 हजार व्यक्ति क्षय रोगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके उपचार के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) जी हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में क्षय रोग अनुमानतः जनसंख्या का 1.6 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत है जो कि सम्पूर्ण देश के लिये भी करीब उतना है ।

(ग) और (घ). क्षय रोग की रोकथाम और इलाज के लिये निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो पर्याप्त हैं ।

(1)	क्षय रोग चिकित्सालय	8 जिसमें 43 रोगी शय्या हैं ।
(2)	क्षय रोग अस्पताल	2 जिसमें 1463 रोगी शय्या हैं ।
(3)	बी० सी० जी० दल	1
(4)	चलता-फिरता एक्सरे यूनिट	3

दो क्षय रोग चिकित्सालय और पृथक रोगी शय्यायें बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश

1356. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री न० कु० सोंधी :
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश द्वारा निर्मित औषधियों की बिक्री करने में लगभग एक वर्ष का विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बेची जाने वाली औषधियों के नाम क्या हैं और उनके मूल्य अन्य कारखानों द्वारा तैयार की गयी मूल्य की तुलना में कैसे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). ऋषिकेश सन्यन्त्र के उत्पादों की बिक्री करने में कोई विलम्ब नहीं है । परन्तु सन्यन्त्रों को चालू करने और उत्पादों को बनाने में कुछ देरी हुई है । विलम्ब, विदेश से कुछ आवश्यक उपकरण के प्राप्त होने में देर, प्रारंभिक कठिनाइयों और प्रक्रिया को स्थिर करने में समय लग जाने के कारण हुआ है ।

(ग) सोडियम और प्रोकेन पैंनिसिलिन जी और स्ट्रैप्तोमाइसिन की बिक्री शीघ्र शुरू हो जायेगी और टैट्रामाइसिन की कुछ देर बाद । इनके मूल्य तुलनात्मक हैं और वास्तव में हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी सरकारी क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम जो पिछले 14 वर्षों से मार्किट में है, के बराबर ही होंगे ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में रोगी की मृत्यु

†1357. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 4 जून, 1968 को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक महिला रोगी की मृत्य हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों, क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सफदरजंग अस्पताल में 4 जून, 1967 की प्रातः को श्रीमती मालती देवी की मृत्यु के संबंध में की गई जाँच से यह पता चला है कि उनकी हालत के अनुसार पर्याप्त चिकित्सा की गई और इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई ।

अस्पृश्यता

1358. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से अस्पृश्यता को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस बारे में हरिजनों की भावनाओं से अवगत करा दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5034 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) उठाया गया प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

Rajasthan Canal

*1359. **Shri Om prakash Tyagi** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be **pleased** to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the statement made by the Irrigation Minister of Rajasthan recently to the effect that the work of Rajasthan Canal is not making any progress because of the lack of interest on the part of the Central Government;

(b) whether it is a fact that after the lapse of canal water agreement with Pakistan, India cannot make use the entire waters of Ravi and Beas rivers after 1970 if the Rajasthan Canal is not construeted in time ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to safeguard against thearising of such an eventuality ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Attention of the Government has been invited to a recent statement made by the Irrigation Minister of Rajasthan to the effect that completion of stage I of the Rajasthan Canal has been delayed due to paucity of funds.

(b) and (c). According to the Indus Water Treaty, the transition period on present indications will come to an end by 31st March, 1970 when India will be free to utilise the entire waters of Ravi and Beas. These waters are likely to be fully utilised by our canals taking off at Madhopur, Harike and Ferozepore and the completed portion of the Rajasthan canal system except during the monsoon months of July to September when surplus waters will continue to flow down until storages are built on these rivers especially on River Beas. A dam of river Beas is currently under construction and is scheduled to be completed by 1972.

Backward Class in U.P

1360. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that out of the 58 backward Distric of India, 22 are in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact there is the largest number of backward classes in Uttar Pradesh;

(c) if so, the reason for not given financial aid to Uttar Pradesh from the amount earmarked uplifting the backward classes by the Centre keeping in view the said proportion; and

(d) whether the Central Government propose to allocate funds keeping in view thess facts ?

Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimiti Phulrenu Guha) : (a) According to the study enitled "Inter-district and Inter-State Income Differntials" carried out by National Council of Applied Economic Research in 1955-56, among 58 districts in the country ranked by district per capita income, as many as 22 were in Uttar Pradesh.

(b) Uttar Pradesh has the highest popualation of Scheduled Castes in the country.

(c) and (d) The allocations are made taking into consideration the following main factors:—

(a) Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) Progress in implementation of programmes;

(c) Capacity of the administration to utilise funds effectively ;

(d) Nature of the programmes ;

(e) State of development of the communitis concerned ; and

(f) Resources position of the State and capacity to raise matching contributions.

Inducement for Vasectomy Operation

1361. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are giving financial inducement to men and women with a view to attract them towards family planning ;

(b) if so, the financial assistance which is given to persons who undergo vasectomy operations ;

(c) the number of persons and the total amount paid to them as financial assistance during 1967; and

(d) whether the inducement of financial assistance offered runs cnotrary to concept of voluntary basis ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning nd Urban Development (Dr. S, Chandrasekhar) : (a) and (b) No financial inducement is given to persons with a view to attracting them towards adopting family planning methods. A volunteer who offers himself for sterilization operation/IUCD is paid some money as part compensation for loss of wages, for meeting incidental expenses etc. Our system does maintain the concept of voluntery basis .

(c) The Government of India has allowed a sum of Rs. 30 per case of vascetomy to the State Governments. A part of this amount is paid to the volunteer concerned as compensation money for loss of wages and out of pocket expenses according to the rates decided by the State Governments.

(d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

यूनिसफ की सहायता

1362. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अम्बुचेजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1968 को दिल्ली में पेश की गई यूनिसफ की इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसेमें यह बताया गया है कि राज्यों में अस्थिर राजनैतिक नधियों के कारण केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से आरम्भ किये गये यूनिसफ के कुछ कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हाँ।

(ख) सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के प्रलेख की सिजमें भारत में चुनाव परिणामों का राजनैतिक मूल्याँकन शामिल था, अनौचितता कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि ने सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि सचिवालय ने उस प्रलेख को दोबरा मुद्रित किया था, जिसमें से राजनीतिक घटनाओं तथा संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा सहायता पाने वाले कार्यक्रमों की प्रगति पर उनके प्रभाव संबंधी निर्देश निकाल दिया गया था।

केन्द्रीय ऋण

1363. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अंबुचेजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जितना ऋण लेने का निश्चय किया था उसकी पहली किस्त की सफलता से प्रोत्साहित होकर व पुनः ऋण लेने की योजना बना रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से ऋण की दूसरी किस्त का व्यौरा तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से 135 करोड़ रुपये का ऋण जिसका भुगतान 1975 में किया जायेगा एक सप्त वर्षीय ऋण लेने का निर्णय 5 जुलाई 1968 को किया गया था। इस वर्ष वर्ष इस ऋण की यह दूसरी किश्त थी। यह ऋण 76 जुलाई, 1968 को जारी किया गया था और ऋण की पूरी राशि उसी दिन प्राप्त हो जाने के कारण इसको उसी दिन बन्द कर दिया गया।

दिल्ली में चोरी छिपे लायी गयी वस्तुओं का पकड़ा जाना

1364. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अम्बुचेजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने मई और जून 1968 के पहले और अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में 1,25,000 रुपये की मूल्य की वस्तुएं पकड़ी थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये वस्तुए विदेशों से चोरी छिपे लाई गई थीं; और

(ग) यदि हाँ, तो ये वस्तुएं किन किन देशों से चोरी छिपे लाई गई थीं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मई के पहले सप्ताह से लेकर जून 1968 के अन्तिम सप्ताह तक सीमाशुल्क अधिकारियों ने दल्ली में 95,300 रुपये के मूल्य की ऐसी वस्तुएं पकड़ीं जिनके बारे में ऐसा सदेह है कि वे विदेशों से चोरी छिपे लाई गई थीं। इसके अतिरिक्त 45,675 रुपये की भारतीय मुद्रा भी पकड़ी गई जिसके बारे में यह संदेह कि वह चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त हुई थी।

(ग) सोने और अमरीकी डालरों के अलावा चोरी छिपे रूप में लायी गयी जो दूसरी वस्तुएं पकड़ी गई, उनमें से अधिकाँश जापान तथा ब्रिटेन की बनी हुई थीं। इन मामलों में विभागीय न्याय निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

बिहार के आदिम जातीय लोगों पर पुलिस द्वारा हमला

1365. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अम्बुचेजियान :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राँची के चिरी गाँव के आदिम जातीय लोगों पर पुलिस ने हमला किया था तथा पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी जिससे छः आदिम जातीय लोग मारे गये तथा अनेक अन्य लोग घायल हो गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो हमला करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या आदिम जातीय लोगों के पास विदेशों में बने हथियार थे;

(घ) यदि हाँ, तो ये हथियार किस देश के बने हुए थे;

(ङ) क्या यह भी सच है कि ये आदिम जातीय लोग विदेशी जासूसों से नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध म क्या कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (च) इस घटना के तथ्य तथा उसके घटित होने की परिस्थितियां एक अदालती जाँच कि, जो अभी जारी है, विषय वस्तु है।

चण्डीगढ़ में श्रमिकों के लिये मकानों का निर्माण

1367. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन की ओर से श्रमिकों के लिये मकानों के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी रसायन उद्योग

1368. **श्री रं० एम० अब्राह्म: श्री विश्वनाथ मेनन : श्री पी० राममूर्ति : श्री के० रमानी : श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस बात की आशा बहुत कम है कि देश में भारी रसायन उद्योग अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि अध्ययन दल की रिपोर्ट का तात्पर्य, श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के विचाराधीन मामलों में अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में सहायता करना है, सरकार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा आयातित इस्पात की चादरें

1369. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन अभी अपने द्वारा आयातित 18 जी इस्पात चादरों का उपयोग नहीं कर सका था और उन्हें उसने बेचा था;

(ख) यदि हां, तो इस कारपोरेशन द्वारा 18 जी इस्पात चादरों का अपनी आवश्यकतानुसार आयात न करने के क्या कारण थे ताकि विदेशी मुद्रा की बर्बादी न होने पाती;

(ग) क्या सरकार ने इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा उपयोग में लाई गई आयातित तारकोल के ढोलों की चादरों को अन्य तेल शोधक कारखानों/तेल कम्पनियों को बेचने की पेशकश की थी और उन से इन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इन तेल शोधक कारखानों तेल कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां। 1965 के आरम्भ में भारतीय तेल निगम द्वारा चैकोस्लोवाकिया से आयातित 2929.08 मीटरी टन की कुल मात्रा में से लगभग 1040 मीटरी टन इस्पात उसी वर्ष में बेच दी थी।

(ख) यह इस्पात बरौनी शोधनशाला और इण्डियन आयल ब्लैंडिग प्लांट्स की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर आयात किया था। कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण लूब आयल्ज का उत्पादन ब्लैंडिग प्रत्याशित रूप में न हो सका और इसलिये इस इस्पात को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका।

(ग) और (घ) भारतीय तेल निगम ने कोचीन शोधनशाला तथा अन्य गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं से बातचीत की थी। कोचीन रिफाइनरीज लि० और बर्मा-शैल रिफाइनरीज ने जिन मूल्यों की पेशकश की वे भारतीय तेल निगम को स्वीकार नहीं थे और अन्य शोधनशालाएं इस्पात खरीदना नहीं चाहती थीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कारपोरेशन के लिये इस्पात की चादरें बनाने के लिये आयात लाइसेंस

1370. **श्री समर गुह :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7958 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन के चार लाइसेंस किस तारीख को 24 गेज से 18 गेज इस्पात चादरों में बदले गये थे ;

(ख) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने इन लाइसेंसों के आधार पर इस बीच 18 गेज इस्पात का आयात किया है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और उसे निर्माण कर्त्ताओं में किस तरह बांटा गया और उन निर्माणकर्ताओं के नाम क्या हैं और उन्हें कितना कितना इस्पात दिया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा तेल कम्पनियों को आयात के पश्चात् 18 अथवा 24 गेज इस्पात को निर्माणकर्ताओं में उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं के अनुपात में बांटने के निदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 2–9–1967 को लोहा और इस्पात नियन्त्रक, कलकत्ता ने भारतीय तेल निगम को परामर्श दिया था कि तीन लाइसेंस 24 गेज इस्पात से 18 गेज इस्पात में बदले गये थे। चौथे लाइसेन्स के बारे में सूचना का निश्चय किया जा रहा है और यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगी।

(ख) और (ग) 18 गेज इस्पात के कुल 5700 मीटरिक टन के आयात के लिये खान, धातु व्यापार निगम के साथ ठेका किया गया था; जिसमें से 5171.598 मीटरिक टन प्राप्त हो चुका है।

बम्बई में, मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रग्ज़ एण्ड मैन्युफैक रिंग कम्पनी और मैसर्स स्टील कन्टेनरज के आर्डरज़ में निर्दिष्ट मात्रा के अनुपात के अनुसार उन्हें इस्पात दिया गया था। कलकत्ता में प्राप्त हुई इस्पात की मात्रा मैसर्स हिन्द गालवेनाइज़िंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी क्योंकि दूसरे ढोल निर्माता, मैसर्स इण्डस्ट्रियल कनटेनर्स के कारखाने में अनिश्चित समय के लिए ताला-बन्दी है।

(घ) यह प्राप्ति का विषय है जिसमें प्रतियोगिता मूल्यों जैसी समस्याएं शामिल हैं और सरकार इसे तेल कम्पनियों के निर्णय पर छोड़ना चाहती है।

भारतीय तेल निगम की ढोलों की सप्लाई

1371. **श्री समर गुह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है कि स्टैण्डर्ड ड्रग एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्द गेलवेनाइजिंग एवं इंजीनियरिंग कम्पनी ने टेंडर संख्या ओ० पी०/टैंन 7—65 के सिलसिले में उसे हॉट रोल्ड चादरों से बने क्रमशः 6588 और 49266 ढोल सप्लाई किये थे, किन्तु उनके लिये जो बिल भेजे थे, वे कोल्ड रोल्ड चादर से बने ढोलों के थे;

(ख) भारतीय तेल निगम ने स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा हॉट रोल्ड चादरों के बने ढोल सप्लाई किये जाने थे किन्तु कोल्ड रोल्ड चादर के ढोलों के लिये बिल दिये जाने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की थी;

(ग) मध्यस्थ किस प्रकार इस नतीजे पर पहुंचे कि हिन्द गेलवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के बिलों में से 97,000 रुपये की राशि काट ली जाये;

(घ) क्या हिन्द गेलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी मध्यस्थ के फैसले को मानने के लिये सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) निर्माताओं के इन्वायसों (अर्थात् बिलों) के आधार पर हॉट और कोल्ड चादरों की मात्राओं का निर्धारण किया गया था।

(ख) ढोलों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चादर की किस्म के आधार पर मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को अदायगी की गई है; और अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्यस्थ ने अपने पंचाट में उस आधार को इंगित किया है जिस पर वसूल की जाने वाली रकम को आंकित करना था। लगभग 97,000 रुपये की रकम परीक्षित कोल्ड रोल्ड चादर और परीक्षित हॉट रोल्ड चादर के बीच अन्तर, अपरीक्षित कोल्ड रोल्ड चादर की लागत के कारण विभेद और चादर की लागत में विभिन्न मूल्य वृद्धियों के कारण वृद्धि, पर आधारित थी।

(घ) पंचाट पार्टियों पर बाध्यकारी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अस्पताल

†1373. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अस्पताल हैं;

(ख) उनमें से कितने अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे तथा नगरीय क्षेत्रों के अस्पतालों पर वार्षिक कितना व्यय किया जाता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भिक्षावृत्ति का उन्मूलन

1374. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भिक्षावृत्ति का उन्मूलन करने के लिये अर्थोपायो पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के लिये सरकार का दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से इस आशय के सुझाव मांगे हैं कि इस समस्या का सर्वोत्तम हल क्या तथा कैसे निकल सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के क्या सुझाव हैं ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह. (क)से (घ) समान रुचि के मामलों पर, जिनमें भिक्षावृत्त की समस्या भी शामिल है, विचार विमर्श करने के लिए सितम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में समाज कल्याण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के कार्यभारी राज्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाए जाने का प्रस्ताव है। सम्मेलन की कार्यसूची के वास्ते विषयों का सुझाव देने के लिए राज्य सरकारों के से कहा गया है। इस समस्या के सर्वोत्तम हल के बारे में सम्मेलन में शामिल होने वालों द्वारा सुझाव पेश किए जा सकते हैं।

(घ) अब तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

गर्भपात को वैध बनाना

1375. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री 19 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार संसद् के वर्तमान सत्र में देश में गर्भपात को वैध बनाने वाले विधेयक को पेश करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे वैध बनाने के रास्ते में क्या बाधाएं हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर): (क) और (ख) देश में गर्भपात के वर्तमान कानून को उदार बनाने वाले विधेयक के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सम्भवतः संसद् के अगले सत्र में इस विधेयक को पेश किया जायेगा।

खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1376. **श्री हेमराज :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों तथा जीवनोपयोगी अन्य वस्तुओं के दामों में आम वृद्धि ो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं। इन वस्तुओं में में से ज्यादातर वस्तुओं के मूल्य वस्तुतः कम होते जा रहे हैं। 6 जुलाई, 1968 को समाप्त सप्ताह के थोक-मूल्यों के सूचक अंकों से मालूम होता है कि महीने भर में, सामान्य मूल्यों तथा खाद्य वस्तुओं के मल्यों में क्रमशः 1.7 प्रतिशत तथा 2.1 प्रतिशत की कमी हुई (1952–53-100)। एक वर्ष पहले के मूल्यों की तुलना में, सामान्य मूल्यों के सूचक अंक में 7.3 प्रतिशत की और खाद्य वस्तुओं के मूल्यों के सूचक अंक में 8.1 प्रतिशत की कमी हुई। चुनी हुई वस्तुओं के मूल्यों में हाल में जो घटबढ़ हुई है उसका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1498/68**]

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन सरकार सिविल सप्लाइज संगठन की मारफत, अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धि और उनके मूल्यों पर बराबर नज़र रखती है। सरकार ने, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों तथा संघीय राज्य-क्षेत्रों को काफी अधिकार दे दिये हैं।

निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

1377. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा-शुल्क विभाग ने 15 मई से लेकर 15 जुलाई, 1968 की अवधि के बीच कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की विभिन्न निषिद्ध वस्तुओं को पकड़ा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): 15 मई से 15 जुलाई 1968 की अवधि में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये भिन्न भिन्न प्रकार के माल की तादाद तथा मूल्य नीचे दिये अनुसार हैं :—

	मात्रा	मूल्य (लगभग)
सोना	193 किलो (लगभग)	16 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय दर पर)
चांदी . . .	11,883 किलो (लगभग)	56 लाख रुपये
घड़ियां	48,527 (संख्या)	48 लाख रुपये
मुद्रा (भारतीय तथा विदेशी) . .		9 लाख रुपये
हीरे		2 लाख रुपये
सोने तथा हीरों से बनी वस्तुएं		1 लाख रुपये
अन्य विविध माल .		114 लाख रुपये

पोंगडेम पुनर्वास समिति का पुनर्गठन

1378. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोंगडेम पुनर्वास समिति का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके पुनर्गठन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला व्यास निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है।

अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी समिति

1379. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित अशोधित तेल का मूल्य

1380. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान से आयात किये गये अशोधित तेल विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा जो मूल्य लिया जाता है वह उत्पादन लागत की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने ईरान से भारत में आयात किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य में और अधिक कमी करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) इस बारे में विदेशी तेल कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार के पास ईरान के अशोधित तेल के उत्पादन-लागत के बारे में कोई विश्वासनीय सूचना नहीं है और इसलिए कोई तुलना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां, किन्तु सरकार ने कोई विशेष कमी करने की मांग नहीं की है।

(घ) उन्होंने जहाज़ पर इंदराज दामों में, प्रति बैरल में तीन सेन्ट्स की ओर कटौती करने की पेशकश की है तथा टैंकर-भाड़ा के आधार में परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हुए भाड़े के खर्चे में भी कमी की है।

ईरानी तटवर्ती क्षेत्रों में मिले तेल में भारतीय अंश

1381. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरानी तटवर्ती क्षेत्रों में मिले तेल में भारतीय अंश कितना तथा कितने मूल्य का है; और

(ख) ईरानी तटवर्ती क्षेत्रों में मिले तेल का अपना अंश भारत को कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) ईरानी तटवर्ती क्षेत्र में फारस की खाड़ी जिला 1 में मिले तेल में भारतीय अंश भागीदारों को उपलब्ध तेल का छटा भाग है। इस अंश का इतना पहले मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्ततः यह उत्पादित तेल की मात्राओं पर निर्भर होगा ।

(ख) 1969 के अन्त तक ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन

1382. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अब तक कुल कितनी-कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई गई अधिकांश पूंजी से कुछ बड़े उपक्रमों को लाभ हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम की पूंजी विनियोजन नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च 1967 को जीवन बीमा निगम के, सरकारी क्षेत्र में, 732. 56 करोड़ रुपये लगे हुये हैं, जिसमें से 87. 02 करोड़ रुपये नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगे थे :

		(करोड़ रुपये)
(i)	सांविधिक निगमों के हिस्से तथा बंध-पत्र . . .	22.45
(ii)	विद्युत् बोर्डों के बंध-पत्र	18.48
(iii)	मद्रास औद्योगिक निवेश निगम के बंध-पत्र . . .	1.08
(iv)	भारत के राज्य बैंक तथा उसकी सहायक संस्थाओं के हिस्से (शेयर)	0.22
(v)	सरकारी कम्पनियों के तरजीही तथा सामान्य हिस्से (शेयर) .	1.14
(vi)	राज्य विद्युत् बोर्डों को ऋण	42.32
(vii)	भारत के यूनिट ट्रस्ट की आध-पूंजी में अंशदान .	0.75

31 मार्च 1967 को गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के कुल 189. 19 करोड़ रुपये लगे हुए थे । जिसमें से 184. 53 करोड़ रुपये कम्पनियों के ऋण-पत्रों, तरजीही और साधारण हिस्सों में लगे थे और 4. 66 करोड़ रुपये कम्पनियों का ऋणों के रूप में दिये गये थे ।

(ख) तथा (ग). ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में, 31 मार्च 1966 को 176·82 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से 114·41 करोड़ रुपये हिस्सों तथा ऋण-पत्रों में लगे हुए थे जिसमें एकाधिकार जांच आयोग द्वारा प्रणीत सूची में उल्लिखित 75 व्यापार समूहों की 452 कम्पनियों के बकाया ऋण भी शामिल हैं। निगम द्वारा पूंजी लगाने का काम प्रत्येक निवेश के गुण-दोष के आधार पर और कम्पनियों के आकार अथवा समूह-सम्बन्ध का विचार नहीं किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

आय-कर की बकाया राशि

1383. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर दाताओं से आय-कर विभाग में प्राप्त आय-कर विवरणों के मूल्यांकन तथा सात्यापन के बारे में 1 जुलाई, 1968 को तथा इस तिथि तक वास्तविक बकाया राशि क्या थी;

(ख) प्रति वर्ष नये विवरणों के आने को दृष्टि में रखते हुए बकाया राशि वसूल करने में कितना समय लगाने की सम्भावना है; और

(ग) इस राशि के वसूल न किये जा सकने के क्या मुख्य कारण हैं जिससे सरकारी कोष को बड़ी हानि हो रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) फिलहाल यह सूचना 1 जून, 1968 को जैसी स्थिति थी वैसी उपलब्ध है। उस तारीख को आयकर विभाग में कर निर्धारण के 45,73,362 मामले तस्दीक के लिए विचाराधीन थे।

(ख) तात्कालिक लक्ष्य यह रखा गया है कि 31-3-1968 को कर निर्धारण के बकाया मामलों का तीसरा हिस्सा वित्तीय वर्ष 1968-69 के अन्त तक निपटा दिया जाना चाहिये।

(ग) नीचे दी गई जानकारी से जाहिर है कि नये निर्धारितियों तथा कर निर्धारणों के मामलों की संख्या में वृद्धि के अनुपात से आयकर विभाग में कार्य कर रहे अधिकारियों तथा पूरक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है:—

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	निपटारे के लिये कर-निर्धारणों की संख्या	ड्यूटी पर तैनात आयकर अधिकारी
1963-64 . .	15,59,149	27,09,107	1332
1964-65 . . .	21,26,398	36,26,144	1424
1965-66 . . .	24,31,536	45,58,556	1548
1966-67 . . .	27,01,733	47,65,607	1654
1967-68 . . .	27,08,464	48,86,204	1757

इतना बकाया काम इकट्ठा हो जाने का यही कारण है।

इसलिये कार्य के बढ़ते हुये भार को निपटाने के लिये, इस प्रकार के उपाय काम लाये जा रहे हैं जिनसे प्रत्येक आयकर अधिकारी द्वारा निपटाये काम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाय। हाल ही में विभाग ने कार्य को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के कुछ उपाय किये हैं। इसके अलावा अधिक कर्मचारियों को भी काम पर लगाया जा रहा है।

परिवार नियोजन के आपरेशन सम्बन्धी आंकड़े

†1384. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को नसबन्दी आपरेशनों तथा लूप लगाने के संबंध में गलत आंकड़े दिये जाते हैं;

(ख) क्या सम्बन्धित अधिकारी रिकार्डों में गलत प्रविष्टियां करके इस प्रयोजन के लिये आवंटित धन का दुर्विनियोग करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामलों का पता चला है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को राज्यों द्वारा नसबंदी आपरेशन और लूप लगाये जाने के संबंध में दिए गए आंकड़ों में सन्देह करने के कोई कारण नहीं हैं।

(ख) कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों को सम्बन्धित राज्य सरकार के पास जांच के लिए भेज दिया गया है । कुछ मामलों में जांच की गई और शिकायतों को निराधार पाया गया ।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जो लोग सरकारी निधि का दुर्विनियोग करने के उत्तरदायी पाये जाते हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था है । आंकड़ों के पर्यवेक्षण और नमूने के तौर पर उनकी जांच के लिए लगातार ज़ोर दिया जा रहा है ।

फरीदाबाद में हरियाणा नगरपालिका की भूमि की बिक्री

1385. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1968 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने फरीदाबाद में हरियाणा नगरपालिका की भूमि बेच दी है ;

(ख) क्या इस प्रकार बेची गई भूमि से प्राप्त हुई राशि को केन्द्रीय सरकार ने अपने पास रख लिया है और यदि हां, तो इस की कुल राशि कितनी है ; और

(ग) क्या इस बारे में हरियाणा के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देख ली है। फरीदाबाद नगर में गलियों, सड़कों, पार्कों आदि के अतिरिक्त सभी बची हुई बग़ैर बिकी संपत्ति सरकार की है तथा डिसप्लेस्ड पर्सन्स (रिहैबिलीटेशन एन्ड कम्पैनसेशन) एक्ट, 1954 के अंतर्गत बने हुए "कम्पैनसेशन पूल" का

भाग है । अभी तक नगर की बिकी हुई सम्पत्ति से कुल 3.73 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं । इस मामल में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव प्रेस रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है ।

सैनिक समाचार की छपाई का व्यय

1386. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक समाचार की छपाई के लिये वर्ष 1967-68 में प्रति मास औसतन कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) अप्रैल, मई और जून, 1968 के महीनों में सैनिक समाचार की छपाई के लिये प्रतिमास औसतन कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में प्रत्येक भाषा में सैनिक समाचार की औसतन कितनी प्रतियां बिकीं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरक कारखाने के लिये बिड़ला समूह को लाइसेंस

1387. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला समूह को उर्वरक का एक नया कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस देने के प्रश्न पर पूरी तरह विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). प्रश्न स्पष्ट नहीं है । यदि सदस्य महोदय का तात्पर्य मिथापुर में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये बिला ग्रुप के प्रस्ताव से है, जिसके लिये आशय पत्र दिया गया है, तो वह मामला अभी विचारधीन है ।

पश्चिमी बंगाल में बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों पर उपकर लगाना

†1388. **डा० रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों पर उपकर लगाने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से इस बात पर विचार विमर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की छटनी

1389. **डा० रानेन सेन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री भगवान दास :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने अधिसूचित किया है कि निकट भविष्य में लगभग 4,000 कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ;

(ख) क्या इस अधिसूचना से कर्मचारियों में संनोष फैल गया है और उन्होंने सम्भाव्य छंटनी के विरुद्ध और अपनी अन्य मांगों के लिये आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, नो दामोदर घाटी निगम में सभी कर्मचारियों को खपाने तथा उनकी अन्य मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 750 अस्थाय वर्कचार्ज और मस्टर रोल कर्मचारियों को बता दिया गया है कि निर्माण परियोजनाओं के पूरा होने पर वे फालतू हो गए हैं।

(ख) सम्भाव्य छटनी तथा अन्य बानों के प्रति आन्दोलन शुरू किया गया है ।

(ग) दामोदर घाटी निगम ने विविध रोजगार दफ्तरों से सम्पर्क स्थापित किया है और वे फालतू घोषित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के लिए विविध संस्थाओं से भी लिखा पढ़ी कर रहे हैं । कर्मचारियों की अन्य मांगों पर दामोदर घाटी निगम में विचार किया जा रहा है ।

भारतीय तेल नगम के खिलाफ छोटे पैमाने के रंग-रोगन उद्योगों के निर्माताओं द्वारा शिकायत

1390. **डा० रानेन सेन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से छपने वाले "स्टेटसमैन" के 31 मई, 1968 के अंक में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि छोटे पैमाने के रं -रोगन उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भारनीय तेल निगम के कोटे नियत करने की नीति के खिलाफ शिकायतें की हैं ; और

(ख) यदि हां, नो क्या सरकार ने शिक यनों के बारे में जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) और (ख) जी हां । देश में खनिज तारपीन तेल की मांग और प्रदाय स्थिति पर

विचार विमर्श करने के लिए, 28 जून, 1968 को, रंग-रोगन उद्योग और तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी। यह फैसला हुआ था कि इण्डियन पेण्ट एसोसीयेशन और स्माल स्केल पेण्ट एलाईड केमीकल मैन्यूफैक्चरर्ज एसोसीयेशन अपने संघटक सदस्यों की सूचियां उनकी आवश्यकताओं सहित तेल कम्पनियों को प्रस्तुत करेगी और संयुक्त रूप में इक्कट्ठी होगी तथा बर्माशैल एवं एस्सो के साथ पश्चिमी प्रदेश और कालटैक्स एवं इण्डियन आयल कारपोरेशन के साथ पूर्वी तथा उत्तरी प्रदेशों में विचार विमर्श करेगी। तदनुसार इण्डियन पेण्ट एसोसियेशन ने 17 जुलाई, 1968 को भारतीय तेल निगम के साथ विचार-विमर्श किया । भारतीय तेल निगम ने खनिज. तारपीन तेल की उपलब्धि का 80 प्रतिशत रंग-रोगन निर्माताओं को देने का फैसला किया है ; जिसमें से 10 प्रतिशत स्माल स्केल पेण्ट एण्ड एलाइड केमीकल मैन्यूफैक्चरर्ज एसोसियेशन के लिए रखा गया है ।

दिल्ली में पैट्रोल पम्पों के स्थानों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकार के निर्णय का बदला जाना

†1392. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकार के पैट्रोल पम्पों की नीलामी करने के निर्णय को बदल दिया है और उसकी बजाय आदेश दिये हैं कि ये स्थान अलाट किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकार के निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं और क्या इन आदेशों से दिल्ली प्रशासन की आय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) इससे होने वाली हानि को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भाखड़ा नहर में घासपात

1393. **श्री ेम चन्द वर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाखड़ा नहर में बड़े पैमाने पर घासपात उगने से चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है और उस के परिणामस्वरूप कृषकों को पानी की सप्लाई कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर कब से िचार हो रहा है और क्या कोई उपाय ढूंढे गये हैं तथा उन्हें क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) घासपात को साफ करने पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सरकार को भाखड़ा नहर प्रणाली में बड़े पैमाने पर घास-पात उगने से उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति का पता है । यह घास-पात नहरों के तलों पर इस लिये उग आया है क्योंकि भाखड़ा का पानी गादयुक्त और साफ है और सूर्य की किरणें नहर के तल तक पहुंच जाती हैं। इसके अतिरिक्त वह घास-पात जो कि पहले नहरों के सूखने के कारण नष्ट हो जाया करता था, अब वह नष्ट नहीं होता क्योंकि वे नहरें सदैव चलती रहती हैं। ये समस्यायें अमृतसर में स्थित अनुसंधानशाला को निर्दिष्ट की गईं जिन्होंने इन पर रासायनिक तथा भौतिकीय ढंग से तजरबे किये। रासायनिक उपाय सफल नहीं हुआ है परन्तु उन्होंने एक ऐसा आरा निकाला है जिससे चलते पानी में घास-पात काटा जा सकता है । राज्य सरकारों ने सम्बद्ध मण्डलों को आदेश जारी कर दिये हैं कि इस आरे को आजमाया जाए।

(ख) सूचना राज्य सरकारों से अप्रतिक्षित है ।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत परामर्शदाता समितियां/बोर्ड

1394. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय से सम्बन्धित विभिन्न परामर्शदाता समितियों/बोर्डों तथा अन्य ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं, उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या-क्या कार्य सौंपा गया है;

(ख) ऐसी समितियों अथवा बोर्डों में से प्रत्येक में कितने व्यक्ति सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और कितने अधिकारी हैं;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन केवल एक ही बार (टर्म) के लिए होता है और यदि नहीं, तो कितनी बार किसी सदस्य को पुनः नाम निर्देशित किया जा सकता है और एक बार की अवधि कितनी है; और

(घ) उन संगठनों पर 1967-68 में कुल कितना व्यय हुआ ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वित्त मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी

1395. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में 1967-68 में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार कितने फालतू कर्मचारी पाये गये, तथा क्या उनकी छंटनी करने अथवा उन्हें कहीं अन्य खपाने का विचार है;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उनके मन्त्रालय द्वारा श्रेणीवार कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये तथा उपर्युक्त अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये; और

(घ) मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों आदि के साथ काम करने वाले उन फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या हैं जिनके लिये पहले मंजूरी नहीं ली गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

लक्ष्मी कर्माशियल बैंक

1396. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें लक्ष्मी कर्मशियल बैंक द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में 1964-65 में कोई अभ्यावेदन मिला था;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच करने का काम भारत के रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया था;

(घ) क्या रिजर्व बैंक ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). आय-कर देने से बचने के उद्देश्य से लक्ष्मी कर्मशियल बैंक में जमा की गयी कुछ कथित बेनामी रकमों के बारे में जनवरी, 1965 में एक पत्र मिला था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) यद्यपि कुछ लक्षण ऐसे थे जिन से कुछ जमाकर्ताओं की वास्तविकता के बारे में सन्देह पैदा होता था, फिर भी, इन जमा रकमों को बेनामी सिद्ध करने के लिये कोई पक्का प्रमाण नहीं था । जैसा कि 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2681 के उत्तर में बत या गया है, आयकर-विभाग बैंक के पास की कुछ जमा रकमों के मामले में जांच-पड़ताल कर रहा है । फिर भी, बैंकों में बेनामी रकमें जमा किये जाने की सम्भावना को रोकने के लिये रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1965 में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें सभी बैंकों से यह कहा गया था कि वे कोई रकम जमा करने से पहले प्रत्येक जमाकर्ता का पूरा पूरा पता और अन्य विवरण प्राप्त कर उस की शिनाख्त के बारे में अपनी तसल्ली कर लें ।

कलकत्ता में पड़े हुए भारतीय तेल निगम के तेल का पुराना भंडार

1397. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता तथा अन्य नगरों में लम्बे समय से ऐसे चिकनाई वाले पदार्थों के करोड़ों रुपये के पुराने स्टाक पडे हुए हैं कि जो औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के प्रयोग में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन स्टाकों पर अब तक कितना ब्याज दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन के उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है कि जो इन स्टाकों के इकट्ठे होने के जिम्मेदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैंट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) (क) 1 जुलाई, 1968 को कलकत्ता में भारतीय तेल निगम के पास मन्दचारी चिकनाई वाले पदार्थों (Slow moving lubricants) का केवल 1841 ढोलों का स्टाक था। उक्त तिथि को कलकत्ता में सज्जित चिकनाई वाले पदार्थों का कुल स्टाक कलकत्ता पर प्रदाय के लिए लगभग $2\frac{1}{2}$ महीनों की आवश्यकताओं को दर्शाता था; अतः वह अधिक नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्रमानुसार शोधित उत्पादों के स्टाक पर ब्याज आंकित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ). मंदचारी स्टाकों का कुछ संग्रह पैंट्रोलियम पदार्थों के विपणन का एक सामान्य जोखिम है। अतः भारतीय तेल निगम के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता से करों की बकाया राशि

1398. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या वित्त मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7156 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच गत पांच वर्षों से मैसर्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता की ओर आय-कर तथा अन्य करों की बकाया राशि तथा उसे वसूल करने के लिये की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो जानकारी कब तक एकत्र कर ली जायेगी और विलम्ब के क्या कारण हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। यह सूचना प्रश्न सं० 7156 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में संसद को दी जा चुकी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

महानदी नदी के सम्बन्ध में धरातल के जल संसाधनों का अध्ययन

1399. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में महानदी नद के सम्बन्ध में किए गए धरातल के जल संसाधनों के लिए किए गए अध्ययन के परिण मों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) भावी विकास के लिए कितना जल अवशष रहेगा; और

(ग) राज्य के पुरी जिले में बानपुर, खड़ेपाड़ा, दासपल्ला और रावपुर जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी ऐसा अध्ययन करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

उड़ीसा में बालीमेला बिजली योजना

1400. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच समिति ने उड़ीसा के बालीमेला बिजली योजना का काम पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है;

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी है; और

(घ) क्या खर्च सम्बन्धी पुनरीक्षित प्राक्कलन को उड़ीसा तथा आन्ध्र सरकारें बराबर-बराबर वहन कर रही हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारत सरकार के अधिकारियों का एक दल उड़ीसा गया था जिस ने यह अनुभव किया कि बालीमेला परियोजना के लिए 1968–69 में 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी ताकि इस का पहला यूनिट 1972 में चालू हो सके। परियोजना पर कार्य इस आधार पर प्रगति कर रहा है।

(ग) 1967-68 से निर्धारित केन्द्रीय सहायता दी गई है। इस वर्ष में उड़ीसा सरकार को 3 करोड़ रुपये दिए गए।

(घ) केवल बालीमेला बांध की लागत आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों में बराबर बराबर बांटी जानी है किन्तु आन्ध्र प्रदेश का भाग 12 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। बान्ध की लागत का पुनरीक्षित अनुमान अभी तक उड़ीसा के अधिकारियों से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाएं

1402. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का कोई अधिकारी हाल ही में उड़ीसा गया था तथा उसने वहाँ उड़ीसा की ग्रामीण गृह-निर्माण योजना की प्रगति तथा सफलता का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस की उपपत्तियाँ क्या हैं;

(ग) उड़ीसा को ग्रामीण गृह निर्माण योजना के लिये कितनी राशि दी गई है, तथा अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) वर्ष 1968-69 के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ, ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम की कार्य-पद्धति का शीघ्रत: फील्ड लेवल सैम्पल सर्वे करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास के लिए वर्किंग ग्रुप के द्वारा अधिकारियों की एक स्टैडी टीम स्थापित की गयी थी जिसमें एक अधिकारी योजना आयोग से शामिल था। टीम जून, 1968 में उड़ीसा गयी थी;

(ख) स्टैडी टीम ने यह निरीक्षण किया कि राज्य में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ने कोई महत्वपूर्ण प्रगति मुख्य रूप से इसलिए नहीं की, कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अपनी वार्षिक

योजनाओं तथा बजट में समुचित निधियाँ नियत नहीं की हैं। मन्द प्रगति का एक और प्रमुख कारण है कि ग्रामीण आवास के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त आर्थिक सहायता के उचित समन्वय का अभाव।

(ग) राज्य सरकारों के द्वारा अपनी वार्षिक योजना तथा बजट में की गयी व्यवस्था तथा उनके द्वारा किये गये खर्चे पर भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्भर करती है। उड़ीसा में 1959 से लेकर जब से कि यह योजना आरंभ हुई, मार्च, 1968 को अन्त तक ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 62.32 लाख रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता दी गयी। स्टैडी टीम की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 1,526 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है जिनमें से 1,391 मकान तैयार हो चुके हैं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव है कि "आवास" के अंतर्गत ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के लिए 11 लाख रुपये की सीमा के स्थान पर लगभग 2 लाख रुपयों का उपयोग किया जाये।

Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(*a*) whether Government have received complaints to the effect that the lives of a number of old persons are insured in Life Insurance Corporation by showing their age as less than their actual age, and consequently as a result of their early death the Corporation is sustaining huge loss ;

(*b*) whether the insurance done in 1966 with Policy No. 3000 1968 was of a similar type; and

(*c*) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (*a*) An essential requirement for the settlement of a claim is that the age of the life assured must be proved to to the satisfaction of the Corporation. Where policies are issued without admission of age and the age proof is produced subsequently, cases of overstatement as well as of understatement come to light and appropriate action is taken. The number of cases of considerable understatement, however, is not large. When the matter comes to notice, arrears of difference of premiums are recovered with interest. Where it is found that there is a gross understatement of age with a view to committing a fraud upon the Corporation, the contract is repudiated depending upon the merits and circumstances of the case.

For admission of age under policies the Corporation insists on submission of standard proofs of age ; such as certified from extract Municipal or other records made at the time of birth, certified extract from school or college records if age or date of birth is stated therein certified extract from sercive register in case of Government employees and employees of quasi-Government institutions, horoscopes, etc. Further, in a majority of cases where a medical report is required to be submitted, including all the cases where the sum assured is large, the age stated in the proposal has to be corroborated by the medical Examiner concerned. The scope for falsification of age is, therefore, very limited and the question of sustaining huge loss by the Corporation does not arise.

(*b*) & (*c*) The information is being collected from the Corporation and will be laid on the Table of the House as soon as received.

फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के अधिकारियों का यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

1404. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और जनवरी, 1968 से जून, 1968 में दिल्ली आने के लिये फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के अधिकारियों ने यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तों के रूप में कितनी राशि प्राप्त की;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कि इस प्रकार प्राप्त की गई राशि का कम्पनी के हित में उपयोग किया जाये, कोई नियंत्रण-पद्धति आरम्भ की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस का मोटे रूप में ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) और (ग). जी, कम्पनी के हिसाब किताब की जाँच, कम्पनी के लेखा-परीक्षक और नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा होती है। आडिट रिपोर्ट और अनियमितताओं के ब्यौरे पर जो कि जाँच के दौरान पाई जाती है, कम्पनी का निदेशक मंडल विचार करता है जो प्रत्येक मामले में आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देश देता है ।

भारत सरकार का सिक्योरिटी प्रेस, कोराट्टी

1405. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **निर्माण, आवास, तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोराट्टी स्थित भारत सरकार के सिक्योरिटी प्रेस की सब मशीनों का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा मशीनों का पूर्ण उपयोग कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : सम्भवत: प्रश्न का सम्बंध भारत सरकार मुद्रणालय, कोराट्टी से है, उस मामले में उत्तर निम्न प्रकार है:—

(क) जी हाँ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल शोधक कारखानों की पूरी क्षमता के अनुसार काम न करना

1406. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ तेलशोधक कारखानों को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन तेल शोधक कारखानों के नाम क्या है और वे किस क्षमता पर काम कर रहे हैं ; और

(ग) पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ, यदि 'पूरी क्षमता" का आशय, दावाकृत और सरकार द्वारा अस्वीकृत क्षमता से है।

(ख) सम्बद्ध शोध शालाओं को निम्न प्रक्रिया पर चालन के लिये अधिकृत किया गया है :—

(1)	बर्मा शैल	प्रति वर्ष 3.75 मिलियन मीटरी टन
(2)	एस्सो	प्रति वर्ष 2.50 मिलियन मीटरी टन

(ग) इस समय बम्बई में अतिरिक्त शोधन क्षमता की आवश्यकता नहीं है।

तस्करी के पकड़े गये माल का मल्य

1407. श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकार ने 1966–67 और 1967–68 में तस्करी का कितने मूल्य का माल पकड़ा था ;

(ख) ऐसे माल के मूल्य का कैसे अनुमान लगाया जाता है; और

(ग) ऐसा माल कैसे बेचा जाता है तथा सरकार ने उपर्युक्त अवधि में ऐसा माल बेचकर कितना धन वसूल किया?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 के दौरान सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने क्रमशः 7.71 करोड़ रुपये तथा 17.06 करोड़ रुपये के मूल्य का चोरी छिपे लाया गया माल पकड़ा।

(ख) पकड़े गये सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य भारत के बाजार मूल्य के आधार पर आँका जाता है।

(ग) जब्त शुदा माल का निपटान इस प्रकार किया जाता है : राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कैन्टीन भण्डार विभाग/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड से बिक्री द्वारा, राज्य व्यापार निगम को सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय की मार्फत किये गए सार्वजनिक नीलाम द्वारा तथा हीरों, कीमती तथा कम-कीमती पत्थरों के लाइसेंस धारकों को सार्वजनिक नीलाम द्वारा।

जब्तशुदा मुद्रा को रिजर्व बैंक आफ इंडिया में तथा सोने और चांदी के आभूषणों को भारत सरकार की मिण्ट में जमा कर दिया जाता है।

सम्बद्ध अवधि में इस प्रकार की वस्तुओं के निपटान से सरकार द्वारा वसूल किए गए मूल्य से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी।

डियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1408. **श्री क० लकप्पा :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारी 1 जुलाई, 1968 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की माँगे पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ। इंडियन आयल कारपोरेशन की उत्तरी शाखा के दिल्ली स्थित मुख्यालय के कर्मचारियों ने 1 और 2 जुलाई, 1968 को हड़ताल कर दी थी ।

(ख) कर्मचारियों की योग्यता एवं प्रवरता के आधार पर पदोन्नति करना कारपोरेशन की पालिसी है। कर्मचारी संघ ने माँग की थी कि पदोन्नति केवल प्रवरता के आधार पर की जानी चाहिये। सम्बद्ध औद्योगिक अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों से मिले और उन्हें कारपोरेशन की पदोन्नति सम्बन्धी पालिसी के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस बारे में आन्दोलन न करें। तो भी, 1–7–68 को, जब योग्य-प्रवरता के आधार पर योग्य कर्मचारी कुछ पदों में भर्ती के लिये इण्टरव्यू के लिये बुलाये गये, कर्मचारियों ने नारे लगाये और काम करना बन्द कर दिया ।

(ग) प्रबन्धकों ने संघ के प्रतिनिधियों को कारपोरेशन की पदोन्नति सम्बन्धी पालिसी की विस्तृत रूप से व्याख्या की। श्रमायुक्त के कहने पर कर्मचारी काम पर वापिस चले गये और 4–7–1968 से कार्य पहले की तरह होने लगा।

गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में कार्यालय अधीक्षक

1410. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **ट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखानों में कार्यालय अधीक्षकों के पदों की सख्या कितनी है तथा अब तक उन सब पदों पर नियुक्तियाँ न की जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) मंजूर शुदा पदों की कुल संख्या 5 है, किन्तु केवल 2 पदों पर नियुक्तियाँ की गई है। आवश्यकता अनुसार पदों पर नियुक्तियाँ की जाती है।

Production of Urea in Gorakhpur Fertilizer Factory

1411. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) the quantity of urea, in tonnes, produced per day in Gorakhpur Fertilizer Factory from the 3rd February to June, 1968;

(*b*) whether the target that was fixed in respect of the production of Urea has since been achieved;

(c) the number of times and the periods during which the production came to a standstill during the above period and the extent ofl oss suffered by the said factory as a result there of;

(*d*) the action taken against the officers responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petorleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (*a*) The average daily production of Urea from February, 1968 to June 1968 in Gorakhpur Fertilizer Factory is as follows :—

Month	Tonnes
February, 1968	34.95
March, 1968	62.20
April, 1968	93.16
May, 1968	128.17
June, 1968	154.92

(*b*) No. sir.

(*c*) Production came to a standstill for the following number of days :—

Month	No. of days
February, 1968	15
March, 1968	8
April, 1968	4
May, 1968	2
June, 1968	5

These stoppages are not abnormal and are mostly due to the teething troubles in the initial months requiring stoppage of the factory for adjustment of equipments and moditations, voltage fluctuations and power shutdowns.

(*d*) The question does not arise in view of answer to (c) above.

Consumption of coal in Fertilizer Factory Gorakhpur

1412. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Pertoleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) the consumption of coal in tonnes per day from the 3rd February, 1968 to the 30th June, 1968 in the Fertilizer Factory, Gorakhpur ;

(b) the names of contractors from whom the coal was received by the above factory and the expenditure incurred thereon ;

(c) the names of authorities by whom an enquiry into the quality of coal was made and whether Government have received a complaint that payment for lower grade coal was made at rate prescribed for higher grade coal in collusion with the authorities and contractors; and

(d) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Registration Revenue Department, U.P.

1413. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Finance be pleasesd to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7940 on the 22nd April, 1968 and state :

(a) whether the required information regarding the corruption prevalent in the Registration Revenue Department of U.P. has since been collected :

(b) if so, the details thereof: and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputuy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b): The information required for fulfilment of the assurance arising out of the reply given to Unstarred Question No. 7940 dated the 22nd April, 1968 has since been collected and is being laid on the Table of the Sabha separately. The details, however, are reproduced below:—

During the period from 3-4-67 to 31-12-67, the Government of Uttar Pradesh did receive some complaints alleging corruption in their Registration Department.

The number of such complaints, district wise is : Allahabad 1, Agra 1, Almora 1, Aligarh 2, Banda 1, Badaun 1, Basti 1, Bijnor 3, Etah 1, Ghazipur 1, Gorakhpur 1, Kanpur 5, Mainpuri 2, , Moradabad 1, Rampur 2, Rae Bareli 2, and Varanasi 2.

Of these 28 complaints preliminary enquiries have not been completed in 8 cases. The enquiry conducted in 12 cases revealed that there was no substance in the complaints. In four cases, disciplinary proceedings are in progress and in four other cases, disciplinary proceedings have been completed and punishment awarded to the concerned officers.

(c) Does not areise.

Industrial Undertakings Under Health Department, Uttar Pradesh

1414. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7987 on the 22nd April, 1968 and state :

(a) whether the information regarding industrial undertakings under the Health Deparment of U.P, has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Government of Uttar Pradesh have not furnished the information so far.

दिल्ली में पकड़े गये जाली सिक्के

1415. **श्री अदिचन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में काम कर रहे जाली सिक्कों का निर्माण करने वाले एक गिरोह को जुलाई, 1968 के पहले सप्ताह में नष्ट कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में की गई जाँच के व्यापक परिणाम क्या हैं और इस गिरोह की कार्य प्रणाली क्या थी;

(ग) सरकार की जानकारी के अनुसार इस गिरोह ने कितने मूल्य के सिक्के परिचालित किये हैं और उससे कितने सिक्के पकड़े गये हैं; और

(घ) देश में परिचालित जाली मुद्रा की मात्रा के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) मामले की जाँच किये जाने पर मुरादाबाद में एक दाब-यंत्र (प्रेस), हथौड़े, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के ढालने के ठप्पे और दूसरे उप-साधन पकड़े गये। इस सम्बन्ध में चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(ग) और (घ) : पचास-पचास पैसे के 244 सिक्के और पचीस-पचीस पैसे के 28 सिक्के पकड़े गये। गिरोह ने कितने जाली सिक्के चलाये अथवा देश में कितने जाली मुद्रा चलन में है, इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि उनका पता तभी लगता है जब वे पकड़े जाते है।

सरकारी क्षत्र के उर्वरक कारखानों के कार्य संचालन सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

1416. **श्री अदिचन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के कार्य संचालन की जाँच करने तथा उनके पुनर्गठन और सुधार के लिये सुझाव देने के लिये सरकार ने हाल ही में जो समिति स्थापित की थी, उसकी सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : रिपोर्ट अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

केरल में ताप बिजली घर

1417. **श्री अदिचन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ताप बिजली घर स्थापित करने मैं अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

1782 (ai)—LS—6.

(ख) इस पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अम्बलामेडु में सयंत्र लगाने के स्थल को चुन लिया गया है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) अभी तक कोई रकम खर्च नहीं की गई।

सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं को आवंटित की गई भूमि का विकास

1418. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी के पार सरकार द्वारा सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं को आवंटित की जा रही भूमि का विकास सरकार द्वारा किया जायेगा अथवा सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं द्वारा ;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि सरकार उस भूमि का विकास करे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) भूमि के विकास की आशा सहकारी समितियों से ही की जाती है।

(ख) हालांकि भूमि सुधार सम्बन्धी समस्याओं पर दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने समितियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया है तथापि लिखित रूप में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Panpun Irrigation Project Bihar

1419. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether previous United Front Government of Bihar have submitted to the Government of India, an outline of the Panpun Irrigation, Project;

(*b*) if so, the details thereof,

(*c*) whether the State Government have approached for financial assistance for its implementation, and

(*d*) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (*a*) No. Sir.

(*b*) to (*d*) Do not arise.

Demonstation by workers of Pyrites Chemicals Development Corporation Ltd.

1420. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(*a*) whether workers of the Pyrites Chemicals Development Corporation at Amjhore in Shahabad District in Bihar had staged a demonstration on the 19th June, 1968 under the leadership of a Member of Parliament ;

(*b*) if so, the demands of the workers ;

(*c*) the reaction of Government thereto;

(*d*) whether any delegation under the leadership of a member of Parliament had met the Director of the Corporation and came back without holding any talks with him on account of his indecent behaviour; and

(*e*) if so, whether any enquiry has been held in the matter and the action taken therein?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social welfare (Shri Raguramaiah) : (*a*) No, Sir. There was a demonstration by outsiders led by a member of Parliament.

(*b*) and (*c*) Donot arise.

(*d*) A delegation of the demonstrators led by the member of Parliament met the Managing Director and other top officials of the Company but no useful talks could We held on account of the unhelpful attitude adopted by the delegates.

(*e*) The question of holding an inquiry does not arise in the circumstances of the case.

रसायन उद्योग के लिये निर्धारित लक्ष्य

1421. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में रसायन उद्योग के लिये कोई लक्ष्य अथवा अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, नो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) विभिन्न रसायन उद्योगों के संबंध में उत्पादन लक्ष्य के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) इस संबंध में कुल कितना धन खर्च करने का विचार है और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये रसायन उद्योग के सम्बन्ध में आंकड़े क्या हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि नीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति निर्धारित लक्ष्यों से कहीं कम हुई थी ; और

(च) इस बात के लिये कि चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति फिर कहीं कम न हो, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोहाटी तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों की उत्पादन क्षमता

1422. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों की क्षमता कितनी है और उन पिछले दो वर्षों में तथा चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) कच्चे संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिये इन तेल शोधक कारखानों के विस्तार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) स्थापित उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है:–

गौहाटी शोधनशाला 0.75 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष
बरौनी शोधनशाला 2.00 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष

पिछले दो वर्षों और 1968 के पूर्वार्द्ध के दौरान उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(मीटरी टनों में)

वर्ष	गौहाटी		बरौनी	
	अशोधित तेल प्रक्रिया	उत्पादन	अशोधित तेल प्रक्रिया	उत्पादन
1966	741,527	667,640	1,050,804	941,920
1967	792,842	711,728	1,558,403	1,365,010
1968 (जनवरी से जून तक)	417,209	371,427	820,866	733,702

(ख) एक अतिरिक्त मिलियन मीटरी टन यूनिट की स्थापना से, बरौनी शोधशाला के अशोधित तेल की प्रक्रिया का 3 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष तक का विस्तार कार्यक्रम पूरा होने वाला है।

गौहाटी शोधशाला के लगभग 1.1 या 1.2 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष तक विस्तार करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कच्चा तेल

1423. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धुलीजन से गौहाटी और गौहाटी से बरौनी तक पाइपलाईनों से कच्चे तेल की कुल कितनी मात्रा प्रतिवर्ष ले जायी जाती है ;

(ख) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन के लिये यह आवश्यक है कि गौहाटी और बरौनी तेल शोधक कारखानों की कच्चे तेल की आवश्यकता आयल इंडिया लिमिटेड से पूरी करे ;

(ग) क्या आयल इंडिया लिमिटेड अपने कुओं से गौहाटी और बरौनी के दोनों तेल शोधक कारखानों की कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन तेल शोधक कारखानों को कहां तक आयातित कच्चे तेल पर निर्भर करना पड़ता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) आयल इण्डिया की पाइपलाइन की वर्तमान क्षमता निम्न प्रकार है :—

(1) दुलियाजान से गौहाटी तक 2.75 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष

(2) गौहाटी से बरौनी तक .. 2.00 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष

परन्तु थोड़े समय के लिये पाईप लाइन 10 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता से काम कर सकती है ।

(ख) भारत सरकार बर्मा आयल कम्पनी, आयल इण्डिया लि० और आसाम आयल कम्पनी के बीच हुए करार के अनुसार, आयल इण्डिया लि० अपना सारा उत्पादित कच्चा तेल आयल इण्डिया लि० के वर्तमान क्षेत्र के बारे में आसाम तेल कम्पनी के अधिकार को छोड़कर भारत सरकार को बेचेगा और भारत सरकार उसे खरीदेगी, बशर्ते कि बरौनी और गौहाटी शोधनशालाओं की 2.75 मिलियन टन तक की संयुक्त वार्षिक आवश्यकताओं को (जो पहली मांग होगी) पूरा करने के बाद, आसाम तेल कम्पनी की दिगबोई शोधनशाला की दूसरी मांग होगी (प्रतिवर्ष अधिकतम 435,000 टन तक) जो आसाम तेल कम्पनी के पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों से किफायत रूप में पूरा नहीं हो ।

(ग) इस समय आयल इण्डिया, गौहाटी और बरौनी शोधनशालाओं को, प्रतिवर्ष केवल 2.75 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल, सप्लाई कर सकता है ।

(घ) दोनों शोधनशालाएं आयातित कच्चे तेल पर निर्भर नहीं है ।

आसाम में पेट्रो-कैमिकल उद्योग समूह

1424. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम में अनेक तेल क्षेत्रों के उत्पादों तथा गोहाटी तेलशोधक कारखाने के उप-उत्पादों पर आधारित एक पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह को उस क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : पेट्रो-कैमिकल्स के लिए एक आयोजना दल इस समय आसाम में तेल क्षेत्रों और शोधन-शालाओं से कच्चे मालों की उपलब्धि का पुनर्विलोकन और उन से चौथी योजना के दौरान

पैट्रो-कैमिकल्स के बीच की उपज (Intermediates) के निर्माण की संभावता की जाँच कर रहा है ।

आसाम में तेल गैस का जलाया जाना

1425. श्री हिम्मतसिंहका : क्या ैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में प्रतिदिन और प्रतिवर्ष कितनी गैस बेकार जलाई जा रही है और उसको किस प्रकार प्रयोग करने का विचार है; और

(ख) गोहाटी तेल शोधक कारखाने की स्थापना से अब तक अनुमानतः कुल कितनी गैस की हानि हुई है और इसके फलस्वरूप राष्ट्र को अब तक कितनी हानि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) आसाम में तेल क्षेत्रों और गोहाटी तेल शोधक कारखाने में बेकार जलने वाली गैस, कच्चे तेल के वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया की मात्रा पर आधारित है। 1967 में बेकार जलने वाली गैस निम्न प्रकार थी :—

गोहाटी तेलशोधक कारखाने की गैस—19694 मीटरी टन (54 मीटरी टन प्रतिदिन)

तेल क्षेत्रों की प्राकृतिक गैस—477.6 मिलियन घन मीटर (1.3 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन)

गोहाटी तेल शोधक कारखाने की बेकार गैस यथासम्भव तेल शोधक कारखाने में ईंधन के रूप में काम में लाई जा रही है। इस गैस का और उपयोग करने के लिये तेल शोधक कारखाने में एन० एल० पी० जी० सयन्त्र लगाने का भी प्रस्ताव है।

आसाम तेल क्षेत्र से प्राप्त प्राकृतिक गैस भारतीय उर्वरक निगम आसाम राज्य विद्युत बोर्ड आसाम गैस कम्पनी, आसाम आयल कम्पनी और अन्य उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित की गई है ।

(ख) जनवरी 1962 से मई 1968 तक गोहाटी तेल शोधक कारखाने में कुल 87459 मीटरी टन गैस बेकार जली। गैस की कुछ मात्रा सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान 1में रखते हुए जलानी पड़ती है। बेकार जलाई गई गैस का मूल्य नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसके लिए कोई मार्कीट नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आसाम सरकार के बीच विवाद

1426. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तेल शोधक कारखाना लगाने के मामले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आसाम सरकार के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह विवाद किन बातों पर है और उनका निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बरौनी उर्वरक कारखाने में भर्ती

1427. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी उर्वरक कारखाने में विभिन्न वर्गों की सेवा में कितने व्यक्ति भर्ती किये जा चुके हैं;

(ख) उनमें स्थानीय व्यक्ति कितने हैं; ग्रौर

(ग) उनमें से जिनकी भूमि इस परियोजना के लिए ग्रर्जित की जा रही है, कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी सहायता

1428. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रागामी वर्ष में कुल कितनी विदेशी सहायता मिलने की ग्राशा है;

(ख) इसमें से कितनी राशि उन उद्योगों में, जो स्थापित किये जा चुके हैं ग्रौर जिनकी क्षमता बेकार पड़ी है, नये संयंत्रों तथा मशीनरी के लिए हैं; ग्रौर

(ग) क्या संयंत्रों तथा मशीनरी का मूल्य ग्रन्य देशों में खुले बाजार मूल्यों से जोड़ने ग्रौर यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किया गया है कि संयंत्रों की लागत इतनी ग्रधिक न हो कि हमारे उद्योग द्वारा निर्यात बाजार में प्रतियोगिता न की जा सके ?

उप-प्रधान मंत्री ग्रौर वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ग्रौर (ख) : जहाँ तक 1968-69 का सम्बन्ध है मालूम होता है कि किये गये ऋण करारों के ग्राधार पर प्राप्त होने वाली 4328.4 लाख डालर की रकम के ग्रलावा 1616.4 लाख डालर की ग्रौर रकम भी मिल जायेगी। जिन उद्योग-धन्धों में उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है उनके संयंत्रों ग्रौर मशीनों के लिए इनमें से कोई भी रकम उपलब्ध नहीं है।

(ग) निर्यात योग्य माल तैयार करने वाले उद्योगों की इस उद्देश्य से सहायता करने के लिये कि वे माल के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कारखानों के विस्तार ग्राधुनिकीकरण तथा विभिन्न वस्तुग्रों के उत्पादन की सुविधाग्रों की व्यवस्था के लिए ग्रावश्यक पूंजीगत वस्तुएं प्राप्त कर सकें, एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित है, जो 1968 की नियमों तथा प्रक्रियाग्रों सम्बन्धी ग्रायात व्यापार नियन्त्रण पुस्तिका के पैरा संख्या 142 में दी गयी है। प्रक्रिया के ग्रनुसार, इन प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा ग्रधिमानित स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इसके ग्रलावा, 1968-69 के

सम्बन्ध में रजिस्टर्ड निर्यातकों के लिये निर्धारित आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार, जो खण्ड 2, भाग 1, पैरा संख्या 18 में उल्लिखित है, प्रतिस्थापन, संतुलन या आधुनिकीकरण के लिए जरूरी संयंत्र और मशीनों तथा अनुमति योग्य 'जिगों' और औजारों की कुछ प्रतिशत भाग तक सपूर्ति करने के लिए उनका आयात किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा निर्यात योग्य माल तैयार करने वाले उद्योगों को प्रतियोगितात्मक मूल्यों पर उल्लिखित किस्मों के उपकरणों का आयात करने की इजाजत देने का प्रयत्न किया गया है।

फाइलेरिया नियंत्रण एकक को मंगलौर से बंगलौर ले जाना

1429. **श्री लोबो प्रभु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फाइलेरिया नियन्त्रण एकक को मंगलौर से बंगलौर स्थानांतरित किये जाने के क्या कारण हैं जबकि मंगलौर में फाइलेरिया के रोगी बहुत हैं और बंगलोर में फाइलेरिया के रोगी बिल्कुल नहीं ;

(ख) निरीक्षक अधिकारी द्वारा फाइलेरिया के नियन्त्रण के लिये अब क्या काम किया जाता है ;

(ग) अधिकतर अस्पतालों में हेट्राज़ोन न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या हेट्राजोन को लोकप्रिय बनाने के लिये निर्देश जारी करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) फाइलेरिया नियन्त्रण एकक मंगलौर में कार्य कर रहा है;

(ख) इन एकक में अधिकारी पर्यवक्षण निर्देशन, और परिणामों के मूल्यांकन के लिए आते हैं।

(ग) और (घ) हेट्राजोन एक औषधि है, इसका प्रयोग विशेषकर माइक्रो फाइलेरिया रोगियों के इलाज में होता है और साधारण रोगियों के मामले में इसका प्रयोग निषिद्ध है। इन औषधियों की सप्लाई राज्य सरकार द्वारा नियमित होती है ;

Advances to States

1430 **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that State Government have taken advances from the Central Government in 1967-68; and

(*b*) if so, the amount there of ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (*a*) and (*b*): A statement showing the amounts of loans advanced by the Government of India to the various State Governments during the year 1967-68 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library see No. LT*--1499/68]

सरकार द्वारा दिल्ली में अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेना

1431. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में कुछ अस्पतालों को केन्द्र द्वारा अपने नियन्त्रण में लेने के प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार को विरोध पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को छोड़ दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन के मन्त्रालय के लिए संसद् की अनौपचारिक सलाहकार समिति ने केन्द्रीय सरकार से इन अस्पतालों को अपने नियन्त्रण में लेने की सिफारिश की थी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि विपक्षी दलों के किसी सदस्य ने इस बैठक में भाग नहीं लिया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग)—इस मन्त्रालय की संसदीय अनौपचारिक परामर्शदातृ समिति ने अपनी 29 अप्रैल, 1968 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले किन्तु दिल्ली प्रशासन इस प्रस्ताव को नहीं मान रहा है । विशेषज्ञों ने दिल्ली के चिकित्सालयों के समन्वित संचालन की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि लोगों की और अच्छी तरह से सेवा की जा सके । यह मामला विचाराधीन है ।

(घ) विरोधी दलों के दो सदस्यों ने इस मंत्रालय की अनौपचारिक परामर्शदातृ समिति की बैठक में भाग लिया ।

उर्वरकों का उत्पादन

1432. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उत्पादन में हाल में कोई ठोस वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादन स्थापित क्षमता से बहुत ही कम हो रहा और मार्च, 1968 के महीने में तो यह और भी कम हो गया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश विस्तार कार्यक्रमों में कोई प्रगति नहीं हो रही है और 1972-73 के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य पूरे नहीं होंगे; और

(घ) यदि हां, तो पुनरीक्षित निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर कितना कम उत्पादन होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां । इस समय उत्पादन मांग से कम है ।

(ख) 1967-68 में उत्पादन क्षमता से कम थी । यह कहना ठीक नहीं होगा कि मार्च, 1968 में उत्पादन और गिर गया है । मार्च, 1968 का उत्पादन वर्ष में सबसे अधिक था । 1967-68 में

उत्पादन में ह्रास के कुछ कारण बिजली का फेल होना, कच्चे माल की कमी और यांत्रिक खराबी थी ।

(ग) जी नहीं । कई परियोजनायें पूर्व निर्धारित समय के अनुसार प्रगति कर रही हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र में हल्दिया और गाजियाबाद परियोजनायें छोड़नी पड़ीं क्योंकि सम्बन्धित पार्टियों ने अपने प्रस्ताव वापिस ले लिये हैं । मंगलौर और गोवा में दो अन्य परियोजनाओं की प्रगति कुछ धीमी है। 1972–73 के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

(घ) उत्पादन में यदि कोई कमी होगी तो वह बहुत अल्प होगी ।

उर्वरकों की उत्पादन लागत

1433. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उर्वरकों की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन लागत से अब भी अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) और (ख) : भारत में उत्पादन लागत की अन्य देशों से तुलना करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि अन्य देशों में उत्पादन लागत के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार का घाटा

1434. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 में केन्द्रीय सरकार का घाटा 300 करोड़ रुपये की प्रत्याशित राशि से कम था ;

(ख) क्या प्रत्याशित घाटे में यह कमी अधिक राजस्व मिलने के कारण हुई है अथवा गिनती की किसी गलती के कारण हुई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1967–68 और 1968–69 के घाटे के पुनरीक्षित आंकड़े क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : 1967–68 के खाते अभी अन्तिम रूप से बन्द नहीं किये गये हैं । इसलिए गत वर्ष के सम्पूर्ण घाटे के ठीक-ठीक आंकड़े इस समय बताना सम्भव नहीं है । फिर भी वर्तमान सूचना के अनुसार, 300 करोड़ रुपये के प्रत्याशित घाटे के मुकाबले में 215 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । राजस्व-प्राप्तियां तो लगभग संशोधित अनुमानों के बराबर हुईं, पर सम्पूर्ण घाटे में कमी मुख्यतः छोटी बचतों से और ज्यादा रकमें प्राप्त होने, पी० एल 480 के अन्तर्गत अधिक

रकमें जमा होने, अन्न की अधिक बिक्री होने और खासकर विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च में कमी तथा ऋणों के लिये की गई व्यवस्था में कमी होने से हुई।

चालू वर्ष होने वाले सम्भाव्य घाटे का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

सरकारी उपक्रमों को ऋण

1435. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 15 वर्षों में वर्ष-वार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई है ;

(ख) प्रत्येक उपक्रम को दिये गये ऋण, उसकी अवधि तथा उस पर लिये गये ब्याज की दर कितनी कितनी है ;

(ग) क्या उपक्रमों द्वारा मूल राशि तथा ब्याज का भुगतान समय पर कर दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो भुगतान न करने का ब्यौरा क्या है और ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

दिल्ली में सरकारी भवनों का त्रुटिपूर्ण निर्माण

1436. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य तकनीकी निरीक्षक को दिल्ली में कुछ सरकारी भवनों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के मामलों की जांच करने के लिये कहा गया है ;

(ख) ऐसे कितने मामले जांच के लिये सौंपे गये हैं ;

(ग) किस किस प्रकार कि त्रुटियों की शिकायत की गई है ; और

(घ) मुख्य तकनीकी निरीक्षक कब तक जांच पूरी कर लेंगे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह): (क) और (ख): विभिन्न प्राधिकरणों के द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक के पास सामान्य मामले भेजने के अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने विशेष तफतीश के लिए दो विशेष मामले भेजे हैं। ये नये बने कर्जन रोड़ होस्टल तथा रामकृष्णपुरम् के सेक्टर के बहुमंजिले फ्लैट के संबंध में हैं।

(ग) 1. दीवार से पलास्तर का गिरना ;

2. दरवाजों के फ्रेम के चारों ओर प्लास्तर में दरारें पड़ना ; तथा

3. दरवाजों का अनुचित रूप से लगाया जाना।

(घ) रामकृष्णपुरम् के बहुमंजिले फ्लैट के संबंध में एक महीने के भीतर रिपोर्ट आने की संभावना है। जहां तक कर्जन रोड़ होस्टल का संबंध है उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि कुछ सैम्प्लों के संबंध में अलीपुर टैस्ट हाउस से रिपोर्ट लेना आवश्यक होगा।

पालम हवाई अड्डे पर सोना पकड़ने के खिलाफ़ ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन द्वारा दायर की गई अपील

1437. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोना ले जाने वाले ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कारपोरेशन के विमान को पालम हवाई अड्डे पर पकड़े जाने के खिलाफ उस कारपोरेशन द्वारा दायर की गई अपील पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : समाहर्ता के आदेश के विरूद्ध अपील केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को, जो एक सांविधिक निकाय है की जाती है, सरकार को नहीं । उक्त बोर्ड ने 17 और 18 जून 1968 को अपील की सुनवाई की । तथापि, सुनवाई स्थगित की गयी क्योंकि बोर्ड ने अपील कर्त्ताओं से कुछ दस्तावेज और सूचना प्राप्त करनी चाही जिसके लिये उन्होंने समय मांगा और सीमाशुल्क विभाग कुछ विभागीय गवाह पेश करना चाहता था जो उस समय छुट्टी पर थे और उपलब्ध नहीं थे । सुनवाई की अगली तारीख अगस्त में रखी जाने की संभावना है ।

देश में तस्करी

1438. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद, बम्बई और मद्रास में तस्करी करने वाले ऐसे अनेक गिरोह है जिन की शाखायें और सम्पर्क देश भर में फैले हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि यह गिरोह कालेजों के लड़कों और लड़कियों को माल लाने और ले जाने के लिये नियुक्त करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ मामलों में पाया गया कि माल लाने ले जाने वाले लड़कियां तथा लड़के थे ।

(ग) चोरी छिपे किये जाने वाले आयात-निर्यात को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं :—

सुव्यवस्थित ढंग से सूचना इकट्ठी करना और सूचना के पीछे विशेष ध्यानपूर्वक लगे रहना, विश्वसनीय सूचना देने वालों को नियुक्त करना तथा चोरी छिपे माल लाने ले जाने वालों के विभिन्न गिरोहों पर निगरानी रखना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, समुद्री किनारों तथा भूसीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य स्थानों की गश्त लगाना, और उपयुक्त मामलों में विभागीय न्याय निर्णय की कार्यवाही के अलावा मुकदमे चलाना ।

सरकारी उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1439. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रशासनिक आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गयी कुछ सिफारिशों पर निर्णय किये गये हैं, और ये 10 मई, 1968 को सभा की मेज पर रख दिये गये थे। बाकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

बिहार के भूतपूर्व मंत्रियों के मामले में जांच

1440. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि बिहार के भूतपूर्व कुछ मंत्रियों के वित्तीय मामलों के बारे में जांच करने के लिये एक जांच आयोग बनाया गया है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात का भी पता है कि उपर्युक्त आयोग को एक ज्ञापनपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें ऐसे मंत्रियों द्वारा हाल में अर्जित किये गये धन का व्यौरा दर्शाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि आयोग को इस प्रकार का एक ज्ञापन पेश किया गया है ।

(ग) आयोग की रिपोर्ट की यथा-समय जांच की जाएगी, और अगर आवश्यक पाया गया तो कर-निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण की कार्यवाही की जायगी ।

राजस्व कर्मचारियों को दी गई वेतन वृद्धियां

1441. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951, 1961 और 1967 में राजस्व विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, आयकर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों तथा आयुक्तों के वेतन-क्रम क्रमशः क्या-क्या थे ; और

(ख) क्या वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुपात में कोई वेतन वृद्धि करना पर्याप्त समझा जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दिये अनुसार है :—

	1951	1961	1967
निम्न श्रेणी लिपिक	रु० 55—3—86—द० रो०—4—125 5—130	रु० 110—3—131—4—155 द० रो०—4—175—5—180	रु० 110—3—131—4—155—द० रो०—4—175—5—180
उच्च श्रेणी लिपिक .	रु० 80—5—120—द० रो० 8—200—10—2—220	रु० 130—5—160—8—200 द० रो०—8—256 द०रो०——8—280—10—300.	रु० 130—5—160—8—200—द० रो० 8—256 द०रो० ०—8—280—10—300
आयकर अधिकारी . श्रेणी —II	रु० 275—26—500 द० रो० 30—660—द० रो० 30—800.	रु० 350—25—500—30—590— द०रो० 30—800 द०रो० 30—830—36——900.	रु० 350—25—500 —30—590 द० रो०—30—800—द० रो० —30—830—35—900.
आयकर अधिकारी श्रेणी I, ग्रेड II	रु० 360—350—380—380—30—590—द० रो०—30—770—40—860	रु० 400—400—450—30—510—द० रो० —700—40—1100—50/2——1250.	रु० 400—400—450—30—510—द० रो० —700—40—1100—50/2—1250.
आयकर अधिकारी श्रेणी I ग्रेड—II	रु० 600—40—1100 1000—1050—1050—1100—1100—1150.		
सहायक आयकर आयुक्त	रु० 10000—50—1400	रु० 1100—50—1300—60—1600	रु० 1100—50—1300 60—1600.
आयकर आयुक्त, ग्रेड—II	रु० 1300—60—1600.	रु० 1600—100—1800	रु० 1800—100—2000—125—2250 .
आयकर आयुक्त ग्रेड —I	रु० 1800—100—2000.	रु० 1800—100—2000.	

(ख) केन्द्रीय वेतन आयोग (1946—47) और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों एवं सेवा-शर्तों पर जांच आयोग (1957—59) की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वेतन-मान निर्धारित किये गये थे। जब गुण-दोषों के आधार पर संशोधन

न्यायोचित समझे गये तो कुछ मामलों में इन वेतन-मानों में तदनन्तर भी संशोधन किये गये। निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के वेतन-मान वे ही हैं जो केन्द्रीय सरकार के सचिवालय से भिन्न कार्यालयों में ऐसे कर्मचारियों के लिये हैं।

प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों के काम और जिम्मेदारियों के आधार पर वेतन-मान निर्धारित किये जाते हैं। जीवन निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मंजूर किया जाता है।

1,000 रु० प्रति माह से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये महंगाई भत्ते की दरें समय समय पर संशोधित की गयी।

ब्रिटिश मशीन टूल मेकर्स इंडिया लिमिटेड कलकत्ता द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

1442. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ऐसोशिएटिड ब्रिटिश मशीन टूल मेकर्स इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता" के विरुद्ध विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मुकदमे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं;

(ग) क्या उन के कलकत्ता तथा मद्रास स्थित कार्यालयों पर छापे मारे गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या उन के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). 16 अगस्त, 1967 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा मेसर्स एसोशिएटेड ब्रिटिश टूल मेकर्स (इण्डिया) लिमिटेड के कलकत्ता तथा मद्रास स्थित स्थानों की तलाशी ली गयी थी और कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे। अब तक की गयी छानबीन के आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धाराओं 6 (1)(क) और 10(1) के उल्लंघनों के लिये मैसर्स एसोशिएटेड ब्रिटिश मशीन टल्स मेकर्स (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता को 2 जुलाई, 1968 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पकड़े गये दस्तावेजों की आगे छानबीन चल रही है।

(घ) इस मामले में मुकदमें की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(ङ) यह सवाल नहीं उठता।

विदेशी सहायता

1443. श्री मु० कु० तापड़िया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता के अनिश्चित वायदों को देखते हुए देश में विदेशी मुद्रा कि स्थिति पर कड़ी निगाह रखी है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विदेशी मुद्रा की नवीनतम स्थिति क्या है;

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में, हाल में मिश्रित प्रवृत्तिय देखने में आयी हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में, पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले, निर्यात 23 प्रतिशत अधिक हुआ, जब कि आयात का स्तर लगभग समान रहा। विदेशी मुद्रा की कुल जमा रकम 30 जून, 1968 को करीब-करीब उतनी ही थी जितनी 1 अप्रैल, 1968 को थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में उस में 17 करोड़ रुपये की कमी हो गयी थी। 1 अप्रैल, 1968 से 25 जुलाई, 1968 तक, 280.7 करोड़ रुपये के गैर-प्रायोजना ऋण के करारों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां

1444. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां तैयार करने में अब तक कितनी सफलता मिली है ;

(ख) देश में खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के किन मूल पदार्थों का परीक्षण किया गया है और प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत सफलता मिली है ; और

(ग) खाई जाने वाली कारगर गर्भ निरोधक गोलियों का कब तक उपयोग होने लगेगा तथा इन्हें कब तक देश में परिवार नियोजन केन्द्रों द्वारा लोकप्रिय बनाया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर): (क) केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ ने खाने वाले गर्भ निरोधकों के लिए कुछ मिश्रित औषधियां तैयार की हैं। पशुओं पर किये गए परीक्षणों में ये औषधियां गर्भ रोकने में कारगर साबित हुई हैं। और भी परीक्षण किए जा रहे हैं।

बाहर से मंगाये गये खाने वाले गर्भ निरोधकों के विभिन्न अंशों और खुराकों के उचित मिश्रणों की भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने जांच-पड़ताल की है और उनकी सिफारिशों के आधार पर, विशेषज्ञों की देखरेख में, आरम्भ में लगभग 1,00,000 स्त्रियों पर एक परीक्षणात्मक तथा प्रदर्शन परियोजना की क्रियान्विति की स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वीकृत खाने वाले गर्भनिरोधकों के सम्मिश्रण और देश के चुने गये परिवार नियोजन केन्द्रों में परीक्षणात्मक तथा प्रदर्शन परियोजना के अन्तर्गत शुरू किये गये खाने वाले गर्भनिरोधकों की सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1500/68]**। इस परियोजना की अवधि दो वर्ष तक है जिस में प्राप्त परिणामों पर विश्लेषण किया जाएगा।

(ग) आबादी के विभिन्न वर्गों में यह प्रमाणित हो जाने के बाद ही कि अमुक गर्भनिरोधक प्रभावशाली भी है और लोगों को स्वीकार भी है, उसको उपयोग में लाने की सम्भावना हो सकती है। परिवार नियोजन केन्द्रों के जरिये इसे लोकप्रिय बनाने का प्रश्न बाद में उठेगा।

औद्योगिक उत्पादों के मूल्य

1445. **श्री स० कु० तापड़िया :**
श्री अदिचन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 18 जुलाई, 1968 को अखिल भारतीय निर्माता संघ के पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड की बैठक में औद्योगिक उत्पादों के मूल्य गिराने के लिये मार्गोपाय निकाले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बैठक में इस बारे में कोई निर्णय किये गये थ तथा क्या सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) उपर्युक्त बैठक में दिये गये सुझावों को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग): अखिल भारतीय निर्माता संघ के पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड की बैठक में किये गये विशिष्ट निर्णयों के बारे में सरकार के पास न तो कोई सूचना है और न संघ ने ये निर्णय सरकार के पास भेजे हैं।

गुजरात में तेल की ढुलाई

1446. श्री द०रा० परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के तेल वाले क्षेत्रों से कुछ तेल वहां से बाहर अन्य तेल शोधक कारखानों को भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत एक वर्ष में इस प्रकार औसतन कितना तेल प्रति मास बाहर भेजा गया ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख): गुजरात तेल शोधक कारखाने की जरूरत के बाद, शेष तेल बम्बई तेल शोधक कारखानों को भेजा जाता था। मई, 1968 से गुजरात तेल शोधक कारखाने की प्रक्रिया बढ़ जाने से तेल को बाहर भेजना बन्द कर दिया है।

(ग) 70643 मीटरी टन।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति

1447. श्री द० रा० परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सेवाओं के शत प्रतिशत मामलों में विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाता है ; और

1782 (Ai) LSD—7

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1962–63 से लेकर 1967–68 तक की अवधि में वर्गवार कुल कितनी पदोन्नतियां की गई और इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को, वर्गवार पदोन्नत किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में तेल के कुएं

1448. **श्री द० रा० परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार तेल वाले क्षेत्र और तेल वाले सफल कुंए कितने हैं ;

(ख) इन कुओं से प्रति वर्ष राज्यवार प्राप्त होने वाले तेल की अनुमानित मात्रा कितनी है और वास्तव में कितना तेल प्राप्त होता है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में कुएं की खुदाई पर कितनी औसत लागत आती है ;

(घ) राज्यवार कितने प्रतिशत कुओं से तेल नहीं निकला है ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में कितने तेल वाले कुएं बेकार पड़े हैं, और उन पर रख रखाव के लिये कितना औसतन माहवारी खर्चा होता है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

1449. **श्री द० रा० परमार :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण तथा सहायता की कितनी योजनाएं अलग अलग चल रही हैं और प्रत्येक योजना पर चालू वर्ष में खर्च करने के लिये आय व्यय में कितने धन की व्यवस्था है ;

(ख) वर्ष 1967–68 के समाप्त होने वाले पिछले वर्षों में गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने प्रति वर्ष कितनी कितनी राशि खर्च की है ; और

(ग) किस किस काम पर ये राशि खर्च की गई थी और उसका परिणाम क्या निकला ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण और राहत के लिए चल रही योजनाओं का व्यौरा 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था।

पिछड़ी जातियों के कल्याण संबंधित इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार के 1968–69 के बजट में 1716.93 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) तथा (ग) : अन्तिम वर्ष संबंधित व्यौरा राज्य सरकारों से एकत्रित किया जा रहा है तथा एक समेकित लेखा सभा पटल पर रखा जाएगा।

गुजरात राज्य में कोयाली तेल शोधक कारखाने और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति

1450. **श्री द० रा० परमार** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में कोयाली तेल शोधन कारखाने और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सेवाओं में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं रखे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) गुजरात राज्य में कोयाली तेल शोधन कारखाने और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सेवाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ; और

(घ) यदि उन्हें श्रेणीवार उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सरकार के आदेशों का अनुसरण करता है और स्थान सुरक्षित की अपेक्षित प्रतिशतता वास्तविक रूप में रखी गई है । जहां तक कोयाली शोधनशाला (गुजरात शोधनशाला) का संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में, यूनिट की दक्षता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मुख्य रूप में सरकार की नीति का अनुसरण करना पड़ता है । इस लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखे गये हैं और जब कभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में से योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं तब प्राप्य रिक्त स्थानों के लिए नियुक्तियां की जाती हैं ।

(ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1501/68]

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दरभंगा मैडिकल कालेज अस्पताल के शल्यक्रिया विभाग का दर्जा बढ़ाया जाना

1451. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने कालेज अस्पताल के शल्यक्रिया विभाग का दर्जा बढ़ाने के संबंध में एक प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा है ;

(ख) क्या यह दर्जा केवल केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से ही बढ़ाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जब तक राज्य सरकार स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दन्त विभागों के उन्नयन स्थापना की केन्द्र पुरस्कृत योजना के अधीन ऐसे उन्नयन के लिये केन्द्रीय सहायता नहीं मांगती तब तक स्नातकोत्तर विभाग के उन्नयन के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं होती ।

(ग) दरभंगा मैडिकल कालेज के शल्य चिकित्सा विभाग के उन्नयन के बारे में राज्य अधिकारियों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

गैर-सरकारी बैंकों में जमा धन तथा लगायी गयी पूंजी

1452. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7954 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी बैंकों द्वारा लगायी गयी धनराशि के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का व्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस समय देश के गैर-सरकारी बैंकों में जमा कुल कितनी धनराशि है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1502/68]

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 5 जुलाई, 1968 को 2903.4 करोड़ रूपये जाम थे ।

मध्य पूर्व के देशों की कम्पनियों से तेल का आयात

1453. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंजीनियरी तथा अन्य माल के बदले में जिन का आयात मध्य-पूर्व के देश करते हैं, भारत के लिये आवश्यक तेल का आयात उन देशों से करने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) यदि हां तो इस का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) यह प्रस्तावित था कि कुवैत नेशनल पैट्रोलियम कम्पनी से इस वर्ष 75,000 मीटरी टन मिट्टी का तेल आयात किया जाए ; जिसके बदले कुवैत इस देश से बराबर मूल्य का सीमेंट आयात करें ; किन्तु कुवैत शोधनशाला पहले से ही अपने मिट्टी के तेल के विक्रय (या निपटान) के लिए पूर्णतया वचनबद्ध थी । अतः प्रस्ताव का अनुसरण नहीं किया ।

कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की समान दरें

†1454. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9620 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य बिजली बोर्ड किसानों से कई अन्य राज्यों की अपेक्षा बिजली की सब से अधिक दर लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उत्तर बिहार में ली जाने वाली दर दक्षिण बिहार में ली जाने वाली दर से अधिक है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे देश में बिजली की समान दर लागू करने का है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : बिजली की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं। इसका कारण बिजली उत्पन्न करने की लागत में भिन्नता का होना है जो इसके सप्लाई के साधन पर निर्भर करती है जैसे हाइड्रो, तापीय अथवा डीज़ल, प्रेसण की सीमा, वितरण की सुविधायें और भार की विशेषताएं। पहले उत्तरी बिहार में कृषि के लिए पम्पिंग सेट्स को दी जानी वाली बिजली की दर दक्षिण बिहार की तुलना में अधिक थी। राज्य बिजली बोर्ड ने 1 जनवरी 1968 से पूरे बिहार में समान शुल्क दर लागू कर दिया है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड अन्य राज्य बिजली बोर्डों की भांति बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के धारा 49 के अन्तर्गत अपने शुल्क दर को निर्धारण करने में सक्षम है। इस अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत यह बोर्ड यथावहार्य अपने कार्य को हानि पर नहीं चलाएगी और समय-समय पर अपने व्यय को व्यवस्थित करती रहेगी। कृषि को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर किस सीमा तक संवर्धन प्रशुल्क निर्धारित किया जा सकता है यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है जो इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली की सप्लाई की दर को उपभोक्ताओं के दूसरे श्रेणियों में व्यवस्थित करके हानि को किस सीमा तक उठाया जा सकता है।

(ग) भारत सरकार ने विद्युत विकास के लिए प्रत्येक राज्य में सेवा व उद्देश्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए समान बिजली दर का अपनाना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

अवमूल्यन से पहले ऋण की राशि

1455. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के कारण विभिन्न देशों से होने वाले व्यापार में रुपये के आधार पर कुल कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है;

(ख) रुपये के अवमूल्यन से भारतीय निर्यात व्यापार पर अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा के रूप में कितना प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जून 1966 से मई 1967 तक की और जून 1967 से मई 1968 तक की अवमूल्यन के बाद की दोनों अवधियों में भारत के कुल विदेशी व्यापार का मूल्य (आयात और निर्यात दोनों के मूल्य समेत) 3214 करोड़ रुपया था जबकि जून 1965 से मई 1966 तक की अवमूल्यन से पहले की अवधि में ए विदेशी व्यापार का मूल्य

2251 करोड़ रुपये था। जून 1966 से मई 1967 तक की तथा जून 1967 से मई 1968 तक की दोनों अवधियों में विदेशी मुद्रा के रूप में भारत के कुल विदेशी व्यापार का मूल्य 42840 लाख अमरीकी डालर था जबकि जन 1965 से मई 1966 तक की अवधि में हुए विदेशी व्यापार का मूल्य 47260 लाख डालर था।

(ख) जून 1966 से मई 1967 तक की अवधि में भारत ने 15060 लाख डालर के मूल्य का निर्यात किया, जबकि जून 1965 से मई 1966 तक 17080 लाख डालर के मूल्य के सामान का निर्यात किया गया था। जून 1967 से मई 1968 तक की अवधि में 16490 लाख डालर के मूल्य का निर्यात हुआ अर्थात् जून 1966 से मई 1967 तक की अवधि के मुकाबले निर्यात में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात पर पड़ने वाले अवमूल्यन के प्रभाव का इस कारण ठीक-ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता क्योंकि अवमूल्यन के तुरन्त बाद की अवधि में निर्यात पर अनेक बातों का असर पड़ा था जिनमें सब से महत्वपूर्ण बात यह थी कि फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हो गयी थीं जिसके परिणाम-स्वरूप अनाज का उत्पादन कम हुआ और बाहर भेजी जाने वाली कृषि-जन्य वस्तुओं तथा कृषि पर आधारित उन वस्तुओं की तंगी हो गयी जिनके निर्यात से अब भी भारत को ज्यादातर आमदनी होती है।

कलकत्ता में विदेशियों की मूर्तियों का हटाया जाना

1457. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता मैदान में तत्कालीन विदेशी शासकों द्वारा लगाई गई विदेशियों की मूर्तियों को हटाने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है अथवा कर रही है, तो वह क्या है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : कलकत्ता मैदान से 17 (सत्रह) मूर्तियों में से 6 (छः) मूर्तियां पहले ही हटाई जा चुकी हैं। जैसे ही मूर्तियों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा शेष मूर्तियां हटा दी जायेंगी।

कलकत्ता का सुधार

1458. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) कलकत्ता की परिवहन व्यवस्था, (दो) स्वच्छता की स्थिति और (तीन) जल सम्भरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार की क्या क्या दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं हैं;

(ख) कितनी योजनाओं को कार्यरूप दिया जा चुका है; और

(ग) अन्य दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं कब क्रियान्वित की जायेंगी?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तस्कर व्यापार में एयर इंडिया के अधिकारियों का हाथ

1459. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में नियुक्त एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री आर० पी० मिश्र और कलकत्ता की एक युवा ब्रिटिश महिला श्रीमती साइमंजस के निवास स्थानों की 10 नवम्बर, 1967 को तलाशी लेने पर विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय को इन दोनों के बीच सरकार को विदेशी मुद्रा का धोखा देने के एक षडयंत्र का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में तलाशी के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को पता है कि श्रीमती साइमंजस का सोने के तस्कर व्यापार से भी सम्बन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 10 नवम्बर 1967 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कलकत्ता में एयर इंडिया के श्री आर० पी० मिश्र तथा श्रीमती करोलीन ए० साइमन्ड्स के स्थानों की तलाशी के परिणामों की जांच पड़ताल करने पर यह पता नहीं चला कि भारत सरकार के साथ विदेशी मुद्रा की धोखा-धड़ी करने में इन दोनों व्यक्तियों का आपस में कोई षडयन्त्र था ।

(ख) श्री आर० पी० मिश्र के निवासस्थान से 150 अमरीकी डालरों का एक चेक तथा कुछ कागजात पकड़े गए । न्याय-निर्णय के बाद प्रवर्त्तन निदेशक ने श्री आर० पी० मिश्र को 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और पकड़े गए चेक को जब्त करने के अलावा उन पर 1400 रुपये का दण्ड भी लगाया गया ।

श्रीमती साइमन्ड्स के यहां से कुछ विदेशी मुद्रा और कागजात पकड़े गए । फिर भी चूंकि श्रीमती साइमन्ड्स ने पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का सन्तोषजनक हिसाब दे दिया था, अतः उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और जब्त की गई विदेशी मुद्रा उन्हें वापस कर दी गई ।

(ग) सोने के चोरी छिपे लाने ले जाने में श्रीमती साइमन्ड्स का हाथ होने के बारे में, सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) यह सवाल नहीं उठता ।

फिल्म कलाकारों के लिये भविष्य निधि योजना

1460. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस में फिल्म कलाकारों के लिए भविष्य निधि योजना लागू करने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । लेकिन, लोक भविष्य निधि योजना, 1968, जो 1 जुलाई 1968 से लागू कर दी गयी है, फिल्म कलाकारों सहित सभी के लिए है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

1461. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन इत्यादि से सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) से 90 लाख डालर की सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी 1968 से अब तक भारत को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए किन किन देशों से कुल कितनी कितनी विदेशी सहायता मिली है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए यूनिसेफ ने अपने कार्यकारी बोर्ड की जून 1968 की मीटिंग में जो सहायता अनुमोदित की है उसका एक विवरण नीचे दिया गया है:—

	वायदा	नियतन	1968 में बोर्ड के सत्रावसान के समय
	अमरीकी डालर	अमरीकी डालर	अमरीकी डालर
1. स्वास्थ्य सेवायें .	3,462,000	1,462,000	2,000,000
2. चिकित्सा प्रशिक्षण .	150,000	150,000	—
3. व्यवहारिक पोषण .	1,215,000	1,915,000	1,500,000
4. शिक्षा .	507,000	1,203,000	800,000
5. परिवार एवं बाल कल्याण .	193,000	193,000	—
6. दुग्ध संरक्षण, लुधियाना .	—	—	556,000
7. उच्च प्रोटीन खाद्य .	—	—	600,000
योग : .	5,527,000	4,923,000	5,456,000

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्रशुल्क तथा विद्युत् सप्लाई के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

1462. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शुल्क तथा विद्युत् सप्लाई की शर्तों का एक समान ढांचा तैयार करने के लिए केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उप समिति ने अभी अपने सुझावों को प्रस्तुत नहीं किया है। आशा है कि इस रिपोर्ट पर बोर्ड की नवम्बर, 1968 को होने वाली सालाना बैठक में विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मोटर गाड़ियों पर कर न बढ़ाया जाना

1463. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में हाल ही में हुई परिवहन विकास परिषद् की सातवीं बैठक में यह माँग की गई है कि मोटर गाड़ियों पर कर न बढ़ाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

अमीनचन्द प्यारे लाल सार्थ समूह

1464. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री अमीनचन्द प्यारे लाल सार्थ समूह के बारे में 10 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क निकासी प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के पश्चात् लोहा तथा इस्पात नियंत्रण द्वारा इसमें संशोधन करने की वैधता के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह की संसद् में की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बीच महान्यायवादी अथवा सालीसिटर जनरल की राय ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन की राय प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). संसद् में हुई चर्चा में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि महान्यायवादी अथवा महा सालिसिटर की राय प्राप्त की जानी थी। माल का आयात हो जाने के बाद सीमा शुल्क परिशोधन परमिट में संशोधन करने की वैधता के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय की सलाह स्पष्ट और निश्चित थी और कोई अन्य कानूनी राय लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

ब्रिटेन में रह रहे भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा धन-प्रेषण

1465. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 419 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अनधिकृत प्रतिपूरक सौदों के बारे में इस बीच कोई जाँच की गई है, जिनके कारण ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली राशि कम होती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन प्रतिपूरक किस्म के अनधिकृत सौदों को रोकने कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख). ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा अवैध रूप से भेजे गये रुपयों से सम्बन्धित "प्रतिपूरक भुगतानों" के कई मामलों का प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पता लगाया जा रहा है। इनमें से कई मामलों में जाँच-पड़ताल की जा चुकी है और जहाँ विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधियिम का उल्लंघन होना सिद्ध हो चुका है, वहाँ पकड़ी गयी मुद्रा की जब्ती के लिए तथा/अथवा निजी दण्ड लगाने के लिए अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की गयी है।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय निरन्तर सतर्क है तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों के मामलों में उचित कार्यवाही कर रहा है। विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 में यह व्यवस्था करते हुए 1965 में सशोधन किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में हो अथवा भारत का निवासी हो, वह भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के आदेश द्वारा अथवा उसकी ओर से, कोई भी भुगतान अधिकृत डीलर को छोड़कर किसी दूसरे जरिए से प्राप्त नहीं करेगा। इस व्यवस्था से प्रवर्तन निदेशालय "प्रतिपूरक भुगतानों" की प्रणाली के जरिये भेजी गयी रकमों की प्राप्तियों के काफी मामलों का पता लगाने में समर्थ हुआ है। 1966 में रुपये के अवमूल्यन का अभिप्राय, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी मुद्रा की गैर-सरकारी तथा सरकारी दरों के बीच के अन्तर को दूर करना था जिससे "प्रतिकारी भुगतानों" की प्रणाली को सहारा लेने के प्रोत्साहन को कम किया जा सके।

Cases Against Shri Haridas Mundhra

1466. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2791 on the 1st December, 1966 and state :

(a) whether the investigation started against Shri Haridas Mundhra for contravention of the provisions of the Foreign Exchange Regulations Act, 1967 has since been completed ; and

(b) if so, the nature of action taken as a result of the findings of the enquiry ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The investigations by the Enforcement Directorate into the contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 by Shri Haridas Mundhra are still in progress.

(d) Does not arise .

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की दवाइयां

1467. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की दवाइयां बड़ी मात्रा में औषधालयों के माध्यम से बाजार पहुंच जाती हैं तथा पुनः सरकार को बेच दी जाती हैं ; और

(ख). यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). यद्यपि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों से औषधियां चुराये जाने तथा इन औषधालयों के स्टोरों से खयानत होने के मामले कितनी ही बार पकड़े गये हैं किन्तु केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों से चुराई गई औषधियों के पुनः केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को ही बेचे जाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत औषधियां प्रसिद्ध निर्माताओं अथवा उन के एजेण्टों से ही ली जाती हैं।

राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक राशि निकालना

1468. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मु० न० नाघनूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा नियत राशि से अधिक राशि निकालने पर प्रतिबन्ध लगाये हैं ; परन्तु राज्य उन प्रतिबन्धों की अवहेलना करते रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक राशि रिजर्व बैंक से निकालने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रिजर्व बैंक ने समय समय पर राज्य-सरकारों को सलाह दी है कि वे बैंक से अधिकृत रकमों से ज्यादा रकमें न निकालें ;

(ख) 24 जुलाई, 1968 तक नीचे लिखे चार राज्यों ने अधिकृत सीमा से कुल 7.80 करोड़ रुपये की रकम ज्यादा ली थी ।

(करोड़ रुपयों में)

असम	1.70
बिहार	0.78
मैसूर	0.89
राजस्थान	4.43
	7.80

उर्वरकों का उत्पादन

1469. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में देश में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष में कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार को इस समय आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की भारी कमी का पता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी यथाशीघ्र सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

(क) उत्पादन (मीटरी टन)

	1966-67	1967-68
(1) नाइट्रोजीनस (एन) के रूप में)	307,936	366,815
(2) फासफेटिक (पी 2 ओ 5 के रूप में)	144,893	194,014

नाइट्रोजन और पी 2 ओ 5 की आवश्यकता और देशीय उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । के 2 ओ का देश में कोई उत्पादन नहीं है । कुल आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है ।

(ख) और (ग). आन्ध्र प्रदेश के पास, 1-4-68 को, पिछले वर्ष का यूरिया का बकाया स्टाक 71,471 मीटरी टन था । इसके पश्चात् 15 जुलाई, 1968 तक केन्द्रीय उर्वरक पूल ने 38,000 मीटरी टन यूरिया को सप्लाई आन्ध्र प्रदेश को की । इस तरह आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है । इस सम्बन्ध में कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

Vijay Ghat

1470. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the head under which the expenditure being incurred on the memorial of the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri is debited and the amount of expenditure incurred by Government on this item so far ; and

(b) the total amount provided for the completion of the memorial ?

The Deputy Mimnister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). An expenditure of Rs. 2.39 lakhs has been sactioned . Against this , an expenditure of Rs. 1.90 lakhs has been incurred so far. The expenditure is being debited to the the head "104- Delhi Capital Outlay ".

दिल्ली नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मामले

1471. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों में भ्रष्टाचार के कोई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) कितने अधिकारियों के विरुद्ध अभी जांच की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Banda Government Hospital (U.P.)

1472. Shri Jageshwar Yadav: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact there is no X-ray equipment in the Banda Government Hospital at present ;

(b) if so, the reasons for not having X-ray equipment in this Hospital ;

(c) whether Government propose to make arrangements for an X-ray equipment in this hospital ;

(d) whether it is also a fact that there is only a small hospital run by the District Board in the Baberu Town area of Banda District which is not sufficient to meet the requirements of such a large population there ; and

(e) whether Government propose to expand this Hospital and take it over ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha .

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

1473. श्री स० चं० सामन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा उपक्रमों पर उनका मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालय यदि कोई नियंत्रण रखते हैं तो वह क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में केन्द्रीय सरकार के हितों की देख-रेख करने के लिये कोई केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड अथवा ऐसी ही कोई संस्था है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी उपक्रमों पर मंत्रालयों के नियंत्रण का स्वरूप इस प्रकार का है कि सामान्यत: इन उपक्रमों के आन्तरिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में, जिनमें स्वीकृत प्रायोजनाओं का संचालन-व्यय और पूंजीगत व्यय, विशिष्ट स्तरों से नीचे की नियुक्तियां शामिल हैं, प्रत्येक मामले में उपक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पूरे अधिकार दिये गये हैं । लेकिन सम्बद्ध मंत्रालय सामान्य नीति, ऊंचे कार्यकारी और वित्तीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों तथा उन परियोजनाओं के बारे में पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में नियंत्रण, पर्यवेक्षण और मार्ग दर्शन करने आदि का काम करते हैं जिनका ब्यौरा सरकार द्वारा स्वीकार न किया गया हो ।

(ख) अपने क्षेत्राधिकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली निगरानी के अलावा वित्त मंत्रालय का सरकारी उद्यम कार्यालय, सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में, समन्वय, सेवा तथा मूल्यांकन अभिकरण के तौर पर काम करता है ।

यूनिट ट्रस्ट योजना

1474. श्री स० चं० सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिट्स ट्रस्ट-योजना को कितनी सफलता मिली है और इस से सरकार तथा यूनिटों के मालिकों को क्या लाभ हुआ है;

(ख) जुलाई, 1968 के महीने तथा इसके आसपास यूनिटों की दरों में कमी किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय तक कुल कितने यूनिटों की बिक्री हो चुकी है ? और इस बिक्री की राज्यवार स्थिति क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यूनिट, ट्रस्ट, जो पिछले चार वर्षों से काम कर रहा है, बचतों की 41.13 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने और उसे उत्पाद के निवेशों में लगाने में सफल हुआ है । ट्रस्ट बहुत सी प्रमुख और सुस्थापित कम्पनियों में पूंजी लगाकर यूनिटधारियों को पूंजी की सुरक्षा तथा उन से होने वाली नियमित आमदनी की गारंटी देता है। इसने प्रथम वर्ष में 6.1 प्रतिशत और बाद के तीन वर्षों में 7 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है । 1000 रुपये तक के मूल्य के यूनिटों की आमदनी पर कर नहीं लगता । यूनिटों को शीघ्र ही भुनाया जा सकता है । यद्यपि यूनिट ट्रस्ट से सरकार को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता फिर भी यह बचत-प्रोत्साहन और अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने की दिशा में सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों में सरकार की सहायता करता है ।

(ख) यूनिटों के बिक्री मूल्य में एक ऐसा तत्व शामिल है जो ट्रस्ट के निवेशों पर, वर्ष के प्रारम्भ से लेकर बिक्री मूल्य निर्धारित करने की तारीख तक होने वाली आमदनी का द्योतक है । जैसे-जैसे लेखा-वर्ष समाप्त होता जाता है, वैसे-वैसे उनका निर्धारित बिक्री मूल्य बढ़ता जाता है जो यूनिटों की बिक्री के समय उन पर पहले से ही अर्जित लाभांश को प्रकट करता है । लेखा-वर्ष के आरम्भ में अर्थात् जुलाई में बेचे जाने वाले यूनिटों के मूल्य में लाभांश का यह अंश शामिल नहीं होता और इसलिए यूनिटों का बिक्री मूल्य कम होता है ।

(ग) जून, 1968 के अन्त तक, कुल 41.13 करोड़ रुपये के मूल्य के यूनिट बेचे गये थे। उपर्युक्त रकम का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली और नई दिल्ली का नगरीय विकास

1475. श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में दिल्ली तथा नई दिल्ली के कस्बे के विकास पर कितना खर्च किया गया और चालू वर्ष के लिये क्या योजनायें हैं;

(ख) इस खर्च का कितने प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करती है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में किये गये खर्च की तुलना में यह खर्च कितना अधिक है और इसमें यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने 1963-64 से आगे विकास योजनाओं पर जो धन खर्च किया है वह परिशिष्ट I में दिया गया है और उसी अवधि में नई दिल्ली नगर पालिका ने जो धन खर्च किया है तथा उसे केन्द्रीय सरकार से जो अनुदान मिले हैं, वे परिशिष्ट II में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1503/68]**। इन वर्षों में जो धन खर्च हुआ है उसके आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि सामान्यत: इन विकास योजनाओं पर जो धन खर्च हुआ है वह हर वर्ष बढ़ता ही गया है। खर्च की इस वृद्धि का कारण शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक निर्माण कार्यों को हाथ में लेना, सड़कों को सुधारना तथा चौड़ा करना, सड़कों की रोशनी में सुधार करना, नालियों को सुधारना, वाणिज्य सम्बन्धी प्रायोजनाओं को चलाना, नगर को खूबसूरत बनाने की योजनायें चलाना, आवास तथा अधिक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना और नये-नये निर्माण करना आदि हैं।

पांचवां वित्त आयोग

1476. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवें वित्त आयोग ने अपना काम आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन, राज्यों में और अब तक उसने किन-किन लोगों से बात-चीत (इन्टर्व्यू) की है; और

(ग) उसका प्रतिवेदन संभवत: कब तक पूरा हो जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) आयोग ने, अपनी अन्तरिम रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से, 26 जुलाई 1968 तक नौ राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर और नागालैंड के प्रतिनिधियों से बात-चीत की है।

(ग) आयोग के गठन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार (जो राज्य-सभा की मेज पर 29 फरवरी 1968 को रखा गया था), आयोग को 30 सितम्बर, 1968 तक अन्तरिम रिपोर्ट पेश करनी है। आयोग को अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 जुलाई, 1969 तक देनी है।

मुद्रा का परिचालन

1477. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1968 के पश्चात् देश में मुद्रा का परिचालन बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घाट की अर्थ व्यवस्था के कारण भी यह वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो मार्च 1968 से लेकर अब तक, प्रति मास, कितनी राशि की घाटे की व्यवस्था की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जनता के पास मुद्रा की उपलब्धि मार्च, 1968 के अन्त में 5350 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1968 के अन्त में 5466 करोड़ रुपया हो गयी अर्थात इस में 116 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी ।

(ग) और (घ). घाटे की अर्थ व्यवस्था जैसी कि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋणों से आंकी जाती है, उन कई कारणों में से एक है जिनका मुद्रा उपलब्धि की घट-बढ़ पर प्रभाव पड़ता है। अप्रैल, 1968 में रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋणों की बकाया रकम में 105 करोड़ रुपये की और मई, 1968 में 22 करोड़ की वृद्धि हो गयी जबकि जून, 1968 में 1 करोड़ रुपये की कमी हो गयी थी। और बातों के साथ-साथ घाटे की अर्थ व्यवस्था के इन मासिक आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि सरकारी प्राप्तियों और व्यय की गति अलग-अलग महीनों में एक जैसी नहीं होती है। लेकिन इन आंकड़ों को पूरे वर्ष में होने वाली घाटे की कुल अर्थ व्यवस्था का सूचक नहीं माना जा सकता ।

मीठापुर (गुजरात) में तेल साफ करने का कारखाना

1478. श्री शिवचन्द्र झा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के मीठापुर में तेल साफ करने का काम टाटा बन्धुओं को सौंपा जाने वाला है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्रों में राज्यवार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कम्पनीवार कितने-कितने तेल के औद्योगिक कारखाने तैयार हो चुके अथवा तैयार हो रहे है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). मीठापुर में कोई तेल शोधनशाला स्थापित करने का विचार नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठते ।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में चार और सरकारी क्षेत्र में चार तेल शोधनशालाए हैं सरकारी क्षेत्र में एक और शोधनशाला निर्माणाधीन है और एक अन्य आयोजनाधीन है ।

एक लब प्लान्ट भी निर्माणाधीन है; जिसमें सरकार और एक तेल कम्पनी का बराबर अर्थात 60: 50 का स्वामित्व है।

कमला बालान, बिहार में बाढ़

1479. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमला बालान बिहार में बाढ़ बढ़ रही है और उससे बिहार में झझरपुर के निकट पुलों को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती बाढ़ का सामना करने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस वर्ष झझरपुर में कमला बालान नदी का स्तर 14 जुलाई को 166.37 तक और 16 जुलाई को 166 तक पहुंच गया और यह दोनों अवसर पर उसी सांय नीचे आ गया। ये स्तर इस जगह पर तटबन्धों के उपरी भाग में लगभग 7 से 8 फुट नीचे थे। राज्य सरकार इस पर लगातार निगरानी रख रही है और अभी तक तटबन्ध बचे हुए हैं।

Eastern and Western Kosi Embankments

†1480. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the expenditure incurred yearly on the repairs of the western and Eastern Kosi and embankments ;

(b) the expenditure incurred on the construction of pucca embankment from Bhardah to Kunauli in the area situated in Nepal on the western embankment ;

(c) whether local authorities and people have also demanded that all the rest the embankments from Kunauli to Nirmali may also be turned into pucca embankments ; and

(d) if so, the time by which the said embankments would be turned into pucca embankments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (*a*) Expenditure incurred on special repairs and River conservancy measures for the last five years is given below :——

1963—64	—	Rs. 88.74 lakhs
1964—65	—	Rs.125.54 lakhs
1965—66	—	95.76 lakhs
1966—67	—	Rs.61.10 lakhs
1967—68	—	Rs. 50.00 lakhs

(b) Approximately Rs. 8 lakhs were spent for making the top surface of the embankment pucca.

(c) Yes.

(d) The construction of Pucca service road will be taken up when adequate funds are available

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गुजरात आवास योजना

1481. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक राज सहायता प्राप्त आवास योजना मंजूरी के लिए भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है और उसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Production In Trombay Fertilizer Factory

1482. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemical** be Pleased to state :

(a) whether an enquiry has been held in regard to the shortage of 3608 tonnes of Urea and 5,632 tonnes of Nitro-phosphate in the Fertilizer Factory, Trombay as stated in the Report of Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year 1967-68;

(b) if so, the result thereof ;

(c) whether it is a fact that there was much less production in the Trombay Factory as compared to its capacity during that year; and

(d) if so, whether the production is on the increase now and if so, of which commodities and their percentage to the production capacity ?

The Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah): (a) and (b): The alleged shortage pertains to the year 1966—67 and not to 1967-68. A Committee appointed by the Board of Directors of the Company enquired into matter and came to the conclusion that there were no real shortages and that the discrepancies were due to over assessment of production figures based not on actual weighment but on certain calculations. On the recommendation of the Committee cross checking of production figures by actual weighment at the Bagging Plant has since been introduced at Trombay.

(c) Trombay factory is designed for the production of 90,000 tonnes of Nitrogen and 45,000 tonnes of $P_2 0_5$, the end products being Urea and Nitrophosphate. During 1967—68 the factory produced 57436 tonnes of Urea, 22355 tonnes of Nitrophosphate (16:13:0) and 70220 tonnes of Nitrophosphate (20:20:0) making a total of about 44,000 tonnes in terms nitrogen and 17,000 tonnes in terms of P_2 O_5 which works out to about 49% and 37.8% respectively of the installed capacity.

(d) The factory produced during April-June 1968, 17212 tonnes of Urea and 19305 tonnes of Nitrophosphate (20:20:0) making a total of 11778 tonnes of Nitrogen and 3861 tonnes of P_2 O_5. The production of Nitrogen is about 52% and P_2 O_5 about 34.3% of the

installed capacity. The production of P_2O_5 during April-June, 1968 was low on account of the yearly maintenance work undertaken during the period. Thus there has been a marginal increase Nitrogen production and a marginal decrease in P_2O_5 production.

Fertilizer Factory, Namrup

1483. Shri Mrityunjay Prasad: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Fertilizer Factory, Namrup (Assam) has started production;

(b) if so, since when and the percentage of production to the production capacity;

(c) whether Government have formulated any scheme to expand this factory;

(d) if so, when the expansion scheme was formulated and since when work is being carried out according to this Scheme;

(e) the saving in expenditure in case a scheme for more capacity had been originally formulated and the expansion not taken in hand at later stage; and

(f) the persons responsible for modifying the original scheme to this great extent so soon?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah): (a) and (b): No, Sir. Equipment is being tested and is under trial runs.

(c) Yes, sir.

(d) The feasibility study for the Expansion Project was submitted by the Fertilizer Corporation in October, 1966. Work on the project has started from March, 1968.

(e) It is not possible to make a meaningful comparison and calculate the saving as the present expansion is based on new technology which was not in vogue at the time of the formulation of the original project. The new technology is expected to reduce costs appreciably.

(f) The original scheme has not been modified.

उड़ीसा के गांवों का विद्युतीकरण

1484. श्री अ० दीपा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 में उड़ीसा राज्य के फूलबनी जिले में कितने गांवों तथा कस्बों के विद्युतीकरण की संभावना है ।

(ख) गत तीन वर्षों में कितने गांवों तथा कस्बों का विद्युतीकरण किया गया और उन का व्योरा क्या है ;

(ग) क्या 1968–69 में फूलबनी जिले में कोई परियोजना बनाई जाने की संभावना है ;

(घ) क्या वाघनदी सालुकी (सतीघाट) मेहरानी नदी तेला नदी खड़गी नदी और महानदी को भी विद्युतीकरण के लिए किसी परियोजना के लिए चुने जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1966–67 के ग्राम विद्युतीकरण के काम में सिंचाई पम्पों को अर्जित करने पर बल दिया गया है । उड़ीसा राज्य के फूलबनी जिले में 1968–69 के दौरान किसी गांव या शहर के विद्युतीकरण की संभावना नहीं है ।

(ख) 1965–66 के दौरान फूलबनी जिले के एक गांव में बिजली लगाई गई थी ।

(ग) फूलबनी जिले में साल्की मध्यम सिंचाई परियोजना और छ: उठान सिंचाई परियोजना की कार्यान्विति की जा रही है । उठान सिंचाई परियोजनाएं डीजिल प्रचालित हैं । 1968–69 के दौरान कोई बृहत मध्यम व उठान सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नहीं है । फूलबनी जिले में 11 लाख की अनुमित लागत पर प्राय विद्युतीकरण स्कीमें कार्यान्वित के लिए तैयार हैं परन्तु उन की कार्यान्विति धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

(घ) और (ङ) बाधनदी रोल और अपर सोलंकी से सम्बन्ध तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की चौथी योजना के दौरान कार्यान्विति के लिए जांच की जा रही है । इन की कार्यान्विति धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है । महानदी पर 13 बाघनदी पर 3 और तेला नदी पर 3 उठान सिंचाई परियोजनाओं को भी चौथी योजना के दौरान आरम्भ किया जा सकता है यदि धन उपलब्ध हो जाए । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक चौथी योजना के दौरान कार्यान्विति के लिए महरानी नदी और संरग नदी पर किसी बृहत मध्यम व उठान सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रायें

1485. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1968 तक की अवधि में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को छोड़ कर अन्य कितने सरकारी अधिकारी भारत से विदेश यात्रा पर गये ;

(ख) उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(ग) उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(घ) उनकी यात्राओं के उद्देश्य क्या थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1 जनवरी से 30 जून, 1968 की अवधि के दौरान भारत से बाहर जाने वाले अधिकारियों की संख्या 355 है ।

(ख) से (घ) सूचना अनुबन्ध में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1504/68]

भारतीय नगरों का मनमाना विकास

1486. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री:** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के नगरों के गैर योजनाबद्ध तथा मनमाने विकास से उत्पन्न समस्याओं पर विचार कर रही है ;

(ख) अधिकतर नगरवासियों को आवास, सफाई, स्कूल आदि के अभाव से उत्तरोत्तर हो रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ चुनीदा नगरों की विकास योजनायें तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता (अनुदान) देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक योजना तीसरी पंच-वर्षीय योजना में चलाई थी। ये सुधार योजनाएं इन नगरों के भावी विकास को विनियमित करने में सहायक होने के साथ साथ इन नगरों में अव्यवस्थित तथा अनियमित विकास के कारण नगर के स्वरूप में उत्पन्न असन्तुलन को धीरे धीरे कम करने में भी सहायक होंगी। बड़े तथा महत्वपूर्ण शहरों के लिये विकास योजनाएं तैयार करने तथा इन योजनाओं के क्रियान्विन के लिये ऋण के रूप में सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Crude Oil Requirements

1487. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large portion of the requirements of crude oil at present is met from imports ;

(b) if so, the amount of foreign exchange spent thereon annually; and

(c) the steps taken by Government to make the country self-sufficient in this regard?

Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) About Rs. 80 crores in 1967.

(c) Both ONGC & OIL are stepping up the pace of exploration and exploitation of discovered oil resources.

Power Failures in Delhi

1488. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Irrigation and Power be** pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the increasing number of electric break-downs in Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The attention of the Government of India has been drawn to several recent cases of power break-downs in Delhi.

(b) Such power failures are mainly due to break-downs in the distribution system which is served partly by overhead lines and partly by underground cables. In a recent case on 26th May, 1968, there was a power break-down in the Indraprastha Station Extension owing to a birdage fault. In Delhi (excluding New Delhi) the transmission and distribution system is predominently overhead and, therefore, more prone to faults than the underground system.

(c) Measures are in progress for augmenting and improving the system. The main features are as follows:—

(i) Overhead feeders are being replaced as far as possible by underground cables.

(ii) Duplicate sources of power supply are being arranged for all important areas to the extent possible.

(iii) A joint control room has been set up so that, in the event of break-downs, proper co-ordination can be effected for restoring power supply in the areas covered by DESU and the New Delhi Municipal Committee.

(iv) To scare away birds from the switchyard, explosives are being fired regularly in the switchyard. Dumping of garbage/malba which had attracted birds has now been stopped within a radius of one mile of the Power Station. Definite operating instructions are being worked out with a training programme so that operators are fully trained in the use of emergent procedures.

Visit to U.S.A. and Canada by Government Officers for Fertilizer Market

1490. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a team of Government Officers recently visited U.S.A. and Canada with a view to study the fertilizer market;

(b) if so, the main features of the report of the said team; and

(c) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) A statement, indicating the major recommendations made by the Team, is laid on the Table of the House.

(c) The Report is under consideration.

Statement

1. **Market Intelligence:** A continuous contact with production, consumption and exports etc. should be maintained. For this purpose I.S.M. Washington/London and our Embassies in Ottawa and Tokyo be asked to furnish reports on a regular basis.

2. **Timing and Suitable Lots for Floating Tenders:** The tenders may normally be floated for delivery periods not exceeding 2 to 3 months. Shipment should be restricted to the minimum quantity during the domestic seasons in USA/Canada and a minimum 3 months' lead should be given for the commencement of delivery.

3. **Terms and Conditions:** Terms and conditions of Tender should not be subject to frequent changes and specifications for different types of fertilizers too, should be approved on long term basis.

Efforts should be made to evolve ways and means for obtaining Urea in bulk, as the bagging costs are considerably high. Till then bagging specifications should be standardised as changing of specifications frequently leads to increase in the price.

4. **Freight Rates and Loading/Unloading Facilities:** The question of mechanisation of discharge at the Indian Ports be persued at a high level with a view to increasing the discharge rate, so that valuable Foreign Exchange is saved in terms of bagging cost and freight.

5. **Quotations direct from Manufacturers:** Although a number of major producers of fertilisers have realised that it would be to their advantage to quote directly instead of through brokers, freedom to quote through brokers may not be eliminated altogether, as that would be

cutting out a number of smaller producers of fertilizers who might be introducing a greater element of competition in the tenders.

6. **Long Term Contracts:** The possibile ities of entering into long-term contracts for the purchase of fertilizers should be further/examined in consultation with US AID.

मृत सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के किराये के बिल

1491. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों में कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारियों के बारे में जिहोंने सरकारी क्वार्टर खाली कर दिये हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा सेवा निवृत हो गये हैं ; किराये की वसूली करने के लिये बिल सम्पदा निदेशालय से सम्बन्धित मंत्रालय को भेजे जाते हैं ;

(ख) उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपने क्वार्टर खाली कर दिये थे और जिनके नाम पर किराये की वसूली के लिये बिल पिछले तीन वर्षों में भेजे गये थे जिन्हें सम्बन्धित मंत्रालय ने वापिस कर दिया था मंत्रालय-वार तथा वर्ग-वार ब्योरा क्या है ; और

(ग) ऐसे बिल सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ग) पूरक नियमावली 317–बी–11 के उपबन्धों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में जैसे कि मृत्यु, बरखास्तगी, सेवानिवृतता, स्थानान्तरण आदि में सरकारी वास को अपने पास बनाए रखने की अवधि में कुछ रियायत दी जाती है। ऐसे सभी मामलों में वास को अपने पास बनाए रखने की ऐसी रियायती अवधि के लिए अन्तिम वेतन देय अथवा अधिकारी के अन्य देयों अथवा उसके मृत्यु सेवानिवृति उपदान लाभों में से वसूल करने के लिए किराये के बिल सम्बन्धित विभागों को भेजे जाते हैं यद्यपि आपकी चाहे मृत्यु हो गयी हो सेवानिवृति हो गया हो अथवा स्थानान्तरण हो गया हो अथवा ऐसी रियायती अवधि के भीतर या वह समाप्त हो गयी हो । ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित कर्मचारियों के अन्तिम देयों में से संबधित विभागों के द्वारा किराया वसूल करना संभव नहीं होता तो बगैर वसूल की गयी शेष राशि या तो उनसे अथवा उनके वैधानिक उत्तराधिकारी अथवा यदि कोई जमानती (स्योरिटी) है तो उससे वसूल किये जाते हैं ।

(ख) ऐसे कोई संख्यात्मक आंकड़े नहीं रखे जाते तथा अब उनके एकत्रित करने में जो समय और श्रम लगेगा उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा ।

Circulation of Bogus Currency Notes by Pakistan

1492. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan is printing bogus currency notes and circulating them in the border areas of 24-Pargana District; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the value of the currency notes confiscated during the last six months.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) There has so far been no conclusive evidence to show that counterfeit currency notes are being printed or circulated by Pakistan in the border areas of 24-Parganas District.

However, during the last six months *i.e.* January 1968 to June 1968, counterfeit Indian currency notes of the value of Rs. 907/- were seized in the border area of 24-Paraganas District.

Salal Hydro-Electric Project

1493. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 5852 on 1st April, 1968 and state;

(a) whether it is a fact that Government have since taken a decision to take over the Salal Project to be constructed on Chunav river;

(b) if so, the amount likely to be spent thereon; and

(c) the time by which the said work is likely to be completed?

Dy. Minister for Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) No decision on this subject has been taken.

(b) and (c) The project proposals for the Salal project are being finalised. It is only after the proposals are finalised that the details *e.g.* estimate of cost, the period of construction would be known.

बम्बई के एक कमीशन एजेन्ट से पकड़े गये दस्तावेज

1494. **श्री निहाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के एक कमीशन एजेंट से पकड़े गये दस्तावेजों की इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) जो दस्तावेज पकड़े गये उनसे 67 व्यक्तियों के साथ लेन देन का पता चला है । छः मामलों में तलाशियां ली गयी । जांच पड़ताल चल रही है । जांच पड़ताल के दौरान दस्तावेजों के व्योरे प्रकट करना सम्भव नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Civic Amenities for Unauthorised Colonies of Delhi

1495. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Health, Family Plannning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7063 on the 15th April, 1968 and state :

(a) whether the information regarding civic amenities provided to unauthorised colonies in Delhi has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister For Health, Family Planing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : *(a)* The information has been partly collected.

(b) The number of unauthorised colonies in Delhi is 101. In unauthorised colonies no regular roads have been constructed. However, basic amenities in the form of dry brick flooring, cheap type drains, etc., have been provided to improve environmental sanitation.

A list of unauthorised colonies, where some basic amenities have been provided is laid on the Table of the Sabha.

List

So. No.	Name of unauthorised colony
1.	Basti on the North side of Gandhi Nagar.
2.	Improvement of Jain Mandir Basti Kailash Nagar.
3.	Dry brick flooring in Kailash Nagar.
4.	Circular Road.
5.	Gali Nathu Nai, Gandhi Nagar.
6.	Opp. Banarsi Dass building, Gandhi Nagar.
7.	Ajit Nagar.
8.	Mandir Wali Gali, Gandhi Nagar.
9.	Gita Colony.
10.	Gobind Pura.
11.	Jhil Kurenja.
12.	Rehman building, Gandhi Nagar.
13.	Raghurpura.
14.	Ram Nagar.
15.	Gorakhpark
16.	Sunder Park.
17.	Baldev Park.
18.	Shivaji Park, Shahdara.
19.	Kundun Nagar.
20.	Mukesh Nagar, Shahdara.
21.	Jawala Nagar, Shahdara.
22.	Ram Nagar, Shahdara.
23.	Raghbarpura No. 2.
24.	Vishvash Nagar, Shahdrara
25.	Brijpuri, Shahdara.
26.	Radhey Sham Park.
27.	Chander Nagar, Gian Park, Shahdara.
28.	Chand Mohalla, Gandhi Nagar.
29.	Arjun Nagar, Shahdara.
30.	Mansarovar Park, Shahdara.
31	New Layllpur, Shahdara.
32.	Anarkali Shahdara.
33.	East Gorakhpark, Shahdara.

34. Sarojini Naidu Park.

35. Subhash Road, Gandhi Nagar.

36. Braham Puri.

(*c*) Further details are being collected.

Expansion of Trombay Fertilizer Factory

1496. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri K.P. Singh Deo :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government approved in November, 1967 the scheme for expanding the Trombay Fertilizer Factory ;

(*b*) whether it is also a fact that Naphtha required for its expansion programme have to be imported ;

(*c*) whether U.S.A. Government have sanctioned a loan for its expansion and if so, the details thereof ; and

(*d*) the estimated increase in the annual capacity after expansion ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (*a*) The scheme for the expansiom of the Trombay Fertilizer Factory was approved, in principle, by the Government in September, 1967.

(*b*) No, Sir.

(*c*) The United States Agency for International Development has authorised a loan of $36.9 million for financing the foreign exchange costs of the expansion of the Trombay Fertilizer Plant. The relevant agreement for the loan is yet to be finalised and signed.

The loan will be repayable in dollars over 40 years including a grace period of 10 years. Interest will be charged at 2% per annum during the grace period and 2 1/2% thereafter.

(*d*) The annual capacity after expansion will increase by 229,000 tonnes of Nitrogen and 124,000 tonnes of P_2O_5 per year.

Haldia Refinery

1498. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) the progress so far made in the construction of Haldia Refinery ;

(*b*) whether it is a fact that crude oil would have to be imported for this Refinery ; and

(*c*) the names of other chemicals likely to be produced in Haldia from the petroleum gas in addition to refining the crude oil ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) (*a*) The proceess design work for the Refinery units is in progress and is likely to be completed by the end of September, 1968. A Plot Plan of the Refinery is under preparation. Arrangements for water and power supply and rail/road link have been taken up.

(b) Yes, in order to meet a part of the initial requirements of the Refinery for the first 5-6 years.

(c) None.

Diesel Oil

1499. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present production of high-speed diesel oil in India exceeds its demand and Government propose to export it ;

(b) whether it is also a fact that the tube wells with diesel engines are run with power since farmers do not have the capacity to purchase costly diesel oil because of high imports ; and;

(c) if so, the action being taken by Government to supply diesel oil at cheaper rates to farmers for running tractors and tube wells ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Socials Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes Sir.

(b) and (c) : The farmers use power for lift irrigation for operational convenience and economy. There is no proposal to supply diesel oil to farmers at cheaper rates than to other consumers.

Mixture of Kerosene With Diesel Oil

1500. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Miniser of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the kerosene mixed with 10 per cent mobil oil is being sold as diesel oil in the country since the import of the diesel (high speed) oil is higher than that of kerosene with the result that machines run by diesel become defective ; and

(b) if so, whether Government propose to reduce the taxes on high speed diesel oil ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Complaints have reached the Government regarding adulteration of Kerosene and its sale, at times, as High Speed. Diesel Oil. No specified eatails were, however, given and information about the extent of such adulteration is also not available. The excise duty on Kerosene is lower than on High Speed Diesel Oil. Diesel Oil is not imported into the country.

(b) No, Sir.

Rural Housing Scheme

1501. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether the team appointed to conduct the sample survey of the Rural Housing Scheme and to ascertain the progress made in housing has submitted its report ; and

(b) if so, the main recommendations made and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : Four study Teams were set up by the Working Group on Housing for the Fourth Plan to make

a quick field level sample survey of the working of rural housing programmes in eight selected States. The reports of the Study Teams, which were primarily in the nature of a factual assessment, were discussed by the Working Group and the conclusions arrived at are indicated in the statement given below. These conclusions, will be of help in formulting a rural housing programme for the Fourth Five Year Plan.

STATEMENT

Conclusions :

(a) The Village Housing Projects Scheme is an important social housing scheme covering a vast majority of needy population of the country. It is, therefore, absolutely essential to continue it in the Fourth Plan.

(b) The present Village Housing Projects Scheme should be revised and simplified, incorporating in clear terms only the basic requirements and essential conditions.

(c) Sufficiently larger amount of funds should be provided for the Scheme and suitable measures should be devised to ensure that the funds provided for the Scheme are not diverted to other development heads.

(d) For the next two years or so efforts should be concentrated on the completion of those houses the construction of which has already begun on receipt of 1st instalments of loan, but completion has suffered for want of securing further instalments of loans. Thereafter, the Scheme should be implemented in specific areas or regions, so as to avoid dispersal of effort. These areas should be located, as far as possible, in places where supporting programmes, such as the programme for grants to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Harijans etc. for house building, reclamation of waste lands and resettlement of landless agricultural labour, rural manpower programme etc. are being implemented. Areas affected by natural calamities should also be given preference for implementation of the Scheme.

(e) Suitable provisions should be included in the Scheme to secure proper coordination of all the rural improvement programmes at the State and Block levels. This is necessary to facilitate the flow of assistance from different authorities to villagers in the selected areas in an integrated manner.

देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये चिकित्सा परिषद्

1502. **श्री यशपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये एक चिकित्सा परिषद् बनाने के विधान को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) इसके अन्तर्गत कौन-कौन सी चिकित्सा प्रणालियां आयेंगी ; और

(ग) इसे कब संसद् में पुरःस्थापित किया जायेगा ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) भारत की चिकित्सा परिषद् के समान आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथी के लिए संयुक्त केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने के लिए शीघ्र ही विधान पेश किये जाने का विचार है ।

तुंगभद्रा परियोजना के जल का प्रयोग

1503. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना के जल के उपयोग की योजना के बारे में आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर की सरकारों ने अपनी राय दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर की राज्य सरकारों को एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया जो कि सिंचाई तथा बिजली के विविध उद्देश्यों के लिए तथा विभिन्न प्रकार के लाभानुभोगियों के लिए तुंगभद्रा जलाशय से पानी की सप्लाई के प्रश्न पर विचार करे और तुंगभद्रा जलाशय में जल को भरते तथा इसे खाली करते समय पानी नियतन के बारे में मार्ग दर्शाए। जबकि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ; मैसूर सरकार अभी तक इस के लिये सहमत नहीं हुई है ।

(ग) इस विषय पर सिंचाई व बिजली मंत्री मैसूर के मुख्य मंत्री से बातचीत करने का विचार रखते हैं ।

गृह-निर्माण कार्यक्रमों के लिये लाटरियां शुरू करना

1504. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये सरकार का विचार लाटरियां तथा रैफल शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) आवास के लिये स्रोतों की वृद्धि के लिये विभिन्न विचार अभिव्यक्त किये गये हैं । आवास योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये उनमें से एक विचार लाटरियां तथा रैफल शुरू करने का है किन्तु सरकार ने अभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बनाया है ।

व्यास-सतलुज सम्पर्क योजना

1505. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 8 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास-सतलुज सम्पर्क के लिये कुछ अधिक राशि मिली है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संसाधनों की तंगी के कारण इस वर्ष व्यास-सतलुज लिंक के लिये अतिरिक्त धन ढूंढना सम्भव नहीं हुआ हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Beds for T.B. Patients in Government Hospitals of Delhi

1508. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of beds for tuberculosis patients in Government Hospitals in Delhi is much too inadequate ;

(b) if so, whether Government propose to provide more beds in these hospitals ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The number of T.B. beds in Delhi is more than in any other area of the country in proportion to the population.

There are 2 T.B. Hospitals in Delhi with a bed strength of 1463 and 43 beds are attached to two T.B. clinics.

(b) More beds are proposed to be added at three T.B. Clinics during the current year, subject to the availability of funds.

(c) It has been proved that domiciliary treatment with modern anti T.B. drugs is as effective as treatment in a sanatorium with the same drugs. The stress is, therefore, on domiciliary treatment and for this purpose anti T.B. Drugs are being supplied free to all the T.B. Clinics whether run by Government, Municipal Bodies or by voluntary organisations.

Financial Assistance to Families of Deceased Linemen of D.E.S.U.

1509. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any financial assistance has been given to the families of the Linemen of the Delhi Electricity Supply Undertaking who were electrocuted while on duty ; and

(b) if so, the amount given to each family ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) : The following financial assistance was given to the families of the two deceased linemen of the Delhi Electric Supply Undertaking who died while on duty on 5th June, 1968, and 14th June, 1968, respectively.

In the first case an amount of Rs. 1544/- was paid comprising Rs. 500 sanctioned by the Prime Minister from the Prime Minister's Relief Fund and Rs. 1044/- as assistance given out of the compassionate fund of DESU on the basis of pay drawn by the deceased lineman. In the second case an amount of Rs. 1692/- was paid comprising Rs. 500/- sanctioned by the Prime Minister from the Prime Minister's Relief Fund, Rs. 1092/- as assistance given out of the compassionate fund of DESU on the basis of pay drawn by the deceased lineman and Rs. 100 as assistance required by the family of the deceased towards funeral expenses.

हिमाचल प्रदेश को हेलीकोप्टर सेवाओं के लिये सहायता

1511. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजधानी और मैदानी इलाके के विभिन्न नगरों के बीच हेलीकोप्टर सेवा आरम्भ करने के लिये केन्द्र से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस योजना के लिये कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश सरकार से ऐसा कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तदपि सर्दी के महीनों में बर्फ के कारण पहाड़ी रास्ते बन्द हो जाने पर लाहौल तथा स्पिति को हेलीकोप्टर द्वारा डाक लाने ले जाने के सम्बन्ध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

1512. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में मकान मिलने के बारे में सरकारी कर्मचारियों को होने वाली भारी कठिनाई के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्थायी कार्यों पर काम कर रहे तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये स्थान सुरक्षित करने का विचार है;

(ग) क्या अविवाहित कर्मचारियों के लिये पृथक् होस्टलों का निर्माण करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो मकानों की कमी को दूर करने के लिये सरकार का कुछ सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न टाईप के वास के अधिकारी कर्मचारियों की प्राथमिकता की तारीख के अनुसार सामान्य पूल वास का आवंटन किया जाता है । अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का प्रायः राज्य से केन्द्र को स्थानांतरण होता है तथा उन्हें भी अपनी प्राथमिकता की तारीख के अनुसार अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होती है । प्राथमिकता-तारीख की गणना के लिये राज्य में की गयी सेवा पर विचार किया जाता है । तथापि, यह निर्णय किया गया है कि आवधिक अधिकारियों को आवंटन के लिये कर्जन रोड के नये होस्टल में 63 डबल रूम सुरक्षित कर दिये जायें ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सरकार की यह नीति रही है कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेज दिया जाये जो कि अन्य स्थानों से अपनी प्रशासनिक कुशलता में कमी लाये बगैर कार्य कर सकें । 1962–63 में सरकार ने यह निर्णय किया था कि केन्द्रीय सरकार के 20 कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेज दिया जाये । 20 कार्यालयों में से 10 कार्यालय, या तो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बाहर चले गये, 6 कार्यालयों के मामले में यह निर्णय किया गया है कि वे फिलहाल दिल्ली में रह सकते हैं तथा शेष कार्यालयों के सम्बन्ध में संबंधित मंत्रालयों विभागों के साथ इस मामले में सम्पर्क बना हुआ है । तथापि, फिलहाल किसी भी विशेष संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय को दिल्ली से बाहर भेजने का नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपवाह क्षेत्र से जल का दिया जाना

1513. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियों में राज्य के अपवाह क्षेत्र से कितना पानी बह कर जाता है;

(ख) इसमें से कितना पानी इस समय सिंचाई के लिये राज्य में प्रयोग किया जा रहा है और कितना अन्य राज्यों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) शेष पानी की कितनी मात्रा भविष्य में सिंचाई के लिये मध्य प्रदेश को देने का विचार है; और

(घ) उक्त पानी से मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों द्वारा, राज्य-वार कितनी बिजली तैयार की जाती है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य द्वारा मध्य प्रदेश को कितनी बिजली बेची जाती है और उसकी उत्पादन लागत कितनी है तथा वह किस दर पर मध्य प्रदेश को बेची जाती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). सीमाओं पर बहने वाले पानी की सही मात्रा का सही अनुमान उपलब्ध नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों से मिलने वाली सीमाओं पर पानी की मात्रा को मापा नहीं जाता ।

(ग) विविध नदी बेसिनों के पानी का विभाजन सम्बद्ध भागीदार राज्यों द्वारा आपसी समझौते के आधार पर दिया जाना होता है ।

(घ) और (ङ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

चम्बल नदी पर बनी और कार्य कर रही निम्नलिखित पन-बिजली परियोजनाओं पर मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य का बराबर-बराबर हक है :—

(1) **मध्य प्रदेश में चम्बल नदी पर गांधी सागर पन-बिजली केन्द्र**

कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 115 मैगावाट है किन्तु 60 प्रतिशत भार अनुपात पर कुल उपलब्ध वास्तविक बिजली 72 मैगावाट है जो कि प्रति वर्ष उत्पन्न 33680 लाख के बराबर है । प्राप्त सूचनानुसार 1966–67 के दौरान वास्तविक रूप से कुल 985 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न हुई ।

(2) **राजस्थान में चम्बल नदी पर राणा प्रताप सागर पन-बिजली केन्द्र**

इस समय कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 86 मैगावाट है । निर्माणाधीन दो और सैटों के प्रतिष्ठापित होने पर कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता बढ़ कर 172 मैगावाट हो जायेगी । 60 प्रतिशत भार अनुपात पर कुल 90 मैगावाट वास्तविक बिजली उपलब्ध होगी जो कि प्रति वर्ष उत्पन्न 4730 लाख यूनिट के बरारबर है । । इसमें से मध्य प्रदेश 2365 लाख यूनिट का हकदार है । 1966-67 के दौरान राणा प्रताप सागरबांध बिजली केन्द्र में कोई बिजली उत्पन्न नहीं हुई ।

मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में निम्नलिखित पन-बिजली केन्द्रों में उत्पन्न बिजली खरीदने का भी हकदार है :—

(1) उत्तर प्रदेश में रिहन्द नदी पर रिहन्द पन-बिजली केन्द्र

कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 300 मैगावाट है। 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 170 मैगावाट वास्तविक बिजली उपलब्ध है जो कि प्रति वर्ष उत्पन्न 8940 लाख यूनिट के बराबर है। मध्य प्रदेश रिहन्द से हर साल उपलब्ध ऊर्जा के आधार पर इस बिजली का 15 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश से खरीदने का हकदार है। प्राप्त सूचनानुसार 1966-67 के दौरान रिहन्द पर कुल 8920 लाख यूनिट वास्तविक बिजली उत्पन्न हुई।

(2) उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर मातातिला पन-बिजली केन्द्र

कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 30 मैगावाट है। 60 प्रतिशत भार अनुपात पर कुल 22 मैगावाट वास्तविक बिजली उत्पन्न होती है जो कि प्रति वर्ष उत्पन्न 1156 लाख यूनिट के बराबर है। मध्य प्रदेश मातातिला पर हर साल उपलब्ध ऊर्जा के आधार पर इस बिजली के तीसरे हिस्से का उत्तर प्रदेश से खरीदने का हकदार है। प्राप्त सूचनानुसार 1966-67 के दौरान मातातिला में वास्तविक रूप से 831 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न हुई।

(3) उड़ीसा महानदी पर हीराकुण्ड पन-बिजली केन्द्र

कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 270 मैगावाट है। 100 प्रतिशत भार अनुपात पर कुल 120 मैगावाट वास्तविक बिजली उपलब्ध है जो कि 10510 यूनिट के बराबर है। उड़ीसा सरकार ने यह मान लिया है कि वह मध्य प्रदेश को हीराकुण्ड से उत्पन्न बिजली में से 5 मैगावाट बिजली लागत पर दे देगी। प्राप्त सूचनानुसार 1966–67 के दौरान कुल 6460 लाख यूनिट बिजली वास्तविक रूप से उत्पन्न हुई।

1966-67 के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा ली गई बिजली का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) गाँधी सागर पनबिजली केन्द्र	बेचने योग्य बिजली का 50 प्रतिशत भाग अर्थात् लगभग 488 लाख यूनिट।
(2) राणा प्रताप सागर पनबिजली केन्द्र	कुछ नहीं
(3) रिहन्द पन-बिजली केन्द्र	कुछ नहीं
(4) मातातिला पन-बिजली केन्द्र	लगभग 2.5 से 5 मैगावाट तक जो कि 172.5 लाख यूनिट वार्षिक बिजली के बराबर है।
(5) हीराकुण्ड पन-बिजली केन्द्र	कुछ नहीं

विभिन्न केन्द्रों पर बिजली के उत्पादन पर आई लागत उपलब्ध नहीं।

मध्य प्रदेश को बेची गई बिजली की दर

(1) चम्बल पन-बिजली अर्थात् गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध पन-बिजली केन्द्र

चम्बल नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित टैरिफ उप-समिति इस विषय पर विचार कर रही है और इसने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

1782 (ai)—LS—9.

(2) हिन्द पन-बिजली केन्द्र

सचदेव समिति ने मध्य प्रदेश को बिजली के विक्रयार्थ रिहन्द बिजली घर के 132 के० वी० महासंवाहक पर दी जाने वाली बिजली के लिये 3.5 पैसे प्रति यूनिट की दर का सुझाव दिया था। यह दर बिजली की लागत +5 प्रतिशत पर आधारित थी। मध्य प्रदेश इस बिजली का उपयोग नहीं कर रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने कहा है कि दर में 2 प्रतिशत वृद्धि की जाये और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को यह स्वीकार नहीं।

(3) मातातिला पन-बिजली केन्द्र

सचदेव समिति ने मातातिला बिजली घर की 66 के० वी० बहिर्गामी महासंवाहक तार पर मुख्य बिजली के लिये 8.5 पैसे प्रति यूनिट की दर तथा मुख्य और गौण बिजली दोनों के लिये 6.5 पैसे प्रति यूनिट की औसत दर का सुझाव दिया था। यह लागत +5 प्रतिशत पर आधारित थी।

उत्तर प्रदेश सरकार विविध स्थलों पर पहुंचाई गई बिजली पर जो वास्तविक दर लगा रही है, वह यह है--8.5 पैसे प्रति यूनिट + मातातिला से मध्य प्रदेश में सप्लाई स्थलों तक पारेषण की लागत।

(4) हीराकुण्ड पन-बिजली केन्द्र

हीराकुण्ड से मध्य प्रदेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर पर सम्बद्ध अधिकारी आपस में अभी भी विचार कर रहे हैं।

गोरा (गुजरात) के निकट नर्मदा पर बांध का निर्माण

1514. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर सभी सम्भव स्थानों के भूतत्वीय तथा धरातल सम्बन्धी सर्वेक्षण के बाद केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने गुजरात के कुल 133 लाख एकड़ क्षेत्र में से 10.97 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये एक बाँध के निर्माण के लिये गोरा के निकट एक स्थान की पहले सिफारिश की थी;

(ख) क्या उस बाँध की नींव भी नेहरू जी ने रखी थी;

(ग) गोरा के निकट प्रस्तावित बाँध की ऊंचाई कितनी थी;

(घ) क्या उसके बाद केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक सदस्य ने 1957 में उस स्थान का निरीक्षण किया था और उसने बाँध नदी के ऊपर की ओर एक स्थान पर बनाने का प्रस्ताव रखा था और तब पहली बार एक उच्च सतह की नहर का प्रस्ताव रखा था; और

(ङ) यदि हाँ, नये स्थान पर बाँध की कितनी ऊंचाई रखने का परामर्श दिया गया था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भूतपूर्व बम्बई राज्य के बड़ोच और बड़ोदा जिलों में 13.3 लाख एकड़ के कुल कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिये

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जिन स्थलों का अनुसंधान और विचार किया था, गोरा स्थल उनमें से है ।

(ख) और अनुसंधान करने के परिणामस्वरूप नवगाँव स्थल को चुन लिया गया और नेहरू जी ने अप्रैल, 1961 में इस स्थान पर निर्माण कार्य का उद्घाटन किया ।

(ग) विचाराधीन गोरा बाँध के चिनाई भाग की अधिकतम ऊंचाई 140 फुट थी ।

(घ) जी, हाँ । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक सदस्य ने 1957 में इस स्थल का निरीक्षण किया था । निरीक्षण के दौरान उसे पता चला कि नदी तल में 1000 फुट की लम्बाई में चट्टानी स्तर के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया था जिसके बिना अभिकल्प नहीं बनाये जा सकते थे । इसलिये उसने सुझाव दिया कि इस स्थल का तथा नवगाँव स्थल का जहाँ तल पर चट्टान बाहर निकली दिखाई देती है, और अनुसंधान किया जाये । उस समय उच्चस्तरीय नहर बनाने का कोई विचार नहीं था ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

नर्मदा जल

1515. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1967 में महाराष्ट्र सरकार को लिखित रूप में सूचित किया था कि नवगाँव में बिजली उत्पादन के कारण 3 एम० ए० एफ० नर्मदा जल समुद्र में जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे गुजरात के उस क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पायेगी जितने क्षेत्र में उसने सिंचाई करने का विचार किया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर साद) : (क) और (ख). एक गुप्त पत्र भेजा गया जिसमें नर्मदा सम्बन्धी प्रश्न के समाधान से संबंधित कई वैकल्पिक सुझावों पर विचार किया गया था । क्योंकि ये वैकल्पिक सुझाव अस्थायी प्रकार के हैं गुजरात के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

नर्मदा जल सप्लाई पर व्यय

1516. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये नर्मदा से पानी लेने हेतु बनाई जाने वाली नहर कुल कितनी लम्बी होगी और उसके लिये कितने धन की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या माही नदी पर बाँध बना कर इस एक लाख एकड़ भूमि की तथा कदाना नहर द्वारा राजस्थान की सात लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती थी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान में एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये नर्मदा से एक अलग नहर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नवगाँव से निकलने वाली दायीं नहर जो कि गुजरात में उस राज्य की सीमाओं तक के क्षेत्र की सिंचाई करने के लिये बनाई गई है, राजस्थान में एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये राजस्थान तक बढ़ा दी जायेगी। राजस्थान क्षेत्र में इस नहर के बढ़ाये जाने के लिये कोई अलग से अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग). माही नदी का पानी इस एक लाख एकड़ की भी सिंचाई करने के लिये काफी नहीं है।

फराका बांध परियोजना का निर्माण

1517. **डा० रानेन सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फराका बाँध परियोजना के नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी के दायें तथा बायें किनारों पर परियोजना का सारा निर्माण कार्य 30 जून, 1968 के पश्चात् हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप नेशनल प्राजैक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के कितने कर्मचारी काम से हटा दिये जायेंगे; और

(घ) उन्हें काम पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता नगर क्षेत्र के लिए नगर विकास योजनाएं

1518. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता नगर क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल सरकार के विकास विभाग की रीजेंट एस्टेट विकास योजना जैसी कई अल्प-विकसित योजनाओं से उन योजनाओं में रिहायशी प्लाट तथा रिहायशी मकानों वाले लोगों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) क्या इन विकास योजनाओं में सम्मिलित क्षेत्र कलकत्ता निगम को नहीं दिये गये हैं ताकि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी आधुनिक सुविधायें प्राप्त हो सकें; और

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई कलकत्ता नगर क्षेत्र में ऐसी कितनी विकास योजनाएं हैं जिन्हें नगर क्षेत्र ने अपने हाथ में नहीं लिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

घटप्रभा परियोजना, मैसूर

1519. **श्री मु० न० नाघनूर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में घटप्रभा परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और इससे कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी;

(ख) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ग) चालू वर्ष में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि की व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) घटप्रभा परियोजना को दो चरणों में पूरा होना है। प्रथम चरण की अनुमित लागत 5.8 करोड़ रुपये है और दूसरे चरण की पुनरीक्षित अनुमित लागत 35 करोड़ रुपये। अन्त में दोनों चरणों से 3 लाख करोड़ एकड़ भूमि को सिंचाई के लाभ होंगे।

(ख) परियोजना का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। मार्च, 1968 के अन्त तक दूसरे चरण पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना के दूसरे चरण के लिये मैसूर सरकार को निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपये का अस्थायी प्रबन्ध किया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये मैसूर सरकार को 1967-68 से निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है।

मैसूर में कबिनी परियोजना

1520. **श्री मू० न० नाघनूर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में कबिनी परियोजना की कब मंजूरी दी गयी थी;

(ख) इस पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) इस के द्वारा कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी; और

(घ) इस परियोजना की शीघ्र पूर्ति के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कबिनी परियोजना को अप्रैल 1958 में 2.5 करोड़ रुपये की अनुमित लागत पर 30,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए स्वीकार किया गया था।

(घ) मार्च, 1968 तक इस परियोजना पर कुल 3.5 करोड़ रुपए व्यय हुए। राज्य सरकार इस वर्ष इस पर 70 लाख रुपए व्यय करने का विचार रखती है।

Smuggling of Mica to China

1521. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily Nav Bharat Times on the 9th May, 1968 to the effect that mica is smuggled to China; and

(b) if so, the action taken by Government to prevent this smuggling ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The Government's attention has been drawn to the news item under reference.

(b) There is no restriction on the export of mica from India to Nepal. The situation is, however, being kept under watch.

Foreign Loan to Set up a Satellite Centre

1522. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Canada has offered interest-free loan to India for the setting up of a Satellite Centre in India;

(b) if so, the place where the Satellite Centre would be set up with that loan; and

(c) the total amount of loan in Dollars and the number of instalments in which that would be repaid to the Government of Canada?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). The Government of Canada has agreed to an allocation of C$4 million from the Canadian non-project non-commodity loan of C. $ 21·14 million dated the 8th February, 1968 for the Satellite Communication Earth Centre proposed to be constructed at Arvi in the State of Maharashtra. The C. $ 21·14 million loan is interest free and is repayable over a period of 50 years (inclusive of a grace period of 10 years) in 80 semi-annual instalments commencing from 31st March, 1977.

Installation of Statues of Foreigners near Coronation Memorial, Delhi,

1523. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether it is a fact that any scheme for reinstallation of statues of some foreigners near Coronation Memorial, Delhi is under consideration of Government;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Municipal Corporation has opposed the installation of such statues and adopted a resolution to that effect; and

(c) whether Government have finally decided to install statues of foreigners and if so, the number of statues and names of foreigners whose statues would be installed near the Coronation Memorial?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh): (a) Yes.

(b) and (c). Yes. The matter is under consideration.

Income Tax Assessment of Dalmia Group of Cement Factories

1524. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1171 on the 19th February, 1968 and state:

(a) the amount of income tax assessed by Government during the financial years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 on the Cement Factories set up by Dalmia Group of Industries in Haryana, Orissa and Madras;

(b) the amount of income tax realised by Government during the above period; and

(c) the amount of income tax to be realised by Government?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c): The Information is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-1505/68*]

नसबन्दी कार्यक्रम

1525. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को एक निदेश दिया है जिस में दो अथवा तीन बच्चों वाले दम्पत्तियों के मामले में नसबन्दी के लाभ तथा 1968-69 में नसबन्दी कार्यक्रम की गति को दुगना करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है ।

(ख) जिन राज्यों से अब तक उत्तर प्राप्त हुए हैं, वे नसबंदी कार्यक्रम की गति को और तेज करने के पक्ष में हैं ।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

1526. **श्री विभूति मिश्र** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1968 के "नेशनल हैरल्ड" में "पीपल्स फोरम स्तम्भ" के अन्तर्गत प्रकाशित हुई नई दिल्ली की श्रीमती राजीव अरोड़ा के एक पत्र की ओर दिलाया गया है, जिस में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के केन्द्रीय कार्यालय से एक वैज्ञानिक की बर्खास्तगी का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने कम्पनी से तथ्य मलूम लिए क्योंकि मामला पूर्णतः कम्पनी के सामर्थ में है और डा० अरोड़ा की बर्खास्तगी का निर्णय कम्पनी में ध्यानपूर्वक सोच विचार के पश्चात् उच्च स्तर पर हुआ है, सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

मैडिकल कालेजों में सीटें

1527. **श्री जो० ना० हजारिका**: क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में सभी मैडिकल कालेजों में प्रथम वर्ष की कक्षा में कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ख) इन में से कितनी सीटें योग्यता के आधार पर भरी जा रही हैं और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ सीटें आरक्षित की जाती है तो वे कितनी हैं ;

(ग) क्या आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा निर्देशन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) चालू शिक्षा वर्ष में देश के मैडिकल कालेजों के प्रथम वर्ष की कक्षा की कुल सीटों की संख्या तथा योग्यता के आधार पर भरी गई सीटों की संख्या के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। वैसे, 1967 में मैडिकल कालेजों की कुल प्रवेश क्षमता 11,170 थी ?

राज्य सरकारें राजकीय मैडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये सीटों का आरक्षण करती है। प्राइवेट मेडिकल कालेज अपनी कार्य प्रणाली का ही अनुसरण करते हैं।

चालू वर्ष में निम्नलिखित वर्गों के छात्रों के लिए अब तक कुल 299 सीटें आरक्षित की जा चुकी हैं :—

(1) उन संघ क्षेत्रों के छात्रों के लिए जिन का अपना कोई मैडिकल कालेज नहीं है तथा नागालैंड के छात्रों के लिए।

(2) विदेशों में भारतीय मिशनों में, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उस की विशिष्ट ऐजेन्सियों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए।

(3) सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व / मृत अथवा इस समय काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों के लिए।

(4) सिक्किम और भूटान के छात्रों के लिए।

(5) सांस्कृतिक छात्रों, विदेशों में भारतीय मूल के प्राइवेट छात्रों तथा विदेशी प्राइवेट छात्रों के लिए।

(6) राष्ट्रमंडल के कम विकसित मुल्कों के छात्रों के लिए।

(7) कोलम्बो योजना के तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के लिए, और

(8) विशिष्ट राष्ट्रमण्डल–अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के लिए।

(ग) और (घ) संघ क्षेत्रों तथा नागालैंड के लिए आरक्षित सीटों पर छात्रों का चयन तथा मनोनयन संघ क्षेत्र प्रशासन और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

सिक्किम तथा भूटान के छात्रों तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों, सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व / मृत अथवा इस समय सेवारत कर्मचारियों के बच्चों का आरक्षित सीटों के प्रति चयन तथा मनोनयन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक सेलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता है।

कोलम्बो योजना तथा विशिष्ट राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के अलावा जहां तक विदेशी छात्रों का प्रश्न है उनका चयन और मनोनयन एक समन्वय

समिति द्वारा किया जाता है जिस में विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। कोलम्बो योजना और विशिष्ट राष्ट्रमण्डल सहायता योजना के छात्रों का चयन विभिन्न मुल्कों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा किया जाता है।

यदि कुछ सीटें केन्द्रीय सरकार के पास बची रह जाएं तो उन का उपयोग अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों, उन छात्रों को जो किसी राज्य के मान्य निवासी न हों तथा सुपात्र छात्रों को देकर किया जा सकता है।

पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी प्रणाली

1528. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली की जांच करने के लिये हाल में 5 सदस्यों की एक समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) किन कारणों से नई समिति की नियुक्ति करने की आवश्यकता समझी गई तथा किन दृष्टियों से पैट्रोलियम उत्पादों की पुरानी मूल्य प्रणाली दोषमुक्त पाई गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1968 को भारत के राजपत्र के भाग–1, अनुभाग 2 में प्रकाशित, भारत सरकार के संकल्प संख्या 101(22)/68 पी०पी०डी० दिनांक 14 जून, 1968 में निर्देश पद हैं। इस का एक उदाहरण नीचे पुनः दिया जाता है :—

"समिति निम्न विषयों पर जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :—

(1) उक्त विषय पर सरकार के आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए शोधनशालाओं द्वारा उत्पादित शोधित पैट्रोलियम उत्पादों (बिटयूमेनज को शामिल करते हुए) के शोधनशाला पर मूल्यों का आयात साम्य के आधार पर (जैसा कि अब है) या उत्पादन-लागत के आधार पर या किसी अन्य समुचित पद्धति पर निर्धारण :—

(2) उपर्युक्त (1) के हवाले से सारे भारत में या प्रादेशिक आधार पर मूल्यों को एकसार लागू करने की संभावना;

(3) समरूप पदार्थों के (जिन का आयात किया जाये) उतरने पर लागत का निर्धारण;

(4) सारी शोधनशालाओं (अन्तर्देशीय शोधनशालाओं को शामिल करते हुए) को मूल्यांकन पाइंट बनाने की संभावना और इस विषय में देशीय कच्चे तेल के मूल्यों के आधार को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपायों का सुझाव देना ताकि इस सिद्धान्त को अपनाने के परिणामस्वरूप अन्तर्देशीय शोधनशालाएं बुरी तरह से प्रभावित न हों;

(5) भारतीय तेल निगम के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विपणन (मार्किटिंग) तथा वितरण प्रभार और विपणन कार्य पर लाभ का निर्धारण और इन का उपर्युक्त (1) और (3) में बताये गये पदार्थों के लिए आवंटन;

(6) लुब्रीकेटिंग आयल्स, ग्रीजिज एवं स्पेशलटीज के बारे में अधिकतम विक्रय मूल्यों का निर्धारण; और

(7) अखिल भारतीय पैट्रोलियम ट्रेडर्ज के महासंघ के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल आयल पर व्यापारियों की कमीशन की दरों का निर्धारण ।

(ग) निम्न कारणों से पैट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्यों का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है :—

(1) देश में, प्रत्येक वर्ष में, पैट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन में हुई प्रगति को जानने के लिये;

(2) कमी वाले उत्पादों की मात्रा एवं पैटर्न के आयात में परिवर्तनों का ध्यान करने के लिये; और

(3) सरकारी क्षेत्र में इन मामलों में भारतीय तेल निगम के योग में वृद्धि ।

इस के अतिरिक्त वर्तमान प्रणाली के कई दूहरे पहलुओं जैसे आयात-साम्य के सिद्धान्त पर मूल्य का निर्धारण, अन्तर्देशीय शोधनशालाओं को मूल्यांकन अंश बनाने और अखिल भारत या प्रादेशिक आधार पर एक रूप मूल्यों को लागू करने के बारे में भी जांच करने की आवश्यकता है ।

दिल्ली में आयकर अधिकारियों की नियुक्ति

†1529. श्री मु० न० नाघनूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ कनिष्ठ सहायक आयकर आयुक्तों को जिन का दिल्ली में 5 वर्ष से अधिक समय तक काम करने के बाद दिल्ली से तबादला कर दिया गया था अब दिल्ली में विशेष वेतन पदों पर रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है, और इस के क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दिल्ली में कई अधिकारी साधारण कार्य काल अवधि के समाप्त हो जाने पर भी प्रतिनियुक्ति पद पर रोके रखे गए हैं । हाल के वर्षों में केवल एक उदाहरण ऐसा हुआ है जिस में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण किए हुए अधिकारी को वापिस दिल्ली में विशेष वेतन के पद पर बुला लिया गया था; वित्त मंत्रालय के दूसरे निदेशालय ने इस अधिकारी का चुनाव उस के विशेष उपयुक्तता के आधार पर कर लिया है ।

उड़ीसा की परियोजनाएं

1530. श्री स० कुण्ड : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 और 1968–69 में (1) सालबंदी सिंचाई बांध (उड़ीसा) और (2) सालबंदी परियोजना को मिलाने के लिये ब्रह्मनी बांध योजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में सूबरनरेखा-बुराबलंग बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजनाओं का काम आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो इस समय वे किस अवस्था में हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा में सूबरनरेखा तथा बुराबलंग नदियों सम्बन्धी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को अपने हाथ में ले लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा राज्य के 1967-68 के बजट में सलान्दी परियोजना के लिये 242 लाख रुपए का और 1968-69 के बजट में 150 लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया था। ब्रह्मनी बराज के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था।

(ख) परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

(ग) राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति में सुवर्णरेखा और बुराबलांग बेसिनों में निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रण स्कीमें पास कर दी हैं :—

सुवर्णरेखा बेसिन

	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1. भोगराम पी० एस० से पानी निकालने के लिये तटीय नहर रेंज–III पर अतिरिक्त द्वार का प्रबन्ध	
2. बालीपाल पी० एस० के अधीन पंचुराकई-जमकुंडा खाल का पुनर्नवन।	0.38
3. भोगराम पी० एस० के अधीन नैंदूली और गौडमरा के रास्ते खरसूनी में कम्ब्रामूली से भण्डरिया तक पोषक नाली का पुनर्नवन।	0.24
4. भोगराम पी० एस० के अधीन तंगरामुनि से भण्डरिया नाला तक पोषक नाली की खुदाई।	0.42
5. भोगराम क्षेत्र में रह गई किस्तानिया जलपाय सुवर्णरखा के पूर्व की ओर बरामानी द्वार से चद्रवती तक एक तटबन्ध का निर्माण।	5.30
बुराबलांग बेसिन	
1. परासलघाट के नीचे की ओर लूप काटना	13.5
2. मयूरभंज जिले में खुलीपाल गांव के निकट बुराबलांग नदी के बांए तट के साथ साथ उपान्त तटबंध तथा पत्थरों के चार ठोस ठोकर बनाना।	1.65

Trade Representative of Mysore in London

1531. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri Ram Avatar Sharma:
Shri Tenneti Viswanatham:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a resident trade representative of Mysore Government in London;

(b) whether it is also a fact that the present incumbent is about to retire and the Mysore Government have sought permission of Government for the appointment of a new representative;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) whether Government propose to grant permission to other States also for posting their trade representatives abroad?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A request has been received from the Mysore Government to send a replacement from India and this request is under consideration.

(d) Does not arise.

विशाखापत्तनम में नेफ्था-आधारित कारखाना बनाने के लिये आक्सीडेंटल आयल कम्पनी द्वारा प्रस्ताव

1532. **श्री विभूति मिश्र** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की आक्सीडेंटल आयल कम्पनी ने भारत सरकार से विशाखापत्तनम में एक नैफ्था-आधारित कारखाना बनाने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) उर्वरक समूह की स्थापना प्रावस्था भाजित तौर पर करने का प्रस्ताव है । पहली तीन प्रास्थापनाओं में विशाखापत्तनम में 140,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 140,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ निर्माण करने के लिये सन्यन्त्रों की स्थापना करना है । उत्तरवर्ती प्रावस्थाओं में किसी अन्य स्थान में, जिस का बाद में निर्णय होना है, दूसरा समूह स्थापित करना है ।

दण्डकारण्य क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

1533. **श्री स० कुण्डू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कोरापट जिले के दण्डकारण्य क्षेत्र में डाक और तार विभाग तथा आकाशवाणी के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा के कोरापट जिले में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों, जैसे राष्ट्रीय बचत संगठन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, आयकर विभाग को भी वही सुविधा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन विभागों को परियोजना भत्ता देने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, राष्ट्रीय बचत संगठन तथा आयकर विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Enquiry into affairs of former Income-Tax Officer of Kanpur

1534. Shri Arjun Singh Bhadoria: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have received any letter regarding a former Income-Tax Officer of Kanpur, who resigned his post in a suspicious manner and mysteriously joined as Income-Tax Adviser in a big industrial concern, whose Income-Tax he had been assessing for a number of years previously;

(b) whether Government are aware that the said Income-Tax Officer unduly helped the aforesaid concern in getting the benefit of lakhs of rupees by misusing his official position; and

(c) whether Government propose to conduct a Secret Inquiry in regard to the whole property of the aforesaid Officer in consultation with the Home Ministry?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Governmen have received such a complaint.

(b) Whether or not any undue favour was shown is being examined.

(c) Enquiries made so far do not reveal anything against the officer. However, investigations are still in progress and action will be taken if considered necessary.

मनीपुर की लाउसी पैट के लिए सिंचाई योजना

1535. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने लाउसी पैट की सिंचाई के लिये तथा 6000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार ने अपनी योजना के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्री-मैडिकल एण्ड एम० बी० बी० एस० में मनीपुर के छात्रों के लिए स्थानों का नियतन

1536. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के छात्रों के लिए प्री-मैडिकल और एम० बी० बी० एस० में कितने स्थानों का नियतन किया गया है तथा ये स्थान किन कालेजों में आरक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने इस साल में प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम तथा एक मैडिकल कालेज शुरू करने के लिये सहायता तथा मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) 1968 में अब तक मनीपुर के निम्नलिखित मैडिकल कालेजों में 9 प्री-मैडिकल तथा 15 एम० बी० बी० एस० की सीटें दी गई हैं :—

क्रम सं०	कालेज का नाम	पाठ्यक्रम का नाम प्री-मैडिकल	एम०बी०बी०एस०	कुल सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	असम मैडिकल कालेज, डिब्रूगढ़	2	7	9
2.	मैडिकल कालेज, गोहाटी	..	2	2
3.	मैडिकल कालेज, बैल्लारी, मैसूर	2		2
4.	आर० जी० कार मैडिकल कालेज, कलकत्ता	1	..	1
5.	बी० एस० मैडिकल कालेज, बांकुरा, पश्चिम बंगाल	1		1
6.	पी० डब्ल्यू० मैडिकल कालेज, पटना	3	..	3
7.	दरभंगा मैडिकल कालेज, लहरियासराय		2	2
8.	मैडिकल कालेज, भोपाल		1	1
9.	मैडिकल कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	..	2	2
10.	एस० सी० बी० मैडिकल कालेज, कटक	..	1	1
	योग	9	15	24

(ख) और (ग). गवर्नमेंट साइन्स कालेज, मणिपुर में प्री-मैडिकल कालेज की कक्षाएं खोलने सम्बन्धी मणिपुर प्रशासन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बतलाया है कि मणिपुर में क्षेत्रीय आधार पर एक मैडिकल कालेज खोलने के लिए उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध करने का निश्चय कर लिया है।

मनीपुर में तेल के लिये जांच कार्य

1537. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मणिपुर में तेल की खोज के लिये कोई जांच-पड़ताल की है ;

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर में तेल की खोज के लिये विस्तृत सर्वेक्षण और जांच कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार और आयोग का ध्यान दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :
(क) मनीपुर घाटी और निकटवर्ती क्षेत्रों का प्रारम्भिक भूगर्भीय मानचित्रण किया गया है।

(ख) तेल मिलने की संभावनाएं उत्साहवर्धक नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लोक्टक परियोजना, मनीपुर

1538. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में लोक्टक परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) लोक्टक परियोजना चरण 1 की परियोजना रिपोर्ट मनीपुर सरकार से मिल गई है और इस समय इसकी जांच हो रही है।

Financial Assistance to States

1539. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of Finance be pleased to state the extent to which the Central Policy regarding the financial appropriation to the backward States is being implemented keeping in view the fact that there is comparatively equal distribution of National Wealth so that all States in the country may develop side by side?

The Deputy Prime Miniser and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The need for accelerated development of comparatively backward regions is kept in view while allocating Central assistance to States.

Vasectomy operations

1540. Shri Onkar Lal Bohra:
Shri Deorao Patil:

Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state:

(a) whether all the Indian citizens, irrespective of their religion, are being persuaded equally in the family planning drive; and

(b) the extent of co-operation from persons of different religious Communities received in the vasectomy operations conducted in the country and in case this cooperation was not forthcoming in certain cases, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Heatlth, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) Yes.

(b) Co-operation in large measure has been received in conducting vasectomy operation in the country. More than 4·3 million sterilisation operations both male and female have

been performed since the inception of the programme of which more than 1·8 million were done during 1967-68. Experience in the field shows that there is no widespread or organised opinion against family planning anywhere in the country. Wherever localised prejudices did exist, intensive motivational campaigns have been successful in overcoming them. Many social and religious leaders are coming out openly in favour of responsible parenthood.

Rajasthan Canal Project

1541. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for seeking foreign collaboration for the Rajasthan Canal: ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir .

(b) Does not arise .

Electricity Shortage in Rajasthan

1542. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the contribution made by the Central Government so far to remove the shortage of electricity in Rajasthan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The following steps were taken at the initiative of the Centeral Government to remove power shortage in Rajasthan :—

(1) Construction of 132 kv single circuit transmission line from Ratangarh to Jaipur on priority basis for taking power from Bhakra Nangal System .

(2) Procurement and installation of diesel. generating sets aggregating 6·3 MW.

(3) Purchase of a 10 MW gas turbine set from Mysore for installation at Kota. For operating the set economically, exemption from payment of excise duty to the extent of the 55% on high speed diesel oil used as fuel in the turbine was obtained .

(4) Expeditious commissioning of generating unit at Satpura Thermal Station.

(5) Expeditious construction of 220 kv transmission line from Itarsi to Burwaha for transmitting Rajasthan share of Satpura power.

(6) Sanctioning of a 132 kV transmission line from Ballabgarh to Alwar for transmitting power from Delhi to Rajasthan .

पोंगडेम के निर्माण से निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास

1543. **श्री हेमराज :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में पोंगडेम के निर्माण से निष्कासित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा हुई थी और उसके क्या निष्कर्ष निकले थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मन्त्रियों की समिति ने अपनी 10 जुलाई, 1968 को हुई बैठक में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया :—

(1) विस्थापितों को बसाने के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम;

(2) भूमि के आवंटन के मान; और

(3) विस्थापितों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने के बाद सुविधाएं उपलब्ध करना।

मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्णय किए गए थे :—

(1) 2500 परिवारों को बसाने के लिए जून 1966 तक पाइलट आधार पर प्रबन्ध किया जाएगा और गांवों के एक समूह के लिए विस्थापितों को 3000—4000 एकड़ के सहत ब्लाकों में बसाने के लिए हर कोशिश की जाएगी।

(2) राज्य सरकारें हर विस्थापित को भूमि देगी किन्तु एक विस्थापित परिवार को 15.625 एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जाएगी।

(3) चक अबादियों में विस्थापितों के लिए कच्चे मकान बनाए जायेंगे और इन मकानों की लागत विस्थापितों द्वारा कुछ उन को मिले मुआवजे में से और कुछ उनको दिए जाने वाले ऋणों में से लगाई जाएगी।

(4) जिन क्षेत्रों में विस्थापितों को बसाया जाना है उनके विकास के लिए पीने के पानी की डिगियां स्कूल, हस्पताल, सड़कें जैसी सुविधायें दी जाएंगी और उनकी लागत सम्बन्धित परियोजनाओं के नाम लिख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

पेट्रो-रसायनों पर आधारित वस्तुओं का आयात

1545. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रो-रसायनों पर आधारित ऐसी वस्तुओं की संख्या क्या है जिनका आयात बन्द कर दिया था और जिनके बारे में 2 अप्रैल, 1968 को घोषित की गई नई आयात-व्यापार नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत छूट दी गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से अपेक्षित विशिष्ट विवरण वाली अधिकांश वस्तुएं देश में बनाई जाती हैं और वास्तविक उपभोक्ता अर्थात् औषधि नियन्त्रक तथा प्रति-रक्षा मांगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के लिए इन्हीं वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

1782 (ai)—LS—10.

पेट्रो-रसायन पर आधारित उत्पादों का निर्माण

1546. श्री गा० शं० मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रो रसायन पर आधारित वस्तुएं बनाने वाले उद्योग लम्बे समय से सरकार पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त कच्चा माल दिया जाये तथा उनके उत्पादों की किस्म में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो देश के निर्याताओं के आवेदन पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। सरकार ने पहले से ही सारे उपयुक्त मामलों (Deserving cases) में (विशेषकर जो अग्रता सूची में हैं) कच्चे माल की प्राप्ति में सुधार के लिए कदम उठाये हैं।

अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर

1547. श्री सिद्धय्या : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में स्थित अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था में दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई स्थान आरक्षित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान मैसूर ने वाक् एवं श्रवण का एम० एस० सी० पाठ्यक्रम 1966–67 में चलाया था जिसमें 15 छात्र दाखिल किये गये थे। उस पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिये और वे दोनों ही दाखिल कर लिए गए थे। शिक्षा-वर्ष 1967–68 में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त एक बी० एस० सी० डिग्री पाठ्यक्रम भी चलाया गया था जिसमें 15 छात्र दाखिल किये गये थे पर इन दोनों में से किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के किसी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया। जहां तक 1968–69 के पाठ्य-क्रमों का प्रश्न है एम० एस० सी० पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के किसी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया। हां, बी० एस० सी० पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था और दोनों को ही सीटें प्रस्तुत की गई हैं।

परिवार नियोजन के लिये होम्योपैथिक अनुसंधान केन्द्र

1548. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन की सहायता के लिए होम्योपैथी अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां तो कितने केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) इन केन्द्रों के किन राज्यों में स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(घ) उन पर कितना धन व्यय किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इन केन्द्रों पर किये जाने वाले व्यय की तुलना में इनसे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में एक योजना मंजूर की गई है जिसके अन्तर्गत दिल्ली के दो वर्तमान केन्द्रों में परिवार नियोजन के क्षेत्र में कुछ होम्योपैथिक औषधियों के प्रभाव की जांच पड़ताल की जाएगी।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों में अस्पृश्यता निवारण में शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी समिति

1549. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लगभग अप्रैल, 1965 में अनुसूचित जातियों में अस्पृश्यता निवारण शैक्षणिक विकास तथा आर्थिक उत्थान के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये जो समिति गठित की गयी थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) समस्त देश का दौरा करके अनुसूचित जातियों की परिस्थितियों का पूरा अध्ययन करने के लिए समिति और समय चाहती थी।

समिति ने 31 अक्तूबर, 1968 तक समय बढ़ा दिए जाने की जांच की थी और उसे स्वीकार कर लिया गया है।

इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन

1550. श्री न० कु० सांघी :
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् इंजैक्शन द्वारा परिवार नियोजन के एक नये ढंग के बारे में प्रयोग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन में अभी प्रगति हो रही है।

त्रिपुरा में बाढ़

1551. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बाढ़ों के कारण त्रिपुरा में बहुत बड़े क्षेत्र में पानी भर गया था और कई व्यक्ति बेघर हो गये थे;

(ख) यदि हां तो त्रिपुरा में इस स्थायी विपदा के कारण इस वर्ष कुल कितने क्षेत्र में जल भर गया था और कितने व्यक्ति बेघर हो गये थे;

(ग) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और बाढ़ों के कारण त्रिपुरा में (1) कितनी मृत्युयें हुईं (2) फसल और खाद्यान्न के भण्डार को कितनी हानि हुई (3) भूमि आदि के कटाव से कितनी भूमि की हानि हुई तथा (4) मकानों और भवनों (5) पशुधन और (6) अन्य सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(घ) बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की गई और इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी;

(ङ) त्रिपुरा के बाढ़ नियन्त्रण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई और इस दिशा में क्या अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी तथा क्या बाढ़ नियन्त्रण के लिये लम्बी अवधि को कार्यवाही के रूप में उस क्षेत्र में नदी के तल से रेत निकालने पर विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बाढ़ों द्वारा हुई क्षति को अभी पूरी तरह नहीं आंका गया है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार तीन व्यक्ति मरे हैं। औस और पटसन की फसल वाले 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को हानि पहुंची और 25,000 परिवार प्रभावित हुए। इन बाढ़ों से तटबन्धों, नदी नियन्त्रण कार्यों, सड़कों और पुलों को भी क्षति पहुंची जिसका 20 लाख रुपये से भी अधिक होने का अनुमान है।

(घ) अगरतला नगर में 3000 परिवारों को कैम्पों में रखा गया और उनमें से अधिकतर परिवारों को मुफ्त अनाज दिया गया। 5 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में देने के लिये स्वीकार की गई है। परीक्षात्मक राहतकारी कार्य भी आरम्भ किये गए। कृषकों को ऋण देने के लिये भी दो लाख रुपये स्वीकार किये गए हैं।

(ङ) और (च) त्रिपुरा में कई बाढ़ नियन्त्रण कार्य आरम्भ किए गए हैं। तीसरी योजना के दौरान बाढ़-नियन्त्रण स्कीमों पर 15.66 लाख रुपये व्यय किए गए। 1967–68 में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर व्यय करने के लिये 12.23 लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया था। बाढ़-नियन्त्रण का कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है।

त्रिपुरा में या किसी अन्य स्थान पर बाढ़-नियन्त्रण के लिये दीर्घकालीन उपाय के रूप में नदी तलकर्षण को सम्भव नहीं समझा गया है।

Extension of period for protection of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1552. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in their meeting at Mount Abu, the Rajasthan State Scheduled Tribes Advisory Council and Scheduled Castes Welfare association had demanded a further extension of the period of protection by ten years from the Central Government; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) and (b). No such demand has reached the Central Government. As the period presently prescribed under article 334 of the Constitution is due to expire only in the year 197 it is too early to take a decision in the matter.

Conduct of Business by Income Tax Departments in Hindi

Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the business of Income-tax Departments in Hindi-speaking States is being conducted in English, the Income-tax payers have to face great difficulties;

(b) if so, the time by which the work in this Department is proposed to start in Hindi ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a). The business of Income-tax Departments in Hindi-speaking States is to some extent conducted in English. The notices and forms used are generally in Hindi and so are the discussion and talks with the Income-tax payers. The tax-payers therefore do not face any difficulty.

(b) and (c). Arrangements exist for the translation into Hindi of Administrative orders, notices and notifications relating to the Income-tax Department. With the implementation of the provisions of the Official Language (Amendment) Act. 1967, Hindi will begin to be used to a greater extent also in the Income-tax offices located in Hindi Speaking States.

State Bank Branches in Rajasthan

1554. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that branches of the State Bank are proposed to be opened in all the tehsils of Rajasthan ;

(b) if so,the number of places in the State where Branches of the aforesaid Bank have been started so far under the scheme ; and

(c) the number of Branches to be opened and the places where they are to be opened during the current year ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The State Bank of Bikaner and Jaipur, a subsidiary of the State Bank of India, is implementing programme of opening branches of the bank in all the 198 tehsils of Rajasthan.

(b) 142.

(c) The remaining 56 branches will be opened before the 30th June, 1970. Of these, 6 will be opened before the end of this year at Sikrai, Jamwa Ramgarh (District Jaipur), Shergarb (Disttict Jodhpur), Kishanganj (District Kotah), Hindoli (District Bundi) and Udaipurwati (District Jhunjhunu).

Additional Aid to States

1555. **Shri Mahant Digvijai Nath :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bihar State have been given the largest share out of the additional Central Government funds released for the States' Annual Plan for 1968-69;

(b) if so, whether it is also a fact that U.P. being the largest State in India has been given much smaller amount than Bihar ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Out of the additional Central assistance of Rs. 25 crores provided for accelerating the work on selected major irrigation projects during 1968-69, the largest share has been allocated to Bihar.

(b) It is a fact that Uttar Pradesh has received a smaller allocation than Bihar.

(c) The additional amounts have been provided for individual projects with the aim of obtaining quick returns. The allocations have not been made on the basis of the population or size of the various States.

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

1566. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का निकट भविष्य में महानगरों में क्षेत्रीय कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कब शुरू किये जायेंगे;

(ग) सरकार ने अब तक इस फैक्टरी में कितनी पूंजी लगाई है; और

(घ) 1967–68 तक कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 48.99 लाख रुपये।

(घ) फैक्ट्री अगस्त, 1955 से जब कि वह पूर्णतः राज्य-स्वामित्व संस्था हो गयी, लाभ में चल रही है। पिछले तीन वर्षों में, उसके द्वारा कर की व्यवस्था के बाद निम्नांकित लाभ हुए:—

	लाख रुपये
1964-65	. 2.86
1965-66	. 6.93
1966-67	. 3.17

फैक्ट्री का 1967-68 के वर्ष का वार्षिक लेखा तथा बैलेंस शीट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नागार्जुन सागर परियोजना

1557. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना के दूसरे प्रकम को मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टी० बी० पी० हाई लेवल केनाल

1558. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अबूर तालुक में गुंटाकल से शुरू होने वाली टी० बी० पी० हाई लेबल कैनाल के मूल रेखांकन में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मूल योजना के अनुसार किन-किन गांवों को लाभ पहुंचना था; और

(घ) इस परिवर्तन के कारण किन नए गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). यह रिपोर्ट मिली है कि रेखांकन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तटबन्ध पहुंचों में केवल विस्तृत सर्वेक्षण ही किये जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं किए गए थे। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप हो सकता है कि कहीं-कहीं नहर और क्रास निकास कार्यों के निर्माण की लागत में किफायत लाने के लिए थोड़ा परिवर्तन करना पड़े।

(ग) और (घ). चूंकि अभी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं इस समय इस का प्रश्न नहीं उठता।

"पी" फार्म

1559. **श्री वे० कृ० दास चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पी" फार्म मंजूर करने पर लगाई हुई पाबन्दियों को हटाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों के विदेशों में दौरों पर रोक

1560. **श्री जुगल मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में अधिकारियों के दौरों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी कर्मचारियों को विदेश भेजने के प्रस्तावों की वरिष्ठ सचिवों की एक समिति द्वारा विशेष ध्यानपूर्वक जांच की जाती है और केवल ऐसे मामलों में विदेश जाने की मंजूरी दी जाती है जो अपरिहार्य हों, अथवा जिनसे

विदेशी मुद्रा की काफी बचत होने की संभावना हो या जो प्रतिरक्षा कार्य से या प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकता से संबन्ध रखते हों। इसलिए, कर्मचारियों के विदेशों के दौरों पर किसी विशेष प्रकार की रोक टोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

"पी" फार्म आवेदन पत्र

1561. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1968 तक की अवधि में भारत के रिजर्व बैंक को कितने "पी" फार्म आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) ऐसे कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि में राज्य वार कितने "पी" फार्म आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) नवीनतम आंकड़े 30 अप्रैल, 1968 की अवधि तक उपलब्ध हैं कुल 19,507 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से 76 अस्वीकार कर दिए गए; राज्यवार आंकड़ों का विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

Madhya Pradesh Electrification Schemes

1562. **Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Project Report submitted by the Madhya Pradesh Electricity Board regarding rural electrification schemes for 1967-68 has not been accepted so far by the Technical Advisory Committee ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when it is likely to be accepted ?

The Deputy Minister for Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (*a*) The scheme of the Madhya Pradesh Electricity Board for 1967-68 for providing 3710 agricultural connections at an estimated cost of Rs. 162.10 lakhs has been approved.

(b) and (c) : Do not arise.

Fertilizer complex in Madhya Pradesh

1563. **Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether a final decision has been taken to establish a fertilizer complex in Madhya Pradesh in colaboration with U.K.A, U.S A. or any other foreign country :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor .

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The final recommendation of the Board of Directors of the Fertilizer Corporation of India Ltd. on the techno-economic feasibility report in respect of a coal based plant at Korba is awaited.

Water And Electric Charges of Ministers

1564. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state the amount of expenditure incurred on water and electricity charges for each of the Ministers of Central Cabinet during the six months ending the 30th June, 1968, Minister-wise separately ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): Bills for water and electricity are received from the Local Body concerned generally 2-3 months late. Information for the pereod of six months ending 30th June, 1968 will be collected and will be laid on the Table of the House in duecourse.

Income-tax Arrears

Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of such persons who have paid rupees one lakh or more as Income-tax or Super-tax during the last five yars ;

(b) whether any amount is still to be realised from the assessees on whom rupees one lakh or more Income-tax was assessed during the last five yers ;

(c) if so, the amount to be realised and the name of each of such assessee and the reasons therefor ;

(d) the action taken for realizing the outstanding amount in each case ; and

(e) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The information asked for is not readily available and its collection involving approximately 30,000 assessments over a period of 5 years will involve immense time and labour not commensurate with the results.

However, in reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 1079 dated 19-2-1966, the Government has undertaken to furnish the names of individuals who had been assessed for more than Rs 1 lakh per year and who were in arrears ;

(c) It will be a formidable task to furnish the details, which are dependent on the data asked for in (a) and (b). However, it may be stated that the names of assessees who are in arrears to the extent of Rs. one lakh and above for the Commissioners Charges in Bombay and Calcutta and Rs. 25,000 and above for the other Charges are to be published in newspapers by each Commissioner of Income-tax.

(d) and (e). Adequate action is being taken by issue of recovery certificates and by resorting to other coercive measures. It is not possible to furnish the details in each case which would involve immense time and labour by scrutiny of thousands of files.

उड़ीसा के लिये आयकर मंडल

1566. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में एक आयकर मंडल (सर्किल) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या धेनकनाल जिले में एक आयकर कार्यालय स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर; और

(घ) स्थान चुनने के लिए सरकार ने किन-किन बातों को ध्यान में रखा है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। 15 मई, 1968 से आयकर आयुक्त का एक नया कार्यक्षेत्र स्थापित किया गया है जिसका प्रधान कार्यालय भुवनेश्वर में है और जिसका क्षेत्राधिकार उड़ीसा राज्य पर है।

(ख), (ग) तथा (घ). आयकर आयुक्त से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सरकारी बस्तियों में सेवा कर्मचारियों के क्वार्टर

1567. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को साउथ दिल्ली वेलफ़ेयर एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सेवा सम्बन्धी कार्य करने वाले लोगों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सेवा कर्मचारियों के लिए जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, रिहायशी वास की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। फिर भी, उनके लिए कुछ वास के निर्माण की संभावनायें विचाराधीन हैं।

विवाह के प्रयोजन हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

1568. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1967 में साउथ दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गठित एक बैठक में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक बस्ती में विवाह के प्रयोजन के लिये दो क्वार्टर आवंटित करने का वचन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक बस्ती में इस प्रयोजन के लिए कोई क्वार्टर निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) इन क्वार्टरों के प्रत्येक सैट के लिए क्या किराया चार्ज किया जायेगा ?

निर्माण, श्रावास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। बैठक मई, 1967 में गठित हुई थी बल्कि जून, 1967 में हुई थी।

(ख) श्रौर (ग) वैवाहिक प्रयोजन के श्रावंटन के लिए प्रत्येक बस्ती/बस्तियों के समूह में विशेष रूप से दो क्वार्टर निर्धारित नहीं किये गये हैं। वैवाहिक प्रयोजन के श्रावंटन के लिए प्राप्त हुए श्रावेदन के समय खाली उपलब्ध निवासस्थान सामान्य पूल वास के श्रावंटियों को तथा उन पात्र सरकारी कर्मचारियों को जो उनके साथ वास में रह रहे हैं, श्रावंटित किये जाते हैं। ऐसे वास का किराया बाज़ार दर के साथ 50 प्रतिशत श्रौर की दर पर वसूल किया जाता है, इसमें पानी श्रौर बिजली का प्रभार शामिल नहीं है।

सरकारी मुद्रणालय, फ़रीदाबाद

1569. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **निर्माण, श्रावास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालय, फ़रीदाबाद (नई दिल्ली) के कुछ मशीनमैन चिरकाल से सीसे के विष-प्रभाव के रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में मुद्रणालयवार उनकी संख्या कितनी रही है तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके चिकित्सा-श्रवकाश की श्रवधि में उन व्यक्तियों को श्रपनी ड्यूटी पर माना गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उनको चिकित्सा-श्रवकाश की श्रवधि में पूरा वेतन दिया गया था; श्रौर

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?'

निर्माण, श्रावास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) श्रौर (ख) भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद में केवल एक ग्रेड III मशीनमैन सीसा विष (लैड पाइज़निंग) से बीमार पड़ा था वह 9 सितम्बर, 1964 से लेकर 16 दिसम्बर, 1964 तक तथा 4 जनवरी 1965 से लेकर 4 मार्च, 1966 तक ड्यूटी पर नहीं श्रा सका।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस व्यक्ति को जितनी छुट्टी दी जा सकती थी तथा जितनी के लिए श्रावेदन किया वह निम्नांकित प्रकार से दी गयी :—

(i) पूरे वेतन पर :—

9 सितम्बर, 1964 से लेकर 30 नवम्बर, 1964 तक
7 मार्च, 1965 से लेकर 6 श्रप्रैल, 1965 तक
21 जून, 1965 से लेकर 10 श्रगस्त, 1965 तक

(ii) श्राधे श्रौसत वेतन पर :—

1 दिसम्बर, 1964 से लेकर 16 दिसम्बर, 1964 तक
4 जनवरी, 1965 से लेकर 6 मार्च, 1965 तक
7 श्रप्रैल, 1965 से 20 जून, 1965 तक
11 श्रगस्त, 1965 से लेकर 4 मार्च, 1966 तक।

(ङ) कर्मचारी ने वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट, 1923 के अंतर्गत मुआवज़ा मांगने के स्थान पर जो छुट्टी मिल सकती थी उसे लेना अधिक अच्छा समझा क्योंकि कदाचित छुट्टी की अवधि के लिए कुछ छुट्टी के वेतन की राशि उस मुआवज़े से अधिक थी जो कि एक्ट के अंतर्गत उसे मिल सकता था।

मिर्जापुर में नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाना

1571. श्री क० अनिरुद्धन : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री वि० कु० मोडक : श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला की एक फर्म को मिर्जापुर में नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखान का निर्माण करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संबंध में देशी नेफ्था का प्रयोग किया जायेगा अथवा आयातित नेफ्था का;

(ग) आयातित नेफ्था की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी तथा इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(घ) क्या यह सच है कि वहां कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाया जाने पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सिंगतली कोयला क्षेत्र से कोयला देने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो आयातित नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हां, एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है ।

(ख) यथासंभव देश में उपलब्ध नेफ्था इस्तेमाल किया जायेगा ।

(ग) इस परियोजना के लिये इस समय नेफ्था के आयात का कोई संकेत नहीं है ।

(घ) और (ङ) सरकार को सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से कोयले की उपलब्धि के बारे में ज्ञान है, लेकिन नेफ्था पर आधारित उर्वरक का उत्पादन कम खर्चीला है । अतः नेफ्था को तरजीह दी जाती है ।

गैर-सरकारी तेल शोधनशालाओं का विस्तार

1572. श्री पी० पी० ऐस्थोस : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री वि० कु० मोडक : श्री ई० के० नायनार :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी तेल शोधनशालाओं ने सरकार की बिना अनुमति के अपनी क्षमता में विस्तार किया है तथा कच्चे तेल का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) कुछ गैर-सरकारी शोधनशालाओं ने अपनी क्षमता का विस्तार कर लिया है । यह ध्यान में रखते हुये कि पिछले कुछ वर्षों में पैट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ गई है, यह फैसला किया गया था कि ज ां तक यह राष्ट्रीय हित में हो, इन शोधनशालाओं को उच्चतर क्षमता पर कार्य करने दिया जाए । इसका परिणाम यह हुआ कि शोधित उत्पादों के कम आयातों के अनुरूप विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ।

पश्चिम जर्मनी के साथ ऋण करार

†1574. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को 46.15 करोड़ रुपये के ऋण के लिये भारत सरकार और पश्चिम जर्मनी की सरकार के बीच एक करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ऋण मुद्रा में प्राप्त होगा अथवा मशीनों के रूप में;

(ग) इस करार का कितना भाग उत्तर प्रदेश के लिये आवंटित किया गया है अथवा आवंटित करने का विचार है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में इस ऋण की राशि को किन-किन मदों पर व्यय किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां । 46.875 करोड़ रुपये के करार के हस्ताक्षर हुए हैं,

(ख) इसके अन्तर्गत खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए यह धन उपलब्ध होगा;

(ग) और (घ) कोई राज्यवार बंटवारा नहीं किया गया है ।

Suicide by a Female Doctor in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

1575. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. (Miss) Usha Gangadharan was found dead in a room in the All-India Institute of Medical Sciences in mysterious circumstances ;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the total number of deaths of women employees in hospitals in Delhi during the last year ; and

(d) the steps taken by Government to unravel the mystery surrounding such deaths and the result thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) *and* (b) Dr. (Miss) Usha Gangadharan was found dead in a room of the Microbiology Department of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi on the 15th July, 1968. The cause of death is being investigated into by the Police.

(c) No woman employee working in any Hospital of Delhi died last year. One student nurse died last year.

(d) Government have appointed a Commission of Enquiry to enquire into the circumstances leading to the death of four student-nurses of Irwin Hospital and one student nurse of Willingdon Hospital, New Delhi, who died some time ago.

अध्ययन अवकाश के दौरान क्वार्टर का रखना

1576. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा कार्यालय के आवंटन नियमों में सरकारी क्वार्टरों को अपने पास रखने के मामले में "अध्ययन अवकाश" और "प्रशिक्षण के लिये जाना" के बीच अब भी अन्तर है;

(ख) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 1962 में जारी किये गये अध्ययन अवकाश नियमों के अन्तर्गत जिन प्रयोजनों के लिये अध्ययन अवकाश मंजूर किया जाता है, उसके अनुसार ऐसा कोई अन्तर करना वैध नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप, अध्ययन अवकाश और प्रशिक्षण के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिये सितम्बर, 1966 में, या इसके आसपास एक उच्च स्तरीय निर्णय सिफारिश की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो आवंटन नियमों में उसके अनुसार संशोधन करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) "अध्ययन अवकाश" तथा "प्रशिक्षण के लिए जाने" को समानित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रशिक्षण सरकार की ओर से प्रेरित होता है तथा वह ड्यूटी समझा जाता है जबकि "अध्ययन अवकाश" सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर है तथा वह पूर्णतः वैकल्पिक है। सरकारी कर्मचारी जिसके पास सरकारी वास नहीं है वह प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान मकान किराया भत्ता का अधिकारी है जब कि यह भत्ता उस कर्मचारी को ग्राह्य नहीं है जो अध्ययन अवकाश पर जाता है।

(ग) और (घ) सामान्य पूल वास को अपने पास बनाए रखने के प्रयोजन से अध्ययन अवकाश को प्रशिक्षण अवकाश के साथ समानित करने के लिए कुछ व्यक्तियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे तथा उन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि सामान्य पूल वास को अपने पास बनाए रखने के प्रयोजन के लिए "अध्ययन अवकाश" तथा "प्रशिक्षण अवकाश" का अन्तर हटाया जाये।

आदिम जातीय/सांस्कृतिक संस्थाएं

1577. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक स्थापित की गई आदिम जातीय सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थाओं के ब्यौरों के नाम क्या हैं तथा वे किन किन स्थानों पर हैं और किन किन तारीखों को स्थापित की गई थीं;

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था द्वारा अब तक आरम्भ की गई उन अनुसंधान परियोजनाओं, अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों का विशिष्ट विवरण क्या है, जो पूरी की जा चुकी हैं अथवा जिनके शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है;

(ग) उनमें से प्रत्येक संस्था के द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) उनमें से प्रत्येक में तकनीकी तथा ग़ैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है;

(ङ) इन श्रेणियों के कर्मचारियों में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है; और

(च) इनमें से प्रत्येक संस्था पर अब तक कितनी कितनी राशि व्यय की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) यह सूचना समाज कल्याण विभाग की वर्ष 1965-66 की वार्षिक रिपोर्ट में, जिसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं, शामिल है ।

(ग), (घ) (ङ) तथा (च) यह ब्यौरा सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित किया जा रहा है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

योग आश्रम, नई दिल्ली के लिये भूमि

1578. **श्री विभूति मिश्र** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलैक्जेन्डर प्लेस, नई दिल्ली के 'चमरी' निवासियों ने उन्हें उस समय खाली करने से इन्कार कर दिया जब योग आश्रम का योगी जिसे यह भूमि बेच दी गई है उसका कब्जा लेने आया था और पास के गुरुद्वारा अधिकारियों ने भी इस बिक्री पर आपत्ति की है और अपना दावा पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) अलैक्जेन्डर प्लेस के ब्लाक I में चमरियों के नीचे तथा उसके पास का 1.866 एकड़ भूमि का टुकड़ा मास्टर प्लान में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित कर दिया गया था। यह भूमि विश्वायतन योगाश्रम को जोकि शैक्षणिक संस्थान है, आवंटित कर दी गयी थी। चमरियों के निवासी तथा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस आवंटन पर आपत्ति की है तथा योगाश्रम को उपयुक्त वैकल्पिक स्थान के आवंटन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

शिलांग और देश के शेष भाग के बीच दूर संचार सेवाओं के काटे जाने का समाचार

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : श्रीमान मैं संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री का ध्यान अविलम्ब तीव्र लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> 24 जुलाई, 1968 की रात को तोड़फोड़ की कार्यवाहियां करने वालों द्वारा शिलांग और देश के शेष भाग के बीच दूर संचार सेवाओं के काट दिये जाने का समाचार।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 24/25 जुलाई की रात्रि को ट्रंक एक्सचेंज, शिलांग को सूक्ष्मतरंग प्रणाली से जोड़ने वाले लगभग 20 फीट लम्बे 2 तारों के टुकड़े शिलांग ट्रंक एक्सचेंज से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर प्राप्त हुए। इसी प्रकार 14 तारीख को भी तार के 90 फीट टुकड़े को चुराया गया था।

इसके परिणामस्वरूप शिलांग और देश के अन्य भागों के बीच दूरसंचार व्यवस्था बिल्कुल ठप्प नहीं हुई, क्योंकि वहां अन्य दूसरी ऊपरी लाइन मौजूद थीं। फिर भी उपलब्ध चैनलों की संख्या में कमी हो गई, क्योंकि ऊपरी लाइनों में चैनलों की संख्या सीमित थी।

इस मामले की उन पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई जो इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक तोड़ फोड़ को ही तार काटने का कारण मानना संभव नहीं है। शिलांग के पोस्ट मास्टर जनरल से प्राप्त ताजे समाचारों में यह बताया गया है कि पुलिस ने ऐसे तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनका प्रायः इस प्रकार की चोरी से सम्बन्ध रहता है। आज सवेरे प्राप्त समाचार से मालूम हुआ है कि आठ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं।

श्री स्वैल : मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संचार सेवाओं को काटे जाने की घटनायें दो बार हुई हैं। परन्तु उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि यह घटना उसी स्थान पर हुई है जो कि समाचारपत्रों में बताया गया है। मुझे उनका वक्तव्य कुछ अस्पष्ट सा नजर आता है।

25 तारीख को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने शिलांग से एक समाचार दिया था जिसमें बताया गया था कि डाक तार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस कार्य को एक षडयंत्र बताया है। उसके अगले दिन ही डाक-तार विभाग के एक प्रवक्ता ने यह बताया कि शिलांग से प्राप्त समाचार निराधार है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के दो विपरीत वक्तव्य कैसे दिये गये।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई थी और जब तक पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि यह षडयंत्र का मामला है या नहीं। परन्तु जो कुछ मैंने अभी बताया है माननीय सदस्य को उस कथन को ठीक समझना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): आसाम से प्राप्त होने वाले समाचारों से यह पता लगता है कि पूर्वी क्षेत्र में, विशेषकर जिसमें आसाम भी शामिल है, षडयंत्रों का सूत्रपात किया जा रहा है। क्या विदेशी समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए कि शायद अक्टूबर तक उक्त क्षेत्र में बहुत तोड़फोड़ की कार्यवाहियां हों मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इनकी जानकारी है और यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही कर रही है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं इस बारे में सभा को यह आश्वासन देता हूं कि उक्त क्षेत्र में आवश्यक एहतियाती कार्यवाही की जायेगी।

Shri Balraj Madhok (South-Delhi) : The hon. Minister has intentionally stated the incorrect facts. It is a well known fact that the situation in Assam is explosive. Cutting of telecommunication cables twice is a very serious matter. There might be some political conspiracy behind it. It is taking too much of the intelligence of the House.

We want to know the reaction of the Govt. in this regard. We are not worried about the findings of the police. What is the idea of Government.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : मा .नीय सदस्य को सभा के प्रति अनादर प्रकट नहीं करना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक : मैं ने सभा का अनादर नहीं किया है । मैं ने कहा है कि मंत्री महोदय को सभा का मान करना चाहिये । उसे बेवकूफ नहीं समझना चाहिये ।

Dr. Ram Subagh Singh : I had said nothing to misguide the House. Hon. Member said that there is sabotage. I believe in the patriotism of every Indian. The matter has been referred to the police for investigation and its report will be placed on the Table of the House.

Shri Prakash Vir Shastri: The news which we receive here about Assam we find that Chinese and Pakistanis are behind these Sabotage activities in Assam. Hon. Minister has Correctly stated that no information can be given to the House unless the police gives its report. But may I know whether the Hon. Minister, on the basis of the perliminary information, can state that who are the elements behind these activities?

Dr. Ram Subhag Singh: I cannot give my personal estimate in this matter. According to the latest information eight persons have been arrested.

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : इन सूचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ये घटनायें सामरिक महत्व के स्थानों पर हुई हैं । ट्रंक टेलीफोन और सूक्ष्म तरंग प्रणाली को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है । क्या इस कार्यवाही से पूर्वी क्षेत्र में भविष्य में उपद्रव होने की संभावना है ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि इस बारे में कोई कठिनाई है नो हमें घबराना नहीं चाहिये । इस लाइन की सुरक्षा के लिये हमने आवश्यक प्रबन्ध कर लिये हैं । हम इस बारे में ऐहतियाती कार्यवाही कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1966-67 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1966-67 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1487/68]

उत्तर प्रदेश नगर महापालिकाएं (अल्पकालिक व्यवस्था) (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1968

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिकायें (अल्पकालिक व्यवस्था) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या

[श्री बी० एस० मूर्ति]

21) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 28 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1488/68]

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं, श्री आई० के० गुजराल की ओर से निम्नलिखित विवरण, जिनमें लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाई गई है, को सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या, 34, 5 और 6	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 6	तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 14	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 11	पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 15	पंद्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1489/68]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 82वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1303 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 83वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1304 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 84वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1305 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 85वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1306 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 86वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1307 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 87वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1308 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जी० एस० आर० 1312 जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई और जिसमें दिनांक 15 जून, 1968 की जी० एस० आर० 1128 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क तथा वापसी (सामान्य) 88वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1355 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 89वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1356 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 90वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1357 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 91वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1358 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 92वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 1359 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :--

(एक) जी० एस० ग्रार० 1309, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० ग्रार० 1310, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० ग्रार० 1311, जो दिनांक, 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० ग्रार० 1360, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० एस० ग्रार० 1361, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी० एस० ग्रार० 1362, जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० एस० ग्रार० 1363, (अंग्रेजी संस्करण) ग्रौर जी० एस० ग्रार० 1364 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—1490/68]

मुंघेर ग्रादि के निकट गंगा नदी के जल के दूषित हो जाने के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच ग्रायोग के निर्देश पदों के पुनरीक्षण के बारे में नोट

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री कोत्ता रघुरामैया की ग्रोर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मुंघेर के निकट गंगा नदी के जल के दूषित हो जाने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच ग्रायोग के निर्देश पदों के पुनरीक्षण के बारेमें नोट की एक प्रति ।
[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1485/68]

(2) ग्रत्यावश्यक वस्तु ग्रधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) मिट्टी का तैल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) छटा संशोधन ग्रादेश, 1968 जो दिनांक 15 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या जी०एस० ग्रार० 942 में प्रकाशित हुग्रा था ।

(दो) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) सातवां संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 19 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1172 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1486/68]

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1492/68)

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुमान

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं श्री सिद्धेश्वर प्रसाद की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 15 अप्रैल, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 61 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1968-69 के बजट अनुमानों तथा वर्ष 1967-68 के संशोधित अनुमानों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1493/68]

समाचार-पत्र कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. STRIKE BY NEWSPAPERS EMPLOYEES.

अध्यक्ष महोदय : श्री हाथी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नियम 376 (2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्नकाल के अतिरिक्त किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। वे अपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बतायें।

श्री स० मो० बनर्जी : सभा में इस समय की जा रही चर्चा के प्रश्न के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० जोशी ने भी इस बारे में मुझसे बातचीत की थी। मैं इस बारेमें एक घंटे की चर्चा की अनुमति देने वाला हूं। मैं ने यह सोचा था कि मैं इसकी घोषणा श्री हाथी द्वारा वक्तव्य देने के बाद करूंगा इस पर चर्चा के लिये मैं सुविधाजनक समय निश्चित करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो आपसे केवल निवेदन करूंगा कि आप इस पर चर्चा की अनुमति दें क्योंकि अन्यथा इसका महत्व कम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आज आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी गई है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : सदस्यों को याद होगा कि समाचार पत्रों के कर्मचारी, अधिकांश प्रैस मालिकों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के बिरोध में पहली अप्रैल, 1968 से हड़ताल करने वाले थे । परन्तु कर्मचारी संगठन हड़ताल समाप्त करने को तैयार हो गया और बाद में दोनों के बीच मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में बात चीत हुई । परन्तु दुर्भाग्यवश दिल्ली में हुए समझोते के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया । इसके परिणामस्वरूप फैडरेशन ने 23 जुलाई, 1968 से हड़ताल करने की घोषणा की । उस बारे में बातचीत हुई । परन्तु दुर्भाग्यवश म मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अन्तिम रूप से क्रियान्वित करने के बारे में कोई समझोता नहीं हुआ ? इस समय यह हड़ताल श्रेणी 1, 2 और 3 के समाचार पत्रों के कर्मचारियों से सम्बन्धित है । 28 जुलाई, को मैं हड़ताल कर रहे समाचार पत्रों के कर्मचारियों से फिर मिला था । मैंने इस विवाद को हल करने के लिये विचार विमर्श आरम्भ किया था । आज से होने वाले विचार विमर्श की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

नई दिल्ली में 23 अप्रैल, 1968 को इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी नई दिल्ली और आॅल इंडिया न्यूज पेपर एम्पलैयीज फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच करार

उपस्थित

प्रतिनिधि नियोजक

श्री जे० एम० ड[illegible], [illegible], इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी, नई दिल्ली ।

प्रतिनिधि कर्मचारी

1. श्री एस० वाई० कोलहाटकर, सभापति आल इंडिया न्यूजपेपर एम्पलाईज फैडरेशन ।
2. श्री के० एल० कपूर, जनरल सेक्रेट्री आल इंजिया न्यूजपेपर एमप्लाईज फैडरेशन ।

करार की शर्तें

गैर-पत्रकार कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्वित के सम्बन्ध में इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी और आल इंडिया न्यूजपेपर एमप्लाईज फैडरेशन तथा इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रतिनिधियों के बीच 22 और 23 अप्रैल, 1968 को नई दिल्ली में चर्चा हुई । इस लम्बी चर्चा के परिणामस्वरूप, सम्बन्धित पक्ष निम्न समझौते पर पहुंचे हैं । नियोजक इस बात से सहमत है ।

1. (क) 1-1-1968 को कर्मचारियों की वर्तमान मजूरी और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अधीन उस तारीख को जो मजूरी उनको मिलती उसके अन्तर की 70 प्रतिशत राशि का 1-1-1968 से अन्तरिम भुगतान करना ।

   (ख) खंड 1 (क) के अधीन कर्मचारियों को देय बकाया राशि का आज से तीन सप्ताह के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा । तथापि खंड 4, 5, 6 और 7 के अन्तर्गत आने वाले समाचारपत्रों के बारे में इस राशि के भुगतान की समय-सीमा 6 सप्ताह होगी ।

(ग) कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल उनका शोषण अथवा उनके विरुद्ध अनुचित कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

2. सम्बन्धित पक्ष इस बात के लिये सहमत हैं :

(क) गैर-पत्रकार कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों और उनकी क्रियान्वित से सम्बन्धित विवाद ग्रस्त मामलों के निपटाने के लिये तत्काल बातचीत करना ।

(ख) एक महीने के अन्दर बातचीत पूरी कर लेना ।

3. कर्मचारी अपनी ओर से बिना हड़ताल किये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से सम्बन्धित सभी अनिर्णित मामलों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे ।

4. कर्मचारी 24 अप्रैल, 1968 की सुबह से हड़ताल समाप्त करने के लिये तैयार हैं ।

प्रतिनिधि नियोजक

ह० जे० एम० डी० सूजा

प्रतिनिधि कर्मचारी

1. ह० एस० वाई० कोलाडटकार
2. ह० के० एल० कपूर

नई दिल्ली ;
23 अप्रैल, 1968

मेरे समक्ष

ह० ओ० महीपति

23—4—68

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) वह मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये एक कानून क्यों नहीं लाते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : सरकार उन्हें सस्ते दाम पर अखबारी कागज दे रही है । सरकार उन्हें आयात कोटा भी दे रही है । विज्ञापन भी दे रही है । वह उनके दामों में खेल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहिले ही चर्चा की अनुमति दे चुका हूं और ये बातें चर्चा के दौरान उठाई जा सकती हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस पर कल सायं 4 बजे से 6 बजे के बीच चर्चा होनी चाहिये ।

स्थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना विधि (संशोधन) विधेयक

ARMY, AIR FORCE AND NAVAL LAW (AMENDMENT) BILL

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि स्थल सेना तथा वायु सेना (निजी सम्पत्ति का निपटान) अधिनियम, 1950 तथा नौसेना अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थल सेना तथा वायु सेना (निजी सम्पति का निपटान) अधिनियम, 1950 तथा नौसेना अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री मं० रं० कृष्ण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

धान कुटाई उद्योग विनियमन (संशोधन) विधेयक

RICE MILLING INDUSTRY (REGULATION) AMENDMENT BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 26 जुलाई, 1968 को श्री अन्नासाहेब शिन्दे द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जायेगा ।

अब श्री तुलशीदास जाधव अपना भाषण जारी करें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुआ**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

Shri Tulshidas Jadhav (Barawati): It is the duty of the Government to bring private milling in regard to rice milling in the Cooperative or state sector. There is no alternative to it. The processing industry must come in the cooperative sector. There are 209 sugarcane factories in India. Out of these 136 are in private sector and 73 in cooperative sector. Out of 136 in private sector, 72 factories are in U.P. and 28 in Bihar.

We should equip these factories with modern machinery . Some persons are doubtful about cooperative sector, it is my personel experience that the societies in the cooperative sector in Maharashtra have been functioning successfully. Therefore, I urge that all these mills should be brought under cooperative sector and the owners of these mills shoud be paid compensation.

Secondly, as a result of bringing these mills under Cooperative sector or State Government, the skill and experience of those persons who are rendered unemployed should be utilised. These people should not be thrown out of employment.

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : मुझे तो यह आशा थी कि देश की चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये विधेयक पेश किया जायेगा परन्तु मुझे सभा के समक्ष जो विधेयक लाया गया है, उसे देख कर निराशा हुई है ।

मुझे इस बात की खुशी है कि सहकारी संस्थाओं और सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु सहकारी संस्थाओं के कार्य-संचालन की जांच करने की आवश्यकता है । सहकारिता

के क्षेत्र में भी छोटे किसानों का शोषण करने की प्रवृत्ति है। गांवों में धान से छिलका निकालने वाली मशीनों के इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाय। यह एक प्रकार का कुटीर उद्योग बन गया है। अतः माननीय मंत्री इस समस्या की ओर ध्यान दें। 1967 के मध्य में केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया था कि वह भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन उस राज्य के चावल मिलों को ले ले और उसने संघ सरकार की अनुमति मांगी परन्तु संघ सरकार ने उस सुझाव को ठुकरा दिया, सरकार की नीति दुरंगी है।

हम सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र में और अधिक चावल मिलें लाने की बात कर रहे हैं। परन्तु इस समय मैसूर में जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है वह सीमेंट कम्पनी का प्रबन्ध और नियंत्रण किसी बड़े व्यापारिक गृह को सौंपने के बारे में है। हमें इन बातों में स्पष्ट होना चाहिये। धान के छिलके निकालने वाली मशीनों को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिये। इस विधेयक में जितने अर्थदंड और कारावास का उपबन्ध किया गया है वह अधिक है और मेरा सुझाव है कि इस दंड को कम किया जाय।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : इस विधेयक को पेश करने में माननीय मंत्री जी का अभिप्राय बहुत अच्छा है। इसकी क्रियान्विति में बहुत सी कठिनाइयां हैं जिनका कृषकों को सामना करना पड़ेगा। केवल बड़े व्यापारी ही, जिनके पास काफी धन है, अधिक पूंजी लगा सकते हैं और आधुनिक चावल मिलें स्थापित कर सकते हैं। एक जिले में 3 या 4 आधुनिक चावल मिलें स्थापित की जा सकती हैं परन्तु किसान को धान के चावल निकलवाने के लिये काफी चलना पड़ेगा। किसान को अपना धान बेचने के लिये लगभग 70 से 100 मील तक का सफर करना पड़ेगा जो असंभव है। हमारे देश में किसान केवल बड़े चावल शैलर्स ही लगा सकते हैं। हमारे पास छोटे शैलर्स नहीं हैं। अतः बिना विचार किये अथवा बिना उचित व्यवस्था किये इस प्रकार का विधेयक लाना सरकार के लिये उचित नहीं है।

यदि सरकार ऐसे छोटे चावल शैलर्स के आयात निर्माण की व्यवस्था कर सकती है, तो कृषकों के लिये यह संभव हो सकता है कि वे अपने हलर्स के स्थान पर शैलर्स खरीद लें। यदि सरकार कृषकों को इस बात के लिये बाध्य करती है कि वे 4 अथवा 6 महीने अथवा एक वर्ष में शैलर्स खरीद लें, तो यह उचित नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वे इस विधेयक को लाने में जल्दबाजी से काम न लें और इसके उपबन्ध इस प्रकार के बनायें कि किसान को हलर के स्थान पर नये किस्म के शैलर्स लगाने के लिये दो या तीन वर्ष का समय मिल जाये। हमें इस बात पर जोर नहीं डालना चाहिये कि किसान केवल एक बड़ा शैलर ही खरीदे। इसके लिये सरकार या तो जापान से छोटे शैलरों का आयात करे अथवा उनके निर्माण की व्यवस्था करे और किसानों को सप्लाई करे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

दूसरी बात यह है कि शैलर के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यह शर्त नहीं होनी चाहिये अन्यथा किसान को अधिकारियों की ओर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह एक संशोधन पेश करे कि किसानों के लिये इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

Shri Shinkre (Panjim): I welcome this Bill, I feel happy in supporting the question of cooperative society when the demand for nationalisation does not materialise. I would like to give one suggestion about Union territories especially about Goa and Pondicherry.

The Cooperative movement has not achieved much success there. I feel that Goa and Pondicherry should be given more time for cooperative societies movement. The installation of hullers or mills in Goa on Cooperative basis would be beneficial. The people of Goa have not been able to adjust them selves to the new situation which has developed after its liberation and therefore this Bill should be implemented there after two years.

Private enterprise should be encouraged in those villages whose population is less then 1,000.

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी): मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि यदि यह विधेयक पारित भी हो गया, तो भी इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए इसे पेश किया गया है कुछ वर्ष पूर्व कांग्रेस दल ने अपने भुवनेश्वर अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया था कि हमारे देश में समस्त चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। देश की चावल मिलों पर केवल कुछ प्रतिबन्ध लगा देने से सरकार चावल की जमाखोरी और मुनाफाखोरी नहीं रोक सकेगी। वर्तमान स्थिति को समाप्त करने का एकमात्र उपाय चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण है।

केरल सरकार ने भारत रक्षा नियम के अधीन चावल मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा था। मेरे विचार से इस सुझाव में कोई खराबी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अनुमति क्यों नहीं दी गई। मेरे विचार से चावल मिलों के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त देशवासियों को बचाने का और कोई चारा नहीं है। चावल मिलों को जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी करने से, जिसके कारण हमारे देश के लोग इतने अधिक पीड़ित हैं, रोकने का एकमात्र उपाय राष्ट्रीयकरण है।

खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर प्रकाश डालने के लिये मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बहुत सी बातें गलतफहमी पर आधारित थीं। इस आशंका का कोई आधार नहीं हैं कि इस विधेयक के उपबन्धों से हाथ से धान कुटाई उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मूल कानून जिसमें हाथ से धान कुटाई उद्योग को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है, ज्यों का त्यों रहेगा।

श्री गोपालन का यह कहना कि राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, देश की वास्तविक स्थिति के आधार पर नहीं है। बल्कि उनके राजनैतिक विचारों पर आधारित है।

सारे देश में लगभग 40,000 से 50,000 चावल के कारखाने हैं। इन में से लगभग 80 से 85 प्रतिशत बहुत छोटे एकक हैं। वे केवल छोटे ही नहीं हैं बल्कि उनमें पुरानी और अप्रचलित मशीनें हैं। जो लगभग बेकार हैं। मैं नहीं जानता कि उन अप्रचलित या बेकार मशीनों को अपने अधिकार में लेने से कोई लाभ होगा। इसलिये चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं है।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha). The hon. Minister's observation may be applicable in the case of small rice mills but what obstacle is there in nationalising the big rice mills?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के पहिले हमने विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया था और उनकी राय में पूरे राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं है। मेरी अपनी राय में भी राष्ट्रीयकरण से चावल उद्योग में और समस्यायें पैदा हो जायेंगी।

इस विधेयक का उद्देश्य चावल उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र को पूरी तरह निकालने का नहीं है। इसमें तो केवल यही व्यवस्था है कि किसान सहकारी समितियां बना सकते हैं। इन समितियों को इस क्षेत्र में लाइसेंस देने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी। इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र की मिलों को भी प्राथमिकता देने की व्यवस्था है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के बाद समवेत हुई।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN OF THE CLOCK.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

श्री अन्ना साहिब शिंदे : जैसा कि सब को मालूम है साहूकार, व्यापारी तथा माल तैयार करने वाले बहुत जगह किसानों का शोषण करते हैं और किसानों को मदद पहुंचाने का केवल एक तरीका यही है कि उन्हें सहकारी संगठनों के रूप में संगठित किया जाय। इससे वे मौके समाप्त हो जायेंगे जब किसानों का शोषण किया जाता है। इससे उन्हें अपनी पैदावार से ज्यादा आमदनी हो सकेगी और वे खेती में ज्यादा धन लगा सकेंगे और इस तरह उत्पादन बढ़ जायेगा। अमरीकी विशेषज्ञ भी, जिन्होंने इस समस्या की जांच की थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां तक धान कुटाई उद्योग का सम्बन्ध है, हमें सहकारी चावल मिलों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

मैं श्री दत्तात्रेय कुंटे तथा अन्य बहुत से सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं कि सहकारी समितियां होनी चाहियें।

सहकारी समितियों की परिभाषा में राज्यों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि राज्य पूंजी और अंश पूंजी के रूप में इन सहकारी समितियों की मदद करें। लेकिन राज्यों को केवल एक वोट है क्योंकि वोटिंग अंशों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। अतः मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि इस विधेयक के उपबन्धों पर, जो इतने अच्छे हैं, आपत्ति की जाय।

श्री रंगा का यह कहना ठीक नहीं है कि इस समय चावल कूटने के उद्योग में कोई अपव्यय नहीं होता है। 1955 की चावल कूटने सम्बन्धी समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि छोटी हलर मशीनें कोई उपयोगी कार्य नहीं करती हैं। उनको अकुशल श्रमिक चलाते हैं जिससे चावल अधिक मात्रा में टूटता है और प्राप्ति भी कम मात्रा में होती है।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था ने भी अपने हाल के एक सर्वेक्षण में कहा है कि यदि धान कुटाई उद्योग में पुरानी मशीनों को रहने दिया जाता है, तो इससे काफी अपव्यय होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में चावल की प्राप्ति 62 से 68 प्रतिशत तक है जब कि अन्य विकसित जापान और अमरीका जैसे देशों में, जहां आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, यह प्राप्ति 70 से 72 प्रतिशत तक है।

केरल सरकार को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत केरल को चावल मिलों को अपने अधिकार में लेने की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी और इसका कारण यह है कि

केरल सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि भारत रक्षा नियमों का प्रयोग आर्थिक मामलों में नहीं किया जायेगा। जहां तक अत्यावश्यक पण्य अधिनियम की धारा 3(4) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग के लिये केरल सरकार के अनुरोध का सम्बन्ध है, हम उससे तुरन्त सहमत हो गये क्योंकि हमारा विचार था कि इस धारा के अन्तर्गत केरल सरकार को प्राप्त होने वाली शक्तियां वहां की स्थिति से निपटने के लिये काफी होंगी।

श्री ई० के० नायनार : (पालघाट) : माननीय मंत्री को विधेयक में राज्य सरकारों को शक्ति देने का उपबन्ध करना चाहिये ताकि राज्य सरकारें चावल की चोरबाजारी और उसके लाने ले जाने को रोक सकें।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal): May I Know whether Government propose to check the wastage in rice milling industry by imported machinery or indigenous machinery?

Shri Anna Sahib Shinde: We want to make use of indigenous machinery.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 पर तीन संशोधन हैं।

श्री बेणी शंकर शर्मा : (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Beni Shankar Sharma: The hon. Minister has stated that on the basis of the experience of the last few years. we find now that there is a need, in consonance with public policy, to bring about some changes in the existing law. [If the provision of the Bill are enforced it is likely to create unemployment. Moreover there is no provision for providing alternative employment to those rendered unemployed. Therefore, priority should not be given to public sector for establishing rice mills.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 335 के अन्तर्गत व्यपगत हो गया है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : यदि हम उक्त नियम को गौर से पढ़ें, तो हमें पता लगेगा कि विधेयक को पुरःस्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इसके अन्तर्गत व्यपगत होता है, न कि विचार करने तथा पारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया होता, तो वह व्यापकता नहीं होती। किन्तु वह प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः आपको अपना संशोधन पुनः प्रस्तुत करना चाहिये था।

Shri Hem Raj (Kangra) **:** My amendment is about the word "Power" used at page 2, line 2 in the Bill. I suggest that the word "Power" may be written as "electric and oil power excepting water power", I want that the machines which are being operated by water power in pipes may be exempted.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : श्री वेणी शंकर शर्मा के संशोधनों को स्वीकार करने का अर्थ तो विधेयक को वापस लेने के समान है क्योंकि इस विधेयक का मूल उद्देश्य तो धान-कुटाई उद्योग को धीरे-धीरे एक आधुनिक उद्योग बनाने का है। इस संदर्भ में यह नहीं समझा जाना चाहिये कि इससे किसी सहकारी, निजी अथवा सरकारी क्षेत्र को कोई हानि पहुंचेगी।

जहां तक श्री हेम राज द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि इससे पुराने विधान में परिवर्तन करना पड़ेगा जो कि कुछ वर्ष पूर्व पारित किया गया था। इस विधेयक में हमने "पावर" शब्द की आधारभूत परिभाषायें नहीं करनी हैं। अतः मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3, 4 और 15 मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 3, 4 और (15) मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

(The amendments were put and negatived.)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(The motion was adopted)

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 2 WAS ADDED TO THE BILL

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(THE MOTION WAS ADOPTED)

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 3 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 4 पर बहुत से संशोधन हैं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 8, 9, 10 तथा 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हेमराज : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने अकारण ही यह कहा है कि यह तो विधेयक को वापस लेने के समान होगा ।

पहला अधिनियम हाथ से धान-कुटाई से सम्बन्धित था । अतः हाथ के धान-कुटाई से भिन्न कोई उद्देश्य कानून के विरुद्ध होगा । और वास्तव में यह इसके विरुद्ध है क्योंकि मंत्री महोदय मशीनें लाना चाहते हैं । अतः हाथ से धान-कुटाई से सम्बन्धित तथा इस नये विधेयक में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? अतः उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि हमने मूल उद्देश्य का खण्डन करने वाला संशोधन पारित किया है ।

मुझे सहकारियों को प्राथमिकता दिये जाने के बारे में आपत्ति है । किसी भी कार्य का को लाभ देने के लिये होता है । मंत्री जी का कहना है कि इससे देश में खाद्यान्न की सप्लाई बढ़ेगी तथा खाद्यान्न कम नष्ट होगा ।

इस धारणा का खंडन श्री रंगा ने कर दिया है । उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक भी दाना, छिलका अथवा टूटा टुकड़ा तक बेकार नहीं जाता । आप ही बताइये कि वैसे कैसे नष्ट होते हैं । यदि उन्हें पालिश युक्त चावल खाने वाले लोग नहीं खाते तो कम से कम गरीब लोग तथा पशु तो खाते हैं । क्या आप उनके विरुद्ध हैं ?

क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि धान कुटाई करने वालों के मध्य प्रतियोगिता कम करने से तथा सहकारिताओं को प्राथमिकता देने पर कृषकों को क्या लाभ होगा जैसा कि वह स्वयं कहते हैं ? हम सहकारिताओं के विरुद्ध नहीं हैं । मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने वर्ष 1934 में देश में बेंत बनाने वाली सहकारी संस्था स्थापित की थी ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आपने कदाचित् अपने विचार बदल लिये हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं उन सहकारिताओं के विरुद्ध हूं जो कि वोट प्राप्त करने के लिये कांग्रेसी संस्थाएं हैं । आप सहकारी संस्थाओं को एकाधिकार दे रहे हैं । मैं सहकारिताओं के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु आप उन्हें प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं ? आप हर प्रकार उनको जनता पर लादना चाहते हैं । खैर, हम सहकारिताओं का स्वागत करेंगे यदि उनमें छिपे रूप में उद्योगपति तथा व्यापारी न हों । किसान ही इसके सदस्य होने चाहिये । इसके लिये आपको व्यापार और उद्योगों से सम्बन्धित व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये था, वह आपने नहीं किया ।]

तो फिर क्या 'हलरों' की संख्या कम करके आप कृषकों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं ? आज मिल वाले चाहे जो मूल्य मांगते हैं क्योंकि उनका एकाधिकार है । अतः जितने अधिक 'हलर' होंगे उतने ही निष्प्रभाव मिल भी कम होंगे प्रतियोगिता बढ़ेगी, दण्ड कम होंगे, लाल फिताशाही कम होगी । और इसी से कृषकों को लाभ होगा । यदि यह सरकार किसानों की

प्रतिनिधित्व नहीं करती तो यह शर्म की बात है। अतः यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिये।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : My point is that the aim of having co-operatives is quite good but only that co-operative should be given a licence which has at least 100 farmers as its members.

Secondly, it has provide in the Bill that if a mill remains closed for one year, it should then secure a fresh licence to run it. This period of one year is too less since there can be many reasons *e.g.* Failure of crops, drought, non availability of rice from the small hullers or some Judicial proceedings etc. So this period should be at least 6 years and the official disputes should be included therein. You should consider the rice industry just like other industries and accordingly provide it with all amenities.

Shri Hem Raj (Kangra) : I suggest that some more words be added to the definition of "Farmers' co-operative society" because in the rural areas all the co-operatives are controlled by the big landlords and millowners, and the small Farmers and workers stand no where. And so I move amendement No. 16 for clause 4.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लाने में सरकार को शर्म आये। मैं जानता हूं कि स्वतंत्र पार्टी सहकारिता तथा सरकारी क्षेत्र के कितने विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि धान-कुटाई उद्योग के तथा किसानों के हितों को देखते हुए यह आवश्यक है कि पुराने ढर्रे के निजी मिलों के मुकाबले में किसानों की सहकारिता तथा सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाये। मैं इस दलील से सहमत नहीं कि मैं प्रतियोगिता से डरता हूं।

श्री मोठीलाल मीना का यह सुझाव बड़ा ही उपयुक्त है कि सहकारिता का आधार विशाल हो तथा वह मुठ्ठी भर लोगों के कब्जे में नहीं रहे। हमारी भी यही धारणा है कि इनमें भारी संख्या में किसान लोग हों। जो भी किसान मिल के द्वारा धान भेजेगा उसे सदस्यता से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। सहकारिता के बारे में यही हमारा दृष्टिकोण है।

श्री हेम राज द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रति मेरी सहानुभूति है परन्तु क्योंकि यह सहकारी संस्थाओं के अधिनियम से सम्बन्धित है अतः हम इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारे संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

THE AMENDMENTS WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 4 विधेयक के साथ जोड़ दिया गया।

CLAUSE 4 WAS ADDED TO THE BILL.

खण्ड 5

श्री मीठा लाल मीना : मैं संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 5 पर संशोधन संख्या 12 और 13 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

THE AMENDMENTS WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 5 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया ।

CLAUSE 6 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 7

श्री मीठालाल मीना : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

This clause 7 provides for very strict punishment which, in stead of meeting its aim, will enable the officers to secure more and more money by threatening the mill owners. There is enough scope of corruption by the officers.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : पिछले अधिनियम में दण्ड की अवधि छ: मास तथा 5000 रु० जुर्माना था । अब हमने उसे बढ़ा कर एक वर्ष तथा जुर्माने को बढ़ा कर 10,000 रु० कर दिया है । इसके लिये उपयुक्त कारण हैं । कुछ असामाजिक तत्व प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न करना तथा चोर-बाजारी करना चाहते हैं । कानूनी तकनीकों का लाभ उठा कर कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं । अत: राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके दण्ड-विधान में वृद्धि की गई है । मुझे आशा है माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 7 पर संशोधन संख्या 14 मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

THE AMENDMENTS WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया
CLAUSE 7 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गये
CLAUSES 8 TO 10 WERE ADDED TO THE BILL

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : यह कहा गया है कि सफेद चावल, सफेद चीनी और सफेद रोटी मानवता के प्रथम शत्रु हैं। अतः नये मिलों को लाइसेन्स न देने का विधेयक प्रस्तुत करने की बजाय तथा देश में एक बार पुनः हाथ से कुटाई की पद्धति लाने की बजाय कांग्रेसी मंत्रालय मिल उद्योग को चिरस्थाई बनाना चाहती है।

मिल के चावलों के प्रयोग से राष्ट्र की जनता का स्वास्थ्य अनुमान से भी अधिक क्षीण हो गया है। आज किसान उसका आधा भी नहीं है जितना शक्तिशाली वह 30 या 40 वर्ष पूर्व था, तीन सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन में भी किसान इतना बलहीन नहीं हुआ था जितना कि 30–40 वर्षों में इन मिल के चावलों से हो गया है। चावल के इन मिलों ने न केवल किसानों को बल्कि विद्यार्थियों को भी क्षीण बना दिया है।

पिछले 20 या 30 वर्षों के दौरान विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्र ने मिल उद्योग को बड़ी तेजी से अपनाया और आज सरकार इसे न केवल नियमित करना चाहती है बल्कि इसे सभी. प्रकार की आधुनिक मशीनरी से सुसज्जित कर आगे बढ़ाना चाहती है। यह सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का सवाल नही है। यह व्यक्तिगत अथवा सहकारी क्षेत्र का भी प्रश्न नहीं है। ये चावल के मिल इस देश के नाश के कारण बन गये हैं। विटामिन बी तथा बी-कामप्लैक्स आदि राष्ट्र के स्वास्थ्य की पुनप्राप्ति नहीं करा सकते हैं जब तक हम इस सफेद चावल और सफेद चीनी का प्रयोग करते रहेंगे।

गांधी जी के नाम पर चलने वाली इस सरकार को अब नई मिलों को लाइसेंस देना बन्द कर देना चाहिये और पुरानी मिलों को धीरे-धीरे समाप्त होने देना चाहिये जिससे देश को एक बार पुनः हाथ से कुटे हुए चावल तथा सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त हो।

पशुओं को भी यहां तक कि असली भूसा तक नहीं खाने दिया जाता। एकाधिकारियों को जो दान दे सकते हैं इस भूसे से तेल निकालने का एकाधिकार दिया जाता है और तेल निकलाने के पश्चात् फिर यह भूसा पशुओं को दिया जाता है। तेल निकालने के पश्चात् यह भूसा पशु को चारे के रूप में पहुंच जाता है। अतः न केवल मनुष्य को ही क्षीण बताया गया है बल्कि चावल मिलों के आने के बाद पशु को भी पहले की भांति अपना पूरा चारा नहीं मिलता है। मैं चावल मिलों को चालू रखने के सम्बन्ध में विरोध करता हूं।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : My first question is that why the rice mills are not included in the various category of industries ? Why the rice mills are not being given the economic and technical assistance as other industries are being given ? When

1782 (ai)—LS—12.

[Shri Meetha Lal Meena]

such mills are thousands in number then why these are being deprived of industrial assistance and why these are not being technically improved ?

Today, you are going to establish new mills but I want to say that inspite of establishing new mills , the old mills should be improved. Today, small mills are closed; these should be given economic assistance.

Today improvement is being made in machines but the 30 percent bran which comes out of the rice is not even liked by the animals for their food. This bran cannot be sold even at the rate of one rupee a quintal, because it is not used for the cattle as cattle feed . Government should think over it and try to make use of it .

The existing old mills should be given economic assistance for their improvement and these should be placed in the various categories of industries. The duration of the renewal of licence should be atleast three years instead of one year. New licences should be issued to only those mills which are closed for some reason and the licences of which were cancelled one year ago.

Besides, there should not be any sort of licence or any restriction on the flour mills or the hullers at the well which are cristing before the formation of this law and the old mills should be given loans and technical improvement assistance by the Government.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : If we see that the farmers are benefited by the use of hullers the Government should not have any difficulty to take steps in this direction. The Government should reconsider the question of fines. The Government should try to reduce the fines keeping in view the conditions of the agriculturists and the other people.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैंने समाचारपत्रों में प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदनों को पढ़ा है । आयोग ने एक बहुत अच्छी बात यह कही है कि लाइसेंस देना बिल्कुल बन्द होना चाहिये और यदि लाइसेंस देना जारी रखना हो तो यह काम एक गैर-सरकारी निगम को सौंप देना चाहिये । यह कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं होना चाहिये । लेकिन आंज यह दिखाई देता है कि लाइसेंस देने की थोड़ी सी व्यवस्था कहां कहां थीं और कहां कहां आज खाद्य और कृषि मंत्रालय इस कार्य को बहुत बढ़ा रहा है । यह विधेयक इस बात का उदाहरण है । उन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है जिनकी चावल की मिल कुटीर उद्योग के रूप में हैं ।

किसी भी विधान में दण्ड की व्यवस्था आवश्यक होती है । लेकिन इस विधेयक के खण्डों में जो दण्ड की व्यवस्था की गयी है वह अत्यधिक है । यह छोटे गांवों या कस्बों में रहने वाले लोगों के हित में नहीं है ।

आधुनिकीकरण की बात की जाती है, तो मैं कहता हूं कि अन्य क्षेत्रों में आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया जाता । इस क्षेत्र में यह आधुनिकीकरण नहीं है बल्कि अति-यांत्रिकीकरण है जिसके लिए मेरा देश अभी तैयार नहीं है ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The hon. Members who have opposed this Bill are the enemies of the farmers in the real sense. The Communist members have talked about the nationalisation of these small industries run by the small farmers. I think no other can be greater enemy of the farmers than these people . There is a danger that the co-operative societies with ulterior motives may be formed and the big bellied men may go on making huge profits . It has been said that the co-operative societies should be purely of farmers. I want that attention should be paid towards this. These co-operative societies and these

industries should be in the villages and not in cities. If these will be set up in villages than the agriculture based industries will grow up there in large numbers and the village will come upto the level of cities.

Attention should be paid towards hullers. The farmers should get the lincences The middle men should not be allowed to take away the benefits. For the first the farmers are getting the licences through this Bill.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) ; We have to see who forms the co-operative societies whether it consists of small farmers who have five acres or less than five acres of land or it consists of big farmers. If these Co-operative Societies are of small farmers than such efforts deserve appreciation.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : I want to ask a question. The farmers who will set up hullers in the villages after spending two or three thousand of rupees will also be fined in this way ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह विधेयक हथकुटा-चावल उद्योग के हितों की रक्षा करता है। ऐसा उपबन्ध पुरानी व्यवस्था में पहले ही है। नये संशोधन पर उस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

क्योंकि यह उद्योग आधुनिक टेकनीक पर आधारित नहीं है और बहुत सा उपोत्पाद बरबाद हो जाता है, इसलिये इस विधेयक का एक उददेश्य यह है कि आधुनिकीकरण द्वारा हम बहुत सारे उत्पोपाद का राष्ट्रीय हित में उपयोग कर सकते हैं। हम पुरानी मिलों को उनके आधुनिकी-करण के लिए अवसर दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल नई मिलों को खड़ा करना नहीं है।

मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सहकारी चावल मिलों तथा सरकारी क्षेत्र के मिलों को प्राथमिकता देना है।

यह सरकारी नीति, संवैधानिक विदेशों, तकनिकी प्रतिवेदनों तथा पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिज्ञापित नीतियों के हित में है। हमने यह स्थिति स्वीकार की है, इसीलिये हम इस प्रगतिशील विधान को लेकर आगे आये हैं।

विधयक में विहित दण्ड अधिकतम है लेकिन यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मामले में न्यायालय अधिकतम दण्ड देगा।

यह कहा गया है कि लाइसेंस देना समाप्त किया जाय तथा नियंत्रण नहीं होने चाहिएं लेकिन आधुनिक समाज में बिना प्रतिबन्धों के गुजारा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर (राज्य क्षेत्र का हस्तान्तरण) विधेयक

ANDHRA PRADESH AND MYSORE (TRANSFER OF TERRITORY) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मैसूर राज्य के कुछ राज्य क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश राज्य को हस्तान्तरित करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

यह एक छोटा सा विधेयक है जो मसूर राज्य के जिला कोलार के बागपल्लि तालुक में अबाकारीपल्लि गांव की कुछ भूमि को आन्ध्र प्रदेश राज्य को हस्तान्तरित करने के बारे में है। जिस समय विभिन्न राज्यों में बस्तियां एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तान्तरित की गयी थीं उस समय यह विशेष क्षेत्र नजर से बच गया था। इस पर 1960 में क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में विचार किया गया था और सम्बन्धित दोनों राज्य इस सुझाव पर सहमत हो गये थे कि बिना संसदीय अधिनियम के इस प्रकार का हस्तांन्तरण नहीं हो सकता, अतः यह छोटा सा विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक दोनों राज्यों के राज्य विधान मंडलों को भी भेजा गया था जैसा कि संविधान के अन्तर्गत अपेक्षित था और दोनों विधान मंडलों ने इसकी पुष्टि भी की है और अब तक इसके बारे में कोई विवाद नहीं हुआ है। खण्ड 3 गांव के कुछ हिस्से को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित है और दूसरे खण्डों में आवश्यक प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक उपबन्ध हैं। मैं नहीं सोचता कि यह आवश्यक है कि मैं इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में विस्तार में जाऊं। मैं आशा करता हूं कि इसको सभा अपनी सम्मति देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मैसूर राज्य के कुछ राज्य क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश राज्य को हस्तान्तरित करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

परिचालन के लिए एक संशोधन है। हमारे पास केवल एक घंटा है। दोनों राज्य इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं। हमें इसे नियत समय पर समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को जनमत जानने के लिये 28 अगस्त, 1968 तक के लिये परिचालित किया जाय।"

यह विधेयक मैसूर राज्य के एक गांव के कुछ भाग को आन्ध्र प्रदेश राज्य को हस्तांतरित करने के बारे में है। यह सच है कि हस्तांतरित की जाने वाली भूमि थोड़ी है। और प्रशासकीय आधारों पर यह हस्तान्तरण किया जाना है। मैं ने परिचालन के लिए यह प्रस्ताव इसलिये किया है कि क्योंकि सरकार तो केवल एक प्रस्ताव सभा के सम्मुख लाना चाहती है जब कि राज्य कई अन्य समस्याओं से भी उलझा हुआ है। जिस से आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्य के बीच काफी गलतफहमी पैदा हो गई है।

[श्री रा० दे० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandre *in the Chair*]

यदि मैसूर राज्य के सामने केवल यही एक समस्या होती तो मैं ने इस विधेयक का समर्थन कर दिया होता लेकिन मेरा तर्क यह है कि एक-एक कर के समस्याओं को लाने की बजाय मैसूर राज्य की सीमा सम्बन्धी जितनी भी समस्यायें हैं उन सब को एक साथ आगे लाया जाये।

यह सब जानते हैं कि मैसूर राज्य की कई सीमा समस्यायें हैं। ये समस्यायें दस वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। इनसे पास पड़ौस के राज्यों में तनाव पैदा हो रहा है और गलतफहमी रही है। इस से यहां तक कि देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है, इस समस्या को सुलझाने में स्थानीय प्रयत्न किये गये लेकिन सब असफल। तब इन समस्याओं को सुलझाने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार के कहने पर

भारत सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया। श्री महाजन ने एक वर्ष से भी पहले सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। परिणामस्वरूप न केवल प्रतिवेदन के विरुद्ध अनावश्यक प्रचार हो रहा है बल्कि उसके लेखक के विरुद्ध भी हो रहा है। ऐसा रवैया होने पर कोई भी भद्र पुरुष आयोग में काम करने नहीं आयेगा। सब को यह जानना चाहिये कि श्री महाजन ने न महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और न मैसूर के। उन्हों ने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया और यह केन्द्रीय सरकार का कार्य था कि उनके प्रतिवेदन को स्वीकार करती।

मैसूर सरकार इस प्रतिवेदन को जाननी है और वे चाहते हैं कि इस को कार्यान्वित किया जाय ; और इस प्रतिवेदन को पंचाट समझा जाय। इस समस्या को सुलझाने का केवल एक यही तरीका है।

दूसरी ओर गृह मंत्रालय कई जटिल समस्याओं को आरम्भ करता रहा है। कई नये तरीकों से काम लिया गया लेकिन सब असफल हुए श्रीनगर में हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद्, की एक बैठक में एक नया प्रस्ताव रखा गया है। गृह कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि सभी सीमा-विवादों को सुलझाने के लिये एक सीमा मशीनरी का गठन किया जाना चाहिये उस परिषद् का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता लाना है। लेकिन यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो इस से कुछ नहीं होगा बल्कि विघटन को बल मिलेगा क्योंकि ज्योंहि सरकार यह घोषणा करती है कि वह सभी अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने के लिये एक स्थायी सीमा मशीनरी नियुक्त करने जा रही है तो वे ऐसा कह कर सभी राज्यों से ऐसे विवादों को आमंत्रित करेंगे। जितने भी पुराने विवाद हैं उन को हम भूल गये हैं अथवा जिनके साथ हम ने समझौता कर लिया है वे फिर से खड़े हो उठेंगे और सीमा मशीनरी के पास अनगिनत विवाद सामने आने लगेंगे। सारे देश में उपद्रव मच जायेगा। अतः मैं आशा करता हूं कि इस का अनुसरण नहीं किया जाएगा।

इन विवादग्रस्त क्षेत्रों के लोग बड़ा दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र इस विवादग्रस्त क्षेत्र के लिये कुछ नहीं करता क्योंकि वह समझता है कि यह मैसूर को चला जायेगा और मैसूर कोई विकास कार्य इसलिये नहीं करना चाहता क्योंकि वह समझता है कि शायद यह महाराष्ट्र के पास चला जाय इस चक्कर में पिस रहे हैं विवादग्रस्त क्षेत्र के लोग।

ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह समय पर और कारगर निर्णय ले। उन्हें बताना चाहिये कि श्री महाजन आयोग प्रतिवेदन को स्वीकार किया जा रहा है अथवा यथास्थिति रहेगी नये सुझावों तथा प्रस्तावों को सामने लाकर वे समस्या को और जटिल बना रहे हैं। और इस से यदि देश में विघटन हुआ तो इसको उत्तरदायी सरकार होगी।

सरकार जो कुछ कर रही है क्या वह उचित है इस बात को जानने के लिये जनमत लेना चाहिये।

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमदनगर) : यह विधान का छोटा सा अंश है जो मैसूर राज्य से कुछ क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश को हस्तांन्तरित करने से सम्बन्धित है। 18 वर्ष पश्चात् सरकार इस विधान द्वारा उस भूल या चूक को ठीक करना चाहती है जो सन् 1950 में किसी प्रकार हुई थी। यह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की जा रही है। यद्यपि काफी देरी के बाद ऐसा किया जा रहा लेकिन ऐसा नहीं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता।

अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्र भी दूसरे राज्यों में हैं जिन से न केवल प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है बल्कि भाषा, संस्कृति, शिक्षा तथा अन्य बातों सम्बन्धी कठिनाई भी पैदा होती है।

[श्री अनन्त राव पाटिल]

1957 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् इस विवादग्रस्त क्षेत्र के लोग राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से कहते रहे हैं कि सीमा को पुनः निर्धारित किया जाय और इन क्षेत्रों को मैसूर से महाराष्ट्र को उसी प्रकार हस्तांन्तरित किया जाय जिस प्रकार आंध्र और मद्रास के बीच के विवाद को पाटस्कर फार्मूला के आधार पर हल किया गया था। गांव को इकाई मानकर क्षेत्रों का हस्तांन्तरित किया जाय। जो क्षेत्र मैसूर का है वह मैसूर को मिले और जो क्षेत्र महाराष्ट्र का है वह उसे ही मिलना चाहिये।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की श्रीनगर में हुई बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये थे कि इन सीमा विवादों को हमेशा के लिये तय करने के लिए निर्देश पदों सहित एक स्थायी समिति नियुक्त की जाय। मैं सोचता हूं कि यह बात मेरे मित्र मैसूर के सदस्य को भी स्वीकार्य होनी चाहिये। हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। मैं सोचता हूं कि सरकार महाराष्ट्र और मैसूर के विवाद को हल करने का प्रयत्न करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Actually all the States were organised after the independeence due to the far sightedness of Sardar Vallabh Bhai Patel. At that very fine this question of reorganisation came forward keeping in view all these things a commission would have been appointed in time so that such a situation would not have arised. In 1953 there was a great lawlessness in whole Andhra. After that the demands of Kerala Vishal Andhra and Vishal Karnatak came forward. Seeing all this in 1955 States Reorganisation Commission was appointed. If the recommendations of that commission would have been followed and the border disputes would have been settled in time all this present situation would not have taken place. The Congress is responsible for the dispute between Maharashtra and Mysore. It has failed to set up good precedents.

It has been provided in the Constitution that in case a dispute arises amongst two States or more, Certral Government should intervene and settle the dispute. In order to settle this dispute either general opinion of the public should be taken in view or the report of Mahajan Commission should be accepted to which both the States were committed.

Similarly there are cases of Goa and Pondicherry. The States Reorganisation Commission have evolved certain principle, to settle such disputes, but Government have not followed them in those cases. I welcome the Bill but at the same time request the ruling party to adopt such concrete measures to settle these disputes which should strengthen unity of the country.

Shri Shinkre (Punjim): I welcome this Bill. It may be pointed out that Goa, Daman and Deu are situated at distance places but still they have been recognised as Union Territories. In my opinion this issue should be settled on the basis of language spoken in the different areas Government should solve the border dispute of Mysore and Maharasthra on this very basis.

I would also like to point out that only administrative convenience has been kept in view while settling the Goa problem. In this connection it may be stated that states were reorganised on the basis of language spoken in different States. In view of this as Goa is Marathi speaking area it should have been merged in Maharashtra.

श्री जे० एच० पटेल* (शिमोगा): सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया है कि ब्रिटेन द्वारा किये गये प्रान्तीय वितरण में कन्नड़ निवासियों की अधिक हानि हुई है। इन विवादों को न क्षेत्रीय परिषद ने, न भारत सरकार ने और न सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गयी चार सदस्यों की समिति ने हल किया है। इस समस्या के समाधान में जितना विलम्ब हो रहा

*कन्नड में भाषण दिया।

है सम्बन्धित सरकारें अपने दावों के प्रति उतना ही कठोर रवैया अपना रही हैं। आयोग ने भी जिन गवाहों के साथ साक्षात्कार किया है वे साक्ष्य से भी इस स्थिति के बारे में निष्पक्ष जानकारी नहीं मिलती।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया): मैसूर राज्य के लोग उदार वृत्ति के तथा अच्छे स्वभाव के हैं, इसीलिये आन्ध्र प्रदेश वाले इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाल ही में मैसूर राज्य के कुछ क्षेत्रों पर दावा किया है। वस्तुतः यदि राज्यों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाते हैं तो उनका समाधान करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें हमें यह संदेह होने लगा है कि केन्द्रीय सरकार शायद इन विवादों को हल करने में जानबूझ कर विलम्ब कर रही है और वह कुछ अपने ही कारणों से इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल रही है। श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में इन सीमावर्ती विवादों को हल करने के लिये कुछ व्यवस्था करने के बारे में निर्णय लिया गया था। यह व्यवस्था राज्य पुनर्गठन आयोग के शीघ्र बाद में की जानी चाहिये थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम महाजन आयोग स्थापित किये जाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि हम चाहते थे कि एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाये जो सभी सीमावर्ती समस्याओं का अध्ययन करके अपना निर्णय दे, परन्तु केन्द्रीय सरकार उसके लिये तैयार नहीं थी।

आन्ध्र प्रदेश के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम इस क्षेत्र का स्थानान्तरण करने के लिये सहमत हैं परन्तु आन्ध्र प्रदेश के नेताओं को कम से कम मैसूर के अन्य क्षेत्रों पर दावा नहीं करना चाहिये।

श्री राजाराम (सलेम): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को प्राप्त हुए दस वर्ष हो गये हैं परन्तु अब तक उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। यह सुझाव दिया गया था कि उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभक्त कर दिया जाये परन्तु वैसा नहीं हुआ। यदि यह विभाजन हो जाता तो बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जातीं। हमने कितने ही आयोग नियुक्त किये हैं परन्तु उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है अतः केन्द्रीय सरकार को उन्हें क्रियान्वित करना चाहिये।

सीमावर्ती विवादों के अतिरिक्त पानी सम्बन्धी विवाद भी हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर का विचार यह था कि गंगा और कावेरी को मिला दिया जाना चाहिये। कोई भी व्यक्ति अपने राज्य के प्राकृतिक लाभों में दूसरे राज्य के लोगों को सम्मिलित नहीं करना चाहता। केन्द्रीय सरकार केवल पर्यवेक्षक बनी हुई है और अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रही है।

श्री नायनार (पालघाट): इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि केरल और मैसूर के बीच भी विवाद है। इसी प्रकार नागालैंड और आसाम के बीच तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच भी सीमा विवाद है। अब मैसूर के मुख्य मंत्री ने महाजन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करने की घोषणा कर दी है परन्तु महाराष्ट्र वाले उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार में राज्यों के बीच सीमावर्ती विवादों को हल करने के लिये एक प्रशासनिक स्थायी तंत्र होना चाहिये। यदि कोई सीमा विवाद खड़ा होता है तो इस स्थायी तंत्र को उसे हल करना चाहिये। इस सम्बन्ध में गाँव को एक यूनिट मानना चाहिये और ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिये जो दोनों पक्षों को मान्य हो अथवा गाँव के अधिकतम लोगों को मान्य हो। इस स्थायी तंत्र में सभी पक्षों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होने चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति महोदय यद्यपि अधिकतर माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है परन्तु उन्होंने देश के सीमावर्ती विवादों की ओर ही अधिक ध्यान दिया है। वास्तव में यह विधेयक आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के विधान मडलों को उनकी राय जानने के लिये भेजा गया था। दोनों राज्यों के विधान मडलों ने उस पर चर्चा की है और उसका समर्थन किया है। इस प्रकार इस क्षेत्र के लोगों की राय जान ली गयी है।

विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन भारत सरकार और भूतपूर्व शासकों के बीच हुए समझौते के आधार पर किया गया था। उसके बाद जनता की भाषा में प्रशासन चलाने के लिये राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिये देश में भाषायी राज्य बनाये गये। ऐसी अवस्था में भी सीमा के दोनों ओर भाषायी अल्पसंख्यकों का रह जाना अवश्यम्भावी था। भाषायी अल्पसंख्यकों को कोई कष्ट न हो, इस विचार से संविधान भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त नियक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। भाषायी अल्पसंख्यक आयक्त ने अब तक सराहनीय कार्य किया है। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन हर वर्ष सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति इन विवादों का समाधान चाहता है। परन्तु यह समस्याएं बहुत पेचीदा हैं और हमने अपनी परम्पराओं के अनुसार उन्हें परस्पर समझौते एवं बातचीत द्वारा हल करने की बात सोची है। आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के बीच एक जटिल समस्या को उनके मुख्य मंत्रियों के परस्पर समझौते से हल किया गया था। यही बात अन्य राज्यों के सीमा विवादों के सम्बन्ध में लागू होती है।

मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिये जिससे सीमा विवाद पैदा हों? इन विवादों को राजनीतिज्ञों की इच्छा पर बारम्बार नहीं उठाया जाना चाहिये। यह सब स्वीकार करते हैं कि महाराष्ट्र–मैसूर सीमा विवाद एक पेचीदा समस्या है। हमने इसके समाधान केलिये विभिन्न तरीके अपनाये हैं परन्तु हमारे प्रयास सफल नहीं हुए हैं। फिर भी हम अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। इस सम्बन्ध में कोई एक तरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस में लाखों लोगों के हितों का सम्बन्ध है।

गोआ को किस राज्य में मिलाया जाये, इस सम्बन्ध में मतभेद था, अतः हमने गोआ की जनता की राय को जानने का निर्णय किया। जनमत संग्रह करने के लिये चुनाव करवाये गये और हमने जनता की राय का आदर किया।

राष्ट्रीय एकता परिषद् ने कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की है। इस परिषद् के सम्मेलन में कुछ विचार व्यक्त किये गये थे और सीमावर्ती विवादों को हल करते समय इन विचारों को ध्यान में रखना चाहिये।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन सीमा विवादों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है वे बहुत ही पेचीदा एवं नाज़ुक हैं। उनका हल बड़ी सावधानी से करना होगा। क्योंकि यदि किसी एक मामले में कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो अन्य राज्यों में भी वैसे ही विवाद खड़े हो सकते हैं।

हमारे देश में दो भाषायी राज्यों में ऐसी कई सीमाए हैं जिनमें भाषायी अल्पसंख्यकों की लगभग उतनी ही समस्या है जितनी मैसूर राज्य और महाराष्ट्र राज्य में है, परन्तु उनका परस्पर को विवाद नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल शान्ति है। मुख्य बात सहिष्णुता तथा लोकतंत्रीय

सिद्धान्तों के प्रति आस्था की है। मुझे आशा है कि सद्भावना, समझदारी से उपयुक्त समय पर इन समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

THE AMENDEMENT WAS PUT AND NEGATIVED

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर राज्य से कुछ राज्य-क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश राज्य को हस्तांतरित करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : अब सभा में विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

खण्ड 2 (परिभाषाएं)

सशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 1, पक्ति 6:

"1967" के स्थान पर "1968" रखिये। (4)

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 2 AS AMENDED WAS ADDED TO THE BILL.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 3 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 4—संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन)

संशोधन किये गये

Amendments made.

पृष्ठ 2, पंक्ति 26, "1967" के स्थान पर "1968" रखिये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 34, "1967" के स्थान पर "1968" रखिये।

(5) और (6)

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेदक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 4, AS AMENDED WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 5 से 9 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

CLAUSES 5 TO 9 WERE ADDED TO THE BILL

खण्ड 10—(वर्तमान विनियोग अधिनियमों के अधीन हस्तान्तरित राज्य क्षेत्र में खर्च के लिये धन का विनियोजन)

सशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 4, पंक्ति 16, "1967-68" के स्थान पर "1968-69" रखिये।

(7)

(श्री विद्याचरण शुक्ल) :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 10, AS AMENDED WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 11 से 19 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

CLAUSES 11 TO 19 WERE ADDED TO THE BILL

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

THE SCHEDULE WAS ADDED TO THE BILL.

खण्ड 1

संशोधन किया गया।

Amendment made :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "1967" के स्थान पर "1968" रखिये (3)

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"Eighteenth" ["अठारहवा"] के स्थान पर "Nineteenth" ["उन्नीसवाँ"] रखिये (2)

(श्री विद्या चरण शुक्ल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं : .

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I am happy that this small Bill is being passed by the House but let the Government know that the amendment in this Bill is itself a great condemnation of the Government. So, they should go through a bill carefully before putting for an approval.

Shri V. C. Shukla : Let Maulvi Sahib know that the amendment in the Bill is just that of year only which is a result of big delay caused by Hon'ble Members' prolonged speeches and discussion which obstruct the way of several Bills, lying in the House since quite long, getting passed by the House.

So, the Hon'ble Member should himself read first as to what actual amendement has been made.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[**Mr Deputy Speaker** *in the Chair*]

स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश के बारे में सांविधक संकल्प——वापिस लिया गया तथा स्वर्ण (नयंत्रण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : GOLD (CONTROL) ORDINANCE—WITHDRAWN AND GOLD (CONTROL) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का सुझाव दिया है । माननीय सदस्यों को विचार विमर्श करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा । अब इसके लिए कुल एक घंटा निश्चित है । श्री यशपाल सिंह ।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : The Hon'ble Finance Minister has not explained why so many restrictions are being put on gold. Gold is country's wealth and the progress of the nation depends upon the movement of gold. There is Gold worth Rs. 3000 crores in our country and this figure could have gone upto Rs. 50,000 crores had the Finance Minister not put so many restrictions on it. We should not mind if this Gold remains hiddeno It will come out when nation needs it. People have given Gold worth lakhs and crores of rupees.

It is with the "Vaishya" that they hide Gold and that is why they are known as "Gupta". Bhamashah gave Gold which could provide funds for fighting even upto 25 years.

But Government do not want to save the country. They have given siveral parts of the country to Pakistan and China. There they do not put any restriction. Why do not they put restrictions on evil things ?

The most significant thing is that you should explain why have put control on Gold. You spent Rs. 20 crores in giving employment to goldsmiths as also Rs. 29 lakhs to implement this Gold control. But country got nothing. We cannot progress in this way. Country can progress only when her wealth increases.

But the Government are sealing all the ways through. There is no scope either in business or agriculture. There is no scope to encourage the youngmen these days. There is a ban on land holdings even for the graduates and best brains in agriculture.

It is, therefore, requested that you act upon what Gandhiji had said and finish this Gold Control. Do not block country's wealth lest the nation should not progress.

Previously, the "Sahukar", the creditor had been a source of much help to the people. But now, you have thrust the co-operatives on our heads, with the result that country's wealth disappeared. So, the Hon'ble Finance Minister should adopt wrong measures and thus drag the country behind. Instead of controlling Gold he should prize the persons

who produce more and more Gold. He should not, therefore, be adamant about controlling Gold and if he at all wants to show his courage and determination, he should demonstrate it against Pakistan and China.

I submit that I am his faithful and not against him. I do not oppose him just for the same of opposition. We are all his well-wishers and request him to withdraw this legislation, and pity the people of the country.

Deputy Prime Minister and Finance Minister (Shri Morarji Desai) : I am grateful to Shri Yashpal ji for showing so much faithfulness towards me. But what will we do with more and more Gold ? We are not going to eat it up. We need industries and agriculture prosperity. And we want to attain it. If we use that money, we will get food, money and all that. So we should not have Gold. But how to make him understand ? He has no force in his opposition. That is only what I had to say in my reply.

मैं यह प्रस्ताव करने के लिये खड़ा होता हूं कि स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1968 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये।

सरकार की स्वर्ण नीति के बारे में सदन में अनेक बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और अब इस समय यह आवश्यक नहीं कि इस नीति के बारे में और अधिक कुछ कहा जाये। केवल यही कहना ही पर्याप्त होगा कि हम अपनी विदेशी मुद्रा का इस प्रकार नष्ट होना सहन नहीं कर सकते। स्वर्ण की तस्करी को रोकने के लिये ऐसे नियमों का बनाना भी आवश्यक तथा सहायक है ताकि देश के अन्दर स्वर्ण का कम से कम लेन देन हो। जिन समितियों को इस विषय पर रिपोर्ट देने को कहा गया था उन्होंने इसे आवश्यक समझा था तथा फिर संसद् स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1965 लागू किया था।

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के पारित होने से पूर्व वह विधेयक श्री ए० वी० कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में गठित दोनों सदनों के 45 सदस्य की एक समिति को सौंपा गया था जिसने बहुत ही विस्तार से विचार करके, जनता की, संसद सदस्यों की और अनेक संस्थाओं की राय ली थी तथा इसे अनुमोदन प्रदान किया था।

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1965 द्वारा नियंत्रण करने की आधार-प्रणाली स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1968, से अधिक कठोर थी जोकि अब नहीं है। पहले 14 कैरेट सोने के ही आभूषण बनाने का नियम था जो कि अब नहीं है। जिन उपायों पर सदन में अनेक बार विचार कर लिया गया हो उन्हें हम यह नहीं कह सकते कि वे जनता पर कु-प्रभाव डालते हैं। वर्तमान विधेयक तो स्वर्ण नियंत्रण की परिवर्तित प्रणाली को स्वीकृति प्रदान कराना है। और अब क्योंकि यह विधेयक स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश, 1968 के स्थान पर लागू होता है अतः यह भी आवश्यक है कि यह संसद के वर्तमान अधिवेशन के चालू होने के छः सप्ताह के अन्दर अन्दर लागू हो जाये।

अतः मैंने यह भी अवश्य अनुभव किया कि क्योंकि इस पर संयुक्त समिति में बहुत विस्तार से विचार किया जा चुका है इसलिये इसे प्रवर समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु माननीय सदस्यों की इच्छा को मान देते हुए तथा इस आशा से कि यह विधेयक इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व पारित हो जायेगा, मैंने यह भी स्वीकार कर लिया है।

इस हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक समाज के आर्थिक और वित्तीय हित में सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई, वितरण, प्रयोग और इन्हें रखने तथा इनके व्यापार के नियंत्रण के लिए तथा तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 38 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 25 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री के० एम० अब्राहम
(2) श्री स० मो० बनर्जी
(3) श्री सोनूभाऊ दागडू बसवन्त
(4) श्री ओंकारलाल बोहरा
(5) श्री नारायण दाण्डेकर
(6) श्री जार्ज फरनेंडीज़
(7) श्री सीता राम केसरी
(8) श्री एस० एम० कृष्ण
(9) श्री बृज भूषण लाल
(10) श्री के० अम्बाज़ागन
(11) श्री बाकर अली मिर्जा
(12) सरदारनी निर्लेप कौर
(13) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(14) श्री मनुभाई एन० पटेल
(15) श्री एस० वी० पाटिल
(16) श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी
(17) श्री अमर सिंह सहगल
(18) श्री देपायन सेन
(19) श्री शिवनारायण
(20) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(21) श्री चन्द्रजीत यादव
(22) श्री त्रिदिब चौधरी
(23) श्री नुग्गेहल्ली शिवप्पा
(24) श्री ओम प्रकाश त्यागी
(25) श्री मोरारजी देसाई, और

राज्य सभा के 13 सदस्य हों;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 9 अगस्त, 1968 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष कहें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 13 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]
[**Shri Tirumal Rao** *in the chair*]

सभापति महोदय : प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत है। क्या श्री कंवर लाल गुप्त अपना संशोधन रखना चाहते हैं ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, I move my amendment No. 1.

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या-2 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : मैं श्री कंवर लाल गुप्त और श्री देवेन सेन द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के समक्ष रखता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have nothing more to say in this connection because it will be considered in detail after the report submitted by the Select Committee. Two things are famous after the name of Shri Morarji. The first is Prohibition and the second is Gold Control. Shri Morarji had full support of the public in respect of Prohibition. But in regard to other thing it is different. There may be support from intellectual and economists but the public was against it. It was known as "Black Act."

I agree in principle that it is not good if the Gold is kept at home without any use. It should be used in industries and production. But the tradition of keeping gold at home cannot be eliminated at once. Like Family planning, Government should educate people gradually. They should ask the people to invest the Gold in production then the result will be good. But the Government thought that the gold will come out and the smuggling will be decreased with one blow of stick. And the prices will go down. But nothing has taken place. It is correct that there had been stability for some days when the gold Control Act was formulated. But such thing last for a short time. I can say that prices rose high and smuggling increased. Shri Morarji asked people that they could make new jewels from old jewels. But I can say that ninety percent new gold is used in preparing jewel and old gold is not used. The Government is simply demoralizing the people and the country is being corrupted by such law. You should face the facts. It is not enough to sit eyes closed after enacting the law. The staff of Enforcement Inspectorate are making profit out of it. The four and a half lakhs goldsmiths, on which this has been implemented, are dying without food and they have no means of livelihood. As such I request the honourable minister to call them again if he is going to select Committee.

Shri Morarji Desai : The Goldsmiths have not given any application.

Shri Kanwar Lal Gupta : I want that you should call them here and take their opinion. It is certain that you will get the act passed because the majority is in your side. But the working of the act should be reviewd so that we may be informed about its progress.

Shri Deven Sen : It is my request that the bill may be circulated for public opinion. This bill will ruin a large section of Goldsmiths of this country. Their means of livelihood will be snatched away. As such I want this Bill should be circulated for puplic opinion.

The Goldsmiths have not been given right to keep gold more than 100 grams. But on the other hand the black-money in the shape of gold is increasing. The economic condition of the country is also deteriorating.

The assurance from the hon. minister regarding rehabilitation, money for children's education etc. have not been fulfilled. Gold craftsmanship has an ancient history in India. And now through this bill we want to finish it. Gold craftsmanship should be given the shape of Cottage-industry. Now I move my amendment.

सभापति महोदय : श्री विश्वनाथम !

श्री मोरारजी देसाई : आप अब इसको मतदान के लिए रखिये । कार्य-मंत्रणा समिति में यह मान लिया गया था कि इस पर वाद-विवाद नहीं होगा ।

सभापति महोदय : वाद-विवाद के लिए समय निर्धारित किया हुआ है । श्री तेन्नेटि विश्वनाथम ।

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम् (विशाखापत्तनम): अध्यक्ष महोदय, सोने के महत्व को कम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। परन्तु विश्व बैंक को इसकी आवश्यकता है । औद्योगिक और अमीर राष्ट्र अधिक से अधिक सोना जमा करना चाहते हैं। परन्तु यहां सोना को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में विश्व का आर्थिक व ताकत सोन ा पर आधारित है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सोना को जमा करके न रखा जाय। परन्तु सोना को जमा करके रखने वाले वे अमीर लोग हैं जो बम्बई आदि बड़े शहरों में रहते हैं और सरकारी वभाग उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते। परन्तु अगर यहां की महिलाओं के पास सोना होता है तो सरकार उनको जमा रखने का नाम देती है । भारत में महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाये गये सोना की कीमत करीब 300 करोड़ रुपया से 400 करोड़ है। राज्य सरकारों को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार की वार्षिक आय 3000 से 4000 करोड़ रुपये तक है इसके मुकाबले में 300 से 400 करोड़ कुछ भी नहीं है। लोगो का कहना है कि भारत में बहुत सोना है। परन्तु वास्तव में भारत में अधिक सोना नहीं है। इसके बारे में अलग-अलग अनुमान है। परन्तु चाहे कुछ भी अनुमान है इससे हमारी योजनाओं पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार नसबन्दी और लूप लगवाने में करीब 240 करोड़ रुपया इनाम के तौर पर दे देती है। परन्तु जब हमारी महिलाओं के पास थोड़ा सोना होता है, जो कि समय पर काम आता है तो सरकार उसको जमाखोरी का नाम देती है। आपके उद्देश्य पर किसी को सन्देह नहीं है परन्तु यह अभियान ठीक नहीं है ।

यह सोचा गया था कि तस्करी पर नियंत्रण रखा जायेगा। परन्तु इसको रोकने के और भी तरीके हैं। सरकार को कठोर होना चाहिए । तस्करों को यह आभास होना चाहिए कि सरकार तसकरी को समाप्त करना चाहती है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश द्वारा सरकार 20 से 25 लाख परिवारों को बरबाद करना चाहती है। हमारा ध्येय राष्ट्र का विकास करके हरेक को रोजगार देना है। परन्तु इस विधेयक से तो 20 से 25 लाख सुनारों के परिवार उजड़ रहे हैं। कुछ ने आत्म-हत्या कर ली है और कइयों को किराया न चुकाने की स्थिति में मकान से निकाल दिया गया है ।

इस विधेयक में और भी कई बातें हैं। एक आदेश द्वारा सोने में मिलावट करके इसे 14 कैरेट तक बनाया जा सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। चाहे मंत्री महोदय अपने को ठीक समझते हों परन्तु अगर यह राष्ट्र की समझ से बाहर है और अगर लाखों परिवार उजड़ रहे हैं और तस्करी को भी रोका नहीं जा सकता तो इसको संयुक्त समिति को सौंपने का कोई मतलब नहीं उठता। इस मामले में हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए और जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि इसको जनता के विचार जानने के लिए परिचालित किया जाय।

सभापति महोदय : श्री स० मो० बनर्जी।

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : अब संयुक्त समिति के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। श्री बनर्जी संयुक्त समिति के सदस्य हैं (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उनसे परम्परा का पालन करने के लिए कहूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : परन्तु मेरे दल का कोई अन्य सदस्य यहां उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : उनको संयुक्त समिति में पर्याप्त समय मिलेगा। अतः उन्हें प्रथा को भंग नहीं करना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह तीन अथवा चार मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

Shri S. M. Bannerjee (Kanpur) : We have failed to achieve any one of the underlying objectives of the Bill. Neither the smuggling nor the price of the gold have been brought down.

The condition of the goidsmiths is pitiable and many of them have committed suicide. There was a alternative with them.

At the time of the Chinese aggression in 1962 people gave gold and ornaments in large quantities to the Government for purchase of armaments. I would like to know from the hon. Finance Minister that what has happened to that gold ? The hon. Finance Minister should place all relevant factors before the House.

The hon. Finance Minister should discuss this matter with the members of the All India goldsmiths Federation. This Federation represents the goldsmiths all over the country. He should give ear to their difficulties. If after the discussions the hon. Minister is convinced that this Bill is of no use then he should come to the House and withdraw this Bill.

With these words I oppose this Bill.

सभापति महोदय : क्या श्री यशपाल सिंह जी उत्तर देने के लिए समय चाहते हैं। यदि वह दो अथवा तीन मिनट लें तो एक अन्य सदस्य को समय दिया जा सकता है।

Shri Yashpal Singh : I want to say only few words.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : श्री स० मो० बनर्जी ने अभी अभी कहा है कि वह विधेयक के मूल सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। यदि ऐसा है तो वह संयुक्त समिति के सदस्य किस प्रकार हो सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रवर समिति को सौंपे जाने से पूर्व मूल सिद्धान्त के बारे में यह चर्चा हो चुकी है। मैंने यह कहा था कि इसको कम से कम प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : विधेयक के मूल सिद्धान्तों के स्वीकार किये जाने के पश्चात् ही इसको प्रवर समिति को भेजा जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब इसको प्रवर समिति को भेजा गया था तो हमने विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया था ।

सभापति महोदय : मैं इस पर अभी समय नहीं देना चाहता ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह अधिनियम लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहा है । मुख्य लक्ष्य छिपे हुए सोने को निकालना था । दूसरा लक्ष्य सोने के तस्कर व्यापार को रोकना था । तीसरा लक्ष्य सोने के मूल्यों का मानकीकरण करना था । परन्तु हम सब जानते हैं कि सोने के मूल्यों में 30 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है । चौथा लक्ष्य छिपे सोने को विकास कार्यों के लिए लगाना था । जैसा कि मैंने पहले कहा इन में से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका ।

इस अधिनियम से स्वर्णकारों के परम्परागत कुटीर उद्योग में बाधायें पड़ी हैं तथा स्वयं लाखों स्वर्णकारों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा है । इससे लगभग 20 लाख स्वर्णकार बेरोजगार हो गये थे । इनको पुनः काम पर लगाने के नाम पर एक करोड़ से भी अधिक रुपये का अपव्यय किया गया है ।

पश्चिमी देशों में महिलाएं अब जेवरात पहनती हैं । अतः हम अब अपने इस उद्योग से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं ।

इस विधेयक से भूतकाल में लोगों को जो कठिनाई हुई थी उनसे सबक लेना चाहिए । इस विधेयक का उद्देश्य सोने की मात्रा पर नियंत्रण करना होना चाहिए ।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : The Bill has failed to achieve desired objectives. The hon. Finance Minister should tell us to what extent this Bill has been able to check smuggling. Our country has not been benefited by this Bill at all. On the contrary we have lost the lives of 250 goldsmiths who have committed suicide. We can increase the wealth of the country through producing more in the factories and fields. I would request the hon. Minister to withdraw this Bill..

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

THE RESOLUTION WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

THE AMENDMENT NO. 2 WAS PUT AND NEGATIVED.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 1 वापिस लेता हूं ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

THE AMENDMENT No. 1 WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

सभापति महोदय : मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि लोक समाज के आर्थिक और वित्तीय हित में सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई, वितरण, प्रयोग और इन्हें रखने तथा इन के व्यापार के नियंत्रण के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 38 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 25 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्री के० एम० अब्राहम
(2) श्री स० मो० बनर्जी
(3) श्री सोनूभाऊ दागडू बसवन्त
(4) श्री ओंकार लाल बोहरा
(5) श्री नारायण दाण्डेकर
(6) श्री जार्ज फरनेंडीज़
(7) श्री सीताराम केसरी
(8) श्री एस० एम० कृष्ण
(9) श्री बृज भूषण लाल
(10) श्री के० अम्बाज़ागन
(11) श्री बाकर अली मिर्जा
(12) सरदारनी निर्लेप कौर
(13) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(14) श्री मनुभाई एन० पटेल
(15) श्री एस० वी० पाटिल
(16) श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी
(17) श्री अमर सिंह सहगल
(18) श्री देपायन सेन
(19) श्री शिवनारायण
(20) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(21) श्री चन्द्रजीत यादव
(22) श्री त्रिदिब चौधरी
(23) श्री नुग्गेहल्ली शिवप्पा
(24) श्री ओम प्रकाश त्यागी
(25) श्री मोरारजी देसाई, और

राज्य सभा के 13 सदस्य हों ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को 9 अगस्त, 1968 तक प्रतिवेदन देगी ।

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष को ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 13 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

पाकिस्तान के जेट विमानों की भारतीय राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ान*

OVER-FLYING OF PAKISTAN JETS ON INDIAN TERRITORY**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैंने पाकिस्तान के जेट विमानों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ान के बारे में 24 जुलाई, 1968 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सम्बन्ध में पूछताछ की थी । परन्तु उस समय हम मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण नहीं ले सके थे । जब माननीय मंत्री ने यह कहा कि पहली उड़ान मई में हुई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरी सूचना के अनुसार पहली उड़ान मार्च में हुई थी । मैं माननीय मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण तथा ठीक स्थिति जानना चाहती हूं ।

मुझे यह भी सूचना मिली है कि बा शी का तालाब नामक हवाई अड्डा एक सैनिक हवाई अड्डा है और इसी हवाई अड्डे पर यह विमान उतरे थे न कि लखनऊ के निकट अमौसी हवाई अड्डे पर जो कि एक सिविल हवाई अड्डा है । मैं नहीं जानती कि सैनिक विमानों के लिए आम तौर पर जो सावधानी बरती जाती है वह इस विशिष्ट मामले में क्यों नहीं बरती गई ।

माननीय मंत्री ने यह भी बताया था कि ऐसा प्रबन्ध पारस्परिक आधार पर किया गया था । परन्तु हमारे कूरियर विमान को, जो कि लन्दन से कुछ फालतू पुर्जे लेने जा रहा था, कराची में उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सच है ।

संसद तथा देश को विश्वास में लिया जाना चाहिए था । हम जानते हैं कि उड़ानों के मामले में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व होते हैं परन्तु क्या ये उड़ाने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान नियमों के अन्तर्गत आती है । प्रश्न यह है कि ये विमान सरगोधा से क्यों आ अथवा जा रहे थे ? पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक इन उड़ानों के क्या कारण हैं । पाकिस्तान द्वारा आम तौर पर यह

*आधे घण्टे की चर्चा

**Half an Hour discussion

तर्क दिया जाता है कि ये विमान मरम्म : के लिये जा रहे हैं । इस बात को हमारी सरकार आसानी से स्वीकार भी कर लेती है । परन्तु यदि एक बार इन विमानों को पूर्वी पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाती है तो क्या ये विमान हमारे देश के सामरिक महत्व के स्थानों के निकट नहीं हो जायेंगे ? क्या अनुमति देने से पूर्व इस बात पर विचार किया गया था कि सामरिक महत्व के स्थानों को अनु ति योग्य स्थानों के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिये । सरकार को इतनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए जिसे कि हमारे अपने क्षेत्र में घुसपैठ हो जाये ।

मुझे एक विश्वस्त अधिकारी से इस बात की भी सूचना मिलो है कि पाकिस्तान के विमान बिना अनुमति के भी उड़ानें भर रहे हैं । क्या यह सच है कि तोन अज्ञात विमान भारत के ऊपर जासूसी के लिये नियमित रूप से उड़ानें भरते रहे हैं और वापिसी में सरगोधा पर जाकर उतरते हैं । हमारे राडारों पर इन उड़ानों का पता लगाया गया था परन्तु फिर भी हम इस मामले में कुछ कार्यवाही नहीं कर सके । मुझे बताया गया है कि इसका कारण यह है कि यह विमान आर० बी० 57 जासूसी विमान हैं और ये 60,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और कि हमारे पास इन विमानों को गिराने के लिए साधन नहीं है । मुझे यह भी पता चला है कि तोन विमानों में से एक विमान अभो हाल में नष्ट भी हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में हमारे मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । क्या वे इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते ।

मुझे इस बात का भी पता लगा है कि चोन के विमान काश्मीर में हमारे क्षेत्र का उल्लंघन कर सिक्यांग से पाकिस्तान जाते हैं । चीन ने पाकिस्तान के गठजोड़ से यह एक नया विमान मार्ग निकाला है । यदि यह सच है तो माननीय मन्त्री को बताना चाहिए कि इस बात को क्यों अनुमति दी गई है ।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : I also understand from a reliable source that these planes landed at Bakshi-ka-Talab airport and not at amauri airport. It was very easy for them, once a plane has landed, to take photographs of the nearby military installations. I would like to know the steps taken to prevent them from taking the photographs.

A list of the material having carried by the aircraft was repared without looking into them.

श्री तन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतन्नम्): यह कहा गया है कि विमानों को विशिष्ट प्रार्थना पर जाने की अनुमति दी गई थो । हमें यह नहीं बताया गया कि प्रार्थना कब प्राप्त हुई तथा अनुमति कब दी गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दिनों में इस प्रकार की अनुमति देना बुद्धिमत्ता है ? क्या वे विमान नियमित रूप से उड़ान भर रहे हैं और क्या ऐसो अन्य प्रार्थनाओं पर अभी निर्णय लिया जाना है ।

श्री बलराज मधोक : (दक्षिण दिल्ली) : पाकिस्तान एक शत्रु देश है और उसने अपने बुरे इरादों को कभी गुप्त नहीं रखा । वह अन्य देशों की सहायता से अपनो विमान शक्ति में तेजी से वृद्धि कर रहा है । 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सभो असैनिक तथा सैनिक विमानों की उड़ानों को बन्द कर दिया गया था । आम तौर पर भी सैनिक विमानों को विभिन्न देशों के बीच बिना अनुमति के उड़ान नहीं भरने दी जाती ।

पिछले कुछ महीनों से हमारे दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और बिगड़ते जा रहे हैं । पाकिस्तान हमारे देश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में गड़बड़ के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके बारे में सब को पता है ।

[श्री बलराज मधोक]

हमें बताया गया है कि यदि कोई असैनिक विमान भी उड़ान भरता है तो नियमों के अन्तर्गत उनको चित्र लेने की अनुमति नहीं होती। परन्तु इस बात की क्या गारंटी है यदि शत्रु देश का विमान हमारे देश के ऊपर से उड़ान भरता है तो वह हमारे हवाई अड्डों तथा सामरिक महत्व के अन्य स्थानों के चित्र नहीं लेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने अनुमति देने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार किया था। क्या यह सच है कि पाकिस्तान विमान के बख्शी के तलाब हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसके चालकों को नगर में घूमने की अनुमति दी गई थी। क्या यह भी सच है कि इन लोगों ने अन्य साधनों से सभी प्रकार की जानकारी एकत्र की थी। क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान को जब कभी भी कहा जाता है तो वह असैनिक विमानों की उड़ान के बारे में भी सभी प्रकार की बाधायें डालता है। क्या मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में पाकिस्तान के प्रति एकपक्षीय कमजोरी अथवा सन्तुष्ट की नीति नहीं अपनायेगी।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हमने भी नाम दिये थे।

अध्यक्ष महोदय : केवल पांच नाम आये थे।

श्री रणधीर सिंह : मेरा कभी नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। लाटरी निकाली गई थी। उसमें आपका नाम नहीं आया। आप बैठ जाइये।

Shri Randhir Singh : Why have you become angry. We are not school going children. I cannot tolerate it.

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार किसी मामले को नहीं उठा सकते। सभा के कार्य में बाधा न डालें।

श्री रणधीर सिंह : मैं इसको सहन नहीं कर सकता।

इसके पश्चात् श्री रणधीर सिंह सभा से उठकर बाहर चले गये

SHRI RANDHIR SINGH THEN LEFT THE HOUSE

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : उस दिन मेरा नाम सूची में दूसरा था। परन्तु मैं पहला व्यक्ति था जिसने सभा पटल पर नोटिस रखा था।

अध्यक्ष महोदय : यदि 20 व्यक्ति अपना नाम देते हैं तो परचियां निकाली जाती हैं। केवल पांच नाम लिए जाते हैं। यदि मैं आपको समय देता हूं तो फिर मुझे श्री रणधीर सिंह तथा अन्य सदस्यों को भी समय देना होगा।

श्री समर गुह : फरक्का बांध पर चर्चा के समय इस नियम का पालन नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम इसी प्रकार चलते रहे तो इस बात का कहीं अन्त नहीं होगा। मैं कांग्रेसी तथा गैर-कांग्रेसी सदस्यों के बीच विभेद नहीं कर सकता।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्यों के दिलों में अधिकांश शंका इस कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि इस प्रश्न को प्रश्न घंटे के अन्त में लिया गया था और अनुपूरक प्रश्नों के लिए

समय नहीं बचा था। अन्यथा अधिकांश बातों का उसी दिन स्पष्टीकरण हो जाता। अनुमति देने में सन्तुष्टि अथवा एकपक्षीय कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा केवल पारस्परिक आधारों पर ही किया गया है। ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी, उसको निवेदन किये जाने पर, हमारे विमानों को अपने क्षेत्र से उड़ान की अनुमति दी है।

किसी देश के ऊपर से सैनिक विमानों की उड़ान के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व नहीं है। कोई भी विमान किसी देश पर उड़ान नहीं भर सकता जब तक उस देश से उक्त उड़ान के बारे में अनुमति न ले ली जाये।

जहां तक ईंधन आदि देने का प्रश्न है जब भी हमारे विमान कराची तथा लाहौर पर उतरे हैं उनको ईंधन की सुविधायें दी गई हैं। ईंधन के लिए हमें विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। हम भी जो ईंधन सप्लाई करते हैं उसका मूल्य विदेशी मुद्रा में प्राप्त करते हैं।

जहां तक स्थायी (ब्लैंकट) अनुमति का प्रश्न है वह लड़ाकू अथवा एफ 86 विमानों के लिए नहीं बल्कि कोरियर विमानों के लिए थी। उस समय यह प्रश्न विचाराधीन था।

जिन विमानों को अनुमति दी गई थी वे अमसोंई हवाई अड्डे पर उतरे थे न कि बख्शी-का-तलाब हवाई अड्डे पर।

इस विशिष्ट मामले में हमने विमानों की उड़ान का मार्ग निश्चित किया था। उससे इधर उधर जाने की अनुमति नहीं थी। मार्ग निश्चित करते समय सामरिक महत्व के स्थानों आदि जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था।

इन विमानों ने निश्चित मार्ग पर ही उड़ान की थी और उड़ान के समय इन पर निगाह भी रखी गई थी।

यह सूचना गलत है कि हमारे कोरियर विमान को कराची में उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी। यूरोप तथा रूस को जाने वाले हमारे सैनिक तथा असैनिक विमान कराची तथा लाहौर में उतरते रहे हैं। किसी देश के विमान को बिना देश में उतरे सीधा उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। यह देश के हित में भी है। हम उन विमानों के यहां उतरने की आशा करते हैं ताकि मुख्य रूप से इस बात का पता लग सके कि ये किस प्रकार के विमान हैं तथा ये कहां जा रहे हैं।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि ये विमान सरगोधा तथा पेशावर क्यों जाते हैं। मेरा उत्तर है कि एक बार जब वे विमान हमारे देश के ऊपर से गुजर जाते हैं हम उन पर नियन्त्रण नहीं कर सकते कि वे कहां जाते हैं। हम अपने क्षेत्र में उन के उड़ान का मार्ग पहले से ही निश्चित कर सकते हैं। हथियार, गोला बारूद फोटो आदि लेने का सामान नहीं ले जा सकते जैसी अनेक शर्तें लगाई जाती हैं। उनको यहां उतरने की अनुमति देने का एक यह उद्देश्य होता है कि इस बात का पता लगाया जा सके कि वे क्या सामान ले जा रहे हैं।

यह बात गलत है कि जासूसी करने वाले विमान हमारे क्षेत्र पर उड़ते रहे हैं। इन विमानों को गिराने का हमारे पास प्रबन्ध है।

जो भारतीय क्षेत्र हमारे नियन्त्रण में है उसका चीनी विमानों द्वारा पाकिस्तान जाने के लिए उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

[श्री बलराज मधोक]

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इन विमानों के साथ एक अन्य बड़ा विमान भी था यह सच है । जब लड़ाकू विमान जाते हैं तो उनके साथ मरम्मत करने वाले कर्मचारी तथा फालतू पुर्जे ले जाने के लिए परिवहन विमान भी जाता है । इसके लिए सुविधा मांगी गई थी और वह सुविधा प्रदान की गई ।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उनको दो अथवा चार मील इधर उधर घूमने की अनुमति दी गई थी मेरा कहना है कि मार्ग निर्धारित करते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है । यह सभी बातें पहले से निर्धारित की जाती हैं ।

जहां तक प्रार्थना प्राप्त होने तथा अनुमति दिये जाने की तारीखों का प्रश्न है मैं ठीक तारीखें नहीं बता सकता ।

अनावश्यक तनाव बनाये रखने का कोई लाभ नहीं है । अतः अनुमति देते समय देश की सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है । जैसा कि प्रायः कहा जाता है न तो कोई स्थायी मित्र है न कोई स्थायी शत्रु । अतः पारस्परिक आधार पर ही इन विमानों को उड़ान की अनुमति दी गई थी । अतः इसमें सन्तुष्टि तथा उदारशीलता का कोई प्रश्न नहीं है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 30 जुलाई, 1968/8 श्रावण 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON TUESDAY THE 30TH JULY, 1968/SRAVANA 8, 1890 (Saka)

GMGIPND—LSIII—1782 (ai) LS—4-2-69—600